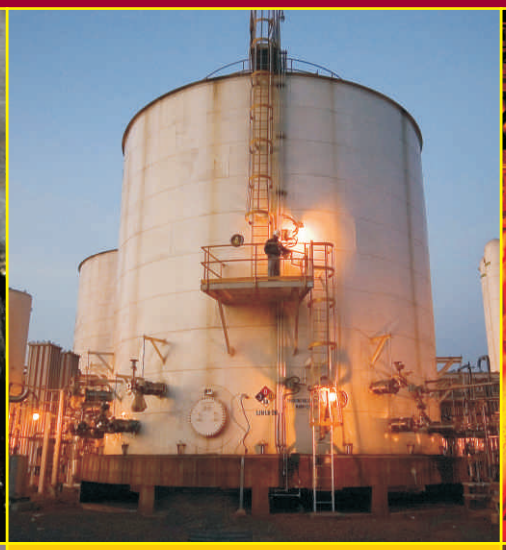

वार्षिक रिपोर्ट
2009-2010

इस्पात मंत्रालय
भारत सरकार

सेल एवं आरआईएनएल
में
आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण
प्रगति पर

चित्रों में सेल के इस्को इस्पात संयंत्र (कतार–1), सेल के सेलम इस्पात संयंत्र (कतार–2)
एवं आरआईएनएल के विशाखापतनम इस्पात संयंत्र (कतार–3 व 4) में चल रही आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण गतिविधियों का चित्रण किया गया है

वार्षिक रिपोर्ट

2009–2010

सत्यमेव जयते

इस्पात मंत्रालय

भारत सरकार

www.steel.gov.in

अध्याय	विषय–वस्तु	पृष्ठ संख्या
I	मुख्य बिंदु	4
II	भारतीय इस्पात क्षेत्र : विकास और संभावनाएं	11
III	संगठनात्मक ढांचा और इस्पात मंत्रालय के क्रियाकलाप	21
IV	सार्वजनिक क्षेत्र	29
V	निजी क्षेत्र	43
VI	अनुसंधान एवं विकास	51
VII	ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन	67
VIII	सूचना प्रौद्योगिकी का विकास	87
IX	सुरक्षा	96
X	शिप ब्रेकिंग	102
XI	समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण	104
XII	सतर्कता	114
XIII	शिकायत निवारण तंत्र	124
XIV	निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का कार्यान्वयन	129
XV	हिंदी का प्रगामी प्रयोग	136
XVI	महिला सशक्तिकरण	142
XVII	नई पहल/अभिनव योजनाएं	147
XVIII	मान्यता और पुरस्कार	156
XIX	इस्पात के इस्तेमाल को बढ़ावा	161
XX	कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व	165
XXI	इस्पात मंत्रालय के अधीन तकनीकी संस्थान	175
XXII	सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	177
XXIII	पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	181

परिशिष्ट **184**

वर्ष 2009–10 (अप्रैल–दिसंबर 2009) के लिए उत्पादन, वित्त और अन्य संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 15 फरवरी 2010 को नई दिल्ली में, माननीय केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री वीरभद्र सिंह और माननीय केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री ए. साई प्रताप की गरिमामयी उपस्थिति में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) के अध्यक्ष श्री एस.के. रूंगटा और भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के प्रबंध निदेशक, श्री आर. रामाराजू को सेल के भिलाई स्टील प्लांट की वर्ष 2006–07 और 2007–08 के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत स्टील प्लांट की प्रधानमंत्री ट्रॉफी प्रदान करते हुए।

अध्याय–I

मुख्य बिंदु

इस्पात क्षेत्र की प्रवृत्तियां

- भारत वर्तमान में कच्चे इस्पात का उत्पादन करने वाला दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक देश है और आशा है कि यह 2015–16 तक कच्चे इस्पात का उत्पादन करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन जाएगा।
- भारत डायरेक्ट रेड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) यानी स्पंज आयरन के सबसे बड़े उत्पादक देश की अपनी स्थिति बनाए हुए है। वर्ष 2008–09 में स्पंज आयरन उत्पादन करीब 21 मिलियन टन रहा।
- 276 मिलियन टन की नियोजित क्षमता के लिए विभिन्न राज्यों के साथ 222 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए।
- उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लिए प्रमुख निवेश योजनाएं प्रस्तावित हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड एवं दूसरे राज्यों की सरकारों द्वारा हस्ताक्षरित एमओयू का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

राज्य	हस्ताक्षरित एमओयू की संख्या	प्रस्तावित क्षमता (प्रति वर्ष मिलियन टन में)
उड़ीसा	49	75.66
झारखंड	65	104.23
छत्तीसगढ़	74	56.61
पश्चिम बंगाल	12	21.00
अन्य राज्य	22	18.20
कुल	**222**	**275.70***

**अनुमानित*

2009–10 के दौरान के प्रमुख कार्यनिष्पादन बिंदु

- अप्रैल–दिसम्बर 2009–10 (अनंतिम) के दौरान औद्योगिक परिदृश्य 2008–09 की इसी अवधि की तुलना में निम्न रहा:
  - कच्चे इस्पात का उत्पादन 45.775 मिलियन टन था, जो 4 प्रतिशत की वृद्धि है। प्रमुख उत्पादकों ने इस अवधि के दौरान 17.35 मिलियन टन उत्पादन किया जो विगत वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 5.5 प्रतिशत वृद्धि है। मुख्य उत्पादकों ने इस अवधि के दौरान 9.835 मिलियन टन उत्पादन किया जो विगत वर्ष की तुलना में 27.9 प्रतिशत की वृद्धि है। शेष अर्थात् 18. 59 मिलियन टन योगदान अन्य उत्पादकों का था जो विगत वर्ष की तुलना में 6.4 प्रतिशत की गिरावट है।
  - अप्रैल–दिसम्बर 2009–10 में कच्चे लोहे का बिक्री के लिए उत्पादन 4.248 मिलियन टन रहा, जो विगत वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 13 प्रतिशत की गिरावट है। इस उत्पादन में प्रमुख उत्पादकों का योगदान महज 14 प्रतिशत रहा, जबकि शेष (86 प्रतिशत) योगदान मुख्य एवं अन्य उत्पादकों से मिला।
  - कुल तैयार इस्पात (मिश्र + गैर मिश्र) के मामले में अप्रैल–दिसम्बर 2009 के दौरान:
    - बिक्री के लिए उत्पादन 43.849 मिलियन टन था, जो 3.2 प्रतिशत अधिक है।
    - इस्पात के कुल निर्यात में 36 प्रतिशत की गिरावट हुई और यह कुल 2.099 मिलियन टन के बिंदु पर पहुंच गया, जबकि आयात 5.21 मिलियन टन पहुंच गया, जो 16.6 प्रतिशत की वृद्धि है।
    - भारत इस्पात का विशुद्ध आयातक बना रहा।
    - 40.997 मिलियन टन इस्पात की घरेलू खपत हुई, जो 7.8 प्रतिशत की वृद्धि है और जो मांग में और मजबूती का संकेत देती है।
- बजटीय आकलन (बीई) 2009–10 के लिए इस्पात मंत्रालय की मांग संख्या 91 में शामिल कुल वित्तीय जरूरतों, वर्ष 2009–10 के लिए समीक्षित आकलन (आरई) एवं वास्तविक का विवरण अगले पृष्ठ की तालिका में दिया गया है:

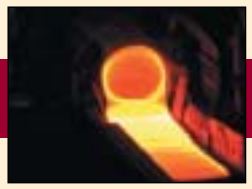

(करोड़ रुपये)

मांग संख्या 91	बीई 2009–10			आरई 2009–10			वास्तविक 2008–09			बीई 2010–11		
	योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल	योजना	गैर–योजना	कुल
राजस्व सेक्शन	26.00	89.01	115.01	13.00	811.19	824.19	0.00	480.78	480.78	35.00	78.92	113.92
पूंजी सेक्शन	8.00	0.00	8.00	3.01	0.00	3.01	0.00	260.04	260.04	1.00	0.00	1.00
कुल (सकल)	**34.00**	**89.01**	**123.01**	**16.01**	**811.19**	**827.20**	**0.00**	**740.82**	**740.82**	**36.00**	**78.92**	**114.92**

इस्पात मंत्रालय द्वारा वर्ष के दौरान की गई प्रमुख पहल

अंतः मंत्रालय समूह (आईएमजी) की बैठकें

देश में प्रमुख इस्पात निवेशों से संबंधित विभिन्न मसलों की निगरानी एवं समन्वय के लिए सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में एक अंतः मंत्रालय समूह (आईएमजी) का गठन किया गया, जिसका दायित्व इस्पात निवेशकों, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय बैठकों का संचालन रहा है। आईएमजी की एक बैठक 25.08.2009 को आयोजित हुई। इसमें सभी प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और निजी इस्पात निवेशकों और भारतीय रेल, जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग, पर्यावरण व वन एवं खानों जैसे मंत्रालयों/विभागों ने भाग लिया।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को माननीय केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री वीरभद्र सिंह उपस्थिति में, सेल अध्यक्ष श्री एस.के. रूंगटा 460.81 करोड़ रुपये का लाभांश चेक प्रदान करते हुए। चित्र में तत्कालीन सचिव (इस्पात) श्री पी. के. रस्तोगी भी दिखाई दे रहे हैं।

घरेलू इस्पात खपत मापने हेतु सर्वेक्षण

- जैसा कि देश में वर्तमान रूप से महज लगभग 47 कि.ग्रा. (2008) प्रति व्यक्ति इस्पात खपत है, जबकि विश्व का औसत 190 कि.ग्रा. और विकसित देशों का औसत 400 कि.ग्रा. है, 2008 के दौरान संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) के जरिए ग्रामीण जनता द्वारा लौह और इस्पात की प्रति व्यक्ति मांग का पता लगाने और इस मांग को बढ़ाने के घटकों का निर्धारण करने के लिए एक अध्ययन किया गया।

लौह अयस्क का निर्यात

- इस्पात मंत्रालय का मानना है कि लौह अयस्क निर्यात से संबंधित नीति का उद्देश्य इस्पात उत्पादन क्षमता में निवेश को बढ़ावा देना होना चाहिए ताकि कच्चे माल के निर्यात की बजाय मूल्य संवर्द्धन और तैयार उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाए।
- राष्ट्रीय खनिज नीति (2007) पर विचार के लिए गठित मंत्री समूह (जीओएम) की बैठक में यह सहमति बनी कि देश के लौह अयस्क संसाधन का घरेलू इस्पात उद्योग के लिए संरक्षण किया जाना चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि यूं तो देश के लौह अयस्क संसाधन का संरक्षण काफी महत्वपूर्ण है, पर यह लक्ष्य इस संसाधन के निर्यात पर पूर्ण रोक लगाकर हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए ठोस राजकोषीय कदम उठाए जाने की जरूरत है। इसे सरकार द्वारा मंजूरी दी गई।
- इस्पात मंत्रालय के निरंतर प्रयासों की वजह से लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क लगाया गया। आरंभ में 2007 में, 62 प्रतिशत तक लौह युक्त लौह अयस्क चूर्ण पर 50 रु. प्रति टन का निर्यात शुल्क लगाया गया और लौह अयस्क की अन्य सभी श्रेणियों पर 300 रु. प्रति टन शुल्क लगाया गया। बाद में, लौह अयस्क की सभी श्रेणियों पर निर्यात शुल्क को संशोधित कर यथामूल्य 15 प्रतिशत कर दिया गया और उसके बाद लौह अयस्क चूर्ण पर निर्यात शुल्क शून्य एवं लौह अयस्क ढेलों पर निर्यात शुल्क यथामूल्य 5 प्रतिशत किया गया। 24.12.2009 से प्रभावी लौह अयस्क निर्यात पर शुल्क की वर्तमान दरें निम्नानुसार हैं:
  - आयरन ओर फाइन्स (सभी तरह के) – यथामूल्य 5 प्रतिशत
  - फाइन्स को छोड़कर दूसरी तरह के लौह अयस्क (लंप और पेलेट समेत) – यथामूल्य 10 प्रतिशत

मंत्रालय के अधीन पीएसयू और कंपनियों का कार्यनिष्पादन

- इस्पात मंत्रालय के अधीन कंपनियों का कर उपरांत लाभ (पी.ए.टी.) 2009–10 (दिसंबर 2009 तक) के दौरान लगभग 7,772 करोड़ रुपये था।
- उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, लाभांश, कारपोरेट कर, बिक्री कर, रायल्टी इत्यादि के रूप में केंद्रीय और राज्य सरकार के कोष में सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों का योगदान 2009–10 (दिसंबर 2009 तक) में लगभग 11,298 करोड़ रुपये था।
- मंत्रालय के अधीन आने वाले प्रमुख पीएसयू के निवल मूल्य में भारी इजाफा हुआ है जो उनकी शानदार आर्थिक स्थिति का संकेत है। इसका विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

पीएसयू	31.03.2004 को निवल मूल्य	31.12.2009 को निवल मूल्य
सेल	4659.00	32046
आरआईएनएल	4852.00	12884
एनएमडीसी	1967.00	14052
मॉयल	139.77	1491.37
एमएसटीसी	83.00	377.69
केआईओसीएल	1389.16	1892.5
मेकॉन	(–) 257.91	117.82

पीएसयू में प्रमुख पहल

सेल, आरआईएनएल और एनएमडीसी लिमिटेड की विशाल विस्तारीकरण योजनाएं

इस्पात पीएसयू विस्तार योजनाओं से गुजर रहे हैं। आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण योजनाओं का मुख्य जोर सर्वश्रेष्ठ तकनीकी हासिल करना है, ऐसी किफायती तकनीकी जो ऊर्जा बचत में मददगार हो और पर्यावरणानुकूल हो।

- स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, आरआईएनएल और एनएमडीसी के विस्तारीकरण की प्रगति की निगरानी मंत्रालय में नियमित रूप से की जा रही है। निगरानी के फलस्वरूप परियोजना कार्यान्वयन में अनेक प्रक्रियागत सुधार हुए।
- स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड का आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण कार्यक्रम इसके सभी इस्पात कारखानों में सुचारु रूप से चल रहा है, जिसके तहत तप्त धातु उत्पादन क्षमता बढ़ाई जानी है। हाल ही वैश्विक मंदी की शुरूआत और इस्पात कीमतों पर दबाव एवं घटते मार्जिन के मद्देनजर, सेल में समग्र विस्तारकरण एवं आधुनिकीकरण की समीक्षा की गई। प्रस्तावित उत्पादन विस्तार, यथा मूल रूप से प्रस्तावित अब दो चरणों में 26.18 मिलियन टन प्रति वर्ष प्राप्त किया जायेगा चरण–I में क्षमता 23.46 मिलियन टन तक प्राप्त की जायेगी और चरण–II में इसे 26.18 मिलियन टन तक बढ़ाया जायेगा। आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण का वर्तमान चरण वित्त वर्ष 2012–13 तक पूर्ण होने की आशा है और अभी तक परियोजना कार्यान्वयन अधिकांशतः लक्ष्य के अनुरूप चल रहा है। आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण पर कुल निवेश में से 10,356 करोड़ रु. का प्रावधान वित्त वर्ष 2009–10 के लिए किया गया है और यह निवेश लक्ष्य वित्त वर्ष के अंत तक पूरा होने की आशा है।

माननीय केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री वीरभद्र सिंह को एनएमडीसी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री राणा सोम लाभांश चेक प्रदान करते हुए (बांए से दांए) एनएमडीसी के कार्यपालक निदेशक एवं कंपनी सचिव श्री कुमार राघवन, निदेशक (वित्त) श्री एस. थ्यागराजन, इस्पात मंत्रालय के सचिव (इस्पात) श्री अतुल चतुर्वेदी और विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार श्री बी.एस. मीणा।

- आरआईएनएल के संबंध में, तरल इस्पात की क्षमता करीब 12,228 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 3 मिलियन टन से बढ़ाकर 2011 तक 6.3 मिलियन टन करने की विस्तारीकरण योजना निश्चित समय–सारणी के अनुसार चल रही है। इस परियोजना का चरण–I अक्तूबर 2010 तक और चरण–II सितंबर 2011 तक पूरा हो जाएगा। सभी प्रमुख पैकेजों के लिए सप्लाई ऑर्डर पहले ही दे दिए गए हैं।
- एनएमडीसी के एकीकृत इस्पात संयंत्र की गतिविधियों की प्रगति भी सुचारु रूप से चल रही है। एनएमडीसी के नागरनार एकीकृत इस्पात संयंत्र की पर्यावरण स्वीकृति को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सितंबर 2009 को मंजूरी दी गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने एनएमडीसी संयंत्र के लिए जरूरी पानी की मंजूरी दे दी है। एनएमडीसी द्वारा टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी प्रदाता को चुनने की प्रक्रिया अंतिम रूप से चल रही है और यह प्रक्रिया जल्द ही पूर्ण हो जाएगी।
- सेल ने खपत केंद्रों, खासकर उन राज्यों में जहां इस्पात संयंत्र नहीं है और वहां इस्पात की खपत काफी कम है, के पास तैयार इस्पात और वांछित इस्पात उत्पादों की आपूर्ति से संबधी ग्राहकों की मांग पूरी करने के लिए बिहार (बेतिया, महनार, गया), उत्तर प्रदेश (लखीमपुर), मध्य प्रदेश (ग्वालियर, उज्जैन और होसंगाबाद), हिमाचल प्रदेश (कांगड़ा), असम (गुवाहाटी) और जम्मू–कश्मीर (श्रीनगर) में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट खोले जाने की योजना है। बेतिया स्थित एसपीयू का कार्यान्वयन चल रहा है। अन्य स्थानों के प्रस्तावित एसपीयू के लिए निविदा गतिविधि विभिन्न चरणों में प्रगति पर है।

पीएसयू का विलय/अधिग्रहण/पुनरुद्धार एवं पुनर्गठन

इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पीएसयू के विलयन के लिए विभिन्न प्रस्ताव चल रहे हैं :

- सरकार ने स्पंज आयरन इंडिया लि. (एसआईआईएल) का एनएमडीसी में विलयन मंजूर कर दिया है। एनएमडीसी और एसआईआईएल की निगमित स्तर पर विलयन प्रविधियां और औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। निगमित मामलों के मंत्रालय के स्तर पर अंतिम औपचारिकताएं चल रही हैं और अधिसूचना शीघ्र ही जारी होने की आशा है।
- निगमित मामलों के मंत्रालय के तहत 27.08.2009 को कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष दायर अपने आदेश दिनांक 28.07.2009 द्वारा 01.04.2007 (नियुक्त तिथि) से प्रभावी बीआरएल का अंततः सेल के साथ विलय कर दिया गया है। बीआरएल का अब सेल रिफ्रेक्टरी यूनिट (एसआरयू) नामकरण किया गया है।
- कैबिनेट ने बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज़ (बीजीसी) की पुनर्गठन योजना को मंजूरी दे दी है। पुनर्गठन प्रस्ताव के अंतर्गत बीजीसी को एक सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान के रूप में तबदील करना और इसका प्रबंधन नियंत्रण राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएनएल)

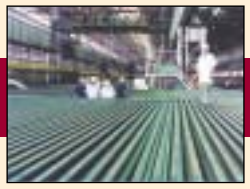

को सौंपना प्रस्तावित है। यह एक सहायक कंपनी सह होल्डिंग स्ट्रक्चर होगी ताकि इन कंपनियों को आर्थिक दृष्टि से समर्थ एवं सुदृढ़ बनाया जा सके। सरकारी ऋण और उस पर लगे ब्याज को माफ कर दिया जाएगा। वाणिज्यिक दृष्टि से असमर्थ कंपनियों का समापन कर दिया जाएगा और उनके कर्मचारियों को ग्रुप के तहत अन्य सहायक कंपनियों में समायोजित कर दिया जाएगा अथवा उनको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा। कैबिनेट के निर्णय का कार्यान्वयन चल रहा है।

- हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लि. (एचएससीएल) का पुनर्गठन

  कोलकाता स्थित एचएससीएल कंपनी की स्थापना 1964 में हुई थी। एचएससीएल एकीकृत इस्पात संयंत्रों के निर्माण एवं अन्य बुनियादी विकास गतिविधियों में लगी हुई है। कंपनी को भारी ब्याज भार और अतीत में अतिरेक जनशक्ति के चलते 1379 करोड़ रु. का संचित घाटा हुआ है। फिर भी कंपनी ने विगत अनेक वर्षों से प्रचालनगत लाभ दिखाया है। सरकार द्वारा पुनरुद्धार/पुनर्गठन पैकेज तैयार किया जा रहा है जिसका उद्देश्य एचएससीएल द्वारा इस्पात कारखानों और बुनियादी परियोजनाओं के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाना है। एचएससीएल पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन के बाद नई बुनियादी परियोजना को लेने और लाभ कमाने की स्थिति में होगी। पुनर्गठन से संबंधित आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का नोट तैयार और वितरित कर दिया गया है लेकिन कुछ वित्तीय मसले हैं जिनका अंततः वित्त मंत्रालय के साथ समाधान किया जाना है, खासतौर से अनुदान एवं ऋणों की माफी के संबंध में और इसके बाद शीघ्र ही इस नोट को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति को भेजा जाएगा।

वितरण नेटवर्क का विस्तार

- देश के ग्रामीण इलाकों में आम इस्तेमाल में काम आने वाले इस्पात उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक डीलर नियुक्त करने का फैसला लिया गया। इस उद्देश्य से सेल एवं आरआईएनएल तेजी से अपने वितरण नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं। 01.01.2010 को स्थिति के अनुसार देश के 599 जिलों में सेल के 1963 डीलर हैं, 2006 में यह संख्या 200 थी; आरआईएनएल के 80 डीलर हैं, जबकि 2003 में यह संख्या शून्य थी।

इस्पात मंत्रालय के अधीन प्रमुख पीएसयू का अप्रैल–दिसंबर 2009 के दौरान कार्यनिष्पादन

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

- 7065.19 करोड़ रुपये का लाभ (कर पूर्व) और 4669.47 करोड़ रुपये का लाभ (कर बाद)।
- विक्रय कारोबार 30928.82 करोड़ रुपये।
- सेल बोर्ड ने वित्त वर्ष 2009–10 के लिए 1.60 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से कंपनी के शेयरधारकों को अंतरिम लाभांश मंजूर किया।

माननीय केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री वीरभद्र सिंह, माननीय केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री ए. साई प्रताप और सचिव (इस्पात) श्री अतुल चतुर्वेदी (दांये से बाएं) की उपस्थिति में, सेल अध्यक्ष श्री एस.के. रूंगटा और एनएमडीसी के अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक श्री राणा सोम शिमला (हिमाचल प्रदेश) स्थित अर्की लाइमस्टोन माइंन के विकास के लिए संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर करने के बाद दस्तावेजों का आदान–प्रदान करते करते हुए।

- 108 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हासिल कर 9.366 मिलियन टन बिक्री योग्य इस्पात, 10.908 मिलियन टन तप्त धातु और 10.175 मिलियन टन कच्चा इस्पात उत्पादित किया।
- विशेष इस्पात/मूल्य संवर्द्धित उत्पादों का उत्पादन 3.44 मिलियन टन अब तक का सर्वश्रेष्ठ रहा, जो विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2009–10 के दौरान 516 कि.ग्रा./टन तप्त धातु की अब तक की न्यूनतम कोक दर और 6.74 गीगा कैलोरी/टन कच्चा इस्पात की भी अब तक की न्यूनतम विशिष्ट ऊर्जा खपत प्राप्त की गई।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

- तप्त धातु, तरल इस्पात एवं बिक्री योग्य इस्पात में क्रमशः 113 प्रतिशत, 108 और 114 प्रतिशत क्षमता उपयोग हासिल करते हुए लगातार नौंवे वर्ष प्रमुख यूनिटों में उत्पादन 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग से अधिक हुआ।
- अप्रैल–दिसंबर 09 के दौरान 7543 करोड़ रु. का विक्रय कारोबार प्राप्त किया गया, जो 2008–09 की इसी अवधि की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक है।
- अप्रैल–दिसंबर 09 के दौरान विक्रेय इस्पात की बिक्री 2.274 मिलियन टन हुई, जो विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4 प्रतिशत अधिक है।
- अप्रैल–दिसंबर 09 के दौरान 300 करोड़ रु. का निर्यात हुआ, जो विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 283 प्रतिशत अधिक है।

विशाखापतनम स्टील प्लांट (आरआईएनएल) में स्टेकर-कम -रिक्लेमर की स्थापना।

- अप्रैल–दिसंबर 09 के दौरान 16.55 लाख टन बिक्री के साथ मूल्य संवर्द्धित इस्पात की बिक्री में विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- आरआईएनएल ने सितंबर 2009 माह में 15,133 टन स्ट्रक्चरल स्थापित करने और जनवरी 2010 में 36,320 घन मीटर कंक्रीट लगाने का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया।
- दिसंबर 2009 माह में 10,075 टन के उपकरण स्थापित किए गए।
- विस्तारीकरण यूनिटों में विद्युत की आपूर्ति के लिए प्रमुख रिसीविंग स्टेशन चालू किया गया।
- विस्तारीकरण यूनिटों में पानी की आपूर्ति के लिए जल प्रणाली चालू की गई।
- नया माइक्रोबायलॉजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट (एमबीसी) प्लांट चालू किया गया।
- ब्लास्ट फर्नेस की विभिन्न प्रणालियों की शुरुआत के लिए व्यक्तिगत स्तर पर ट्रायल रन किया गया।
- अप्रैल 2009 में चौथी कोक ओवन बैटरी चालू की गई।
- आरआईएनएल भारत का पहला ऐसा स्टील प्लांट है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 'केपेबिलिटी मैच्योरटी मॉडल इंटिग्रेटिड' (सीएमएमआई) लेवल–3 प्रमाण पत्र मिला है।
- आरआईएनएल में 'इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग' (ईआरपी) – 'उक्त संकल्प' कार्यान्वयन प्रक्रिया का सूत्रपात किया गया।
- आरआईएनएल को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट और इकानॉमिक टाइम्स द्वारा संचालित अध्ययन में ''कार्य करने के लिए भारत की शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों'' में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। कंपनी शीर्ष दो पीएसयू में से एक, बड़े संगटनों में चौथे स्थान पर और विनिर्माण एवं उत्पादन कंपनियों में छठे स्थान पर रही।

एनएमडीसी लिमिटेड

- वर्ष 2009–10 (दिसंबर 2009 तक) के दौरान एनएमडीसी ने 17.07 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया, जबकि 2008–09 के पूरे वर्ष में 28.15 मिलियन टन उत्पादन हुआ था।

- वर्ष 2009–10 (दिसंबर 2009 तक) के दौरान घरेलू लौह अयस्क बिक्री 14.62 मिलियन टन हुई जबकि 2008–09 के पूरे वर्ष में 22.60 मिलियन टन बिक्री हुई थी।
- वर्ष 2009–10 (दिसंबर 2009 तक) के दौरान कंपनी ने 805 करोड़ रु. अनुमानित मूल्य का 2.61 मिलियन टन लौह अयस्क जापान, दक्षिण कोरिया और चीन को निर्यात किया जबकि पिछले पूर्ण वर्ष के दौरान 1703 करोड़ रु. मूल्य का 3.87 मिलियन टन लौह अयस्क निर्यात किया गया।
- वर्ष 2009–10 (दिसंबर 2009 तक) के दौरान कुल बिक्री 17.23 मिलियन टन थी जबकि पिछले पूरे साल यह 26.47 मिलियन टन थी।

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

- वर्ष 2009–10 (दिसंबर 2009 तक) के दौरान मैंगनीज अयस्क का उत्पादन 793926 टन (अनंतिम) रहा।
- वर्ष 2009–10 (दिसंबर 2009 तक) के दौरान फेरो मैंगनीज का उत्पादन 6895 टन (अनंतिम) रहा।
- वर्ष 2009–10 (दिसंबर 2009 तक) के दौरान इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड का उत्पादन 807 टन (अनंतिम) रहा।
- वर्ष 2009–10 (दिसम्बर 2009 तक), विक्रय कारोबार 647.15 करोड़ रुपये (अनंतिम) था।
- वर्ष 2009–10 (दिसंबर 2009 तक) के दौरान कर पूर्व लाभ 424.09 करोड़ रुपये (अनंतिम) रहा।
- वर्ष 2009–10 (दिसंबर 2009 तक) के दौरान कर पश्चात् लाभ 279.94 करोड़ रुपये (अनंतिम) रहा।

एमएसटीसी लिमिटेड

- अप्रैल–दिसंबर 2009 की अवधि में कुल 7283 करोड़ रुपये का बिजनेस हुआ।
- ई–कॉमर्स के क्षेत्र में एमएसटीसी ने अप्रैल–दिसंबर 2009 के दौरान 3853 करोड़ रुपये का बिजनेस किया।
- अप्रैल–दिसंबर 2009 के दौरान 43.48 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ हुआ।

हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

- वर्ष 2009–10 (दिसंबर 2009 तक) में प्रचालनगत लाभ 31.84 करोड़ रुपये प्राप्त किया गया, जबकि लक्ष्य 29.96 करोड़ रुपये था – 1.88 करोड़ रुपये की वृद्धि।
- दिसंबर 2009 तक कुल कारोबार में वित्त वर्ष 2008–09 की तुलना में 67 करोड़ रुपये का इज़ाफा हुआ।
- वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान आर्डर बुकिंग 691 करोड़ रुपये थी, जबकि एमओयू लक्ष्य 650 करोड़ रुपये का था।

मेकॉन लिमिटेड

- सितंबर 2008 में, मेकॉन ने अपने ऋणात्मक निवल मूल्य को धनात्मक करके उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की और सितंबर 2009 में अपने संचित घाटे को पूर्णतः समाप्त कर दिया। 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार, मेकॉन का निवल मूल्य 117.82 करोड़ रुपये था। 31.03.04 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के (–) 257.91 करोड़ रुपये के ऋणात्मक निवल मूल्य की तुलना में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

केआईओसीएल लिमिटेड

- नवंबर 2009 माह के दौरान 2.37 लाख टन पेलेट्स का उत्पादन जनवरी 2006 से बाहरी स्रोत से खरीदे गए हेमेटाइट अयस्क का उपयोग शुरू करने के बाद से, किसी भी माह में उत्पादित पेलेट्स से अधिक है।
- दिसंबर 2009 माह के दौरान 197203 ड्राई मीट्रिक टन पेलेट्स का प्रेषण किया गया और चालू वर्ष के दौरान 108 यूएस डॉलर प्रति टन कीमत की प्राप्ति सर्वोच्च है।
- कम्पनी के शेयरधारकों ने 28.07.2009 को आयोजित एजीएम में कम्पनी की चुकता शेयर पूंजी पर 1 प्रतिशत लाभांश अदायगी मंजूर की जो वर्ष 2008–09 हेतु 634.51 लाख रुपये 2009–10 के दौरान अदा किया गया है।

बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी (ओएमडीसी)

- वर्ष 2009–10 (अप्रैल–दिसंबर 09) के दौरान बिक्री कारोबार 64.29 करोड़ (अनंतिम) रहा, जबकि वर्ष 2008–09 में यह 271.81 करोड़ रुपये था।
- वर्ष 2009–10 (अप्रैल–दिसंबर 09) के दौरान कर पूर्व लाभ 88.13 करोड़ रुपये (अनंतिम) रहा, जबकि वर्ष 2008–09 के दौरान यह 286.24 करोड़ रुपये था।
- वर्ष 2009–10 (अप्रैल–दिसंबर 09) के दौरान कर पश्चात लाभ 59.22 करोड़ रुपये (अनंतिम) रहा, जबकि वर्ष 2008–09 में यह 181.81 करोड़ रुपये था।

अध्याय–II

भारतीय इस्पात क्षेत्रः विकास और संभावनाएं

सन् 1947 में स्वतंत्रता के समय देश में केवल तीन इस्पात संयंत्र थे – टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी और विश्वेश्वराया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। इनके अलावा कुछ विद्युत और भट्टी आधारित संयंत्र भी थे। सन 1947 तक देश में भले ही इस्पात उद्योग का आकार छोटा रहा हो लेकिन उसका योगदान महत्वपूर्ण था। उस समय इस्पात उद्योग की सालाना उत्पादन क्षमता 10 लाख टन थी और यह पूरी तरह निजी क्षेत्र के हाथों में था। आजादी के दौरान 1 मिलियन टन से बढ़कर अब भारत दुनिया में कच्चे इस्पात का पांचवा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लौह एवं इस्पात उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब दो प्रतिशत का योगदान करता है। देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईपीपी) में इसका योगदान 6.2 प्रतिशत है। वैश्विक स्तर पर लगभग उपेक्षापूर्ण शुरुआत के बाद भारतीय इस्पात उद्योग अब अपने उत्पादों की गुणवत्ता के कारण जाना जाता है। पिछले 61 वर्षों की अपनी यात्रा के दौरान भारतीय इस्पात उद्योग ने बिजनेस साइकल की बड़ी छोटी चुनौतियों का सामना किया है। इस क्षेत्र में पहला बड़ा परिवर्तन पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं (1952–70) के दौरान आया जब लौह एवं इस्पात उद्योग को सरकारी नियंत्रण में लिया गया। 50 के दशक के मध्य और सन् 1970 के दशक के आरंभ में भारत सरकार ने भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो में बड़े एकीकृत इस्पात उद्योगों की स्थापना की। इन वर्षों के दौरान उद्योग के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित नीतियां थीं:

- क्षमता नियंत्रण के उपाय : क्षमता की लाइसेंसिंग, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता विकसित करने के लिए आरक्षण।
- दोहरी कीमत प्रणाली : निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उत्पादकों के लिए समेकित कीमत और वितरण नियंत्रण व्यवस्था काम कर रही थी जबकि शेष उद्योग मुक्त व्यापार व्यवस्था के अंतर्गत काम कर रहे थे।
- मात्रात्मक प्रतिबंध और उच्च शुल्क अवरोध।
- रेलवे मालभाड़ा समकरण नीति : संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना।
- प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और पूंजीगत वस्तुओं तथा वित्तीय संग्रहण तथा निर्यात।

इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत व्यापक पैमाने पर क्षमता निर्माण ने भारत को दुनिया का 10वां सबसे बड़ा इस्पात निर्माता बना दिया। इसके अलावा कच्चे इस्पात का उत्पादन भी वर्ष 1947 के 1 मिलियन टन सालाना से बढ़कर एक दशक के भीतर 15 मिलियन टन हो गया। सन 1970 के दशक के बाद कुछ समय तक आर्थिक मंदी ने भारतीय इस्पात उद्योग के विकास पर बुरा असर डाला हालांकि वर्ष 1991–92 के दौरान यह दौर उलट गया जब देश में नियंत्रण की नीति खत्म हुई और उसका स्थान उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के दौर में की गई अनियमन ने ले लिया। सन् 1990 के दशक के आरंभ में लाई गई नई आर्थिक नीति ने देश के इस्पात उद्योग पर निम्न तरह से असर डालाः

- बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता वाले संयंत्रों को उन उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थीं। अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंसिंग की आवश्यकता को भी हटाकर स्थानीय निर्बंधों का विषय बना दिया गया।

26 दिसंबर 1959: तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सेल के दुर्गापुर स्टील प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस #1 का उद्घाटन करने के पश्चात।

- संपूर्ण व्यवस्था में निजी क्षेत्र की एक प्रमुख भूमिका हो गई।
- कीमत निर्धारण और वितरण पर नियंत्रण की प्रक्रिया की निरंतरता भंग कर दी गई।
- लौह एवं इस्पात उद्योग को विदेशी निवेश की उच्च प्राथमिकता सूची में रखा गया। इसके तहत 50 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश को स्वतः मंजूरी प्रदान की गई। यह प्रक्रिया आमतौर पर ऐसे निवेश की देखरेख करने वाले विभिन्न कानूनों तथा विदेशी एक्सचेंजों के निर्देशन में किया गया।
- समान माल भाड़ा योजना को माल भाड़ा की उच्चतम सीमा वाली एक प्रणाली से बदल दिया गया।
- मात्रात्मक आयात प्रतिबंधों को बड़े पैमाने पर हटाया गया। निर्यात प्रतिबंध भी हटाया गया।

हालांकि इस प्रणाली में भी कई परिवर्तन किए गए। इस्पात निर्माताओं के लिए मुक्त अर्थव्यवस्था ने कई नए अवसर उत्पन्न किए। एक ओर जहां उनके लिए विदेशी बाजारों से आवश्यक उपकरण आदि खरीदने का मार्ग प्रशस्त हुआ वहीं विदेशी बाजारों के द्वार भी उनके उत्पादों के लिए खुले। इतना ही नहीं इससे वैश्विक बाजारों की गतिविधियों तथा विनिर्माण की नवीनतम प्रौद्योगिकियों के बारे में सूचना का मार्ग भी प्रशस्त हुआ।

वैश्विक बाजार की प्रतिस्पर्द्धा के दबाव के साथ साथ इससे किफायत का स्तर सुधारने की जरूरत भी महसूस हुई ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी उत्पाद तैयार किए जा सकें। दूसरी ओर इस्पात उपभोक्ता के पास भी अब चयन की सुविधा थी और वह कई उत्पादों में से अपनी पसंद के उत्पाद का चयन कर सकता था। इसमें देशी और विदेशी दोनों तरह के उत्पाद शामिल हैं।

27 नवंबर, 1967: सेल के बोकारो स्टील प्लांट के लिए साइट समतलीकरण कार्य प्रगति पर।

चयन की इस स्वतंत्रता ने न केवल उपभोक्ताओं की संप्रभुता को स्थापित किया बल्कि निर्माताओं को भी मजबूर किया कि वे उपभोक्ताओं की जरूरतों पर आधारित उत्पादों और सेवाएं मुहैया कराएं। सन 1992 में मुक्त अर्थव्यवस्था के आगमन के बाद ही देश की इस्पात निर्माण क्षमता में तेज गति से विकास हुआ। निजी क्षेत्र में एस्सार स्टील, इस्पात इंडस्ट्रीज, जिंदल ग्रुप आदि द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकने वाली इस्पात इकाइयों की स्थापना की गई। टाटा स्टील ने भी अपनी क्षमता में इजाफा किया। इस अवधि में हासिल किए गए कुछ प्रमुख मील के पत्थर निम्नलिखित हैं :

- उत्कृष्ट तकनीकी के सहारे निजी क्षेत्र का लगभग 9 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता के साथ बाजार में प्रवेश।
- शुल्क संबंधी अवरोधों को हटाने अथवा घटाने, रुपये की संचारी कीमत के आधार पर कारोबार तथा वैश्विक प्रौद्योगिकियों की पहुंच से वैश्विक निर्यात बाजार में भारतीय इस्पात की प्रतिस्पर्द्धात्मक पहुंच मजबूत हुई।

वर्ष 1996–97 के बाद घरेलू आर्थिक विकास दर में लगातार हल्की गिरावट आने के बाद भारतीय इस्पात उद्योग की गति सभी सूचकांकों के आधार पर धीमी हुई। इनमें क्षमता इजाफे, उत्पादन, खपत, निर्यात और कीमत/लाभ सूचकांक शामिल थे। इस्पात उद्योग के प्रदर्शन में भी गिरावट आई और यह औसत से नीचे चला गया।

विदेशी कारोबार में भारतीय इस्पात पर एंटी डंपिंग और सेफगार्ड शुल्क लगाया जाता था क्योंकि अधिकतर विकसित देशों ने गैर शुल्क अवरोध लगा रखे थे। एशिया में आए वित्तीय संकट के कारण आर्थिक क्षति हुई तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आने व नए इस्पात उत्पादक देशों (पूर्व सोवियत संघ से अलग हुए इस्पात उत्पादक देश) का इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था।

हालांकि वर्ष 2002 के बाद वैश्विक उद्योग जगत ने वापसी की जिसमें चीन का बहुत बड़ा योगदान था। चीन के तीव्र आर्थिक विकास और तेजी से विस्तृत होते आधारभूत संरचना क्षेत्र ने इस्पात की मांग में जबरदस्त इजाफा किया। यह मांग इतनी ज्यादा थी कि उसकी घरेलू आपूर्ति इसके लिए पर्याप्त नहीं थी। ठीक इसी समय अन्य एशियाई बाजारों में भी सुधार के संकेत मिलने लगे। वहां न केवल उत्पादन में इजाफा हुआ बल्कि कीमतों में भी सुधार हुआ, मुनाफा दोबारा शुरू हुआ और नए बाजारों का भी आगमन हुआ तथा व्यापार संबंधी अवरोध हटाए गए। इसके साथ ही दुनिया भर में इस्पात की मांग में भी इजाफा हुआ। भारतीय बाजारों के लिए भी परिस्थितियां इससे अलग नहीं थीं और अब वहां भी अब शोध एवं विकास गतिविधियों पर खर्च किया जा रहा था। घरेलू प्रतिव्यक्ति इस्पात की खपत में इजाफे की कोशिशें की जा रही थीं तथा अन्य बाजार संबंधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। एक तरह की परिपक्वता आ गई थी और बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्यात बढ़ाने की कोशिश हो रही थी तथा वैश्विक बाजार को खंगाला जा रहा था।

उद्योग की तीव्र विकास दर और बाजार के रुझानों को देखते हुए कुछ दिशा–निर्देशों तथा ढांचे की आवश्यकता थी। इसके साथ ही राष्ट्रीय इस्पात नीति की अवधारणा का जन्म हुआ। इसका उद्देश्य था देश के इस्पात उद्योग को विकास का रास्ता दिखाना। राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) की घोषणा नवंबर 2005 में की गई। यह प्रतिस्पर्द्धी इस्पात क्षेत्र का बुनियादी खाका था। राष्ट्रीय इस्पात नीति का दीर्घकालिक लक्ष्य था यह सुनश्चित करना कि भारत में वैश्विक मानकों के अनुरूप एक आधुनिक व किफायती इस्पात उद्योग विकसित हो ताकि इस्पात संबंधी विविध जरूरतों को पूरा किया जा सके। साथ ही उत्पादन व किफायत के मामले में विश्वस्तरीय मानकों को हासिल किया जा सके। राष्ट्रीय इस्पात नीति उन प्रक्रियागत और नीतिगत अवरोधों को भी दूर करना चाहती है जिनके कारण उत्पादन में कमी, शोध एवं विकास संबंधी निवेश में इजाफा न होने, सड़क, रेल और बंदरगाह संबंधी बुनियादी विकास न होने, की समस्याएं सामने आ रही थीं। इसके अलावा नीति का ध्यान घरेलू क्षेत्र में इस्पात उद्योग के विकास की दर तेज करने तथा खपत बढ़ाने के प्रयास पर भी है क्योंकि इससे निर्यात की संभावनाओं को भी बल मिलेगा।

इस्पात का उत्पादन, खपत और विकास

राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 में अनुमान लगाया गया कि वर्ष 2019–20 तक इस्पात की खपत में सालाना 7 प्रतिशत का विकास होगा। यह अनुमानित दर जीडीपी की 7–7.5 प्रतिशत की विकास दर और 110 मिलियन टन के उत्पादन पर आधारित थी। यह अनुमान अधिकांशतः बढ़ गए हैं और यह अनुमान लगाया गया है कि 'अत्यंत संभावी परिदृश्य' के आधार पर, देश में 2011–12 तक कच्चे इस्पात की उत्पादन क्षमता लगभग 124 मिलियन टन होगी।

नीचे दी गई तालिका देश में कुल तैयार इस्पात (एलॉय + नॉन–एलॉय) की बिक्री, आयात, निर्यात और खपत के लिए उत्पादन के रुझानों को दर्शाती है:

वर्ष	कुल तैयार इस्पात (एलॉय और नॉन–एलॉय) ('000 टन)			
	बिक्री हेतु उत्पादन	आयात	निर्यात	खपत
2004–05	43513	2293	4705	36377
2005–06	46566	4305	4801	41433
2006–07	52529	4927	5242	46783
2007–08	56075	7029	5077	52125
2008–09	57164	5839	4437	52351
अप्रैल–दिसम्बर 2009–10*	43849	5211	2099	40997

स्रोतः जेपीसी; *= अनंतिम

कच्चे इस्पात के उत्पादन में वर्ष 2004–05 के बाद से क्षमता के साथ–साथ लगातार वृद्धि हुई है। कच्चे इस्पात के उत्पादन, क्षमता और क्षमता के उपयोग से संबंधित आंकड़े नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए हैं:

वर्ष	कच्चा इस्पात		
	क्षमता ('000 टन)	उत्पादन ('000 टन)	क्षमता का उपयोग (प्रतिशत)
2004–05	47995	43437	91
2005–06	51171	46460	91
2006–07	56843	50817	89
2007–08	59845	53857	91
2008–09	66343	58437	88
अप्रै.–दिसं. 2009.10*	72763**	45775	84

*स्रोतः जेपीसी; *= अनंतिम; ** 6.42 मिलियन टन क्षमता अप्रैल–दिसंबर 2009 के दौरान बढ़ाई गई।*

- उत्पादन क्षमता विस्तार वर्ष 2004–05 की 47.99 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से बढ़कर वर्ष 2009–10 (दिसंबर 09 तक) 72.76 एमटीपीए से इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिला।
- कच्चे इस्पात के उत्पादन में 2004–05 से 2008–09 के पांच वर्षों के दौरान 8.6 प्रतिशत की सीएजीआर से विकास हुआ।
- वर्ष 2008–09 के दौरान 57.16 मिलियन टन तैयार इस्पात का बिक्री हेतु उत्पादन हुआ जबकि वर्ष 2004–05 में 43.51 मिलियन टन उत्पादन हुआ था – 7 प्रतिशत सालाना वृद्धि दर।

- खपत में हो रही वृद्धि के मुकाबले बिक्री हेतु उत्पादन में वृद्धि न होने से, भारत 2007–08 में तैयार इस्पात का शुद्ध आयातक बन गया। घरेलू बाजार में अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के कारण निर्यात में भी कमी आई।

ऊपर दिए गए कच्चे इस्पात के कार्यनिष्पादन में बहुत बड़ा योगदान इस्पात निर्माण के इलेक्ट्रिक रूट का भी है। खासतौर पर इंडक्शन फर्नेस रूट का, यह वर्ष 2008–09 के दौरान देश में 31 प्रतिशत कच्चे इस्पात के उत्पादन के लिए जिम्मेदार रहा और कच्चे इस्पात उत्पादन का प्रमुख प्रणेता उभरकर सामने आया।

वर्ष 2004–05, 2008–09 और अप्रैल–दिसंबर 2009–10 (अनंतिम) के दौरान देश में कच्चे इस्पात का प्रोसेस रूटवाइज उत्पादन की तालिका नीचे दी गई है और जो ऑक्सीजन रूट की तुलना में इलेक्ट्रिक रूट से उत्पादन के उदय का सूचक है:

प्रोसेस रूट से कच्चे इस्पात का उत्पादन	प्रतिशत भागीदारी (प्रतिशत)		
	2004–05	2008–09	2009–10* (अप्रैल–दिसंबर)
बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बीओएफ)	52	45	47
इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ)	18	24	26
इंडक्शन फर्नेस (आईएफ)	30	31	27
कुल	100	100	100

स्रोतः जेपीसी; *= अनंतिम

भारत कोयला आधारित संयंत्रों के साथ स्पंज आयरन का भी बहुत बड़ा उत्पादक है। ये संयंत्र देश के खनिज प्रधान राज्यों में मौजूद हैं। बीते वर्षों के दौरान कोयला आधारित रूट कुल उत्पादन में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभरकर सामने आया है। कुल उत्पादन में इसका योगदान वर्ष 2004–05 के 64 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2008–09 में 74 प्रतिशत हो गया। स्पंज आयरन की निर्माण क्षमता में भी बीते सालों के दौरान इजाफा हुआ है और वर्तमान में यह 31 मिलियन टन के नजदीक है। नीचे दी गई तालिका में पिछले पांच वर्षों और 2009–10 (अप्रैल–दिसंबर 2009) के दौरान देश में स्पंज आयरन के उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। इसमें कोयला और गैस आधारित उत्पादन के तरीकों का ब्यौरा अलग–अलग है:

स्पंज आयरन का उत्पादन						(इकाईः मिलियन टन)
वर्ष	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10* (अप्रैल–दिसंबर)
कोयला आधारित	7.89	10.28	13.08	14.53	15.57	10.92
गैस आधारित	4.64	4.54	5.26	5.84	5.52	4.56
कुल	12.53	14.82	18.34	20.37	21.09	15.48

*स्रोतः जेपीसी; *= अनंतिम*

भारत पिग आयरन का भी एक महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। उदारीकरण के बाद निजी क्षेत्र में भी कई इकाइयों की स्थापना होने के बाद न केवल आयात में भारी कमी आई बल्कि भारत पिग आयरन का निर्यातक बनकर सामने आया। बिक्री के लिए होने वाले पिग आयरन के उत्पादन का 90 प्रतिशत निजी क्षेत्र से आता है। घरेलू बाजार में पिग आयरन की उपलब्धता निम्न तालिका में दी गई है:

पिग आयरन की घरेलू उपलब्धता का परिदृश्य						('000 टन)
वर्ष	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10* (अप्रैल–दिसंबर)
बिक्री हेतु उत्पादन	3228	4695	4953	5284	6207	4248
आयात	8	3	3	11	8	10
निर्यात	393	440	707	560	350	227
खपत	2791	4136	4336	4621	5870	4025

*स्रोतः जेपीसी; *= अनंतिम*

भारतीय इस्पात का वैश्विक दर्जा

वर्ष 2009 में दुनिया भर में कच्चे इस्पात का उत्पादन 1220 मिलियन टन रहा जो कि वर्ष 2008 के मुकाबले 8 प्रतिशत कम था। चीन 567.8 मिलियन टन उत्पादन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश बना हुआ था, जो वर्ष 2008 की तुलना में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि है। वर्ष 2009 में भारत दुनिया का एक बार फिर से 5वां सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादक था और देश ने वर्ष 2008 की तुलना में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इस तरह से वर्ष 2009 के दौरान भारत शीर्ष 10 में से धनात्मक वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र देश रहा। वर्ष 2009 में भारत दुनिया के सबसे बड़े स्पंज आयरन उत्पादक देश के रूप में भी उभरा। वह वर्ष 2002 से ही इस स्थान पर काबिज था। अगर प्रस्तावित विस्तार योजनाएं तय कार्यक्रम के मुताबिक क्रियान्वित हुईं तो भारत 2015–16 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात का उत्पादक देश बन सकता है।

2009* में विश्व में कच्चा इस्पात उत्पादन

रैंक	देश	उत्पादन (मिलियन टन)
1	चीन	567.8
2	जापान	87.5
3	रूस	59.9
4	अमरीका	58.1
5	भारत	56.6
6	दक्षिण कोरिया	48.6
7	जर्मनी	32.7
8	यूक्रेन	29.8
9	ब्राजील	26.5
10	टर्की	25.3

*स्रोतः वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन; *= अनंतिम*

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के लिए योजना परिव्यय

- 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के लिए योजना आयोग ने कुल 45607.08 करोड़ रुपए अर्थात [आई एंड ईबीआर] इंटरनल एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस 45390.08 करोड़ रुपये और सकल बजटीय सहायता [जीबीएस[217 करोड़ रुपये की) का योजना परिव्यय स्वीकृत किया है।

(करोड़ रुपये में)

सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	11वीं योजना के लिए परिव्यय (स्वीकृत)		
		आईएंडईबीआर	जीबीएस	कुल
क.	**पीएसयूज के लिए योजना**			
1.	स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लि.	27409.00	0.00	27409.00
2.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	9569.18	0.00	9569.18
3.	स्पंज आयरन इंडिया लि.	25.00	0.00	25.00
4.	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	0.00	35.00	35.00
5.	मेकॉन लि.	9.00	63.00	72.00
6.	एमएसटीसी लि.	30.00	0.00	30.00
7.	फैरो स्क्रेप निगम लि.	60.00	0.00	60.00
8.	एनएमडीसी लि.	7147.00	0.00	7147.00
9.	केआईओसीएल लि.	650.00	0.00	650.00
10.	मैंगनीज ओर इंडिया लि.	342.90	0.00	342.90
11.	बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज	148.00	1.00	149.00
ख.	**इस्पात मंत्रालय की योजना**			
1.	लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास प्रोत्साहन योजना	0.00	118.00	118.00
	कुल (क+ख)	**45390.08**	**217.00**	**45607.08**

- 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ''लौह एवं इस्पात क्षेत्र में शोध एवं विकास संवर्द्धन'' नामक एक नई योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 118 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया। इस योजना का लक्ष्य है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन प्रौद्योगिकी विकसित करना। इस योजना को वित्त व्यय समिति/वित्त मंत्रालय की अनुमति मिल चुकी है और इसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2009–10 में की जा सकती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा इस्पात उद्योग पर आधारित कार्य समूह ने इस पंचवर्षीय योजना के अंत तक यानी 2011–12 के अंत तक 70.34 मिलियन टन तैयार इस्पात और 80.23 मिलियन टन कच्चे इस्पात के उत्पादन का अनुमान लगाया है। ऐसा माना जा रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना और एनएसपी के लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर लिया जाएगा।

11वीं पंचवर्षीय योजना राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 के उन लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण होगी, जिनकी घोषणा उस दौरान की गई थी। इसमें वैश्विक मानदंडों के साथ आधुनिक और किफायती घरेलू इस्पात उद्योग की स्थापना की बात शामिल थी ताकि विविध उत्पाद संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस्पात उद्योग के कार्यसमूह ने ऐसी अनुशंसाएं कीं जो राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 के लक्ष्यों से मेल खाती हैं।

देश में नया जीवन पा चुके इस्पात बाजार के लिए पहले ही विभिन्न घरेलू उत्पादकों द्वारा बड़े पैमाने पर विस्तार की घोषणाएं की जा चुकी हैं। इनमें देश के विभिन्न इलाकों में ग्रीनफील्ड और अथवा ब्राउनफील्ड योजनाएं शामिल हैं। दक्षिण कोरिया की कंपनी पॉस्को द्वारा उड़ीसा में 12 मिलियन टन क्षमता वाला एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने की योजना ने देश के इस्पात उद्योग को वैश्वीकरण का सही अर्थों में एहसास कराया। इसके तत्काल बाद मित्तल समूह ने भी उड़ीसा में 12 मिलियन टन उत्पादन क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना की योजना घोषित की।

फिर भी, घरेलू इस्पात उत्पादक भी पीछे नहीं रहे और भारतीय कंपनी टाटा स्टील द्वारा 12 बिलियन डालर में एंग्लो–डच कंपनी कोरस ग्रुप पीएलसी का अधिग्रहण किए जाने के बाद टाटा स्टील लिमिटेड दुनिया की महत्वपूर्ण इस्पात निर्माता कंपनी बन गई। इसे भारतीय इस्पात उद्योग के इतिहास में मील का पत्थर माना जा सकता है। इन सारी बातों से अनुमान लगाया जा सकता है कि देश का इस्पात उद्योग परिपक्वता की स्थिति में आ गया है।

इस्पातः मुख्य तथ्य

भारतीय इस्पात का परिदृश्यः अप्रैल–दिसंबर 2009–10*

मद	मात्रा (मिलियन टन)	प्रतिशत बदलाव
बिक्री हेतु कुल तैयार इस्पात का उत्पादन	43.849	3.2
आयात	5.210	16.6
निर्यात	2.099	–36.1
खपत	40.997	7.8
कच्चे इस्पात का उत्पादन	45.775	4
क्षमता उपयोग (प्रतिशत)	84	–

*स्रोतः जेपीसी; *= अनंतिम*

दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादन करने वाला देश बनने के अलावा भारत ने स्पंज आयरन/डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन के उत्पादन के क्षेत्र में भी अपनी पहचान स्थापित की। देश के खनिज प्रधान इलाकों में कोयला आधारित स्पंज आयरन संयंत्रों की शुरुआत हुई। इसके बाद घरेलू बाजारों में स्पंज आयरन का उत्पादन तेजी से बढ़ा, जिससे देश को वैश्विक बाजार में शीर्ष स्थान हासिल करने और उसे कायम रखने में मदद मिली। इस समय कई बड़ी परियोजनाएं या तो पूरी हो चुकी हैं या प्रस्तावित हैं। एक बार इन सबके चालू हो जाने के बाद इस्पात उद्योग की दास्तान दोबारा लिखी जाएगी। घरेलू अर्थव्यवस्था के सहारे सुधारों को लागू किए जाने के बाद भारतीय इस्पात उद्योग का भविष्य बहुत ही आशावादी है।

अपनी इस विकास यात्रा के दौरान, भारतीय इस्पात उद्योग ने उत्पादकता बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा के संरक्षण, विकल्प आयातित करने, गुणवत्ता, स्तर सुधार, पर्यावरण प्रबंधन तथा शोध एवं विकास के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कुछ महत्वपूर्ण विकास संबंधी कदम हैं:

- **मैटलर्जिकल कोक के उत्पादन के लिए स्टैंप चार्जिंग और कोल चार्ज की पार्शियल ब्रिकेटिंग (पीबीसीसी) आरंभः** इस प्रक्रिया में, मैटलर्जिकल कोल जरूरत को कुछ हद तक उच्चतर शक्ति कोक एवं कम उत्सर्जन युक्त, नॉन–कोकिंग कोयले/से बदलना संभव हुआ है।
- **विद्युत आवश्यकता पूरी करने और उत्सर्जन में कमी करने के लिए इनर्जी रिकवरी कोक ओवनों की स्थापनाः** विभिन्न इस्पात कंपनियों जैसे कि सेसा गोवा, जेएसडब्ल्यू स्टील, वीसा स्टील, (नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड) एनआईएनएल और गुजरात एनआरई कोक लिमिटेड द्वारा ऊर्जा संरक्षण वाले कोक ओवनों की स्थापना की गई।

सेल के इस्पात कारखाने में एक कोक ओवन बैटरी का दृश्य।

- **लोहे के उत्पादन में नॉन–कोकिंग कोयले का इस्तेमाल** : कुछ इस्पात संयंत्रों में कोरेक्स जैसी प्रक्रियाओं की शुरुआत की गई है जो पहले से चली आ रही नॉन–कोकिंग कोयले पर आधारित हॉट मेटल का उत्पादन करते हैं। कोल डस्ट/पल्वराइज्ड कोल इंजेक्शन सिस्टम की शुरुआत भी कुछ धमन भट्टियों में की गई ताकि इन्हें कोयले के विकल्प के तौर पर आजमाया जा सके। इसके अलावा अनेक ऐसी स्पंज आयरन इकाइयों की स्थापना भी की गई जो नॉन–कोकिंग कोयले पर आधारित थीं।
- **इस्पात उत्पादन में डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई)/स्पंज आयरन का इस्तेमालः** इससे पहले विद्युतीय भट्टी में केवल अपशिष्ट का इस्तेमाल किया जा सकता था। अपशिष्ट की घटती मात्रा ने एक विकल्प की आवश्यकता पर जोर दिया जो लौह अयस्क से उत्पादित होने वाले डीआरआई के रूप में मिला।
- **विद्युत आर्क भट्टियों में तप्त धातु का इस्तेमालः** बुनियादी आक्सीजन आधारित भट्टी की स्थापना में काफी पूंजी लगती है और यह बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ही इस्तेमाल की जा सकती है। हालांकि आधुनिक विद्युतीय भट्टियों में इस्पात का उत्पादन तप्त धातु के सहारे किया जा सकता है। इसमें इस्पात के कबाड़ की आवश्यकता नहीं पड़ती और काफी मात्रा में बिजली की बचत होती है।
- **कंटीन्युअस कास्टिंग को अपनानाः** मेल्टिंग शॉप में पहले ठोस आकार इस्पात पिंड का उपयोग हुआ करता था। सन् 1970 के दशक के अंत में कंटीन्युअस कास्टिंग के बाद, इस्पात का उत्पादन कंटीन्युअस कास्ट ब्लूम्स/स्लैब्स के रूप में होने लगा और ऊर्जा की अतिरिक्त बचत तो हुई ही, साथ ही उत्पादकता में भी इजाफा हुआ। हॉट स्ट्रिप मिल्स में थिन स्लैब कास्टिंग तकनीक को अपनाने के बाद से अतिरिक्त ऊर्जा बचत हुई।
- **आयात प्रतिस्थापनः** सन् 1980 के दशक के आरंभ तक भारत में इस्पात का उत्पादन नॉन–फ्लैट उत्पादों तक केंद्रित था। जरूरी फ्लैट उत्पाद जैसे कि पतली गेज की हॉट रोल्ड क्वाइल, डीप ड्राइंग/एक्स्ट्रा ड्राइंग ग्रेड कोल्ड रोल्ड क्वाइल्स, पतली गेज का गैल्वेनाइज्ड प्लेन/गैल्वेनाइज्ड कोरुगेटेड शीट्स और टिन मिल ब्लैक प्लेट का आमतौर पर आयात ही किया जाता था। सन् 1990 के दशक में आधुनिक हॉट स्ट्रिप मिलों की स्थापना, सन् 1980 के दशक में कोल्ड रोलिंग मिलों और गाल्वनाइज्ड लाइनों की स्थापना और सन् 1990 के दशक में कलर कोटिंग लाइनों की स्थापना के बाद भारत अब फ्लैट उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों के उत्पादन में सक्षम है।
- **मूल्यवर्धित उत्पादनः** पहले फाउंड्रीज के लिए पिग आयरन व हॉट मेटल के उत्पादन के लिए एकीकृत इस्पात संयंत्रों को पृथक रूप से रखना पड़ता था। सन् 1990 की शुरुआत के बाद से देश में मिनी ब्लास्ट फर्नेस की स्थापना की गई, ताकि फाउंड्रीज को पिग आयरन की आपूर्ति की जा सके और एकीकृत इस्पात संयंत्रों का ध्यान मूल्य वर्धित इस्पात सामग्रियों के उत्पादन पर केंद्रित किया जा सके।

- **धमन भट्टियों के आकार/आयतन में इजाफाः** इस्पात संयंत्रों के अधिकांश ब्लास्ट फर्नेस कम क्षमता के थे। उत्पादकता बढ़ाने के क्रम में इस्पात संयंत्रों में स्थित धमन भट्टियों की क्षमता बढ़ाई गई अथवा बड़े आयतन के नए स्थापित किए गए। वर्तमान में देश की सबसे बड़ी धमन भट्टी जेएसडब्ल्यू के पास है जिसकी क्षमता 4013 घन मीटर है। इसके बाद टाटा स्टील लिमिटेड (टीएसएल) की (3814 घन मीटर) और आरआईएनएल की (3200 घन मीटर) की भट्टियों का नंबर आता है।
- **धमन भट्टी में कोयले की खपत कम करना और उत्पादकता बढ़ानाः** आरंभ में भारतीय धमन भट्टियां प्रति टन हॉट मेटल के उत्पादन में तकरीबन 850 किलोग्राम कोयले की खपत करती थीं और इनकी उत्पादन क्षमता भी एक टन प्रति घन मीटर रोजाना से कम ही थी। उच्च दबाव, उच्च तापमान, पाउडरीकृत कोयले का प्रयोग, बर्डन प्रिपरेशन और वितरण पर ध्यान, लंप के स्थान पर सिंटर के अधिक इस्तेमाल जैसी आधुनिक तकनीकों और प्रणालियों को लागू किए जाने के बाद कोयले की खपत में कमी आई और उत्पादकता में इजाफा हुआ। वर्तमान में कई धमन भट्टियों में कोयले की खपत प्रति टन हॉट मेटल 500 किलोग्राम से भी कम है और उत्पादकता 2 टन प्रति घन मीटर प्रति दिन से अधिक हो गई है।
- **इस्पात की गुणवत्ता में सुधारः** पहले इस्पात निर्माण के फर्नेस में ही निर्माण की पूरी प्रक्रिया खत्म कर ली जाती थी। आधुनिक इस्पात निर्माण तकनीकों को लाए जाने के बाद तथा लैडल मेटलर्जी और वैक्यूम डिगेसिंग जैसी द्वितीयक रिफाइनिंग तकनीकों के इस्तेमाल के बाद बेहद कम आक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के इस्तेमाल से भी बेहतर इस्पात का उत्पादन संभव हुआ। लैडल फर्नेस तकनीक के बाद विद्युत आर्क भट्टियों में इस्पात निर्माण में लगने वाले समय में कमी लाना भी संभव हुआ। इसके अलावा कम सल्फर और फास्फोरस के घटक वाला इस्पात बनाना संभव हुआ।
- **ऊर्जा खपत और उत्सर्जन कम करने का प्रयासः** लौह एवं इस्पात निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। कच्चे इस्पात के लिए ऊर्जा खपत का अंतरराष्ट्रीय मानक 4.5 से 5.5 गीगा कैलोरी प्रति टन है। आधुनिक उपकरणों की स्थापना और कच्चे माल के शोधन के बाद भारतीय इस्पात संयंत्र 6.5 से 7.0 गीगा कैलोरी ऊर्जा खपत का स्तर पाने में कामयाब रहे। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक और निम्न ऊर्जा खपत का स्तर हासिल करने तथा ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) का उत्सर्जन कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस्पात उद्योग के विकास के साथ पर्यावरण प्रबंधन पर और अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत वनीकरण, प्रदूषण नियंत्रक उपकरणों की स्थापना आदि काम किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से इस्पात उद्योग की ओर से होने वाले प्रदूषण को रोकने के प्रयास हो रहे हैं। इसके अलावा भारतीय लौह एवं इस्पात उद्योग अब क्योटो प्रोटोकाल के अंतर्गत प्रदूषण और ऊर्जा खपत घटाकर क्लीन डेवलपमेंट मेकनिज्म का लाभ भी ले रही है। इससे ऊर्जा की बचत और जीएचजी उत्सर्जन में कमी सुनिश्चित हो रही है।

सेल की एक यांत्रिक माइंस से लौह अयस्क का प्रेषण कार्य चल रहा है।

वर्तमान विकास परिदृश्य और भविष्य का पूर्वानुमान

वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी रैंकिंग के आधार पर, भारत 2009 में दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक था। अवधि 2004–05 से 2008–09 के बीच घरेलू कच्चा इस्पात उत्पादन 8.6 प्रतिशत की दर से बढ़ा। यह विस्तार क्षमता में इजाफे (2004–05 में 47.99 मिलियन टन से 2008–09 में करीब 66.343 मिलियन टन) और बेहतर क्षमता इस्तेमाल की बदौलत हुआ। भारत विश्व में डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) अथवा स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है और माना जा रहा है कि वह निकट भविष्य में इस क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता कायम रखेगा। स्पंज आयरन के उत्पादन में सीएजीआर के आधार पर 11 प्रतिशत का इजाफा हुआ और यह 2008–09 में 21.09 मिलियन टन पहुंच गया जबकि वर्ष 2004–05 में यह 12.54 मिलियन टन था। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2015–16 तक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन जाएगा, बशर्ते कि नई क्षमता बढ़ाने की सभी जरूरतें पूरी हों।

भारतीय इस्पात उद्योग वर्ष 2008–09 के दौरान उसके कार्यनिष्पादन को प्रभावित करने वाली मंदी से निकल गया है। देश में, जीडीपी डाटा के जरिए समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार वाली सीएसओ रिपोर्टिंग के साथ 2009 की समाप्ति अपेक्षाकृत बेहतर एवं उत्साहवर्द्धक स्थिति में हुई है। जुलाई–सितंबर 2009–10 के दौरान 7.9 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की गई। आईआईपी में भी अप्रैल–नवंबर 2009–10 के दौरान 7.6 प्रतिशत की एक सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की जिससे इस बात को बल मिला कि मांग में मजबूती के साथ सुदृढ़ता आ रही है। इस्पात के लिए इसका प्रमुख महत्व है और विनिर्माण, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, निर्माण के क्षेत्र में दर्ज की गई वृद्धि, सेवा क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र में स्थाई विकास शुभ समाचारों के संकेत हैं। जेपीसी द्वारा जारी अप्रैल–दिसंबर 2009 के अनंतिम आंकड़े इस बात के सूचक हैं कि कुल तैयार इस्पात की खपत में 7.8 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वैश्विक स्तर पर भी आर्थिक परिस्थितियों में सुधार और मांग एवं कीमतों में मजबूती आने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।

निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादन में रुझान

पारंपरिक रूप से भारतीय इस्पात उद्योग को मुख्य उत्पादकों (सेल संयंत्र, टाटा स्टील और वाइजाग स्टील/आरआईएनएल) और प्रधान उत्पादकों (0.5 मिलियन टन से अधिक कच्चा इस्पात उत्पादित करने वाले संयंत्र– एस्सार स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर और इस्पात इंडस्ट्रीज) और अन्य उत्पादकों को वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रधान उत्पादकों में कच्चा इस्पात/तैयार इस्पात(लौंग प्रोडक्ट/फ्लैट प्रोडक्ट), पिग आयरन/स्पंज आयरन का उत्पादन करने वाली कंपनियां आती हैं जो पूरे देश में फैली हैं। [मुख्य और द्वितीयक उत्पादकों के उत्पादन को **परिशिष्ट–3** में दिखाया गया है। अन्य संबधित विवरण को **परिशिष्ट–4 से 10** में दिया गया है]।

निम्नांकित तालिका देश के कच्चा इस्पात उत्पादन में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के योगदान को भी दर्शाती है:

भारतीय कच्चा इस्पात उत्पादन *(मिलियन टन में)*

	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10* (अप्रैल–दिसंबर)
सार्वजनिक क्षेत्र	16.964	17.003	17.091	16.372	12.483
निजी क्षेत्र	29.496	33.814	36.766	42.065	33.292
कुल उत्पादन	46.460	50.817	53.857	58.437	45.775
सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिशत भागीदारी	36.5	33.5	32	28	27

स्रोतः जेपीसी; *= अनंतिम

विदेशी निवेश और निजी क्षेत्र की भागीदारी

घरेलू और विदेशी निवेशकों ने देश में इस्पात संयंत्र स्थापित करने में गहरी रुचि दिखाई है। संभावित निवेशकों में मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश के साथ साथ निजी क्षेत्र के निर्माता और प्रतिष्ठित विदेशी निर्माता, स्पंज आयरन निर्माता फारवर्ड इंटीग्रेशन जबकि छोटी रोलिंग मिलें बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने के लिए प्रयास कर रही हैं।

इस्पात मंत्रालय की भूमिका

विनियमन से पहले के समय में इस्पात मंत्रालय की एक नियामक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका थी। आर्थिक परिदृश्य तथा इस्पात निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल की कमी के बीच देश में इस्पात उत्पादन कम होने के कारण इस्पात उद्योग का आकार बहुत छोटा था। हालांकि आवंटन के मुद्दे पर कुशल और न्यायसंगत निर्णयों के कारण तथा कीमतों आदि से संबंधित नीति निर्माण के कारण इस्पात मंत्रायल ने इस चरण के दौरान इस्पात उद्योग को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विनियमन के बाद के दौर में इस्पात मंत्रालय की भूमिका मुख्य रूप से भारतीय इस्पात उद्योग को सुविधाएं मुहैया कराने की रही है। यह लौह एवं इस्पात उद्योग के विकास के लिए योजनाएं बनाने में सक्रिय रहा है। लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैंगनीज

अयस्क, क्रोमाइट्स, फेरो एलॉय, स्पंज आयरन और अन्य संबंधित क्रियाकलाप कराना ही उसका प्रमुख काम रहा है। मौजूदा समय में अपनी भूमिका में इस्पात मंत्रालय निम्नलिखित मामलों में देश के लौह एवं इस्पात उद्योग को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है, जैसेः

- सक्रिय समन्वय और सही नीतिगत निर्देशों के कार्यान्वयन के जरिए इस्पात क्षमता निवेशों की प्रकिया को तेज बनाना। देश में प्रमुख इस्पात निवेशों की निगरानी और समन्वय के लिए सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में इस्पात मंत्रालय में एक अंतर–मंत्रालीय समूह (आईएमजी) काम कर रहा है।
- नए संयंत्र की स्थापना और पुराने संयंत्रों के विस्तार के लिए कच्चे माल की संलग्नता उपलब्ध कराना तथा रेल सुविधा उपलब्ध कराना।
- उत्पादकों को कच्चे माल की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ उन्हें कोयले के अलावा अन्य कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा वैगन की जरूरतों को पूरा करना।
- नए संयंत्रों की स्थापना के प्रस्ताव और पुराने संयंत्रों के क्रियान्वयन के दौरान सामने आई समस्याओं को देखते हुए उनकी समीक्षा करना तथा इस संबंध में कारोबारियों से निरंतर बातचीत करना।
- इस्पात उद्योग की जरूरत के मुताबिक बुनियादी क्षेत्र की पहचान करना और संबंधित मंत्रालयों/विभाग के साथ इस्पात क्षेत्र की बुनियादी अपेक्षाओं का समन्वय करना।
- इस्पात के प्रभावी ढंग से इस्तेमाल को उचित बढ़ावा देना और ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी इलाकों में विनिर्माण के क्षेत्र में इसके इस्तेमाल पर बहुत अधिक जोर देना। इसके लिए कोलकाता में 'इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ (इन्सडैग)' की स्थापना की गई।
- इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना। देश में लौह एवं इस्पात संबंधी अनुसंधान प्रयासों को समग्र दिशा प्रदान करने के लिए इस्पात सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति है, जो अपने समक्ष प्रस्तुत विशिष्ट शोध परियोजनाओं के लिए स्टील डेवलपमेंट फंड से विशिष्ट शोध परियोजनाओं के वास्ते पूर्णतः अथवा आंशिक धन जुटाने के लिए मंजूरी देती है। देश में शोध एवं विकास की गतिविधियों को और बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा बजटीय सहायता की जा रही है।
- लोहे, इस्पात, फेरो–एलॉय, रिफैक्ट्रीज और इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात को सुव्यवस्थित बनाने के लिए आउटपुट–इनपुट प्रावधानों की समीक्षा/निर्धारण के लिए वाणिज्य मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ फारेन ट्रेड (डीजीएफटी) से संबद्ध नॉर्म्स कमिटी को तकनीकी इनपुट मुहैया कराना।
- क्लीन डेवलपमेंट मेकेनिज्म (सीडीएम) एवं यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के तहत मेजबान देश में मंजूरी अनुदान के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी मदद प्रदान करना।
- लौह एवं इस्पात उत्पादों के लिए भारतीय मानक तैयार करने/संशोधन करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के साथ समन्वय स्थापित करना।
- पर्यावरण प्रबंधन व प्रदूषण नियंत्रण एवं अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करना।
- प्रधानमंत्री ट्रॉफी स्कीम के जरिए समेकित इस्पात कंपनियों के प्रदर्शन में सुधार। इसके तहत भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली कंपनी को पुरस्कार।
- भारत में लौह और इस्पात उद्योग के विकास और प्रगति के लिए तकनीकी कौशल से लैस कर्मचारियों की उपलब्धता बनाए रखना।
- माननीय इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में इस्पात उपभोक्ता परिषद संगठन देश में सभी इस्पात उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए संपर्क मंच की भूमिका निभाता है।
- अपने नियंत्रण में प्रशिक्षण संस्थान के जरिए इस्पात क्षेत्र में मानव संसाधनों को प्रशिक्षण देना।

इस्पात पर मूल सीमा शुल्क को वर्ष 2002–03 में 25–30 प्रतिशत से घटाकर वर्तमान में 5 प्रतिशत किए जाने के बावजूद भारतीय इस्पात उद्योग अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता को झेलने में सफल रहा है। अब उद्योग खुली हुई अर्थव्यवस्था में संचालित हो रहा है, जहां निर्यात और आयात घरेलू मांग में उतार–चढ़ाव, जो मुख्यतः बाजार प्रेरित हैं, से प्रेरित है।

एक ओर जहां 10वीं पंचवर्षीय योजना में तैयार इस्पात का निर्यात सालाना 4–5 मिलियन टन के बिंदु पर रहा, वहीं आयात वर्ष 2002–03 के करीब 1.75 मिलियन टन से बढ़कर अप्रैल दिसंबर 2009 (अनंतिम) में 5.21 मिलियन टन हो गया और यह स्पर्द्धा में कमी की वजह से नहीं, बल्कि घरेलू बाजार में आपूर्ति–मांग असंतुलन के कारण हुआ।

वर्ष 2008–09 के उत्तरार्द्ध में उद्योग मंदी की चपेट में आ गया जिसे अमेरिका में पैदा हुए सबप्राइम संकट ने गहराया। सबप्राइम संकट ने पूरी दुनिया को भिन्न तरह से प्रभावित किया। पूरी दुनिया में इस्पात उद्योग को उत्पादन में कमी, कीमत और लाभ में कमी, मांग में कमी और प्रस्तावित विस्तार योजनाओं में बिलंव या उन्हें ठंडे बस्ते में डालने की नौबत पैदा हुई। वैसे, भारत सरकार द्वारा अच्छी तरह से तैयार की गई नीतिपरक पैकेजों के द्वारा काफी हद तक मदद मिलने के साथ, देश में इस्पात उद्योग वैश्विक आर्थिक मंदी के दुष्प्रभावों से निपटने में सफल रही और देश में 2008–09 और अप्रैल–दिसंबर 2009–10 के दौरान घरेलू इस्पात खपत में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई, कुल तैयार इस्पात की घरेलू खपत भी मजबूती से 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। वर्ष 2009–10 में विश्व की कीमतों में मजबूती के लक्षण दिखाई देने से भारतीय इस्पात क्षेत्र के लिए एक आशा की किरण लाई है और उत्पादन वृद्धि अनुमानित रूप से 5 से 7 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है और सेंट्रल स्टेटिस्टिकल आर्गेनाइजेशन (सीएसओ) अपने जीडीपी आंकड़े के जरिए आर्थिक स्थिति में समग्र सुधार की बात कर रहा है। जुलाई–सितंबर 2009 के दौरान 7.9 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दिखाई दी और अप्रैल–नवंबर 2009के दौरान इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (आईआईपी) में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि रही।

अध्याय–III

संगठनात्मक ढांचा और इस्पात मंत्रालय के क्रियाकलाप

इस्पात मंत्रालय इस्पात मंत्री के अधीन है जिसे राज्य मंत्री कार्य संपादन में उनकी मदद करते हैं। यह मंत्रालय लौह और इस्पात उद्योग के विकास, कच्चे लोहे, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, कच्चे मैग्नीशियम, क्रोमाइट्स, फेरॉ–एलॉय, स्पंज आयरन आदि के योजना निर्माण, विकास तथा अन्य संबंधित क्रियाकलापों के लिए जिम्मेवार है। मंत्रालय को आवंटित विषयों की सूची **परिशिष्ट–1** में देखी जा सकती है। इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के 10 उपक्रम और सरकार के प्रत्यक्ष प्रबंधन वाली एक कंपनी है। प्रभारी मंत्री और उप सचिव स्तर तक के अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट–2** में दी गई है।

इस्पात मंत्रालय के प्रमुख कार्य

- सरकारी और निजी क्षेत्रों में स्टील संयंत्रों, री–रॉलिंग उद्योग और फेरो–एलॉयज का विकास
- लौह और इस्पात तथा फेरो एलॉयज के उत्पादन, वितरण और कीमतों से जुड़ीं नीतियों का निर्धारण
- सार्वजनिक क्षेत्र में कच्चे लोहे की खदान और अन्य कच्चे लोहे की खदान जैसे मैग्नीज, कच्चे क्रोम, लाइमस्टोन और लौह–इस्पात उद्योग में उपयोग होने (खदान लीज या इससे जुड़े अन्य मामलों को छोड़कर) वाली अन्य खदानों का विकास
- देश में इस्पात के सभी उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराना
- इस्पात मंत्रालय द्वारा जरूरी बुनियादी ढांचा और अन्य संबंधित सुविधाओं की पहचान
- 10 पीएसयू, उनकी सहायक इकाइयों और सरकार के प्रबंधन वाली एक कंपनी के निष्पादन की निगरानी करना

जिम्मेदारियों का आवंटन

सचिव के अलावा इस्पात मंत्रालय में तीन संयुक्त सचिव, पांच निदेशक, चार उप सचिव, एक संयुक्त निदेशक और कई अधिकारी एवं कर्मचारी हैं। मंत्रालय में विशेष सचिव स्तर का एक वित्तीय सलाहकार, एक आर्थिक सलाहकार और एक मुख्य लेखा नियंत्रक है। एक

इंडोनेशिया के ऊर्जा एवं खनिज संसाधन मंत्री महामहिम श्री पूर्णमो यूगियांतोरो 7 सितंबर 2009 को माननीय केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री वीरभद्र सिंह से मुलाकात करते हुए।

01.01.2010 को इस्पात मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

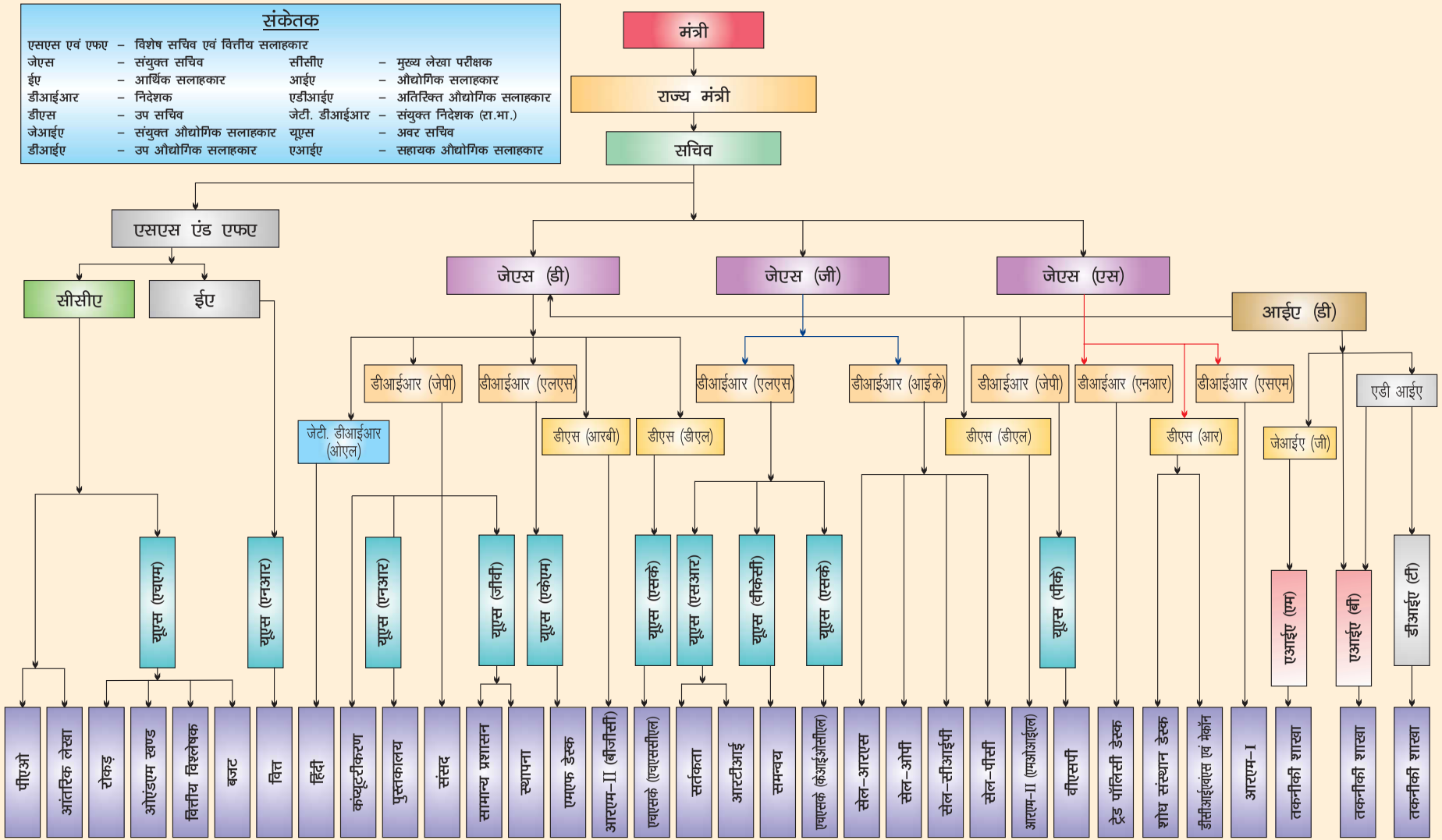

औद्योगिक सलाहकार के अधीन एक तकनीकी विंग अनुसंधान एवं विकास जैसे तकनीकी कार्य स्वरूप वाले सचिवालीय कार्यों के निष्पादन के अलावा तकनीकी मामलों में सलाह देती है।

मंत्रालय के प्रमुख अनुभागों/इकाइयों के कार्य

प्रशासन

- सामान्य कार्यालय प्रशासन और देखभाल
- कार्यालय के उपकरण, उपलब्धता और रखरखाव
- नागरिक सुरक्षा
- विभागीय सुरक्षा
- चिकित्सा दावे
- मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न मदें जारी करना
- प्रोटोकॉल मामले

स्थापना

इस्पात मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशाासनिक/कार्मिक मामलों और महिलाओं के कल्याण से जुड़े मामले

संसद कक्ष

इस्पात मंत्रालय से जुड़े संसदीय मामले, जिनमें राष्ट्रपति का संबोधन और बजट, परामर्शदात्री समिति और स्थायी समिति की बैठकें, संसदीय समितियों के दौरे/अध्ययन समूह का गठन और इस्पात मंत्रालय के तहत आने वाले पीएसयू/प्रोजेक्ट।

पुस्तकालय

पुस्तकालय पुस्तकों, मैनुअल, अखबारों, पत्र–पत्रिकाओं, अन्य रेफरेंस बुक्स और पुस्तक सूची यानी कैटेलॉग आदि से जुड़े तमाम मामलों की देखभाल करता है।

एनआईसी

सूचना और संचार तकनीक (आईसीटी) मंत्रालय की सहायता करती है। इसमें ई–गवर्नेंस के डिजाइन, विकास और क्रियान्वयन, मंत्रालय के इंट्रानेट पोर्टल के उपयोग और आईसीटी समर्थित सेवाओं, आईसीटी बुनियादी ढांचा की स्थापना और रखरखाव, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) डोमेन में मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के डिजाइन, होस्टिंग और रखरखाव, मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए इन–हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालित करके सूचना–तकनीक के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, मंत्रालय व इसके पीएसयू तथा अधीनस्थ संगठनों में आईसीटी से संबंधित मामलों में तकनीकी सलाह उपलब्ध कराना इसके कार्यक्षेत्र में शामिल हैं।

हिंदी अनुभाग

राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के लिए इस्पात मंत्रालय में एक हिंदी अनुभाग कार्य करता है।

सूचना का अधिकार कक्ष (आरआई सेल)

इसके कार्यों में इस्पात मंत्रालय में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन और इसके तहत आने वाले पीएसयू और अन्य कार्यालयों में इसके क्रियान्वयन की निगरानी के अलावा मुख्य सूचना आयुक्त को आरटीआई क्रियाकलापों से जुड़ी वार्षिक रिपोर्ट देना शामिल हैं।

समन्वय अनुभाग

मंत्रालय का यह अनुभाग विभिन्न अनुभागों/डेस्क को आवंटित विषयों से जुड़े सभी मामलों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करता है। यह अनुभाग निम्नलिखित मामलों का ख्याल रखता है:

- अन्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त ड्राफ्ट, कैबिनेट नोट्स पर टिप्पणी करना।
- वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस्पात सचिव की मासिक बैठक का एजेंडा/सामग्री की तैयारी करता है।
- माननीय मंत्री के पत्रकार सम्मेलन/बैठकों के लिए संक्षिप्त नोट/एजेंडा तैयार करता है।
- मंत्री/सचिव के लिए इंडक्शन नोट और राष्ट्रपति के संसदीय संबोधन के लिए सामग्री तैयार करना
- कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) के प्रस्तावों के क्रियान्वयन से संबंधित मासिक रिपोर्ट पर्सनल एंड ट्रेनिंग विभाग (डीओपीटी) को देता है।

सेल के एक वेसिक आक्सीजन फर्नेस में तप्त धातु को प्रसाधित किया जा रहा है।

- पीईएसबी की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन से संबंधित मासिक रिपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (डीपीई) को देना। समय–समय पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा जारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित दिशा–निर्देशों/आदेशों/निर्देशों का सर्कुलेशन।
- इस्पात मंत्रालय से जुड़े अन्य मंत्रालयों/विभागों के संसदीय प्रश्नों/आश्वासनों से संबधित और संसदीय समिति
- इस्पात मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी

सतर्कता डेस्क

- गलत क्रियाकलापों/लोभ–लालच के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और सरकारी क्रियाकलापों में विश्वसनीयता/कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय करना
- भ्रष्टाचार निरोधक उपायों पर कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उपयुक्त कदम उठाना
- शिकायतों की जांच और उचित जांच उपाय शुरू करना
- इस मामले में जांच पड़ताल और अनुवर्तन
- केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच रिपोर्ट पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को मंत्रालय की टिप्पणी देना
- सीवीसी और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की सलाह से पीएसयू में मुख्य सर्तकता अधिकारियों (सीवीओ) की नियुक्ति

तकनीकी विंग

अनुसंधान और विकास, ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन, पूरे सचिवालय से संबंधित प्रशासनिक कार्यों को निपटाना और सर्वश्रेष्ठ एकीकृत स्टील संयंत्र के लिए प्रधानमंत्री की ट्रॉफी के विजेता का निर्णय लेने के अलावा तकनीकी सलाह देना।

औद्योगिक विकास विंग

औद्योगिक विकास शाखा (आईडीडब्ल्यू) मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में लौह और इस्पात उद्योग की तरक्की और विकास से जुड़ी हुई है।

सेल, ओपी, पीसी, सीआईपी और आरएस अनुभाग, आरएम–I और आरएम–II अनुभागों, एचएसके अनुभाग, अपने–अपने पीएसयू से जुड़े सभी मामलों के साथ संसदीय प्रश्नों और नीतिगत मामलों को देखते हैं।

लौह और इस्पात विकास आयुक्त कक्ष (डीसीआई एंड एस)

व्यय सुधार आयोग (ईआरसी) की अनुशंसाओं के आधार पर कोलकाता में लौह और इस्पात के लिए विकास आयुक्त (डीसीआई एंड एस) कार्यालय और इसके चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली स्थित चार क्षेत्रीय कार्यालयों को 23.5.2003 से बंद करने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया। सेकेंडरी सेक्टर से आंकड़ों के संग्रह को छोड़कर बाकी कार्यों को इस्पात मंत्रालय की सेल को हस्तांतरित कर दिया गया।

डीसीआई एंड एस कक्ष स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन (एसएसआईसी)/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के जरिए लघु उद्योग (एसएसआई) को लौह और इस्पात मदों का आवंटन करता है। भारत सरकार ने 2008 में, राज्यों में एसएसआई यूनिट्स, जहां एसएसआईसी भी प्रचालन करती है, इस्पात सामग्री के वितरण के लिए एनएसआईसी को एसएसआईसी के समकक्ष एक एजेंसी के रूप में नामांकन करने का निश्चय किया है।

उचित कीमतों पर लघु उद्योगों को कच्चे माल मिल जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार निगमों से लगभग 500–550 रुपये प्रति टन का आंशिक संचालन शुल्क लेती है। एसएसआई इकाइयों को वितरित करने के लिए पिछले तीन सालों के दौरान लौह और इस्पात के सामान का आवंटन इस प्रकार है:

(मात्रा '000 मीट्रिक टन में)

निगम	2007–08	2008–2009	2009–10*
एसएसआईसी	447	581	581
एनएसआईसी	49	118	162
कुल	496	699	743

* 31 जनवरी 2010 की स्थिति

वर्ष 2009–10 के लिए वितरण नीति इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट **www.steel.nic.in** पर दी गई है।

इस्पात मंत्रालय से संबंधित अन्य संगठन

संयुक्त संयंत्र समिति

देश में लोहे और इस्पात के उत्पादन, आवंटन, कीमत तय करने और वितरण से संबंधित नियम तय करने के मकसद से डॉ के एन राज समिति की अनुशंसाओं पर संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) की स्थापना 1964 में हुई थी। भारतीय इस्पात उद्योग का विनियमन 1992 में किया गया था जो जेपीसी के लिए बदलाव की एक महत्वपूर्ण घटना थी। उस बिंदु से जेपीसी की भूमिका, चार्टर और क्रियाकलापों में भारी तब्दीली आई, क्योंकि इसने अपनी भूमिका भारतीय इस्पात उद्योग के लिए सहयोग करने वाले की कर ली जो उदारवादी बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था के अनुरूप था।

जेपीसी का मुख्यालय कोलकाता में हैं जिसके चार क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में और इकोनॉमिक रिसर्च यूनिट नई दिल्ली में है जो जेपीसी की शाखा के रूप में तकनीकी–आर्थिक अध्ययन करता है। इस समय जेपीसी के सदस्य हैं:

- चेयरमैन–भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव
- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के चार प्रतिनिधि
- टाटा स्टील लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के एक–एक प्रतिनिधि और
- इस्पात के एक प्रमुख उपभोक्ता के रूप में भारतीय रेलवे का एक प्रतिनिधि

आर्थिक अनुसंधान इकाई

आर्थिक अनुसंधान इकाई (ईआरयू) संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) का एक हिस्सा है। इसका गठन 1983 में ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल कॉस्ट्स एंड प्राइस की अनुशंसाओं पर आर्थिक नीति और शोध के मामले में इस्पात मंत्रालय/जेपीसी को सहयोग देने के लिए किया गया था। ईआरयू मुख्य रूप से जेपीसी द्वारा संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण और इस्पात मंत्रालय द्वारा सौंपे गए खास अध्ययन/विश्लेषण संचालित करती है।

जेपीसी और ईआरयू के क्रियाकलाप

नेशनल स्टील पॉलिसी 2005 ने भारतीय इस्पात उद्योग के विकास के लिए दीर्घकालीन विजन रखा है जो संख्या, उत्पादन, क्षमता और तकनीक समेत कई मामलों में बड़े बदलाव से गुजर रहा है। भारत दुनिया में कच्चे इस्पात का पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक बन गया

है। इसके अलावा यह स्पंज आयरन का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऐसे वातावरण, जेपीसी, अपने आंकड़ों/जानकारियों से जुड़ीं सेवाओं के लिए आईएसओ 9001:2000 सर्टिफिकेट से नवाजा गया, जो कि शीघ्रता से बदलते उद्योग की सूचना जरूरत को ध्यान में रखते हुए चार्टर ऑफ जॉब्स जारी रखता है।

आंकड़े और सूचना सेवाएं: जेपीसी को भारतीय लौह और इस्पात उद्योग से जुड़े आंकड़ों को संग्रहित करने की आधिकारिक शक्ति है। इस तरह से इस उद्योग के बुनियादी डाटा बैंक का निर्माण और रखरखाव होता है। प्रमुख संग्रहित आंकड़ों में शामिल हैं:

- कच्चे इस्पात, अर्द्ध निर्मित इस्पात, गैर–सपाट इस्पात और सपाट इस्पात की पूरी डाउनस्ट्रीम रैंज समेत स्टील के मुख्य और द्वितीयक उत्पादक की क्षमता, उत्पादन और स्टॉक का हिसाब रखना। इसमें ये सभी चीजें शामिल हैं;
- लोहे और इस्पात की घरेलू बाजार की कीमतें;
- लोहे और इस्पात का निर्यात और आयात;
- इस्पात निर्माण के लिए कच्चे माल का उत्पादन, कीमतें और भंडारण;
- रिफैक्टरी का उत्पादन, उपलब्धता और खपत;
- डाटाबेस में लौहे और इस्पात से जुड़ी हुई श्रेणियों की खपत के आंकड़ें

इकाइयों के साथ नियमित संबंध रखने के अलावा क्षेत्र विशेष सर्वे में सरकारी स्तर पर पोपुलेशन फ्रेम और नीतिगत निर्णय को अद्यतन बनाने और आंकड़ों के रखरखाव प्रमुख हैं। पूरे किए गए सर्वे में स्पंज आयरन, इंडक्शन फर्नेस/इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और री–रोलिंग और रिफ्रेक्टरी इकाई शामिल हैं। इंडियन फेरा–अलॉय इंडस्ट्री पर एक सर्वे संचालित किया जा रहा है।

सूचना का प्रसार: आंकड़ों के संग्रह के अलावा सूचना का प्रसार भारतीय इस्पात उद्योग के सभी शेयरधारकों को सूचना उपलब्ध कराना जेपीसी का एक प्रमुख कार्य है। सूचना के प्रसार के प्रमुख चैनलों में शामिल हैं:

- **लोहे और इस्पात संबंधी जेपीसी बुलेटिन:** वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय लोहे और इस्पात उद्योग के मासिक ट्रेंड व स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराता है।
- **निष्पादन की समीक्षा– लोहे और इस्पात:** पिछले वित्तीय वर्ष में भारतीय लोहे और इस्पात उद्योग के विभिन्न पक्षों के विकास की पूरी जानकारी संग्रहित करना।
- **वार्षिक सांख्यिकी:** भारतीय इस्पात उद्योग के विभिन्न पक्षों पर पंचवर्षीय सांख्यिकीय प्रोफाइल उपलब्ध कराना।
- **सर्वे रिपोर्ट:** इसमें जेपीसी द्वारा संचालित स्पंज आयरन, पिग आयरन, कोल्ड रोल्ड–गैल्वेनाइज्ड प्लेन/कॉरूगेटेड, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस/इंडक्शन फर्नेस आदि से जुड़े विभिन्न सर्वे की रिपोर्ट।
- **खास प्रकाशन:** उद्योग की स्थिति, विकास, रूझान इत्यादि पर बल देते हुए और इस्पात मंत्रालय के मार्गदर्शन में समय–समय पर प्रकाशित होने वाले प्रकाशन।
- **वेबसाइट के जरिए: www.jpcindiansteel.org** घरेलू लोहे और इस्पात उद्योग के विभिन्न पक्षों की जानकारियां।

आर्थिक अनुसंधान इकाई (ईआरयू) द्वारा संचालित कुछ प्रमुख परियोजनाओं में शामिल हैं: 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए श्रेणी के अनुसार मांग का निर्धारण, इंडक्शन फर्नेस सेक्टर की क्षमता और उत्पादन का निर्धारण (जेपीसी डाटा की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ समूह की ओर से अध्ययन संचालित), तेज आर्थिक विकास दर के आलोक में राष्ट्रीय इस्पात नीति के लक्ष्यों की पुनर्समीक्षा, 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस्पात क्षमता के प्रस्तावित विस्तार, खासकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के संदर्भ में बुनियादी ढांचा की पर्याप्तता का मूल्यांकन और भारत में कच्चे लोहे के उपयोग की संभावनाओं का अध्ययन। मार्केट कीमतों के मासिक विश्लेषण के अलावा इस्पात क्षेत्र के लिए बजट पूर्व प्रस्तावों का निर्माण, भारतीय इस्पात उद्योग की प्रतिस्पर्द्धात्मकता का अध्ययन। ईआरयू इस्पात कीमत निगरानी समिति और हॉट रॉल्ड क्वॉयल और कोल्ड रॉल्ड क्वॉयल की कीमतों की तुलनात्मक गतिविधियों पर बनी उपसमिति के लिए सचिवालय का भी काम करता है।

सहायता सेवाएं: उद्योग के विकास से संबंधित विभिन्न मामलों/क्रियाकलापों के बारे में इस्पात उद्योग या इस्पात मंत्रालय को विभिन्न तरह की सहायता उपलब्ध कराना और इस्पात के उपयोग के प्रति जागरूकता फैलाना। इसके कुछ प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:

- इस्पात मंत्रालय की स्टील कंज्यूमर काउंसिल मीटिंग की संगठनात्मक जिम्मेदारी। यह देश में इस्पात के निर्माताओं और उपभोक्ताओं के बीच बातचीत का एक मंच उपलब्ध कराती है।
- नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) में इस्पात मंत्रालय के पेवेलियन में 2002 के बाद हर साल संगठन और भागीदारी के जरिए प्रतिदिन की जिंदगी में इस्पात के बहुपक्षीय उपयोग को सामने रखना।

- इस्पात के उपयोग के फायदे के बारे में जागरूकता व जानकारी के विस्तार के प्रसार और इस्पात के निर्माताओं और अंतिम उपभोक्ताओं के बीच जानकारियों के अंतर को पाटने के लिए जेपीसी ने कदम उठाए। तकनीक, बुनियादी ढांचा, पर्यावरण, मार्केट ट्रेंड, बजट, नीति निर्माण और अन्य मामलों पर गोष्ठियों/कार्यशालाओं के आयोजन को सहायता उपलब्ध कराकर हासिल किया गया।
- महान सफलता के लिए शिक्षा एक प्रमुख सोपान है। पुरी, उड़ीसा में बीजू पट्नायक नेशनल स्टील इंस्टीट्यूट (बीपीएनएसआई), मंडी गोबिंदगढ़ में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सेकेंडरी स्टील टेक्नालॉजी (निस्ट) और कोलकाता में इंस्टीट्यूट फॉर स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ (इंस्डैग) इस दिशा में इस्पात मंत्रालय के मार्गदर्शन में उठाए गए कदम हैं।

एसडीएफ के सचिवालय संबंधी क्रियाकलापः जेपीसी भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस्पात विकास कोष (एसडीएफ) प्रबंधन समिति का सचिवालय है। इस्पात मंत्रालय का सचिव एसडीएफ प्रबंधन समिति का चेयरमैन होता है। इसके अन्य सदस्य हैं–वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का व्यय विभाग, भारत सरकार के योजना आयोग का सचिव और भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय का संयुक्त सचिव एसडीएफ प्रबंधन समिति का सदस्य सचिव है। इस्पात मंत्रालय ने शोध और विकास को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए एसडीएफ से हर साल कोष आवंटित किया जाता है। यह कोष इस उद्योग को परियोजनाओं के क्रियान्वयन, तकनीकी उन्नयन, प्रदूषण नियंत्रण, शोध और विकास आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। एसडीएफ कॉर्पस से जेपीसी इन मामलों में भी सहायता उपलब्ध कराता हैः

- इस्पात के वितरण में लगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन (एसएसआईसी) को छूट
- सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए प्रधानमंत्री ट्रॉफी देना
- बाजार विकास परियोजनाएं
- लोहा और इस्पात क्षेत्र में पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी/यूएनडीपी प्रोजेक्ट।

फेरस स्क्रैप कमिटी

जेपीसी को फेरस स्क्रैप कमिटि (एफएससी) के सचिवालयी कार्य भी सौंपे गए हैं, जो अन्य कामों के साथ–साथ फैरस स्क्रैप विकास कोष का भी प्रबंधन करती है। एफएससी की स्थापना 1979 में भारत सरकार, पूर्व में इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय, इस्पात विभाग, द्वारा जारी अधिसूचना नंबर एस.ओ. 854 (ई)/ईएसएस/कॉम/आयरन एंड स्टील के आधार पर 19 दिसंबर 1979 में की गई और 28 जुलाई 1997 को इसका पुनर्गठन किया गया। इस समय इसमें निम्नलिखित सदस्य हैंः

- चेयरमैन–भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय का संयुक्त सचिव
- भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय का निदेशक (वित्त)
- स्टील स्क्रैप एंड शिपब्रेकर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष
- गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ

एफएससी निम्नांकित कार्य करती किए हैंः

- शिप ब्रेकिंग क्रियाकलापों के लिए प्रेरक बुनियादी ढांचा विकास को सहायता
- स्क्रैप हैंडलिंग/प्रसंस्करण सुविधाओं को सहायता
- शिप ब्रेकिंग के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन

इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कंपनियों की सूची

क्र. सं.	कंपनी का का नाम	मुख्याल	सहायक कंपनियां
1.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड	इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003,	महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉस्मेल्ट लिमिटेड, चंदामूल रोड, चंद्रपुर–442401 (महाराष्ट्र)
2.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, विशाखापतनम–530031, (आंध्र प्रदेश)	
3.	एनएमडीसी लिमिटेड	खनिज भवन, 10–3–311/ए, कैसल हिल्स, मसाब टैंक, हैदराबाद–500028, (आंध्र प्रदेश)	जेएंडके मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, 33बी/बी II एक्सटेंशन गांधी नगर, जम्मू–180004 (जम्मू व कश्मीर)
4.	मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड	मॉयल भवन, 1–ए, काटोल रोड, नागपुर–440013, (महाराष्ट्र)	
5.	एमएसटीसी लिमिटेड	225–सी, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता–700020 (पश्चिम बंगाल)	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, एफएसएनएल भवन, इक्विपमेंट चौक, सेंट्रल एवेन्यू, भिलाई–490001 (छत्तीसगढ़)
6.	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंसट्रक्शन लिमिटेड	5/1, कमीसेरिएट रोड, (हेस्टिंग्स), कोलकाता–70022, (पश्चिम बंगाल)	
7.	मेकॉन लिमिटेड	मेकॉन बिल्डिंग, रांची–834002 (झारखंड)	
8.	स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड	खनिज भवन, 10–3–311/ए, कैसल हिल्स, मसाब टैंक, हैदराबाद–500028, (आंध्र प्रदेश)	
9.	केआईओसीएल लिमिटेड	II ब्लॉक, कोरमंगला, बंगलुरू–560034 (कर्नाटक)	
10.	सरकार के प्रबंधन में कंपनियां बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज	एफडी–350, सेक्टर–III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता–700106 (पश्चिम बंगाल)	

अध्याय–IV

सार्वजनिक क्षेत्र

इस्पात मंत्रालय के अधीन कंपनियों ने पिछले पांच सालों में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस्पात मंत्रालय से जुड़ीं कंपनियों का वर्ष 2009–10 (दिसंबर 2009 तक) कर पश्चात लाभ (पीएटी) लगभग 7,772 करोड़ रुपये था। विवरण **परिशिष्ट–13** में देखा जा सकता है। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, लाभ, कारपोरेट कर, विक्रय कर, रायल्टी आदि के जरिए केंद्र और राज्य सरकार के कोष में वर्ष 2009–10 (दिसंबर 2009 तक) इनका योगदान लगभग 11,298 करोड़ रुपये था। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए **परिशिष्ट–14** को देखा जा सकता है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी और भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसके पांच एकीकृत स्टील संयंत्र–भिलाई (छत्तीसगढ़), राउरकेला (उड़ीसा), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), बोकारो (झारखंड) और बर्नपुर (पश्चिम बंगाल) में हैं। सेल के तीन विशेष और एलॉय स्टील प्लांट अर्थात् पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित एलॉय स्टील्स प्लांट, सेलम (तमिलनाडु) में स्थित सेलम स्टील संयंत्र और कर्नाटक के भद्रावती में स्थित विश्वेश्वराया लौह और इस्पात संयंत्र है। इनके अलावा चंद्रपुर में फेरो एलॉय का उत्पादन करने वाला एक संयंत्र है जिसका स्वामित्व महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड के पास है जो सेल की सहायक कंपनी है। सेल की सात केंद्रीय इकाइयां हैं–रांची स्थित रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील (आरडीसीआईएस), सेंटर फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीईटी) और मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (एमटीआई), धनबाद स्थित सेंट्रल कोल सप्लाई ऑर्गनाइजेशन (सीसीएसओ) और कोलकाता स्थित रॉ मैटीरियल्स डिविजन (आरएमडी) और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट डिविजन (ईएमडी)।

वर्ष के दौरान, निगमित मामलों के मंत्रालयों द्वारा 28 जुलाई 2009 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 के अधीन जारी विलयन आदेश के अनुसरण में, भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड को 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी सेल के साथ विलय कर दिया गया है। बीआरएल के झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में चार कारखाने हैं और यह असोर्टिड किस्म की रिफ्रेक्टरीज के उत्पादन, व्यापार और अन्य गतिविधियों से युक्त बिजनेस में लगा हुआ है। विलय के उपरांत यह सेल की एक इकाई बन गई है और इसका नामकरण सेल रिफ्रेक्टरी यूनिट (एसआरयू) कर दिया गया है।

सेंट्रल मार्केटिंग ऑर्गनाइजेशन (सीएमओ), जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, देशव्यापी विपणन और वितरण नेटवर्क के बीच समन्वय का काम करता है। सेल कन्सलटेंसी डिविजन (सेलकॉन) नई दिल्ली से काम करती है।

सेल के भिलाई इस्पात कारखाने की ब्लास्ट फर्नेसों का एक विहंगम दृश्य।

माननीय केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री वीरभद्र सिंह भिलाई स्टील प्लांट (सेल) के एसएमएस -II में 0.8 मिलियन टन स्लैब कास्टर परिसर राष्ट्र को समर्पित करते हुए।

पूंजी संरचना

सेल की अधिकृत पूंजी 5000 करोड़ है। 31 मार्च, 2009 को कंपनी की चुकता पूंजी 4130.40 करोड़ थी। इसमें से 85.82 प्रतिशत भारत सरकार के पास और बाकी 14.18 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों/जीडीआर धारकों/बैंकों/कर्मचारियों/व्यक्तियों के पास है।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

वित्त वर्ष 2008–09 में कंपनी ने 48,681 करोड़ रुपये का रिकार्ड कारोबार किया। इस साल के लिए कर बाद शुद्ध लाभ 6,175 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने 2008–09 के लिए लाभांश के रूप में चुकता इक्विटी पूंजी का 26 प्रतिशत अदा किया है। 31 दिसंबर 2009 को समाप्त नौमाही के लिए विक्रय कारोबार और कर–पश्चात् लाभ क्रमशः 30928.82 करोड़ रुपये और 4669.47 करोड़ रुपये रहा।

उत्पादन कार्यनिष्पादन

वास्तविक उत्पादन के बारे में नीचे जानकारी दी गई है:

('000 टन)

मद	2008–2009	2009–10 (दिसम्बर '09 तक)
तप्त धातु	14442	10908
कच्चा इस्पात	13411	10175
बिक्री योग्य इस्पात	12494	9366

कच्चा माल

2008–2009 के दौरान कंपनी की कैप्टिव खदानों से कच्चे लोहे का कुल उत्पादन 24.43 मिलियन टन था जबकि 2007–2008 में यह 26.37 मिलियन टन था। इस साल कैप्टिव खदानों का फ्लक्स (लाइमस्टोन/डोलोमाइट) उत्पादन 2.4 मिलियन टन रहा जबकि 2007–2008 में यह 2.6 मिलियन टन रहा। अप्रैल–दिसम्बर 09 की अवधि के दौरान लौह अयस्क और फ्लक्स का उत्पादन क्रमशः 17. 3 मिलियन टन और 1.5 मिलियन टन रहा।

मानव शक्ति

31 मार्च, 2009 को सेल में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 121295 थी। इस साल कुल मिलाकर मानव शक्ति में 7509 की कमी आई। 01.01.2010 को सेल की मानव शक्ति 1,19,105 (एमईएल एवं एस आर यू सहित) थी, वर्ष 2009–10 (दिसंबर 09 तक) 4499 मानव शक्ति में कमी आई।

महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेडः सेल की सहायक कंपनी

महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित में है। यह सेल के संयंत्रों के कैप्टिव उपयोग के लिए फेरो मैंगनीज और सिलिको मैंगनीज की मुख्य उत्पादक है।

31 मार्च, 09 को कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः 30 करोड़ रुपये और 24 करोड़ रुपये थी। सेल की होल्डिंग चुकता पूंजी का लगभग 99.12 प्रतिशत है।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

2008–2009 के दौरान कंपनी ने 425.06 करोड़ रुपये का रिकार्ड कारोबार किया और कंपनी का कर पश्चात लाभ 40.88 करोड़ रुपये रहा। अप्रैल–दिसंबर 2009 के दौरान कंपनी का कारोबार और कर–पश्चात् लाभ क्रमशः 283.65 करोड़ रुपये और 33.03 करोड़ रुपये रहा।

उत्पादन कार्यनिष्पादन

2009–10 के दौरान फेरो एलॉय की सभी श्रेणियों का उत्पादन निम्नानुसार रहाः

(टन)

सामग्री	2008–09	2009–10 (दिसंबर 2009 तक)
उच्च कार्बन फेरो मैंगनीज	68789	45322
सिलिको मैंगनीज	35640	37982
मीडियम कार्बन फेरो मैंगनीज	1763	899

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आंध्र प्रदेश के विशाखापतनम स्थित आरआईएनएल समुद्र तट पर स्थित पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है। इस संयंत्र का शुभारंभ अगस्त 1992 में प्रति वर्ष 3 मिलियन टन तरल लोहे (एमटीपीए) के उत्पादन के साथ हुआ। इस संयंत्र को अत्याधुनिक तकनीक अंतरराष्ट्रीय तकनीक के आधार पर बनाया गया था। इसमें ऊर्जा की अधिकतम बचत और प्रदूषण नियंत्रण उपायों का अधिकतम ख्याल रखा गया है। आरआईएनएल का शानदार लेआउट है जिसे बढ़ाकर 16 एमटीपीए तक किया जा सकता है। आरआईएनएल आज विकास पथ पर अग्रसर है और अपनी तरल इस्पात उत्पादन क्षमता को लगभग दोगुना करते हुए 6.3 मिलियन टन प्रति वर्ष करने जा रहा है और नई इकाइयां 2010–11 से काम करना शुरू कर देंगी।

शुरू होने से लेकर कम समय में उत्पादन और तकनीकी मामलों में संयंत्र ने प्रदर्शन का उच्च स्तर हासिल किया। अपने एकीकृत संचालन वर्ष से ही आरआईएनएल ने बेहतरीन गुणवत्तायुक्त उत्पादों के साथ देश और विदेशों के बाजार में अपनी स्थिति मजबूत बना ली। आरआईएनएल ने सभी तीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट – आईएसओ 9001–2000, आईएसओ 14001:1996 और ओएचएसएएस 18001:1999 हासिल किए। आरआईएनएल 'केपेब्लिटी मैच्योरिटी इंटिग्रेटिड (सीएमएमआई) – लेवल–3' प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला भारतीय इस्पात कारखाना है। आरआईएनएल में आईटी प्रणालियों को कार्यान्वित करने के लिए यह प्रमाण पत्र 'सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट (एसईआई), कारनेगी मेलन यूनिवर्सिटी', यूएसए द्वारा जारी किया जाता है। कंपनी अच्छे कॉरपोरेट नागरिक के रूप में उभरी और इस क्षेत्र के विकास के लिए अच्छा योगदान दिया।

वित्त वर्ष 2008–09 और 2009–10 (अप्रैल–दिसंबर 2009) के दौरान उत्पादन और वित्तीय/विपणन कार्यनिष्पादन के साथ–निर्धारित क्षमता की प्रतिशत प्राप्ति की दृष्टि से कार्यनिष्पादन नीचे दिया जा रहा हैः

मद	2008–09	2009.10*
उत्पादन (मिलियन टन में), क्षमता इस्तेमाल (प्रतिशत)		
हॉट मेटल	3.55 (104 प्रतिशत)	2.9 (113 प्रतिशत)
तरल इस्पात	3.15 (105 प्रतिशत)	2.4 (108 प्रतिशत)
बिक्री योग्य इस्पात	2.70 (102 प्रतिशत)	2.3 (114 प्रतिशत)
वित्तीय और विपणन कार्यनिष्पादन (करोड़ रुपये में)		
सकल कारोबार	10411	7543
कर पश्चात लाभ	1336	464
निवल मूल्य	12420	12884

** अनुमानित आंकड़े*

विशाखापतनम स्टील प्लांट (आरआईएनएल) स्थित सिंटर प्लांट का एक दृश्य।

अप्रैल–दिसंबर 09 के दौरान 17.18 लाख टन मूल्य वर्धित स्टील उत्पादों का उत्पादन हुआ जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक है। मूल्य वर्धित उत्पादन कुल उत्पादित बिक्री योग्य इस्पात का 76 प्रतिशत था।

एनएमडीसी लिमिटेड

भारत सरकार का उपक्रम और नवरत्न कंपनी एनएमडीसी की स्थापना 15 नवंबर 1958 को हुई थी। कंपनी (कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और परमाणु खनिज को छोड़कर) देश के खनन संसाधनों के विकास और दोहन के व्यवसाय से जुड़ी हुई है। इस समय इसकी गतिविधियां कच्चे लौहे और हीरों के खनन पर केंद्रित है।

एनएमडीसी देश में छत्तीसगढ़ के बैलाडिला और कर्नाटक के डोनिमलाई में लौह अयस्क के बड़े यांत्रिक खदानों का संचालन करती है। पन्ना के डायमंड माइन प्रोजेक्ट (डीएमपी) में खनन संबंधी क्रियाकलापों को पर्यावरणीय कारणों से 22 अगस्त 2005 को रोक दिया गया। इसके बाद अनेक घटनाक्रम सामने आया। मध्य प्रदेश राज्य प्राधिकरणों ने खनन गतिविधियों को पुनः शुरू करने के लिए 19.06.2009 को औपचारिक आदेश जारी किए। लगभग चार वर्षों के अंतराल के बाद 20.06.2009 से उत्पादन फिर से शुरू हो गया है। कच्चे लोहे की सभी उत्पादक इकाइयों को आईएसओ 9001:2000 और आईएसओ 14001:2004 प्रमाणन दिए गए और एनएमडीसी के अनुसंधान और विकास केंद्र को आईएसओ 9001:2000 मान्यता मिली।

वित्तीय पूंजी संरचना

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 400 करोड़ रुपये है। चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 396.47 करोड़ रुपये है। भारत सरकार से कंपनी पर कोई बकाया ऋण नहीं है।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

2009–10 के लिए कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन पिछले साल 2008–09 के मुकाबले इस तरह रहा:

(करोड़ रुपये में)

मद	2009–10 (दिसंबर तक)	2008–09
बिक्री / कारोबार	4255.76	7564.03
कुल मार्जिन	3693.90	6725.25
कर पूर्व लाभ	3642.64	6648.23

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल) की स्थापना 1962 में हुई थी। यह भारत में कच्चे मैंगनीज की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। शुरू के समय सेंट्रल प्रोविंस मैंगनीज की इसमें 49 प्रतिशत हिस्सेदारी और 51 प्रतिशत में भारत सरकार और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र तीनों की बराबर भागीदारी थी। बाद में 1977 में भारत सरकार ने मॉयल में सीपीएमओ की हिस्सेदारी खरीद ली और मॉयल अक्टूबर 1977 से पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी बन गई। 31 मार्च 2009 को कंपनी की चुकता पूंजी 28 करोड़ थी, जिसे 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार बढ़ाकर 168 करोड़ रुपये कर दिया गया है। भारत सरकार के पास 81.57 प्रतिशत हिस्सेदारी और महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी क्रमशः 9.62 प्रतिशत और 8.81 प्रतिशत रह गई।

मॉयल विभिन्न प्रकार के निम्नांकित मैंगनीज ओर का उत्पादन और विक्रय करती है।

- फेरो मैंगनीज के उत्पादन के लिए उच्च श्रेणी का कच्चा माल
- सिलिको मैंगनीज के उत्पादन के लिए मध्यम श्रेणी के अयस्क का उत्पादन
- तप्त धातु के उत्पादन के लिए अपेक्षित ब्लास्ट फर्नेस श्रेणी का अयस्क और
- सूखी बैटरी सेल और रसायन उद्योग के लिए डायऑक्साइड

मॉयल ने इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डायऑक्साइड (ईएमडी) के निर्माण के लिए देशी तकनीक के आधार पर एक संयंत्र स्थापित किया है। इस उत्पाद का निर्माण ड्राई बैटरी सेल्स के उत्पादन के लिए किया जाता है। कंपनी द्वारा उत्पादित ईएमडी अच्छी गुणवत्तायुक्त है और बाजार में इसकी अच्छी मांग है। 10,000 टन प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता का एक फेरो मैंगनीज संयंत्र 1998 में मूल्यवर्धन के लिए मॉयल द्वारा स्थापित किया गया।

वित्त

31 मार्च, 2009 को कंपनी की अधिकृत पूंजी 100 करोड़ रुपये और चुकता पूंजी 28 करोड़ रुपये थी। बाद में, 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार मॉयल की प्राधिकृत पूंजी बढ़ कर 250 करोड़ रुपये और चुकता पूंजी 168 करोड़ रुपये हो गई है।

प्रचालन और वित्तीय परिणाम

तीन वर्षों अर्थात् 2006–07, 2007–08 और 2008–09 एवं 2009–10 (दिसंबर 2009 तक) कंपनी का वास्तविक और वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	मद	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10 (दिसंबर 2009 तक) (अनंतिम)
1.	उत्पादन				
	क) मैंगनीज ओर ('000 टन)	1047	1365	1175	794
	ख) इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड (टन)	1312	1122	1240	807
	ग) फेरो मैंगनीज (टन)	10200	11130	10120	6895
2.	कुल आय (करोड़ रुपये में)	451.82	1030.04	1407.99	746.08
3.	कर पूर्व लाभ (करोड़ रुपये में)	210.21	734.91	1006.76	424.09
4.	कर पश्चात लाभ (करोड़ रुपये में)	134.20	479.82	663.79	279.94
5.	आरक्षित निधियां (करोड़ रुपये में)	433.49	784.68	1292.87	1323.37
6.	निवल मूल्य* (करोड़ रुपये में)	455.81	812.68	1320.87	1491.37
7.	प्रति शेयर बुक वेल्यू (रुपये)	1604.46	2902.16	4717.40	88.77**
8.	प्रति शेयर आय (रुपये)	479.31	1713.63	2370.69	16.66**

(*) वर्ष के 31 मार्च की स्थिति

(**) मॉयल ने 1:5 के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए हैं और शेयरों का अंकित मूल्य भी 100 रुपये से बदलकर प्रति शेयर 10 रुपये कर दिया है। इसके उपरांत, शेयरों की संख्या 28 लाख से बढ़कर 16.80 करोड़ हो गई है और चुकता शेयर पूंजी 28 करोड़ रुपये से बढ़कर 168 करोड़ रुपये हो गई है। तदनुरूप, शेयरों की बुक वेल्यू और प्रति शेयर अर्जन भी बदल गया है।

विपणन

लगभग 95 प्रतिशत कच्चे मैंगनीज का इस्तेमाल इस्पात उद्योग में होता है। वर्ष 2008–09, विश्व भर में अधिकांश उद्योगों के लिए उतार–चढ़ाव भरा रहा और यही प्रवृत्ति खासकर वर्ष 2009 की पहली छमाही में भी बनी रही। वर्ष 2009–10 की प्रथम छमाही के दौरान मैंगनीज अयस्क, फेरो मैंगनीज और सिलिको मैंगनीज की मांग एवं कीमतें काफी मंदीग्रस्त रही। वर्ष के उत्तरार्ध में अर्थ–व्यवस्था में धीरे–धीरे सुधार आ रहा है। इस्पात के साथ–साथ मैंगनीज अयस्क की कीमतों और मांग में सुधार हो रहा है और आशा है कि आने वाले समय में भी यह स्थिति जारी रहेगी। वर्ष 2008–09 के दौरान कंपनी की कुल आय एवं कर पश्चात लाभ क्रमशः 1407.99 करोड़ रुपये और 663.79 करोड़ रुपये रहे। वर्ष 2008–09 और 2009–10 के दौरान विक्रय प्रदर्शन निम्नवत रहा :

क्र. सं.	विवरण	2008–09		2009–10 (दिसंबर 2009 तक) (अनंतिम)	
	बिक्री	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपये में)	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1	मैंगनीज ओर				
	घरेलू	1023486	1187.28	867139	609.49
	निर्यात	–	–	–	–
	जोड़	1023486	1187.28	867139	609.49
2	ईएमडी	1419	9.28	625	4.24
3	फेरो मैंगनीज	9425	80.03	6388	33.42
4	अन्य आय*	–	131.40	.	106.75
5	कुल जोड़		1407.99		753.90

** विद्युत की बिक्री सहित*

लागत में कमी करने की योजना

कंपनी ने लागत कम करने के निम्नलिखित उपाय लागू किए:

- अतिरिक्त मानवशक्ति घटाने के लिए उचित मानवशक्ति योजना और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू।
- कुल उत्पादन और उत्पादकता सुधारने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों का विवेकपूर्ण क्रियान्वयन ताकि प्रति टन लागत में कमी आए।
- बेंचमार्क का क्रियान्वयन, इस्पात, सीमेंट, विस्फोटकों, स्पेयर, पीओएल आदि जैसे उत्पादन में उपयोग होने वाले प्रमुख सामान की खपत तय करना।

एमएसटीसी लिमिटेड

इस्पात मंत्रालय के तहत भारत सरकार का उपक्रम एमएसटीसी लिमिटेड (पहले मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड) की स्थापना 9 सितंबर 1964 को देश से स्क्रैप के निर्यात के लिए एक कैनेलाइजिंग एजेंट के रूप में की गई थी। समय के साथ कंपनी देश में स्क्रैप के आयात के मामले में कैनेलाइजिंग एजेंट के रूप में उभरी। स्क्रैप के आयात को 1991–92 में सरकार द्वारा डी–कैनेलाइज्ड कर दिया गया। वर्तमान रूप से कंपनी व्यापारिक गतिविधियां, ई–कॉमर्स, फेरस और नॉन–फेरस स्क्रैप, अधिशेष भंडार और अधिकांशतः सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और रक्षा मंत्रालय सहित, सरकारी विभागों से निकलने वाले विभिन्न तरह के स्क्रैप के निपटान का कार्य करती है। कंपनी बड़े औद्योगिक घरानों के लिए जरूरी सामग्रियों का भी बड़ी मात्रा में आयात करती है। आयातित मदों में पेट्रोलियम उत्पाद, एलएएम कोक, कोकिंग कोयला, डीआर पेलेट्स, एचआर कॉयल्स और मेल्टिंग स्क्रैप इत्यादि शामिल हैं। यह अन्य किसी भी निजी व्यापारी के साथ प्रतिस्पर्द्धा करते हुए देश के अंदर भी इन मदों का व्यापार करती है।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

पिछले तीन साल के लिए कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रुपये में)

	2007–08	2008–09	2009–10* (दिसंबर 2009 तक)
क. वास्तविक			
(i) एजेंसी	5,579	11,121	3,901
(ii) विपणन	6,345	8,881	3,382
(iii) व्यापार की कुल मात्रा	11,924	20,002	7,283
ख. वित्तीय			
(i) आय	5,197	7,082	2,209
(ii) प्रचालन लाभ	138.33	132.09	72.06
(iii) ब्याज, मूल्यह्रास और प्रावधान	3.863	2.56	1.64
(iv) कर–पूर्व लाभ	134.47	129.53	70.42
(v) कर–पश्चात् लाभ	92.20	85.05	43.48

* *अनंतिम*

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल एमएसटीसी लिमिटेड की पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसकी चुकता पूंजी 200 लाख रुपये है। कंपनी राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, विशाखापत्तनम, डोल्वी, डुबुरी और रायगढ़ स्थित नौ संयंत्रों के स्लैग और कचरों से निकले स्क्रैप की रिकवरी और प्रसंस्करण करती है। संयंत्रों से मिलने वाला स्क्रैप रिसाइक्लिंग/निपटान के लिए संयंत्र को लौटा दिया जाता

एफएसएनएल द्वारा भिलाई स्टील प्लांट में मिल रिजेक्ट्स को गैस कटिंग प्रचालन के जरिये प्रोसेस करते हुए।

है और कंपनी को स्क्रैप की श्रेणी के अनुसार विभिन्न दरों पर प्रसंस्करण शुल्क दिया जाता है। स्क्रैप लोहे और इस्पात के निर्माण के दौरान और रॉलिंग मिल्स में पैदा होता है। इसके अलावा कंपनी स्लैब्स की स्कार्फिंग, बीओएफ स्लैग आदि जैसी स्टील मिल सेवाएं भी प्रदान करती है।

वास्तविक निष्पादन

पिछले दो साल और 2009–10 (दिसंबर 2009 तक) के लिए एफएसएनएल के उत्पादन प्रदर्शन नीचे दिए गए हैं:

मद	2007–08	2008–09	2009–10* (31.12.2009 तक)
स्क्रैप की प्राप्ति (लाख मीट्रिक टन)	23.77	22.63	17.39
उत्पादन का बाजार मूल्य (करोड़ रुपये में)	1045.88	995.82	765.05

** अनंतिम*

वित्तीय कार्यनिष्पादन

(लाख रुपये में)

मद	2007–08	2008–09	2009–10* (31.12.2009 तक)
कुल कारोबार अर्थात् विविध आय इत्यादि समेत वसूला गया सेवा शुल्क	12822.32	13730.33	100.93
ब्याज एवं मूल्यह्रास से पूर्व सकल मार्जिन	1586.00	1683.17	1576.30
ब्याज एवं मूल्यह्रास	1385.11	1251.96	1181.25
कर–पूर्व लाभ	200.89	431.21	395.05

** अनंतिम*

एचएससीएल द्वारा सेलम स्टील प्लांट में निर्माणाधीन सीआरएम परिसर।

हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल) की स्थापना देश में एकीकृत इस्पात संयंत्रों को लगाने में देशी क्षमता के दोहन के लिए इस्पात मंत्रालय के तहत भारत सरकार की कंस्ट्रक्शन एजेंसी के रूप में 1964 में हुई थी। यह युवा संगठन समय की कसौटी पर खरा उतरा और सक्षम मानव संसाधनों को एक मंच पर लाकर चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। इसके लिए इसने अद्यतन निर्माण उपकरणों का इस्तेमाल किया। उसके बाद से कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आने वाले सालों में भारत में लगभग सभी इस्पात संयंत्रों का निर्माण एचएससीएल द्वारा किया गया। जैसे–जैसे कंपनी संसाधनों और विशेषज्ञता में आगे बढ़ती गई, इसने पावर प्लांट, खनन प्रोजेक्ट, सिंचाई परियोजनाएं जिनमें बांध और बैराज शामिल हैं, आयल रिफाइनरी, रेलवे, हवाई अड्डे, भवन और कमर्शियल कम्पलेक्स, ग्रामीण सड़क, राजमार्ग, फ्लाईओवर, रेलवे और सड़क यातायात के लिए छोटे और बड़े पुल, शैक्षिक संस्थानों के लिए बुनियादी संरचना, स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल आदि क्षेत्रों में अपना विस्तार किया। कंपनी ने विभिन्न ग्राहकों के लिए कई सारी जटिल और बड़ी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। आज की तारीख में एचएससीएल एक आईएसओ 9001–2000 कंपनी है और इसकी क्षमताओं के दायरे में सभी तरह के कंस्ट्रक्शन क्रियाकलाप आते हैं।

वर्ष 1965–66 में महज 5 करोड़ रुपये की मामूली रकम से शुरू हुई इस कंपनी ने 538.48 करोड़ रुपये (दिसंबर 2009 तक) का कारोबार हासिल किया। कंपनी की आर्डर बुक हर साल बढ़ती जा रही है। वर्ष 2009 के आखिर में आर्डर बुक 691 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। पिछले चार सालों में कंपनी के कारोबार और आर्डर बुकिंग में वार्षिक वृद्धि क्रमशः 25 और 26 प्रतिशत हुई, जो 2008–09 के दौरान उद्योग के प्रस्तावित 2.4 प्रतिशत की वृद्धि दर से काफी अधिक है। कंपनी ने अपनी शुरुआत से लेकर दिसंबर 2009 तक 9335 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के आर्डर संपन्न किए हैं। वित्त वर्ष 2009–10 (दिसंबर 2009 तक) कंपनी के वित्तीय परिणामों में सुधार के साथ 31.84 करोड़ रुपये का प्रचालनगत लाभ हासिल हुआ है।

सार्वजनिक क्षेत्र में रहते हुए एचएससीएल पारदर्शी कारपोरेट गवर्नेंस के फ्रेमवर्क पर खरा उतरती है और सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत देश के सुदूर ग्रामीण इलाकों के विकास में हिस्सेदारी लेना अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी समझती है।

पूंजी संरचना

कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः 150 करोड़ और 117.10 करोड़ रुपये हैं।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

वर्ष	2008–09	2009–10# (अप्रैल–दिसंबर)
कारोबार	721.26	538.48
प्रचालनगत लाभ (पीबीआईडीटी)	64.63	31.84
शुद्ध हानि	6.88*	42.48**

* *वर्ष के दौरान प्रभारित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति खर्च पर 2.96 करोड़ रुपये की शुद्ध हानि और भारत सरकार के ऋण पर लगा 63.54 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है।*

** *भारत सरकार के ऋण पर लगे 72.43 करोड़ रुपये के ब्याज सहित शुद्ध हानि।*

\# *अनंतिम*

आर्डर बुकिंग

2009–10 (दिसंबर 2009 तक) के दौरान आर्डर बुकिंग की स्थिति इस प्रकार रही:

स्टील यूनिट्स	=	217 करोड़ रुपये (25 प्रतिशत)
इन्फ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स	=	654 करोड़ रुपये (75 प्रतिशत)
कुल	**=**	**871 करोड़ रुपये**

एचएससीएल ने दिसंबर 2009 तक 691 करोड़ रुपये के आर्डर सुनिश्चित किए। इसका ब्यौरा है:

स्टील यूनिट्स	=	76 करोड़ रुपये (11 प्रतिशत)
इन्फ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स	=	615 करोड़ रुपये (89 प्रतिशत)
कुल	**=**	**691 करोड़ रुपये**

मानवशक्ति की स्थिति

1 अप्रैल 2009 को मानवशक्ति की स्थिति	=	1248
1 जनवरी 2010 को मानवशक्ति की स्थिति	=	1089

स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वीआरएस) से पृथक्करण

वर्ष 2009–10 के दौरान वीआरएस लेकर अलग होने वाले कर्मचारी	=	–
1999 में पुनर्गठन के बाद वीआरएस लेकर अलग होने वाले कर्मचारी	=	11485

मेकॉन लिमिटेड

पूर्ण की गई परियोजनाएं

- स्टील डेवलपमेंट फंड (एसडीएफ), इस्पात मंत्रालय की मदद से कंटीन्युअस एनओएक्स मॉनिटरिंग प्रणाली का विकास
- एसडीएफ, इस्पात मंत्रालय की मदद से कन्वर्टर एवं कास्टर के लिए स्लैग डिटेक्शन प्रणाली का विकास एवं कार्यान्वयन

आपूर्ति

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की यूनिट डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसिस (डीआईपीएएस) से एमबीटी अर्जुन एवं अन्य बख्तर बंद गाड़ियों के लिए मिले आर्डर के तहत दो ''सॉलिड स्टेट माइक्रोक्लाइमेट कंडीशनिंग यूनिट (एसएसएमसीयू)'' की आपूर्ति के लिए सफल कार्यान्वयन एवं धन की प्राप्ति की।

जारी परियोजनाएं

इस्पात मंत्रालय द्वारा ''औद्योगिक उपयोग के लिए थर्मोइलेक्ट्रिकली कूल्ड/हीटेड हेल्मेट का विकास'' हेतु परियोजना मंजूर और धन की प्राप्ति अभी होनी है। एसडीएफ, इस्पात मंत्रालय द्वारा पहली किश्त मिलने के बाद परियोजना शुरू होगी।

विचाराधीन नया अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव

- सितंबर 2009 में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, त्रिवेंद्रम (अंतरिक्ष विभाग) हेतु ''फ्लाइट स्विट के लिए पोर्टेबल माइक्रोक्लइमेट थर्मोइलेक्ट्रिकल कूलिंग सिस्टम'' पर नई अनु. एवं वि. परियोजना प्रस्तुत।
- सितंबर 2009 में ''एसडीएफ, इस्पात मंत्रालय के लिए कंटीन्युअस मल्टी–गैस मॉनिटर का विकास'' पर नई अनु. एवं वि. परियोजना प्रस्तुत।
- ''इंफ्रारेड कैमरा आधारित लेडल कंडीशनिंग मॉनिटरिंग प्रणाली'' पर नई अनु. एवं वि. परियोजना फंडिंग प्राधिकरण को शीघ्र ही प्रस्तुत की जाएगी।

अन्य अनुसंधान एवं विकास प्रयास

अंतरराष्ट्रीय मान्यता

- **मेकॉन** ने इंफ्रामेशन 2009, लास वेगास, नेवेदा, यूएसएस में ''लांग वेव इंफ्रारेड केमरा के इस्तेमाल से बीओएफ स्लैग डिटेक्शन'' पर तकनीकी प्रस्तुति के लिए तकनीकी उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया।
- **प्रक्रियाधीन पेटेंट**
  - ''बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बीओएफ) कनवर्टर के लिए इन्फ्रारेड इमेजरी पर आधारित डिटेक्शन प्रणाली'' नामक पेटेंट 13 अक्टूबर, 2009 को दायर किया गया।
  - ''कंटीन्यूअस एनओएक्स मॉनिटरिंग प्रणाली'' नामक पेटेंट 13 अक्तूबर 2009 को दायर किया गया।
- **प्रकाशन**
  - इंटरनेशनल जरनल : एक
  - इंटरनेशनल कान्फ्रेंस : एक
- **प्रशिक्षण**
  - ''आटोकैड'' पर दो अनु. एवं वि. इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया गया
  - ''लैब व्यू'' पर चार अनु. एवं वि. इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया गया
  - ''कौशल सुधार'' पर एक अनु. एवं वि. इंजीनियर को प्रशिक्षित किया गया
- **अनु. एवं विकास में सात पूर्णकालीन वैज्ञानिक/इंजीनियर कार्यरत हैं।**

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

कंपनी के स्पंज आयरन प्लांट की स्थापना आरंभ में प्रदर्शनी इकाई के तौर की गई थी, जिसकी क्षमता 30,000 टन प्रतिवर्ष थी। लंप आयरन ओर और 100 प्रतिशत नॉन–कोकिंग कोल से स्पंज आयरन (इंडक्शन और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस द्वारा उपयोग होने वाले फेरस स्क्रैप का हिस्सा या विकल्प) उत्पादित करने में यूएनडीपी/यूएनआईडीओ ने तकनीकी सहायता दी थी। यह इकाई सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के नॉन–कोकिंग कोल और आंध्र प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध कच्चे लोहे पर आधारित है। इसमें नवंबर 1980 से नियमित कामकाज शुरू हुआ। रोटरी किल्न प्रोसेस के मामले में स्पंज आयरन प्लांट में कई तरह के संशोधन हुए ताकि यह स्थानीय कच्चे मालों और संचालन स्थिति के अनुरूप हो सके। नतीजे के रूप में इसने न सिर्फ एसआईआईएल टेक्नोलॉजी विकसित करने में मदद की बल्कि देश में स्पंज आयरन उद्योग के विकास के लिए भी रास्ता साफ हुआ। कंपनी ने अक्टूबर 1985 में अपनी 30,000 टन प्रति वर्ष की क्षमता को दोगुना कर 60,000 टन प्रतिवर्ष कर लिया।

पूंजी संरचना

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 31.12.2009 को 66 करोड़ रुपये थी। इसी तरह कंपनी की चुकता पूंजी 65.10 करोड़ रुपये थी। (भारत सरकार के पास 64.27 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश सरकार के पास 0.83 करोड़ रुपये)।

कार्य–निष्पादन

वर्ष 2009–10 (31.12.2009 तक) के अनंतिम आंकड़ों के साथ पिछले दो साल में उत्पादन और वित्तीय प्रदर्शन नीचे दिए गए हैं:

	2007–08	2008–09	2009–10 दिसंबर 09 तक (अनंतिम)
उत्पादन			
– स्पंज आयरन (टन)	43,331	30,489	24,076
– विद्युत उत्पादन (केडब्ल्यूएच)	34	34	32
– क्षमता उपयोग (प्रतिशत)	72	72	40
बिक्री			
– स्पंज आयरन (टन)	44,447	25,203	28,671
– बिक्री कारोबार (निवल) (लाख रुपये में)	5,573	4,080	3,192
– आंतरिक संसाधनों का सृजन (लाख रुपये में)	495	6	(–) 927
– निवल लाभ (लाख रुपये में) (पीबीटी)	647	–129	(–) 1,035

केआईओसीएल लिमिटेड

शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुख केआईओसीएल लिमिटेड (पहले कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड) आईएसओ 9001–2008, आईएसओ 14001–2004 और आईएसआई–18001–2002 वाली कंपनी है। इसकी स्थापना ईरान की दीर्घकालीन जरूरतों की पूर्ति के लिए 1976 के अप्रैल में की गई थी। कुद्रेमुख में 7.5 मिलियन टन क्षमता वाले आयरन ओर कंसेंन्ट्रेट प्लांट की स्थापना की गई। इस प्रोजेक्ट का वित्त पोषण पूरी तरह से ईरान द्वारा किया जाना था। लेकिन 255 मिलियन अमेरिकी डालर अदा करने के बाद ईरान द्वारा आगे लोन भुगतान रोकने के बाद भारत सरकार के पैसे से समय पर प्रोजेक्ट पूरा हुआ।

यद्यपि यह प्रोजेक्ट समय पर शुरू हो गया लेकिन ईरान में राजनीतिक बदलाव की वजह से वह कोई कंसेंन्ट्रेट नहीं ले सका। डाइवर्सिफिकेशन उपाय के तौर पर सरकार ने मई 1981 में मंगलोर में 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता के पेलेट प्लांट के निर्माण को मंजूरी दे दी। पेलेट प्लांट की क्षमता को बढ़ाकर 3.5 मिलियन कर दिया गया। 1987 में प्लांट से वाणिज्यिक उत्पादन होने लगा और अब चीन को आयरन ओर पेलेट के निर्यात के साथ–साथ और इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एसएएल स्टील लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जैसी घरेलू इकाइयों को आपूर्ति करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के उपरांत, 31 दिसंबर 2005 से प्रभावी कुद्रेमुख में खनन बंद होने के बाद पेलेट प्लांट का संचालन एनएमडीसी से खरीदे गए हेमाटाइट आयरन से होता है।

उत्पादन

वर्ष 2009–10 में उत्पादन के लिए तय लक्ष्य 2.65 मिलियन टन पेलेट था। दिसंबर 2009 तक के लिए तय उत्पादन लक्ष्य 1.910 मिलियन टन था। दिसंबर 2009 तक वास्तविक उत्पादन 0.573 मिलियन टन हुआ जो लक्ष्य का 30 प्रतिशत है। वर्ष 2009–10 के दौरान दिसंबर 2009 तक पेलेट्स के उत्पादन में कमी आई। यह कमी 2009–10 की पहली तिमाही के दौरान और 17.07.2009 तक, 19.08.2009 से 19.10.2009 तक और 02.12.2009 से आगे पेलेट प्लांट बंद रहने की वजह से हुई। पेलट्स की बाजार मांग कम है और दिसंबर 2009 के बाद कीमतों में तेजी आ रही है।

ऑक्जिलियरी समेत पिग आयरन के उत्पादन का लक्ष्य 1,70,000 टन था। दिसंबर 2009 तक उत्पादन का तय लक्ष्य 1,26,000 टन था। दिसंबर 2009 तक वास्तविक उत्पादन 62,041 टन हुआ जो लक्ष्य का 49 प्रतिशत है। वर्ष 2009–10 के दौरान दिसंबर 2009 तक पिग आयरन का उत्पादन कम हुआ। यह कमी मंदीग्रस्त बाजार परिस्थिति की वजह से 05.08.2009 से संयंत्र के बंद रहने के कारण हुई।

प्रेषण

वर्ष 2009–10 के लिए बजटीय बिक्री 1,948.10 करोड़ रुपये है। दिसंबर 2009 तक बिक्री का लक्ष्य 1,412.25 करोड़ रुपये था। दिसंबर 2009 तक वास्तविक बिक्री 502.61 करोड़ रुपये हुई जो लक्ष्य का 36 प्रतिशत है। दिसंबर 2009 तक वित्तीय कार्यनिष्पादन में कमी पेलेट्स के कम प्रेषण और पिग आयरन की कम कीमत वसूली की वजह से हुआ।

पिछले पांच साल और वर्ष 2009–10 के दौरान दिसंबर 2009 तक बिक्री राजस्व इस तरह रहा:

(लाख रुपये में)

वर्ष	कंसेन्ट्रेट	पेलेट्स	*ब्लास्ट फर्नेस यूनिट	कुल
2009–10 (दिसंबर 2009 तक)	–	37681	12581	50261
2008–09	–	99410	23488	122898
2007–08	–	117385	35626	153011
2006–07	–	26744	.	26744
2005–06	12091	111137	.	123228
2004–05	16050	169327	.	185377

* *पूर्व कुद्रेमुख आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड का कंपनी के साथ 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी रूप से विलय कर दिया गया है, इसलिए 2007–08 से आगे की सूचना दी गई है।*

वित्तीय कार्यनिष्पादन

वर्ष 2009–10 के दौरान दिसंबर 2009 तक केआईओसीएल के प्रदर्शन का सिंहावलोकन के साथ पिछले तीन सालों के वास्तविक प्रदर्शन नीचे हैं :

(लाख रुपये में)

विवरण	2009–10 (दिसंबर 2009 तक)	2008–09	2007–08	2006–07
बिक्री का कुल मूल्य	50261	122898	153011	26744
कुल मार्जिन	(12857)	6767	21174	5181
कर पश्चात् लाभ	(18487)	2201	10816	1377

पूर्व कुद्रेमुख आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड को कंपनी के साथ 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी रूप से विलय कर दिया गया है, इसलिए 2007–08 से आगे के लिए ब्लास्ट फर्नेस के वित्तीय प्रदर्शन सहित वित्तीय सूचना ऊपर दी गई है।

बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

वर्ष 1980 में बर्ड एंड कंपनी उपक्रम के राष्ट्रीयकरण के आधार पर भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में ये सात कंपनियां आती हैं:

- उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी)
- बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी)
- करणपुरा डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (केडीसीएल)
- स्कॉट एंड सैक्सबी लिमिटेड (एसएसएल)
- इस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ईआईएल)

- बुराकर कोल कंपनी लिमिटेड (बुराकर)
- बोरिया कोल कंपनी लिमिटेड (बोरिया)

एक ऐसे समय में जब बर्ड ग्रुप की कंपनियां इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आईं, तब ये सभी कंपनियां वित्तीय दृष्टि से बीमार थीं और विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त थीं। भारत सरकार की वित्तीय मदद से इनकी देनदारियों का काफी हद तक समाधान हो सका।

कंपनियों की स्थिति नीचे दी गई है:

- बुराकर और बोरिया कोल कंपनीज कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के बाद बंद हो गईं। दो कंपनियां खत्म की जा रही हैं और आधिकारिक लिक्वीडेटर ने उनकी परिसम्पत्ति और देनदारियां अपने हस्तगत कर ली हैं।
- केबिनेट ने 10.09.2009 को आयोजित अपनी एक बैठक में बर्ड ग्रुप की कंपनियों (बीजीसी) के पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूर किया है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत बीजीसी के अधीन कंपनियों यथा ईआईएल, ओएमडीसी और वीएसएलसी को सरकारी कंपनियों/सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में तब्दील किया जाना है और इनका प्रबंधन एक सहायक कंपनी सह होल्डिंग स्ट्रक्चर के रूप में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) को सौंपना है ताकि इन कंपनियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ एवं सक्षम बनाया जा सके। वाणिज्यिक दृष्टि से अक्षम कंपनियां यथा केडीसीएल और एसएसएल को समाप्त करने का प्रस्ताव है और यहां के कर्मचारियों को ग्रुप के अधीन अन्य सहायक कंपनियों में समायोजित किया जाएगा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) का प्रस्ताव दिया जाएगा।

निजी प्रचालनरत कंपनियों का कार्य–निष्पादन

उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी)

खानों का स्थान, क्रियाकलाप और पूंजी संरचना

कंपनी की खदानें बारबिल, उड़ीसा के क्योंझर जिले में अवस्थित है। यहां आयरन ओर और मैंगनीज ओर का खनन और विपणन होता है। कंपनी की अधिकृत और चुकता पूंजी 60 लाख रुपये है।

कार्य–निष्पादन

कंपनी का प्रदर्शन इस तरह है:

	2007–08	2008–09	2009–10* (अप्रैल–दिसंबर 2009)
उत्पादन ('000 मीट्रिक टन)	1821	1695	575
बिक्री (करोड़ रुपये में)	246.31	271.81	64.29
सरकारी ऋण पर ब्याज और मूल्यह्रास के पूर्व कुल मार्जिन (करोड़ रुपये में)	227.87	289.29	91.83
शुद्ध लाभ/हानि (करोड़ रुपये में)	148.83	181.81	59.22

*अंनतिम

बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी)

खानों का स्थान, क्रियाकलाप और पूंजी संरचना

कंपनी की खदानें उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के बीरमित्रपुर के पास हैं। कंपनी के मुख्य क्रियाकलाप लाइमस्टोन और डोलोमाइट का खनन और विपणन हैं। कंपनी की अधिकृत और चुकता पूंजी 50 लाख रुपये है।

कार्य–निष्पादन

कंपनी का प्रदर्शन इस तरह है:

	2007–08	2008–09	2009–10* (अप्रैल–दिसंबर 2009)
उत्पादन ('000 मीट्रिक टन)	1,113	1,070	873
बिक्री (करोड़ रुपये में)	46.31	48.94	40.83
सरकारी ऋण पर ब्याज और मूल्यह्रास के पूर्व कुल मार्जिन (करोड़ रुपये में)	1.19	5.43	3.04
शुद्ध लाभ/हानि (करोड़ रुपये में)	–81.61	–91.38	2.41

* *अनंतिम*

करणपुरा डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (केडीसीएल)

खानों का स्थान, क्रियाकलाप और पूंजी संरचना

कंपनी की खदान झारखंड के सिरका के आसपास और बिहार में है। कंपनी सीमेंट उत्पादन के लिए उपयुक्त लाइमस्टोन का उत्पादन करती है। कंपनी की अधिकृत और चुकता पूंजी क्रमशः 40 लाख और 20 लाख रुपये हैं।

कार्य–निष्पादन

कंपनी का प्रदर्शन इस तरह है:

	2007–08	2008–09	2009–10* (अप्रैल–दिसंबर 2009)
उत्पादन ('000 मीट्रिक टन)	51	36	29
बिक्री (करोड़ रुपये में)	1.52	1.01	0.84
सरकारी ऋण पर ब्याज और मूल्यह्रास के पूर्व कुल मार्जिन (करोड़ रुपये में)	–0.13	0.38	–0.22
शुद्ध लाभ/हानि (करोड़ रुपये में)	–2.21	–2.56	–0.22

* अनंतिम

अध्याय–V

निजी क्षेत्र

इस्पात उद्योग का निजी क्षेत्र देश में इस्पात उद्योग के विकास और उत्पादन में महत्वपूर्ण और असरदार भूमिका निभा रहा है। निजी क्षेत्र के दायरे में बड़ी इस्पात कंपनियां और स्पंज आयरन संयंत्रों, छोटी धमन भट्टी इकाइयों, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस, रि–रॉलिंग मिलों, कोल्ड–रॉलिंग मिलों और कोटिंग इकाइयों जैसी छोटी और मंझोली कंपनियां दोनों आती हैं। ये कंपनियां न सिर्फ प्राथमिक और द्वितीयक इस्पात क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, बल्कि गुणवत्ता, अभिनव प्रयोग और किफायतीपन के मामले में भी व्यापक मूल्यवर्धन योगदान दे रही हैं। संबधित कंपनियों द्वारा प्रस्तुत इनपुट के आधार पर, कुछ प्रमुख इस्पात कंपनियों की गतिविधियों की संक्षिप्त रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की जा रही है।

टाटा स्टील लिमिटेड

झारखंड के जमशेदपुर में स्थित टाटा स्टील का एक एकीकृत इस्पात संयंत्र है जिसकी कच्चा इस्पात उत्पादित करने की सालाना क्षमता 6.8 मिलियन टन है।

अप्रैल–दिसंबर 2009–10 की अवधि में टाटा स्टील ने 4.86 मिलियन टन कच्चा इस्पात उत्पादित किया जो पिछले साल के 4.105 मिलियन टन उत्पादन के मुकाबले 18.6 प्रतिशत ज्यादा है। अप्रैल–दिसंबर 2009–10 की अवधि में कंपनी का विक्रेय इस्पात उत्पादन (3.717 मिलियन टन) उच्च स्तर पर था जबकि पिछले साल यह (3.310 मिलियन टन) था।

जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील का एक विहंगम दृश्य।

ब्राउनफील्ड विस्तार परियोजना के तहत टाटा स्टील ने मई 2008 में एच ब्लास्ट फर्नेस शुरू की, वहीं स्टील मेल्टिंग शॉप 1 में अक्तूबर 2008 में कास्टर 3 और 6.8 मिलियन टन उत्पादन क्षमता हासिल करने के लिए 1.8 मिलियन टन विकास योजना के अंतर्गत हॉट स्ट्रिप मिल में तकनीकी सुधार जैसी योजनाओं को अंजाम दिया। टाटा स्टील तप्त धातु और इस्पात उत्पादन क्षमता को 3 मिलियन टन से बढ़ाकर 10 मिलियन टन करने के प्रयास में लगी है।

- 31 मार्च, 2009 तक कच्चा इस्पात उत्पादित करने की क्षमता : 6.8 मिलियन टन (जमशेदपुर वर्क्स)
- टाटा स्टील ने अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए व्यापक विस्तारीकरण परियोजनाओं के अंतर्गत सराय कला (झारखंड), कलिंगनगर (उड़ीसा) और बस्तर (छत्तीसगढ़) में विभिन्न ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की परिकल्पना की है।

जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

जेएसडब्ल्यू स्टील, विजयनगर वर्क्स

जेएसडब्ल्यू स्टील 6.9 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) की क्षमता वाला समेकित इस्पात संयंत्र है और मुख्यतः लौह अयस्क शोधन–पेलेटाइजेशन– सिंटरिंग– कोक मेकिंग–ब्लास्ट फर्नेस के जरिए लौह निर्माण और निम्नांकित प्रक्रिया रूटः बीओएफ–स्लैब की अनवरत कास्टिंग–हॉट स्ट्रिप रॉलिंग–कोल्ड रॉलिंग मिल–के जरिए कोरेक्स प्रक्रिया पर अमल करता है।

जेएसडब्ल्यू स्टील को आईएसओ–9001:2000 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, आईएसओ–14001:2004 एनवायर्नमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और ओएचएसएएस 18001:1999 आक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जैसे प्रमाणन पत्रों से लैस होने का श्रेय जाता है। विजयनगर संयंत्र की ब्राउनफील्ड विस्तार योजना प्रगति पर है और इसके 2010 में पूरा होने की संभावना है। इसकी कुल क्षमता 9.6 एमटीपीए हो जाएगी।

जेएसडब्ल्यू स्टील, तारापुर और वासिंद वर्क्स

जेएसडब्ल्यू स्टील तारापुर और वासिंद वर्क्स डाउन–स्ट्रीमिंग सुविधाओं से लैस हैं जिनमें शामिल हैं: 1.0 एमटीपीए कोल्ड रॉलिंग, 0.9 एमटीपीए हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग (एचडीजी), 0.1 एमटीपीए कलर कोटिंग, 0.1 एमटीपीए सीआरसीए प्रोडक्ट और 0.3 एमटीपीए हॉट रॉल्ड प्लेट क्षमता। कंपनी को आईएसओ–9001:2000 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से लैस होने का श्रेय जाता है।

उड़ीसा में जेएसपीएल का बारविल स्थित 5 मिलियन टन वार्षिक क्षमता (फेज़ I) का पेलेट प्लांट परिसर।

जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड

जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड देश की प्रमुख इस्पात इकाइयों में से एक है। जेएसपीएल के रायगढ़ इस्पात संयंत्र की वर्तमान क्षमता 1.37 एमटीपीए स्पंज आयरन प्लांट, 2.40 एमटीपीए स्टील मेल्टिंग शॉप (एसएमएस), 1.0 एमटीपीए प्लांट मिल, 2.30 सिंटर प्लांट, 0.8 एमटीपीए कोक ओवन और 330 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट की है।

रायगढ़ में क्षमता विस्तार योजना

2011 तक चरणबद्ध तरीके से मौजूदा इस्पात क्षमता को 2.4 मिलियन टन से बढ़ाकर 6.0 मिलियन टन करने की योजना के अंतर्गत निम्न बिंदुओं पर जोर दिया जाएगाः

- कोयला गैसीकरण के जरिए 2.0 एमटी गैस आधारित डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) गैस उत्पादन
- 4000 घन मीटर की धमन भट्टी
- इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट एवं थिन स्लैब कास्टर से युक्त 3 एमटी स्टील मेल्टिंग शॉप
- हॉट स्ट्रिप मिल (काम्पैक्ट स्ट्रिप प्रोडक्ट तकनीकी)
- धमन भट्टी स्लैग की खपत के लिए सीमेंट संयंत्र
- 4x135 मेगावाट विद्युत संयंत्र की स्थापना से विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 840 मेगावाट करना

जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने अपने रायगढ़ संयंत्र की क्षमता बढ़ाकर 6.0 एमटीपीए करने की योजना बनाई है। इसने झारखंड और उड़ीसा में दो ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की स्थापना की योजना बनाई है। इनमें से प्रत्येक की क्षमता प्रथम चरण में 6.0 एमटीपीए होगी।

जेएसपीएल विस्तारीकरण की ओर

जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड, उड़ीसा में विभिन्न लौह अयस्क खानों में बड़ी मात्रा में विद्यमान लौह अयस्क चूर्ण पर आधारित बारविल, उड़ीसा में 10 मिलियन टन वार्षिक क्षमता का पैलेट प्लांट स्थापित करने जा रहा है। 5 मिलियन टन वार्षिक क्षमता के पहले मॉड्यूल का जनवरी 2010 से ट्रायल चल रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य डाइरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन उत्पादन में इस्तेमाल के लिए अप्रयुक्त चूर्ण को पैलेट में बदल कर देश के बहुमूल्य लौह अयस्क भंडार का संरक्षण करना है।

पैलेट प्लांट की ऊर्जा जरूरत को कोयले से निकली प्रोड्यूसर गैस से पूरा किया जायेगा। ताकि उत्पादन लागत नियंत्रित रह सके एवं यह पेट्रोलियम आधारित कीमतों में उतार–चढ़ाव के असर से मुक्त रहे।

कंपनी ने पतरातु, झारखंड में 0.6 मिलियन टन वार्षिक क्षमता के वॉयर रॉड मिल का भी हॉट ट्रायल शुरू कर दिया है, जहां पर 1 मिलियन टन वार्षिक क्षमता के वायर मिल का कार्य तेजी से चल रहा है ताकि इस कारखाने को अक्टूबर 2010 तक चालू किया जा सके। कंपनी पतरातु में 6 मिलियन टन वार्षिक क्षमता का इस्पात कारखाना भी लगाने जा रही है।

एस्सार स्टील लिमिटेड (ईएसएल)

एस्सार स्टील होल्डिंग लिमिटेड की भारतीय कंपनी एस्सार स्टील लिमिटेड पश्चिम भारत की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी है जिसकी गुजरात के हजीरा में मौजूदा क्षमता 4.6 एमटीपीए है और इस क्षमता को 8.5 एमटीपीए करने की योजना है। कंपनी की भारत स्थित गतिविधियों में छत्तीसगढ़ के बैलाडिला में 8 एमटीपीए का धातु शोधन संयंत्र, जो शोधित लौह गारे को पेलेट संयंत्र तक पहुंचाने के लिए 267 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे बड़ी गारा वाहक पाइपलाइन से लैस है और विशाखापटनम में 8 एमटीपीए क्षमता वाला पेलेट संयंत्र शामिल है। गुजरात के हजीरा में स्थित एस्सार स्टील परिसर दुनिया के सबसे बड़े गैस–आधारित एकल स्थल स्पंज आयरन संयंत्र से लैस है जिसकी क्षमता 4.6 एमटीपीए है। इस परिसर में इस्पात संयंत्र और 1.4 एमटीपीए का कोल्ड रॉलिंग परिसर भी है। यह इस्पात परिसर संपूर्ण ढांचागत सुविधाओं, जिनमें एक कैप्टिव प्लांट, लाइम प्लांट और आक्सीजन प्लांट भी है, से लैस है। एस्सार स्टील अमेरिका की मिड्रेक्स टेक्नोलॉजी द्वारा मुहैया हॉट ब्रिकेटेड आयरन–डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (एचबीआई–डीआरआई) का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा यह फ्रांस की कंपनी क्लेसिम से आयातित 150 टन की क्षमता वाले चार डीसी इलेक्ट्रिक आर्क का भी इस्तेमाल करती है। कंपनी की हजीरा इकाई 5.5 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) हॉट ब्रिकेटेड आयरन प्लांट, 4.6 एमटीपीए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, 4.6 एमटीपीए कंटीन्यूअस कास्टर, 3.6 एमटीपीए हॉट स्ट्रिप मिल और 1.4 एमटीपीए कोल्ड रॉलिंग मिल से लैस है। वर्ष 2007–08 के दौरान कंपनी को कॉस्ट्स आईएसओ/टीएस 16949 और ओएचएसएएस 18000 प्रमाणन से पुरस्कृत किया गया।

इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड

इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आईआईएल) ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के डोल्वी में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एकीकृत इस्पात संयंत्रों में से एक की स्थापना की है जिसकी क्षमता प्रति वर्ष 3 मिलियन टन हॉट रॉल्ड क्वायल (एचआरसी) की है। डोल्वी परिसर एक अत्याधुनिक धमन भट्टी(समूह की एक कंपनी इस्पात मेटलिक्स इंडिया लिमिटेड) से लैस है जिसकी क्षमता सालाना 2 मिलियन टन हॉट मेटल/पिग आयरन उत्पादन है। इसके अलावा यह परिसर 2 मिलियन टन की क्षमता वाले सिंटर प्लांट (हाल ही में शुरू) और 1.6 एमटीपीए की क्षमता वाला एक डीआरआई प्लांट से लैस है।

यह एकीकृत संयंत्र इस्पात उत्पादन के लिए कनर्वटर कम इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस रूट(कोनार्क प्रक्रिया) का इस्तेमाल करता है। इस परियोजना में आईआईएल ने भारत में पहली बार तरल इस्पात के उत्पादन के लिए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में हॉट मेटल और डीआरआई(स्पंज आयरन) के अनूठे मिश्रण का इस्तेमाल किया है। तरल इस्पात की कास्टिंग और रॉलिंग के लिए आईआईएल अत्याधुनिक तकनीकी से लैस है जिसे काम्पैक्ट स्ट्रिप प्रोडक्शन (सीएसपी) कहा जाता है। इसे भारत में पहली बार इस्तेमाल में लाया गया है और यह उच्च क्वालिटी और खासकर हॉट रोल्ड कॉयल के बहुत पतले गेज का उत्पादन करती है।

मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड (एमआईईएल)

मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड (एमआईईएल) भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्पंज आयरन उत्पादक कंपनी है जिसका सालाना उत्पादन 1 मिलियन टन है। मोनेट रायपुर और रायगढ़ स्थित अपने समेकित सयंत्रों से हर साल 1.6 मिलियन टन स्पंज आयरन, फेरो एलॉय, माइल्ड स्टील बिलेट और रॉल्ड उत्पादों का उत्पादन और मार्केटिंग करती है। पूरे देश में इसके प्रतिबद्ध ग्राहकों और वितरण

मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड के स्टील प्लांट का एक दृश्य।

का व्यापक नेटवर्क है। कंपनी ने अपने संचालन कार्य को समेकित करने और प्लेट, टीएमटी सरिया, वायर रॉड एवं फार्जिंग क्वालिटी स्पेशल स्टील आदि जैसे मूल्यवर्धित क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए अपनी इस्पात क्षमताओं का विस्तार करने का निर्णय किया है। कंपनी फिलहाल छत्तीसगढ़ के रायपुर और रायगढ़ में आईएसओ 9001–2000 प्रमाणीकृत संयंत्र संचालित कर रही है, जहां परिष्कृत इस्पात और स्पंज आयरन का उत्पादन होता है। कंपनी रायगढ़ में क्षमता निर्धारण की प्रक्रिया से गुजर रही है। यहां धमन भट्टी, ईएफ, टीएमटी/रिबार मिल और प्लेट मिल की स्थापना पर खास जोर है। 2010–2011 में समूह की इस्पात उत्पादन क्षमता 3.0 एमटीपीए हो जाएगी। ग्रीनफील्ड इकाइयां उड़ीसा के अंगुल और बोकारो, झारखंड के हजारीबाग में स्थापित हो रही हैं जिससे कंपनी की क्षमता 2012 तक 5 एमटीपीए हो जाएगी।

भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड

भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल), जो पहले भूषण लिमिटेड (बीएल) कहा जाता था, 36 साल पुरानी निर्माण एवं प्रोसेसिंग कंपनी है। वर्तमान में कंपनी के पांच संयंत्र चंडीगढ़ और डेराबासी एवं एक संयंत्र कोलकाता में है और यह चरणबद्ध तरीके से उड़ीसा के संबलपुर में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र परियोजना पर अमल करने में लगी है जिससे अंततः संयंत्र की क्षमता 2.8 एमटीपीए हो जाएगी।

उड़ीसा संयंत्र में कंपनी की क्षमता 1 एमटीपीए सिंटर प्लांट, 0.7 एमटीपीए पिग आयरन, 0.68 एमटीपीए स्पंज आयरन, 0.45 एमटीपीए कोक ओवन और 0.3 एमटीपीए बिलेट कास्टर प्लांट की है।

कंपनी 500 टन प्रतिदिन की 4 अतिरिक्त भट्ठी बढ़ा रही है और जून 2009 तक एच.आर. क्वायल का उत्पादन बढ़ाएगी। इसके अलावा इस्पात उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 2.8 मिलियन टन किए जाने की योजना पर अमल हो रहा है।

भूषण स्टील लिमिटेड

भूषण स्टील लिमिटेड (पहले भूषण स्टील एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड) ''भूषण स्टील'' या ''बीएसएल'' की स्थापना 1989 में हुई और यह इस्पात उत्पादन, स्टील प्रोसेसिंग और मिश्रित गतिविधियों में सक्रिय है। यह भारत में कोल्ड रॉल्ड (सीआर) उत्पादों के उत्पादन और सीआर क्षेत्र की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी होने के नाते द्वितीयक इस्पात क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है।

भूषण स्टील लिमिटेड का सीएसपी (एचआर कॉयल) मिल स्टैंड।

वर्तमान में कंपनी 3 एमटीपीए की क्षमता वाली एकीकृत इस्पात संयंत्र परियोजना को अमलीजामा पहनाने में लगी है। इसमें से 1.90 एमटीपीए हॉट रोल्ड (एचआर) क्वायल्स का उत्पादन सितंबर 2009 की तिमाही से शुरू होगा। कंपनी उड़ीसा परियोजना की क्षमता को 1.90 एमटीपीए एचआर क्वॉयल्स से बढ़ाकर 3.60 एमटीपीए और कुल इस्पात उत्पादन को 3.0 एमटीपीए से बढ़ाकर 6.0 एमटीपीए करने में लगी है।

मौजूदा संयंत्र में बुनियादी सुविधाओं और संसाधनों के उपयुक्त इस्तेमाल एवं एचआर मिल, जिसकी क्षमता 3.60 एमटीपीए तक एचआर क्वायल उत्पादित करने की है, की पूर्ण क्षमता के दोहन के लिए परियोजना पर अमल किया जा रहा है।

इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस उद्योग

वर्तमान में, देश में 39 इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस आधारित इस्पात संयंत्र हैं जिनकी कुल क्षमता 17.99 मिलियन टन प्रति वर्ष है। सक्रिय इकाइयों के अलावा 1 बंद इकाई भी हैं। ईएएफ इकाइयों, जो अपने उत्पादन की जानकारी संयुक्त संयंत्र समिति को देती रही हैं, द्वारा इनगोट/कॉनकास्ट बिलेट का उत्पादन वर्ष 2008–09 के दौरान 14.15 मिलियन टन रहा जो वर्ष 2007–08 में 10.80 मिलियन टन था– इसमें 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह क्षेत्र इनपुट लागत में वृद्धि, बिजली शुल्क में इजाफे और बिजली एवं संसाधन की कमी जैसी समस्याओं से जूझता रहा है।

इंडक्शन फर्नेस उद्योग (स्रोतः जेपीसी)

वर्ष 2008–09 के दौरान 22.18 मिलियन टन की सामूहिक उत्पादन क्षमता वाली कुल 1074 इकाइयां काम कर रही थीं। संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) को दी गई जानकारी के मुताबिक वर्ष 2008–09 के दौरान इंडक्शन फर्नेस इकाइयों की क्षमता में 6.62 प्रतिशत का इजाफा हुआ और उन्होंने इसी अवधि में 18.05 मिलियन टन का उत्पादन किया जबकि 2007–08 में यह 16.93 मिलियन टन था।

ईएएफ–आधारित इस्पात संयंत्रों का प्रदर्शन

- **स्थितिः**

(मिलियन टन में)

	संख्या	क्षमता
चालू हुई इकाइयां	39	18.041
बंद इकाइयां	1	0.05
चालू इकाइयां	38	17.991

- **उत्पादन**

संयुक्त संयंत्र समिति को दी गई जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस इकाइयों का उत्पादन निम्न हैः

(मिलियन टन में)

श्रेणी	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10* (अप्रैल–दिसम्बर 2009)
माइल्ड स्टील	4.37	4.31	5.06	6.13	9.03	7.41
मीडियम/ हाई कार्बन स्टील	1.35	1.50	1.76	2.76	2.68	2.2
एलॉय स्टील	0.95	1.53	1.80	1.02	1.05	0.86
स्टेनलेस स्टील	0.84	0.92	1.08	0.83	0.75	0.62
अन्य	0.05	0.04	0.05	0.06	0.64	0.53
कुल सूचित	7.56	8.30	9.75	10.67	14.15	11.62
कुल अनुमानित	0.28	0.13	0.13	0.13	.	.
कुल जोड़	**7.84**	**8.43**	**9.88**	**10.80**	**14.15**	**11.62**

* अनंतिम

हॉट रॉल्ड लॉंग प्रोडक्ट यूनिट (2008–09)

- **स्थितिः**

(मिलियन टन में)

	संख्या	क्षमता
चालू की गई इकाइयां	2288	35.19
बंद इकाइयां	568	4.21
चालू इकाइयां	1720	30.98

■ **उत्पादन**

संयुक्त संयंत्र समिति को दी गई जानकारी के मुताबिक हॉट रॉल्ड लॉंग प्रोडक्ट निर्माण इकाइयों का उत्पादन निम्न है:

(मिलियन टन में)

श्रेणी	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10* (अप्रैल–दिसम्बर 2009)
बार/रॉड (वर्ग सहित)	3.98	4.97	5.70	13.33	15.46	11.94
वायर रॉड	0.88	0.84	0.96	1.25	1.48	1.14
संरचनात्मक	1.21	1.62	1.85	1.32	4.64	3.59
हूप्स	0.03	0.03	0.05	0.08	0.73	0.56
स्पेशल सेक्शन	0.17	0.22	0.26	0.35	0.17	0.14
पात्रा/अन्य	0.59	1.32	1.51	0.35	0.63	0.49
कुल सूचित	6.86	9.00	10.33	17.68	20.55	15.94
कुल अनुमानित	4.68	4.04	9.50	3.96	2.56	1.92
कुल जोड़	**11.54**	**13.04**	**19.83**	**21.64**	**23.11**	**17.86**

* *अनंतिम*

स्टील वायर ड्राइंग इकाइयां

■ **स्थिति (2008–09)**

(मिलियन टन में)

	संख्या	क्षमता
कुल इकाइयां	100	1.44
बंद इकाइयां	65	0.73
चालू इकाइयां	35	0.71

■ **उत्पादन**

संयुक्त संयंत्र समिति को दी गई जानकारी के मुताबिक हॉट रॉल्ड लॉंग प्रोडक्ट निर्माण इकाइयों का उत्पादन निम्न है:

(मिलियन टन में)

श्रेणी	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10* (अप्रैल–दिसम्बर 2009)
माइल्ड स्टील	0.16	0.08	0.07	0.13	0.16	0.12
मीडियम/हाई कार्बन स्टील	0.17	0.20	0.18	0.17	0.19	0.15
एलॉय स्टील	0.08	0.04	0.04	0.04	0.07	0.05
स्टेनलेस स्टील	0.01	–	–	–	–	–
अन्य	0.04	0.17	0.14	0.12	0.17	0.14
कुल सूचित	0.39	0.49	0.43	0.46	0.47	0.37
कुल अनुमानित	0.03	0.01	0.11	0.10	0.12	0.9
कुल जोड़	**0.42**	**0.50**	**0.54**	**0.56**	**0.59**	**0.46**

* *अनंतिम*

हॉट रॉल्ड स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स/प्लेट इकाइयां

- **स्थिति (2008–09)**

(मिलियन टन में)

	संख्या	क्षमता
कुल इकाइयां	12	14.385
बंद इकाइयां	शून्य	शून्य
चालू इकाइयां	12	14.385

- **उत्पादन**

संयुक्त संयंत्र समिति को दी गई जानकारी के मुताबिक हॉट रोल्ड स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स का उत्पादन निम्न है:

(मिलियन टन में)

श्रेणी	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10* (अप्रैल–दिसम्बर 2009)
एचआर स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स	7.45	8.56	9.43	9.48	7.32
पेलेट्स	0.65	0.89	1.37	1.51	1.17
कुल सूचित	8.10	9.45	10.80	10.99	8.49

* *अनंतिम*

कोल्ड रॉल्ड स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स यूनिट

- **स्थिति (2008–09)**

(मिलियन टन में)

	संख्या	क्षमता
कुल इकाइयां	65	9.55
बंद इकाइयां	शून्य	शून्य
चालू इकाइयां	65	9.55

- **उत्पादन**

संयुक्त संयंत्र समिति को दी गई जानकारी के मुताबिक कोल्ड रॉल्ड स्टील शीट्स/स्ट्रिप्स यूनिट का उत्पादन निम्न है:

(मिलियन टन में)

श्रेणी	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10* (अप्रैल–दिसम्बर 2009)
माइल्ड स्टील	4.87	5.48	5.26	5.53	4.28
मीडियम कार्बन स्टील	.	.	.	0.07	0.05
स्टेनलेस स्टील	0.17	0.20	0.30	0.28	0.22
अन्य	0.09	0.08	0.08	0.42	0.32
कुल सूचित	5.13	5.76	5.64	5.80	4.44
कुल अनुमानित	0.03	0.05	0.30	0.50	0.43
कुल जोड़	**5.16**	**5.81**	**5.94**	**6.30**	**4.87**

* *अनंतिम*

गैल्वेनाइज्ड–प्लेन एवं कॉरुगेटिड जीपी/जीसी, पीवीसी/विनाइल कोटेड शीट्स/स्ट्रिप्स यूनिट

- **स्थिति (2008–09)**

(मिलियन टन में)

	संख्या	क्षमता
चालू हुई इकाइयां	20	5.06
बंद इकाइयां	शून्य	शून्य
चालू इकाइयां	20	5.06

- **उत्पादन**

संयुक्त संयंत्र समिति को दी गई जानकारी के मुताबिक जीपी/जीसी शीट्स/स्ट्रिप्स यूनिट का उत्पादन निम्न है:

(मिलियन टन में)

श्रेणी	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10* (अप्रैल–दिसम्बर 2009)
जीपी/जीसी शीट्स/स्ट्रिप्स (कलर कोटेड सहित)	3.22	3.58	3.65	3.84	2.97
कुल सूचित	3.22	3.58	3.65	3.84	2.97

* *अनंतिम*

टिन प्लेट इकाइयां

- **स्थिति (2008–09)**

(मिलियन टन में)

	संख्या	क्षमता
चालू हुई इकाइयां	3	0.21
बंद इकाइयां	2	0.11
चालू इकाइयां	1	0.10

- **उत्पादन**

पिछले कुछ वर्षों में टिन प्लेट इकाइयों का उत्पादन निम्न है:

(मिलियन टन में)

श्रेणी	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10* (अप्रैल–दिसम्बर 2009)
ऑयल कैन साइज	0.15	0.16	0.17	0.19	0.15
नॉन ऑयल कैन साइज	–	–	–	–	–
कुल सूचित	0.15	0.16	0.17	0.19	0.15

* *अनंतिम*

अध्याय–VI

अनुसंधान एवं विकास

भारतीय लौह एवं इस्पात क्षेत्र में वर्षों से प्रमुख अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) कार्य स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) और टाटा स्टील लिमिटेड जैसी कुछ प्रमुख कंपनियों तक सीमित रहा है। वैसे, बाद में धीरे–धीरे इस जिम्मेवारी को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, एस्सार स्टील लिमिटेड, इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी प्रमुख नई कंपनियों ने संभालना शुरू किया। बहरहाल, इन संयंत्रों में होने वाले अधिकांश शोध एवं विकास कार्य संयंत्रों और इस उद्योग की रोजाना की समस्याओं के समाधान निकालने तक सीमित है और परिवर्तनकारी अभिनव तकनीकों के विकास के लिए व्यापक आर एंड डी कार्य में भारी निवेश का दायरा सीमित रहा है। जाहिर तौर पर, इस्पात क्षेत्र में आर एंड डी निवेश का पूरा दायरा काफी सीमित रहा है और विभिन्न इस्पात कंपनियों में यह निवेश उनके कुल टर्नओवर का बमुश्किल 0.15 प्रतिशत से 0.25 प्रतिशत होता है जो विदेशों में स्थित नामी कंपनियों में इस मद पर होने वाले खर्च का दसवां हिस्सा है।

इस्पात मंत्रालय द्वारा अनुसंधान एवं विकास पहल के मुख्य बिन्दु:

इस्पात क्षेत्र में आर एंड डी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय की ओर से इस्पात विकास कोष (एसडीएफ) से हासिल ब्याज से वित्तीय मदद दी जाती रही है। इस उद्देश्य से इस्पात मंत्रालय के सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में गठित एक अधिकार प्राप्त समिति ने 422 करोड़ रुपये की 64 आर एंड डी परियोजनाओं की मंजूरी दी है, जिनमें एसडीएफ का योगदान 177 करोड़ रुपये है। अभी तक 120 करोड़ रुपये की अदायगी की गई है और 31 आर एंड डी परियोजनाएं पूरी की गई हैं। वर्ष 2008–09 के दौरान 7.27 करोड़ रु. एवं वर्ष 2009–10 (31 जनवरी, 2010 तक) के दौरान विभिन्न नई एवं जारी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए एसडीएफ की ओर से मौजूदा शोध एवं विकास परियोजनाओं के लिए 8.47 करोड़ रुपये दिए गए।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के योजना आयोग ने 'इस्पात क्षेत्र में आर एंड डी को बढ़ावा' नामक योजना को मंजूरी दी है जिसके लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में 118 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इस योजना को कार्यान्वयन के लिए 23.1.2009 को वित्त मंत्रालय द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया। योजना निम्न क्षेत्रों पर केंद्रित होगी:

प्रबंध निदेशक, भिलाई स्टील प्लांट (सेल) श्री आर. रामाराजू 220 केवी स्विच यार्ड का उद्घाटन करते हुए।

- भारतीय आयरन ओर फाइन्स और गैर–कोकिंग कोल का इस्तेमाल करते हुए अभिनव/नायाब तकनीकियों का विकास।
- इंडक्शन फर्नेस रूट के जरिए उत्पादित इस्पात की गुणवत्ता में सुधार।
- लौह अयस्क, कोयला आदि जैसी कच्ची सामग्रियों का धातुशोधन और संचयन (यानी पेलेटाइजेशन)

वर्ष 2010–11 (बीई) में इस योजना के लिए 35 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान का आवंटन किया गया।

परियोजना अनुमोदन एवं निगरानी समिति (पीएएमसी) द्वारा विशेषज्ञों के एक पैनल के साथ परामर्श करते हुए 7 आर एंड डी प्रस्ताव विचार के लिए चुने गए हैं। पीएएमसी की पहली बैठक 11 फरवरी 2010 को आयोजित हुई जिसमें 4 परियोजनाएं मंजूर की गईं। धन जारी करने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

लौह और इस्पात से संबद्ध कंपनियों द्वारा की गईं आर एंड डी पहल के मुख्य बिंदु

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील (आरडीसीआईएस) ने वर्ष 2009–10 के दौरान 111 आर एंड डी परियोजनाएं शुरू कीं, जिनमें से इस अवधि में 77 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया। इन परियोजनाओं ने सेल संयंत्रों/इकाइयों को तकनीकी मदद दी, जिसमें लागत कटौती, मूल्यवर्द्धन, गुणवत्ता सुधार और नए उत्पादों के विकास पर खास जोर था।

इस साल अप्रैल से दिसंबर 2009 के दौरान सेंटर ने 20 पेटेंट और 25 कापीराइट दायर किए। कम से कम 40 तकनीकी पत्र प्रकाशित किए गए और 66 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त, आरडीसीआईएस ने अनुबंध शोध कार्य का दायित्व संभाला और सेल से बाहर के संगठनों को परामर्श सेवाएं और तकनीकी जानकारी मुहैया कराई।

सेंटर को नेशनल मेटलर्जिस्ट डे उत्सव 2009 से संबद्ध 7 पुरस्कारों समेत प्रतिष्ठित 10 पुरस्कार मिले।

सेल में स्वचालित इस्पात उत्पादन से उच्च गुणवत्ता इस्पात उत्पाद सुनिश्चित होते हैं।

आर एंड डी प्रयास एवं उपलब्धियां

अप्रैल से दिसंबर 2009 के दौरान विभिन्न टेक्नालॉजी क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों का विवरण निम्न है:

विकसित नए उत्पाद

- **राउरकेला स्टील प्लांट में चुनिंदा विशेष इस्पात उत्पादों का विकास एवं वाणिज्यीकरण**

  एसएमएस–I रूट के जरिए कास्टिंग एवं रोलिंग मानकों को अनुकूलतम करते हुए डिफिकल्ट–टू–कास्ट मीडियम कार्बन ग्रेड्स विकसित किए गए। सभी तीनों मीडियम कार्बन स्टील (उच्च मैंगनीज युक्त एमसी 40, एमसी 55 और सी 30) की श्रेणियों के कुल डिस्पैच किए गए टनेज 10000 टन के लक्ष्य के मुकाबले 16891 टन रहे, जिससे अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ।

- **इस्को स्टील प्लांट, बर्नपुर में उच्च शक्ति (वाईएस 640 एमपीए मिनि.) रूफ बोल्ट क्वालिटी टीएमटी बार्स विकसित**

  सेल में पहली बार 22 एमएम साइज में आईएसपी कारखाने में बीएस 7861 (वाईएस 640 एमपीए मिनि. और 18 प्रतिशत ईएल मिनि) के अनुरूप मैकेनिकल प्रोपर्टीज और रिब पैटर्न की दृष्टि से सख्त क्वालिटी मानक युक्त रूफ बोल्ट ग्रेड टीएमटी बार्स को सफलतापूर्वक बनाया गया। आईएसपी और डीएसपी के बिलेट्स से लगभग 1100 टन मेटीरियल्स को सफलतापूर्वक प्रोसेस किया जा सका।

सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता इस्पात उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए लौह एवं इस्पात अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (सेल) स्थित हॉट डिप प्रोसेस सिम्यूलेटर में परीक्षण।

- **राउरकेला स्टील प्लांट में पीएसएल–2 मानक के अनुरूप एपीआई एक्स–65 ग्रेड ईआरडब्ल्यू पाइप्स**

  हाल ही में आधुनिकीकृत ईआरडब्ल्यू पाइप प्लांट में पीएसएल–2 मानक के अनुरूप एपीआई एक्स–65 ग्रेड पाइप्स उत्पादन के लिए 14" डाया पाइप्स में एपीआई एक्स–65 स्टील की एक 150 टन हीट की सफलतापूर्वक प्रोसेसिंग के जरिए संभाव्यता सुनिश्चित की गई; सभी पाइप्स की प्रोपर्टी एपीआई मानक के अनुरूप है।

विगत तीन वर्षों में आर एंड डी पर खर्च

(करोड़ रुपये में)

	सेल का कारोबार	आर एंड डी खर्च			
वर्ष		पूंजी	राजस्व	कुल	कारोबार का प्रतिशत
2007–08	45555	2.24	99.62	101.86	0.22
2008–09	48681	5.72	112.48	118.20	0.24
2009–10 (अप्रैल–दिसंबर)	30929	3.13	62.14	65.27	0.21

लागत प्रतिस्पर्द्धा/क्वालिटी सुधार

- **दुर्गापुर स्टील प्लांट में बीओएफ की लाइनिंग मियाद में बढ़ोत्तरी**

  लाइनिंग मियाद को प्रभावित करने वाले क्रिटिकल आपरेटिंग मानकों की पहचान कर और इस्पात उत्पादन के लिए अनुशंसित स्टेंडर्ड आपरेटिंग प्रेक्टिसिस (एसओपी) को अपनाने, रिफ्रेक्टरी की मरम्मत, स्लैग के छिड़काव, केलसिंड डोलोमाइट के उपयोग द्वारा एमजीओ सुपर सेचुरेशन और 1680 डिग्री सेंटिग्रेड औसत तापमान के जरिए, कन्वर्टर 1 में 6249 हीट्स की एक रिकार्ड लाइनिंग मियाद प्राप्त की गई।

- **दुर्गापुर स्टील प्लांट में लाइम भट्टी के प्रदर्शन में सुधार**

  भट्टी मानकों को अनुकूलतम करते हुए, खासतौर पर बर्नर के तापमान को 1260± 100 डिग्री सेंटिग्रेड कायम रखकर और हवा के प्रभाव का नियंत्रण कर लाइम का उत्पादन बढ़ाकर 300 टन/दिन किया गया। लाइम की क्वालिटी में भी सुधार हुआ। मरम्मत के उपरांत रिहीटिंग समय–सारणी को भी पूर्व 24 दिनों से कम कर 10 दिन किया गया जिसके फलस्वरूप भट्टी की उपलब्धता बढ़ी है।

- **इस्को स्टील प्लांट, बर्नपुर के हॉट स्ट्रिप मिल के रिहीटिंग फर्नेस के थर्मल प्रदर्शन में सुधार**
  आईएसपी के हैवी स्ट्रक्चरल मिल के दोनों रिहीटिंग फर्नेसों में अनेक सुधार किए गए जिससे ईंधन की खपत में कमी आई। नवंबर 2009 में विशिष्ट ईंधन खपत 0.608 से कम होकर 0.436 जीकेल/टीसीडब्ल्यू हुई। नवंबर 2009 में लब्धि (यील्ड) भी 90.94 प्रतिशत से बढ़कर 91.43 प्रतिशत हुई।
- **बोकारो स्टील प्लांट के हॉट स्ट्रिप मिल के रफिंग स्टैंड्स में संशोधित कूलिंग प्रणाली द्वारा रोल लाइफ में सुधार**
  बीएसएल में हॉट स्ट्रिप मिल (एचएसएम) के रफिंग स्टैंड्स (आर1 से आर5) में संशोधित रोल कूलिंग प्रणाली का डिजाइन तैयार किया गया और चालू किया गया। इससे रोल पर फायर क्रेक्स के जमाव को कम करने और फलस्वरूप रोल की ग्राइंडिंग आफ–टेक 25–30 प्रतिशत कम करने में सफलता मिली। विशिष्ट रोल खपत में भी 30–35 प्रतिशत की कमी आई (आर1 में 0.0331 कि.ग्रा./टन से कम होकर 0.0226 कि.ग्रा./टन और आर2 से आर5 में 0.164 से कम होकर 0.104 कि.ग्रा./टन)। हॉट स्ट्रिप की उत्पादकता, आकार एवं गुणवत्ता में भी सुधार हुआ।
- **दुर्गापुर स्टील प्लांट के मर्चेंट मिल के कूलिंग बैड 1 व 2 और बार शियर्स में स्वचालन**
  डीएसपी के मर्चेंट मिल में नई शुरू की गई पीएलसी प्रणाली एवं सॉफ्ट लॉजिक से विशिष्ट त्रुटि की पहचान करने में मदद मिलने से तेजी से सुधार करने को बल मिला। किक–ऑफ आपरेशन के लिए अर्थ रोल डिटेक्टर में गड़बड़ी आ जाने की वजह से मिल में विलंब होने की प्रवृत्ति में कमी की गई और मिल की उपलब्धता में सुधार हुआ और इससे कूलिंग बैड एरिया में कॉबल जेनेरेशन में भी कमी आने की आशा है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल में अनुसंधान एवं विकास पहल चुनौतियों का मुकाबला करने और कारखाने को तकनीकी इनपुट प्रदान करने की दिशा में है। प्रक्रियागत सुधार, अपशिष्ट प्रबंधन, लागत कटौती और पर्यावरण सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयंत्र की मौजूदा और भावी जरूरतों को देखते हुए अनुसंधान और विकास प्रयास किये जाते हैं।

वर्ष 2009–10 में हुईं अनुसंधान गतिविधियां

अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्रों में वर्ष के दौरान हासिल कुल उपलब्धियां निम्नांकित हैं:

प्रक्रिया सुधार

- कोक निर्माण में विभिन्न कोयला मिश्रणों के इस्तेमाल की उपयुक्तता का अध्ययन करने के लिए पायलेट ओवन परीक्षण कराए गए।
- सिंटर उत्पादन में आयरन ओर माइक्रोफाइल्स के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक परियोजना पर काम पूरा किया गया। प्रयोगशाला स्तर पर सिंटरिंग प्रक्रिया को लौह अयस्क में 50 प्रतिशत माइक्रोफाइंस से युक्त सिंटर के उत्पादन के अनुकूल पाया गया।
- ''मौजूदा प्लांट सुविधाओं का उपयोग करते हुए आरआईएनएल में कंटीन्युअस कास्टिंग के तकनीकी विश्लेषण एवं अनुकूलन'' पर एक परियोजना पूर्ण की गई।
- ''उत्पादन और धातुकर्मीय प्रदर्शन में सुधार के लिए कंटीन्यूअस कास्टिंग टंडिश की वाटर माडलिंग'' विषय पर एक परियोजना पर काम किया गया और इसे सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। नए डिजाइन को स्थापित करने के साथ ही स्कल फार्मेशन में लगभग 50 प्रतिशत की कमी हुई।
- कन्वर्टर ब्लोइंग लांस टिप की असफलता का विश्लेषण करने के लिए एक परियोजना पर काम किया गया और इसके लिए उपयुक्त कार्रवाई का सुझाव दिया गया।

अपशिष्ट प्रबंधन

- एलडी स्लैग के पुनःचक्रण को सुधारने के लिए ''एलडी स्लैग से फास्फोरस के जैविक खात्मे'' विषय पर एक परियोजना शुरू की गई।
- संयंत्र में पैदा होने वाले विभिन्न तरह के धातुई अपशिष्ट के पुनःचक्रण के लिए धातुई अपशिष्ट की ब्रिकेटिंग पर एक परियोजना शुरू की गई। औद्योगिक परीक्षण के लिए ब्रिकेट का उत्पादन प्रगति पर है।
- कनवर्टर के गैस क्लीनिंग प्लांट (जीसीपी) स्लज के पुनःचक्रण को सुधारने के लिए, जीसीपी स्लज की ब्रिकेटिंग पर एक परियोजना शुरू की गई। जीसीपी स्लज से ब्रिकेट्स का निर्माण करने और इनका कन्वर्टर में साइज्ड आयरन ओर की जगह इस्तेमाल करने की एक परियोजना सफलतापूर्वक पूर्ण की गई।

लागत कटौती

- वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, त्रिचि की मदद से ईक्यू ग्रेड वायर रॉड कॉयल्स में एल्युमिनियम कांटेंट के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई। भारतीय मानक ब्यूरो के साथ बीआईएस–2879 मानक के संशोधन के मसले पर बात की गई।
- लेडल, कन्वर्टर इत्यादि की रिफ्रैक्टिरीज की मियाद बढ़ाने के लिए रिफ्रैक्टिरीज पर नैनो परत के विकास पर एक परियोजना शुरू की गई। कोटिंग एप्लिकेशंस के लिए नैनो साइज रिफ्रैक्ट्री की पहचान एवं तैयारी प्रगति पर है।

पर्यावरण संरक्षण

- मिलों और ताप विद्युत संयंत्रों में ध्वनि स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। ध्वनि स्तर की मैपिंग पूर्ण की गई और संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की गई।
- फ्लू गैसों से सीओ$_2$ के पृथक्करण के लिए एक परियोजना शुरू की गई। उपयुक्त अल्गाई, जो सीओ$_2$ को समाहित करने में पैदा होती है, की पहचान की गई है। यह एक तीन साल की परियोजना है।

नए ग्रेड/उत्पाद विकसित

- बाजार मांग और ग्राहक की खास जरूरत को देखते हुए निम्न नए ग्रेड विकसित किए गए हैं:
  - वेल्डिंग इलेक्ट्राड्स के निर्माण के लिए 'सीओ$_2$ वेल्डिंग' ग्रेड विकसित किया गया।
  - भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों के लिए भूकंपरोधी इस्पात की निर्माण क्षेत्र की जरूरत को पूरा करने के लिए 'एफई 500डी' ग्रेड विकसित किया गया।

अकादमिक सहयोग/संपर्क

संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं

आरआईएनएल ने संयुक्त अनुसंधान पहल के लिए विभिन्न प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों/अनुसंधान प्रयोगशालाओं के साथ सहयोग किया है। अनुसंधान भागीदारों में चेन्नई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंगलौर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सायंस, पुणे स्थित नेशनल केमिकल लेबोरेट्रीज, आईएमएमटी भुवनेश्वर, विशाखापट्टन स्थित आंध्र विश्वविद्यालय, कोलकाता स्थित जाधवपुर विश्वविद्यालय, कानपुर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी शामिल हैं।

शैक्षणिक संस्थानों/प्रयोगशालाओं के साथ संपर्क

उद्योग एवं संस्थानों के बीच ज्ञान भागीदारी बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान कई जाने–माने प्रोफेसरों/वैज्ञानिकों ने आरआईएनएल का दौरा किया। इन दौरों के बाद संयंत्र प्रक्रिया मानकों और तकनीकी विकास आदि से संबद्ध विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी विचार–विमर्श किया गया।

आरआईएनएल के विशाखापतनम स्टील प्लांट का फर्नेस चार्जिंग एरिया।

आर एंड डी खर्च

पिछले तीन वर्षों में कारोबार के प्रतिशत के रूप में आर एंड डी पर हुए खर्च को निम्न तालिका में दिखाया गया है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कारोबार	आर एंड डी खर्च	कारोबार के प्रतिशत के रूप में आर एंड डी खर्च
2007–08	10433	17.93	0.17
2008–09	10411	17.35	0.16
2009–10* (नवंबर 2009 तक)	6123	10.75	0.18

** वर्ष 2009–10 के लिए बजट 12 करोड़ रुपये है।*

एनएमडीसी लिमिटेड

वर्ष 2009–10 के दौरान एनएमडीसी द्वारा किये गये प्रमुख कार्य निम्न हैं:

- लो ग्रेड लौह अयस्क अर्थात् बैंडेड हेमेटाइट जेसपर (बीएचजे) और बैंडेड हेमेटाइट क्वार्टजाइड् (बीएचक्यू) का उपयोग।
- पेलेट्स/सिंटर बनाने के लिए स्लाइम्स/फाइंस का उपयोग।
- सोडियम सिलिकेट, प्रिसिपिटेड सिलिका एवं जियोलाइट–"ए" को तैयार करने के लिए किंबरलाइट वेस्ट का उपयोग।
- मीसा (मास्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील एंड एलॉय) और एनएमडीसी के बीच हुए तकनीकी गठजोड़ के तहत ब्लू डस्ट से नैनो क्रिस्टलाइन आयरन पाउडर तैयार करने के लिए एक सयंत्र विकसित किया जा रहा है। इसके लिए उपकरण खरीद लिए गए हैं। उपकरणों को स्थापित करने के लिए सिविल कार्य प्रगति पर है।
- कार्बन मुक्त स्पंज आयरन पाउडर के उत्पादन के लिए 300 टन प्रति वर्ष क्षमता वाला पायलट संयंत्र निर्मित किया गया है और दिसंबर 2009 में परियोजना प्रस्तावों के अनुरूप सभी उपकरणों की स्थापना कर चालू कर दिया गया है। सभी उपकरणों के सुव्यवस्थित संचालन के नियमित परीक्षण जारी हैं। इसका पीजी टेस्ट चल रहा है।
- एनएमडीसी की जांच/विकास/उत्पादन परियोजनाओं से संबद्ध कार्यों के अलावा दूसरी कई कंपनियों/पीएसयू द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उदाहरण के लिए:
  - स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) के बरसुआ माइन्स से लौह अयस्क चूर्ण और मेगाहातुबुरू माइन्स से लौह अयस्क का बेनिफिसिएशन।
  - आरआईएनएल के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट स्थित थर्मल पावर प्लांट में कोल फ्लो समस्याओं का अध्ययन।
  - मैसर्स इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई द्वारा लौह नमूने द्वारा आपूर्ति किए गए लौह नमूने हेतु पेलेटाइजेशन अध्ययन।

पिछले तीन वर्षों में एनएमडीसी का कारोबार और आर एंड डी पर हुआ खर्च निम्न है:

वर्ष	कारोबार (करोड़ रुपये में)	आर एंड डी खर्च (करोड़ रुपये में)	कारोबार के प्रतिशत के रूप में आर एंड डी खर्च
2007–08	5711.31	10.02	0.18
2008–09	7564.03	20.61	0.27
2009–10 दिसंबर 09 तक	4255.76	8.32	0.19

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

मॉयल मैंगनीज अयस्क की खोज, प्रसंस्करण और विपणन में लगी है। यह कंपनी भूमिगत और ओपनकास्ट दोनों तरह की खानों का संचालन करती है। मैंगनीज अयस्क के कुल उत्पादन में भूमिगत खानों का सबसे ज्यादा योगदान है।

अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के विशेष क्षेत्र

आर एंड डी प्रयासों का उद्देश्य है भूमिगत खदानों में बढ़ती गहराई के साथ सुरक्षित एवं किफायती खनन तरीकों की चुनौतियों से निपटना। नए निक्षेपों की खोज के अलावा धातुशोधन एवं तकनीकी सुधार प्रविधियों के विकास के लिए भी अनुसंधान एवं विकास गतिविधि पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे क्षेत्र जिन पर कंपनी के आर एंड डी प्रयास केंद्रित हैं:

- सुरक्षित और किफायती खनन तरीके का विकास।
- भूमिगत कार्यों के लिए नई सहयोग प्रणाली का विकास और मौजूदा सहयोग प्रविधियों और उपायों में सुधार।
- पर्यावरणानुकूल खनन के लिए नियंत्रित विस्फोट उपायों का विकास।
- कारगर ठोसपन के साथ भूमिगत रिक्तियों को रेत से भरना।
- मैंगनीज आधारित मूल्यवर्धित उत्पादों के विकास के लिए तकनीकी का विकास।
- खनिजों की गुणवत्ता में सुधार के लिए किफायती धातुशोधन तकनीकी का विकास।
- उत्पादकता सुधार और सुरक्षा सुधार के लिए गतिविधियों का स्वचालन और तकनीकी उन्नयन।
- नए भंडारों की खोज।

तकनीकी सुधारः प्रमुख क्षेत्र

आंतरिक तौर पर विकसित और पूर्णतः अंगीकृत प्रौद्योगिकियां निम्न हैं:

- पूर्ववर्ती खनन–बाद सहयोग प्रणाली की जगह भूमिगत खानों में केबल बोल्टिंग के जरिए खनन–पूर्व जमीनी तैयारी
- भूमिगत खानों को हाथ से रेत से भरने की बजाए हाइड्रालिक तकनीकी के जरिए रेत से भरने की पहल
- भूमिगत खानों में इमारती लकड़ियों और सहयोग प्रणालियों पर होने वाले खर्च में कटौती के खनन के पोस्ट पिलर मेथड पर अमल
- स्टोप्स में अयस्क के यांत्रिक निपटान के लिए साइड डिस्चार्ज लोडर (एसडीएल) का इस्तेमाल
- अयस्क निकास मार्गों और कामगार आवागमन मार्गों के निर्माण के लिए इस्पात का इस्तेमाल। रिइन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) निकास मार्गों के निर्माण की जगह इनका इस्तेमाल।
- मॉयल की खानों में वर्तमान रूप से ऑन लाइन मोशन वे ब्रिज का प्रचालन इलेक्ट्री मेकानिकल डिजिटल मोड्स में किया जा रहा है। ऑनलाइन मोशन तौल ब्रिज की क्षमता 120 टन है।

मौजूदा प्रणालियों के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमः

- नई मैंगनीज खान का पता लगाने और मौजूदा क्षेत्रों में अतिरिक्त भंडार का पता लगाने के लिए डायमंड ड्रिलिंग।
- ओपन कास्ट खानों में पिट स्लोप स्टैबिलिटी और विकास खर्च घटाने के लिए ढलान कोणों को उपयुक्त बनाना।
- बालाघाट में स्टोप्स में रन ऑफ माइन (आरओएम) के यांत्रिक निपटान को लेकर प्रयोग।
- विस्फोटक की खपत में कमी के उद्देश्य से प्रस्फोट मानक तय करने के लिए भूमिगत और ओपन कास्ट खानों में विस्फोटों का अध्ययन और साथ ही विस्फोट से उड़ाई गई सामग्रियों के बेहतर विखंडन के लिए विस्फोट लागत में कमी सुनिश्चित करना।
- डोंगरी बुजुर्ग और बालाघाट आरओएम में सुधार के लिए विनीफिसिएशन अध्ययन।
- कमजोर और नरम हैंड वाल और फुटवाल वाली भूमिगत खान में नई छत और भू–प्रणाली की रूपरेखा तैयार करना। यह स्टॉप में मशीनीकरण की संभावना बढ़ाते हुए सुरक्षा और उत्पादकता में बढ़ोतरी में मददगार बनेगा।
- भूमिगत खान में 0.5 मिलियन टन क्षमता के विद्युत विंच का इस्तेमाल।

अनुसंधान एवं विकास खर्च

पिछले तीन वर्षों में निम्न शोध एवं विकास खर्च किए गए:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कारोबार	आर एंड डी खर्च	कारोबार के प्रतिशत के रूप में आर एंड डी खर्च
2007–08	973.36	2.79	0.28
2008–09	1284.84	3.33	0.26
2009–10* (दिसंबर 2009 तक)	647.15	1.80	0.28

**अनंतिम*

मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन वर्ष 1985–86 से ही आर एंड डी प्रयोगशालाओं से लैस रही है, जिन्हें भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग से मान्यता प्राप्त है। यहां आर एंड डी गतिविधियों का उद्देश्य लौह एवं इस्पात समेत विभिन्न क्षेत्रों में इंजीनियरिंग तकनीकियों और उपकरणों की डिजाइन और विकास पर खास जोर रहा है। हाल ही में मेकॉन ने आरएसपी, सेल राउरकेला में बीओएफ कनवर्टर

के लिए इंफ्रारेड (आईआर) कैमरा आधारित 'स्लैग डिटेक्शन सिस्टम' के डिजाइन, विकास और उसके प्रदर्शन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है।

वर्ष 2008–09 में पूरी हुई आर एंड डी परियोजनाएं

- इस्पात मंत्रालय के स्टील डेवलपमेंट फंड (एसडीएफ) की वित्तीय मदद से उच्च क्षमता, उच्च ताप वाले टॉप फायर्ड स्टोव की डिजाइन और विकास को अंजाम दिया गया। इसके सफल विकास के बाद उड़ीसा के कलिंगा आयरन वर्क्स लिमिटेड में ऐसे स्टोव को लगाए जाने के व्यावसायिक प्रयास किए जा रहे हैं।
- एसडीएफ, इस्पात मंत्रालय, की वित्तीय मदद से कोक ओवन की नॉन–रिकवरी के लिए कोक ड्राई कूलिंग टेक्नोलाजी (सीडीसीटी) का विकास

मौजूदा परियोजनाएं

- एसडीएफ, इस्पात मंत्रालय, की वित्तीय मदद से अनवरत कास्टर के लिए स्लैग डिटेक्शन सिस्टम का विकास और उसका इस्तेमाल।
- एसडीएफ, इस्पात मंत्रालय, की वित्तीय मदद से एनओएक्स अनवरत निगरानी प्रणाली का विकास।

पेटेंट में प्रगति

- 'उच्च क्षमता, उच्च ताप और टॉप फायर्ड स्टोव' के लिए पेटेंट आवेदन किया गया।

उत्कृष्टता और पुरस्कार

शोध एवं विकास गतिविधियों में मेकॉन की उत्कृष्टता की पुष्टि यंग साइंटिस्ट अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, बेस्ट पेपर अवार्ड आदि जैसे पुरस्कारों से इसके वैज्ञानिकों को नवाजे जाने से भी होती है। मेकॉन ने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय जर्नलों में आर एंड डी पर 32 से अधिक पेंटेंट और 105 तकनीकी शोध पत्र प्रकाशित करवाए हैं। मेकॉन के आर एंड डी इंजीनियर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय जर्नलों के नियमित रेफरी रहे हैं।

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

कंपनी सभी ऐसे उपकरणों का देशीकरण करने के पुरजोर प्रयास कर रही है जिनको पहले आयात किया जा रहा था। फलस्वरूप कंपनी ने सभी उपकरणों एवं कलपुर्जों का देशीकरण करने में शत–प्रतिशत सफलता प्राप्त की।

वर्ष	कारोबार (लाख रुपये में)	आर एंड डी खर्च (लाख रुपये में)	आर एंड डी खर्च (कारोबार का प्रतिशत)
2007–08	5,573	9.88	0.18
2008–09	4,080	13.34	0.33
2009–10 (अप्रैल–दिसंबर 2009) अनंतिम	3,389	7.50	0.22

केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल में अनुसंधान और विकास गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य हेमेटाइट ओर से चलने वाले पेलेट प्लांट की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास/सुधार प्रक्रिया के जरिए गुणवत्ता सुधार करना है।

उपलब्धियां

अनुसंधान एवं विकास (प्रक्रिया विकास/संशोधन)

- एजिटेटर ब्लेड्स में संशोधन किया गया, फलतः परीक्षणों और विस्तृत अध्ययन के कारण फिल्टर फीड के घनत्व में 2 जीएम/सीसी से अधिक काफी सुधार हुआ।

बेलारी हास्पऐट क्षेत्र से हेमाटाइट श्रेणी अयस्क को प्रोसेस करने के लिए केआईओसीएल द्वारा पहली बार वेट ग्राइंडिंग पर्यावरण अनुकूल टेक्नोलॉजी अपनायी गयी।

केआईओसीएल के प्रोसेस फ्लो कम्प्यूटर कंट्रोल रूम का एक दृश्य।

- एकल बॉल मिल में 6 डैरिक स्क्रीन्स लगाए जाने से मिल की स्क्रीनिंग दक्षता एवं थ्रुपुट में सुधार हुआ।
- थिकनर अंडर फ्लो पम्प्स में वेरिएबल फीड ड्राइव शुरू करने से एजिटेटर में नियंत्रित मात्रा में फीड गया और स्लाइम रिसर्कुलेशन में कटौती, रोकथाम देखने को मिली।
- निम्न कार्यों से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों से लिए गए हेमिटाइट अयस्क की प्राप्ति, अनलोडिंग, हैंडलिंग, ब्लैंडिंग, स्टोरेज एवं ग्राइंडिंग करने के लिए की मंगलौर स्थित सुविधाओं का बुनियादी विकासः
  - रेलवे वैगनों में आने वाले लौह अयस्क की प्राप्ति के लिए केआईओसीएल के पिग आयरन कॉम्पलेक्स के निकट रेलवे साइडिंग का निर्माण
  - रेलवे साइडिंग से पेलेट प्लांट स्टोरेज सेट्स तक लौह अयस्क चूर्ण की अनलोडिंग, स्टोरेज एवं कन्वेइंग हेतु बड़ी मात्रा में मेटीरियल हैंडलिंग सुविधा का निर्माण।
- मंगलौर में कोक ओवन प्लांट की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। कोक ओवन प्लांट में स्टीम एवं पावर जेनरेशन यूनिट, कूलिंग एवं मेक–अप वाटर सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन/नियंत्रण प्रणाली एवं सेवाओं जैसी आवश्यक सहायक सुविधाओं के साथ कोक प्रिप्रेशन प्लांट, कोक मेकिंग प्लांट, कोक शॉर्टिंग प्लांट शामिल हैं।

अनुसंधान एवं विकास और संभाव्यता अध्ययन पर हुए खर्च का ब्यौरा निम्न हैः

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कारोबार	आर एंड डी खर्च	आर एंड डी खर्च (कारोबार का प्रतिशत)
2007–08	1530.11	1.41	0.09
2008–09	1228.98	0.97	0.08
2009–10 (दिसंबर 09 तक)	502.61	1.09	0.22

टाटा स्टील लिमिटेड

- टाटा स्टील में वाणिज्यिक आधार पर उत्पादित नई जनरेशन के भारी ट्रक एवं अन्य वाहनों के लांग मेम्बर (चेसिस) के लिए हॉट रोल्ड टाटा 800 स्ट्रिप [वाईएसः700 एमपीए (मिनि) यू टी एः 830 एमपीए (मिनि), प्रतिशत वाईएलः 20 (मिनि), होल एक्सपेंशनः100 (मिनि), फटीग स्ट्रेंथः430 एमपीए, आईटीटीः –40^0 सेंटिग्रेड,]।
- व्हील रिम एवं डिस्क एप्लिकेशन हेतु वाणिज्यिकृत हॉट रोल्ड टाटा 600 स्ट्रिप [वाईएसः520 एमपीए (मिनि), यूटीएसः615 (मिनि), प्रतिशत ईएलः24 मिनि, होल एक्सपेंशनः120 (मिनि), फटीग स्ट्रेंथः310 एमपीए, आईटीटीः –40^0 सेंटिग्रेड से कम]।
- प्लंबिंग एप्लिकेशन हेतु उपयुक्त ईआरडब्ल्यू ट्यूब के समकक्ष लागत की दृष्टि से किफायती विकल्प के रूप में हमारे एफएम ट्यूब सफलतापूर्वक विकसित करने के लिए आर एंड डी एवं ट्यूब डिविजन ने संयुक्त रूप से कार्य किया।
- आर बार वेल्यू > 1.9 उच्च शक्ति आईएफ स्टील (यूटीएस : 350 एमपीए) विकसित
- ई34 एवं ई46 हॉट रोल्ड स्टील शीट्स पर एलसीएफ एवं एचसीएफ फटीग परीक्षण किया गया। इसके आंकड़े टाटा मोटर्स की डिजाइन टीम को उपलब्ध करा दिए गए हैं।
- नट स्टील में केज वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग प्रक्रिया मानक एवं वेल्डिंग परिस्थितियां विकसित की गई हैं। सिफारिशें कर दी गई हैं। साइट ट्रायल्स की योजना बनाई जा रही है।
- ट्यूब्स के लिए फायर रेजिसटेंट स्टील केमिस्ट्री डिजाइन की गई है। यह स्टील 500 डिग्री सेंटिग्रेड पर वाईएस >70 प्रतिशत सस्टेन कर सकता है।
- सुकिंडा क्रोमाइड माइन्स के निकेलीफेरस क्रोमाइड ओर बर्डन से एनआई, सीआर और एफई वेल्यूस की रिकवरी हेतु नई प्रक्रिया विकसित। रोटरी हार्थ फर्नेस (आरएचएफ) लैब स्केल में प्रक्रिया की प्रस्तुति की गई और इस नई प्रक्रिया द्वारा 1.5 प्रतिशत एनआई एवं 7–10 प्रतिशत सीआर युक्त एफई नजेट्स सफलतापूर्वक उत्पादित किए गए।
- औद्योगिक टनेल भट्टी सुविधा के इस्तेमाल से नई स्पंज क्रोम प्रक्रिया का बड़े पैमाने पर ट्रायल किए गए। फेरो क्रोम के उत्पादन में स्पंज क्रोम के इस्तेमाल से बिजली एवं कोक की खपत क्रमशः 20 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत कम होगी।
- तरल इस्पात में बिना मिलावट के इस्पात उत्पादन में उपयोग के लिए फेरो एलॉय चूर्ण के ढेले बनाने के लिए नई ब्रिकुएटिंग प्रक्रिया विकसित की गई। जमशेदपुर स्थित स्टील मेकिंग शॉप में एफईएमएन चूर्ण के ब्रिकुएट्स उत्पाद के ट्रायल किए गए।
- कोक मेकिंग एप्लिकेशन के लिए झामा कोयला (झरिया कोल्ड फील्ड का हीट प्रभावित कोयला) के बेनिफिसिएशन एवं उपयोग के लिए एक प्रक्रिया विकसित की गई।
- सुपीरियर कोरोजन रेजिस्टेंस, फॉर्मेब्लिटी और हाइड्रो–फोबिसिटी, एंटीबेक्टीरियल, एंटी–फिंगरप्रिट और स्क्रैच रेजिस्टेंस जैसे अन्य फंक्शनल प्रोपर्टीज के साथ गेल्वनाइज्ड और कोल्ड रोल्ड व क्लोज्ड एनिल्ड दोनों के लिए प्रयोगशाला स्तर पर पर्यावरण के अनुकूल नैनो–हाइब्रिड सिलिका एवं इटेनिया सॉल–जेल कोटिंग्स विकसित की गई। पायलट पैमाने पर कोटिंग टेक्नालॉजी उन्नत बनाने का कार्य प्रगति पर है।
- स्टील इस्पात उद्योग अपशिष्ट चूर्ण के इस्तेमाल से एक नया कम लागत की आर्सेनिक रिमूवल प्रणाली विकसित की गई।
- प्रयोगशाला स्तर पर वायर उत्पादों के लिए सिंगल जैडएन–एएल कोटिंग प्रक्रिया विकसित की गई और इसे कारखाने में कार्यान्वित किया जा रहा है।

अनुसंधान एवं विकास खर्च

वित्त वर्ष	कारोबार का प्रतिशत व्यय
2006–07	0.24
2007–08	0.21
2008–09	0.20

जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

वर्ष 2009–10 में आरएंडडी के मुख्य बिंदु

- नॉन–रिकवरी कोक ओवंस के उत्पादन में 5 प्रतिशत सुधार करने के लिए अलग–अलग गुणवत्ता के कोयला मिश्रणों के लिए कोकिंग समय का अनुकूलन।
- सिंटर रिटर्न फाइंस को 30 प्रतिशत से कम कर 20 प्रतिशत करने के लिए सिंटरिंग मानकों का अनुकूलन।
- सिंटर विशेषताओं एवं उसके अनुकूलन पर एफईओ के प्रभाव का अध्ययन।
- पेलेट सीसीएस > 220 कि.ग्रा./पेलेट और आरडीआई < 11.0 प्रतिशत सुधार कर पेलेट गुणवत्ता में सुधार।

- पेलेट गुणवत्ता में सुधार के लिए और इन आर्गेनिक बांइडर को आर्गेनिक बाइंडर के साथ बदलने के लिए अध्ययन।
- कोरेक्स प्रोसेस में सुधार एवं नियंत्रण के लिए रेस वे मानकों का विकास।
- कोरेक्स में हर्थ वेयर के आकलन के लिए मेथमेटिकल मॉडल का विकास। पहले ही इस्तेमाल हो रहा है।
- बेहतर टैप होल लैंथ एवं कास्टिंग प्रविधियां प्राप्ति हेतु लौह उत्पादन इकाइयों के लिए उपयुक्त टैप होल क्ले मास की पहचान के लिए टैप होल क्ले मास पर अध्ययन
- बर्डन डिस्ट्रिब्यूशन के अनुकूलन द्वारा ब्लास्ट फर्नेस–2 की उत्पादकता को 2.1 से बढ़ाकर 2.4 टन/घन मीटर/दिन करना।
- ब्लास्ट फर्नेस–1 एवं 2 द्वारा 10 कि.ग्रा./टन तप्त धातु की ईंधन कटौती। पहले ही प्राप्त कर ली गई है।
- जेएसडब्ल्यू कास्टर्स के स्लैब्स में लोकेटिंग क्रेक इनिशिएशंस हेतु मॉडल विकसित। पहले ही प्रयोग में है।
- लैडल चेंज करते समय इमल्सिफिकेशन कम करने के लिए वाटर मॉडलिंग के जरिए लैडल चेंज ओवर स्लैब्स में इंक्लूजंस कम करना।
- सीमेंट और पेलेट उत्पादन में स्लैग मिलने की अधिकतम स्वीकार्य सीमा का अनुमान लगाने के लिए सीमेंट और पेलेट उत्पादन में विभिन्न एसएमएस स्लैग्स की रिसाइक्लिंग।
- हॉट स्ट्रिप मिल में थर्मल रेजीम के अनुकूलन द्वारा विशिष्ट हॉट रोल्ड उत्पाद हेतु अनुकूलतम फिनिशिंग एवं कॉयलिंग तापमान का अनुमान लगाने के लिए एक मॉडल विकसित।
- रोलिंग के दौरान हॉट स्ट्रिप मिल में रोल्स के थर्मल प्रोफाइल एवं वेयर पैटर्न का अध्ययन एवं विशिष्ट घटकों में सुधार।
- कॉयल टूटने की त्रुटि को न्यूनतम करने के लिए कोल्ड रोलिंग मिल में कॉयल टूटने की त्रुटि पर अध्ययन।
- ग्रीन पेलेट से डीआरआई उत्पादित करने के लिए नई प्रक्रिया का विकास, इस तरह से सीओ$_2$ जनरेशन में कमी।
- उच्च गुणवत्ता इस्पात उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता डीआरआई का उत्पादित करने की दृष्टि से स्टील स्क्रैप की जगह स्टील प्लांट अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करने के लिए एक नई तकनीकी विकसित।

अनुसंधान एवं विकास खर्च

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल आर एंड डी खर्च	वार्षिक कारोबार	प्रतिशत
2007–08	14.36	11420	0.13
2008–09	12.38	14001	0.09
2009–10 (अप्रैल–सितंबर)	2.40	6944	0.034%

एस्सार स्टील लिमिटेड

एस्सार स्टील ने अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं और उत्पादों से संबद्ध समस्याओं/मसलों के समाधान के उद्देश्य से शोध एवं विकास के लिए योग्य इंजीनियरों/विशेषज्ञों से लैस एक लक्ष्योन्मुख प्रयोगशाला हाल ही में स्थापित की है। वर्ष के दौरान कंपनी ने सख्त इस्तेमाल के उद्देश्य से 31 नए स्टील ग्रेड/उत्पाद विकसित किए हैं, जिनमें अधिक मजबूत सीआरसीए स्टील शीट और स्वचालित अनुप्रयोगों के लिए उच्च खरोंच रोधी आईएफ स्टील, संरचनात्मक अनुप्रयोगों के लिए ताकतवर गालवनाइज्ड शीट, लाइन पाइपों के लिए सख्त क्वालिटी के एपीआई ग्रेड स्टील, आवरण ढांचागत अनुप्रयोगों के लिए शिप बिल्डिंग क्वालिटी के प्लेट और भारतीय नौसेना के युद्धपोतों में इस्तेमाल के लिए उत्पाद आदि शामिल हैं। वर्ष की शोध एवं विकास गतिविधियों के कुछ मुख्य बिंदु और उनसे मिले फायदों का विवरण निम्न है :

- ऑटोमोबाइल अनुप्रयोग के लिए एसपीआरसी–35/40 सीआरसीए इस्पात का विकास।
- स्व-अनुप्रयोग के लिए एसपीआरसी–45 के मुताबिक अधिक मजबूत आईएफ सीआरसीए।
- आटोमोबाइल चेसिस अनुप्रयोग के लिए डोमेक्स 650 इस्पात श्रेणी के बराबर अधिक मजबूत इस्पात प्लेट।
- एचएसएम–रॉट ताप अनुमान और माइक्रो स्ट्रक्चर इवोलूशन माडल के लिए गणितीय माडल का आंतरिक विकास।
- आटोमोबाइल अनुप्रयोग के लिए डुएल फेज स्टील–डीपी–600 (एफ+एम) का विकास।
- एचटीपी अवधारणा के साथ लाइन पाइप अनुप्रयोग के लिए एपीआई 5एल एक्स–80 ग्रेड स्टील का विकास।
- अम्ल सेवा अनुप्रयोग के लिए एपीआई 5एल एक्स–65 लाइन पाइप स्टील का विकास।
- कैटरपिलर स्पेक के अनुसार अधिक मजबूती वाले प्लेट का विकास। 1 ई 1242, आयात स्थापन्न के रूप में।
- लागत कटौती यानी फेरो–एलॉयज खपत में, अनुमानित बचत 22 करोड़ रुपये (गुणवत्ता मानकों को प्रभावित किए बिना)।

- प्राकृतिक गैस खपत में कटौती के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए प्रतिरूपकों में कोल ट्रायल किए गए।
- एलपीजी निष्कर्षण प्रणाली पर पहल से ऊर्जा संरक्षण।
- मॉड्यूल 3 में कोल्ड डीआरआई पायलट सुविधा शुरू।

मुकंद लिमिटेड

अप्रैल–सितंबर 2009 के दौरान संपन्न अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां

- टिटेनियम/नियोबियम स्टेबलाइज्ड स्टेनलेस स्टील के लिए अनुसंधान गतिविधियां की गईं और वाणिज्यीक उत्पादन के लिए कार्यान्वित की गईं, इस प्रकार से आयात प्रतिस्थापन में मदद मिली।
- मेल्टिंग एवं रिफाइनिंग प्रक्रिया मानकों में संशोधन कर इंक्लूजन साइज एवं वॉल्यूम फ्रेक्शन में कटौती करते हुए क्रोम–सिलिकॉन आटोमोबाइल सस्पेंशन स्प्रिंग्स की फटीग लाइफ में सुधार के लिए अनुसंधान गतिविधियां।
- माइक्रोएलॉड स्टील की मेटलर्जिकल अनुसंधान गतिविधियां जारी रहीं एवं वाहन उपयोग के लिए नई श्रेणियों की पहचान की गई; मौजूदा श्रेणियों में माइनर एलॉइंग एडिशंस के प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कर्नाटक के साथ संयुक्त भागीदारी करते हुए तागूची प्रविधि के इस्तेमाल से लो कार्बन लेडेड रिसल्फराइज्ड स्टील की मशीनेब्लिटी का अध्ययन किया गया और उसको प्लांट स्तर पर कार्यान्वित किया गया।
- इन्कलुजन करेक्ट्राइजेशन से संबंधित अध्ययन के लिए बाह्य प्रयोगशालाओं के साथ समन्वय जारी रहा।
- अमेरिकन वेल्डिंग सोसायटी (एडब्ल्यूएस) 5.9 में संदर्भित स्टेनलैस स्टील इलेक्ट्राड श्रेणियों का वाणिज्यिक उत्पादन करने के लिए केमिस्ट्री डिजाइन एवं प्रोसेस मॉडलिंग पूर्ण की गई। इस घटनाक्रम से आयात प्रतिस्थापन हुआ है। ईआर309 एलएमओ एवं ईआर310 श्रेणियों के विकास पर अध्ययन चल रहा है।
- मुकंद की सभी परीक्षण प्रयोगशालाओं का एनएवीएल प्रमाणीकरण प्राप्त हो गया है।
- क्वेंच एवं टेम्पर्ड कंडीशन में वाहन उपयोग के लिए मीडियम कार्बन लेडेड स्टील से संबंधित मेटलर्जिकल अध्ययन किए गए और प्लांट स्तरीय प्रचालन हेतु कार्यान्वित किए गए।
- आयात प्रतिस्थापन के रूप में ईआर70एस6 – जिरकोन बियरिंग, उच्च सिलिकॉन एवं उच्च एल्युमिनियम इलेक्ट्राड श्रेणी सफलतापूर्वक विकसित की गई।
- व्यापक सेक्शन एवं प्रोडक्ट मिक्स के लिए डुपलेक्स स्टेनलैस स्टील की रोलिंग से संबंधित अध्ययन किए गए।
- हायर सेक्शंस के रोलिंग उपरांत हीट ट्रीटमेंट से बचने के लिए, आस्टेनिटिक स्टेनलैस स्टील्स की ऑनलाइन क्वेंचिंग से संबंधित अध्ययन किए गए। इसे बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाएगा और ऊर्जा संरक्षण होगा।
- इंजीनियरिंग उपयोगों के लिए 0.35 प्रतिशत कार्बन युक्त उच्च कार्बन मेटेंसिटिक स्टेनलैस स्टील विकसित किया गया।
- लागत कटौती : रोलिंग उपरांत हीट ट्रीटमेंट समाप्त करने की गुंजाइश का पता लगाने सीआर–एसआई स्प्रिंग्स स्टील की कूलिंग करेक्ट्रेस्टिक्स का अध्ययन किया गया।
- कुटीन्युअस कास्टिंग के दौरान इंट्रटिशियल एलिमेंट्स एवं प्रक्रिया मानकों का नियंत्रण करते हुए न्यून इंट्रटिशियल फेरेटिक स्टेनलैस की सरफेस गुणवत्ता में सुधार किया गया।
- ब्रेक प्रैशर टैंक के जरिए प्लांट के जलाश्य में तुंगभद्रा बांध से पानी की डायरेक्ट पम्पिंग।

अनुसंधान एवं विकास खर्च

	2009–10 (अनंतिम) '000 रुपये में	2008–09 '000 रुपये में	2007–08 '000 रुपये में
क) पूंजी	5000	4331	8414
ख) आवर्ती	5800	6182	5684
कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में कुल अनु. एवं विकास खर्च	0.06	0.05	0.07

ईंधन ऑयल की खपत में कमी

- ऑयल फ्लो को अनुकूलतम करने के लिए लैडल प्रिहीटिंग स्टेशन के बर्नरों में माइक्रो वाल्वस की स्थापना।
- बार मिल, ब्लूमिंग मिल एवं वायर रॉड मिल के लिए बिलेट रिहीटिंग फर्नेसों के अंदरूनी हिस्से में सिरेमिक की कोटिंग।
- बिलेट रिहीटिंग फर्नेसों के सोकिंग जोंस में स्वचालित तापमान नियंत्रक।
- सोकिंग जोंस में कम प्रैशर बर्नरों की स्थापना।
- उपकरणों की सफाई के लिए डीजल के स्थान पर अल्फा सॉल्यूशन का इस्तेमाल।

वर्ष के दौरान निम्न गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र मिले:

- आईएसओ 9001: 2000 (पुनः प्रमाणीकरण)

- टीएस 16949: 2002 (ई)
- टीयूवी एडीडब्ल्यूओ: स्टेनलैस स्टील के लिए मर्कब्लेट
- स्टेनलैस स्टील के लिए पीईडी/97/23/ईसी प्रैशर इक्विपमेंट डायरेक्टिव

नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)

एनआईएनएल में चलाई जा रही अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां निम्न हैं:

- एक कोक ओवन गैस आधारित हीट रिकवरी स्टीम जेनरेटर (एचआरएसजी) को चालू करने की गतिविधियां 21.12.2009 को शुरू हुई हैं। इस जेनरेटर की उत्पादन क्षमता 45 टन स्टीम/घंटा है। यह लगभग 5000 डिग्री सेंटिग्रेड तापमान के गैस टर्बो जेनरेटर (जीटीजी) के एक्जॉस्ट गैस में उपलब्ध हीट का इस्तेमाल करता है।
- कोक ओवन के गैस क्लीनिंग प्लांट (जीएसपी) और पावर प्लांट में खर्च हुए सोलर ऑयल को पुनः उत्पादन के लिए भेजा जाता है या इच्छुक क्रेताओं को बेचा जाता है। जैसा कि सोलर ऑयल की उच्च केलोरिक वेल्यु होती है और इसका घनत्व तकरीबन एलडीओ के समान होता है, सोलर ऑयल का एलडीओ के साथ मिश्रण कर बॉयलर की फायरिंग में इस्तेमाल करने का परीक्षण सफल पाया गया है। खर्च सोलर ऑयल और एलडीओ को बॉयलर में फायरिंग के लिए मिश्रित किया जाता है।
- गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में बीओडी वाटर एफ्लुऐंट को ट्रीट करने के लिए प्रयोगशाला में ट्रायल शुरू किए हैं। ट्रायल में, प्रदूषित जल (1–3 एमएम) आकार के कोक ब्रीज लेयर के जरिए पास किया जाता है। कोक एब्सोर्पशन के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है जिसे एलपी स्टीम के इस्तेमाल से पुनः उत्पादित किया जाता है।

इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड

नई प्रक्रियाएं/प्रक्रिया सुधार

संबंधित क्षेत्रों में निम्न परियोजनाओं को पूर्ण किया गया :

हॉट स्ट्रिप मिल (एचएसएम)

- एसएमएस डेमाग एजी के सहयोग से मिल आटोमेशन एवं लेमिनर कूलिंग में सुधार
- पोसडाटा के सहयोग से प्रोडक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट सिस्टम (पीपीएमएस) विकसित
- कास्टर 1 मेटलर्जिकल लेंथ की बढ़ोत्तरी
- कास्टर 1 में 68 एमएम एवं कास्टर 2 में 70 एमएम की स्लैब थिकनैस में बढ़ोतरी
- एलसीपी–1 में लाइन उत्पादकता बढ़ाने के लिए भट्टी एवं बैग फिल्टर का पुनः डिजाइन एवं संयंत्र में ही संशोधन।

आरएमएचएस

- शैंक–मेक क्लोज सर्किट टीवी, पब्लिक एड्रेस्स सिस्टम, आदि लगाकर मापतौल प्रणाली को उन्नत करना।

ब्लास्ट फर्नेस

- प्रौद्योगिकी नवीकरणों के लिए मैसर्स डेनियली कोरस एवं सीमेंस वीएआई के साथ सहयोग, जैसे:
  - मडगन प्लगिंग के लिए प्रोपोर्शनल कंट्रोल
  - एमसीसी–01 कन्वेयर पुल कोर्ड हेल्थ इंडिकेशन सिस्टम
  - टी–5 ब्लोअर मोटर (14.5 मेगावाट) के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी विश्लेषण
  - एडोप्टर प्लेट की डिजाइनिंग एवं प्रिपेयरिंग द्वारा 400 कि.वा. सीएएफ मोटर रेट्रोफिटिंग
  - फील्ड से एमसीसी तक स्टॉक हाउस फीडिंग कन्वेयर इंट्रोगेशन डीसीएस पावर सप्लाई (24वी डीसी) बदलना
  - बेहतर टूयर स्टॉक्स डिजाइन एवं बीएफ प्रैशर मापन प्रणाली
  - पल्वराइज्ड कोल इंजेक्शन एवं ऑक्सीकोल इंजेक्शन प्रणाली शुरू
  - रेडियो रिमोट कंट्रोल प्रणाली द्वारा एसजीपी क्रेन सं. 1 एवं 2 का प्रचालन
  - ब्लास्ट फर्नेस भट्टी की मियाद बढ़ाने की दृष्टि से बर्डन वितरण सिरेमिक कप के श्यूट हेतु वीएलटी वीवीएफ ड्राइव की स्थापना

स्पंज आयरन प्लांट

- प्राकृतिक गैस में सल्फर की मात्रा हटाने के लिए डिसल्फराइजर यूनिट की स्थापना
- रिड्यूसिंग गैस के बेहतर इस्तेमाल के लिए डबल बसल पोर्ट्स और उत्पादकता बढ़ाने के लिए रिडक्शन जोन वॉल्यूम बढ़ाने हेतु थिन वाल रिफ्रेक्टरी की स्थापना
- उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से रिडक्शन जोन वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ओवल शेप टॉप गैस डक्ट की फिक्सिंग

- प्रोसेस प्रक्रिया गैस फ्लो के अनुकूलन के लिए प्रोसेस गैस कम्प्रैसर बेलेंसिंग वाल्व की फिक्सिंग
- मियाद बढ़ाने के लिए फर्नेस बैड थर्मो वेल एमओसी को इन्कोनेल–601 से बदलकर इन्कालॉजी–800 एच किया गया
- हॉट स्ट्रिप मिल को भेजे गए मेटीरियल से डस्ट निकालने के लिए अतिरिक्त डीसी प्रणाली की स्थापना
- उत्पादकता बढ़ाने के लिए बर्नरों में प्राकृतिक गैस की जगह प्रोपेन का इस्तेमाल
- स्क्रीनिंग दक्षता को सुधारने के लिए प्राइमर डैक में संशोधित ऑक्साइड स्क्रीन्स की फिक्सिंग
- दिन के समय बिजली के उपयोग से बचने के लिए उत्पाद गोदामों में प्राकृतिक वेंटिलेटरों की स्थापना

सिंटर

- नौ रोल स्प्रेडर के इंक्लिनेशन में परिवर्तन
- नौ रोल स्प्रेडर की जगह सेग्रिगेशन प्लेट स्थापित
- पर्मिएब्लिटी बार्स में संशोधन
- ब्लैंक साइड लोकिंग ग्रेट बार्स युक्त पेलेट कारों में संशोधन
- फर्नेस की कंबशन एयर में ऑक्सीजन इंजेक्शन
- सिंटर एम/सी के लिए पेलेट कार की हाइड बढ़ाकर 720 एमएम
- पी–सिरीज डिस्चार्ज श्यूट्स में सेल्फ लाइनिंग एवं सॉफ्ट लैंडिंग व्यवस्था
- पेलेट कारों की साइड वाल के निकट रॉ मिक्स का कंपैक्शन ऐलर फिक्सिंग
- मेग्नेटिक सेग्रिगेशन प्लेट की फिक्सिंग
- सिंटर प्लांट में परंपरागत चोक को बदलकर इलेक्ट्रानिक चोक
- क्विक लाइम फीडिंग प्रणाली में यांत्रिकीकरण

स्वचालन एवं नेटवर्किंग के लिए सॉफ्टवेयर, परामर्श एवं सहयोग खर्च

- निम्न स्तरीय एकीकरण परियोजनाः (स्तर 0 से स्तर–5) जो हार्डवेयर खरीद, परामर्श सेवाओं, नेटवर्किंग कलपुर्जा परियोजनाओं सेवा एवं परामर्श, एएमएसी साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर से संबंधित है
- नेटवर्क अपग्रेडेशन (बीएफ, एसएमएस एल2 और कास्टर एवं मिल)
- बार्ज ट्रेकिंग प्रणाली (एच/डब्ल्यू, सॉफ्टवेयर एवं सेवाएं)
- हार्डवेयर क्रय, वायब्रेशन, आरपीएम, मोटर करंट, टेम्प्रेचर, बेलेंसिंग इत्यादि से संबंधित इक्विपमेंट रिलायब्लिटी एवं कंडीशनिंग मॉनिटरिंग प्रणालियां, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के लिए एएमसी
- एसआईपी सिंटर हेतु सतह 2 उन्नतकरण (बीएफ) तथा सतह 2 काम चलाउ प्रबंध

नए उत्पादों का विकास

विकसित

निम्न नई श्रेणियां विकसित की गई हैं:

- कम थिकनेस (2.5 एमएम) में चैकर्ड प्लेट
- हाई कार्बन ग्रेड (0.5–0.6 प्रतिशत सेंटिग्रेड)
- बॉयलर क्वालिटी ग्रेड
- विशिष्ट उपभोक्ता जरूरतों के लिए उपयुक्त अनेक स्ट्रक्चरल श्रेणियां
- 12 एमएम से कम थिकनेस में एपीआईएक्स 70

लागत कटौती परियोजनाएं

विकसित

- कास्टर एवं एलसीपी में मौजूदा ईंधन की जगह आरएलएनजी का इस्तेमाल
- सिंटर प्लांट में कन्वेंशनल चोक की जगह इलेक्ट्रानिक चोक

गुणवत्ता सुधार

विकसित

- एचएसएम के लिए पार्सिटेक सरफेस इंस्पेक्शन प्रणाली
- स्केनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
- प्राकृतिक गैस में सल्फर की मात्रा हटाने के लिए डिसल्फराइजर यूनिट की स्थापना

जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल)

वर्ष 2009–10 के दौरान विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्य के मुख्य बिन्दुः

नई प्रक्रियाओं के विकास में विशिष्ट उपलब्धियां एवं सुधार

पहले ही पूर्ण

- ब्लास्ट फर्नेस में इस्तेमाल के लिए कोक प्रोपर्टीज हासिल करने की दृष्टि से बायो–डीजल (5–10 प्रतिशत) के विभिन्न अनुपात में पायलट कोक ओवन ट्रायल्स पहले ही संपन्न कर लिए गए हैं। यह हार्ड कोकिंग कोयले (हार्ड कोकिंग कोयले की कीमत बढ़ने की स्थिति में) का एक पर्यावरण अनुकूल स्थानापन्न होगा।
- वाटर कूल्ड पैनल्स की अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, ट्यूब टाइप कॉपर पैनल्स की जगह बॉक्स टाइप पैनल्स लगाते हुए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) टॉप शैल प्रिपरेशन, और तद्नुपरांत रिफ्रेक्टरी कोटिंग। इससे ईएएफ में वाटर पैनल लीकेज और बाद में लोवर सैल की रिफ्रेक्टरी क्षतिग्रस्त के कारण होने वाली देरी समाप्त हुई।
- इसकी मेसरल कांटेंट की वेदरिंग के प्रभाव पर अध्ययन के जरिए कोक की गुणवत्ता में सुधार। कोकिंग कोयले की तरलता एवं ऑक्सी–वेटरिनाइट के विश्लेषण के लिए 15 कि.ग्रा. के विभिन्न किस्म के कोकिंग कोयला नमूने लिए गए। इस अध्ययन के लिए 63 दिन का समय लगा और उसके बाद तरलता एवं ऑक्सी वेटरिनाइट विश्लेषण 10 दिन के अंतराल में किए गए। कोयले की तरलता एवं वेटरिनाइट मात्रा का विघटन होता है और बाद में यह 40 दिन में स्थिर हो जाता है। उपरोक्त अध्ययन की मदद से हर किस्म के कोयले का मूल्यांकन किया जा सकता है। इससे कोक उत्पादन के लिए कोयले का चयन करने में मदद मिलेगी।

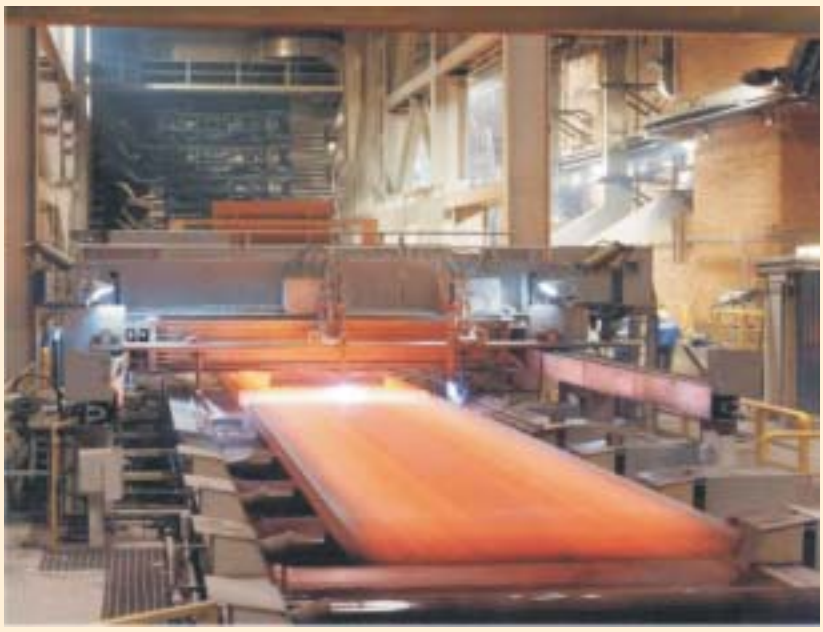

जेएसपीएल में ब्रेकआउट पूर्वानुमान एवं निगरानी प्रणाली।

- फटीग यूजिंग मेटीरियल टेस्टिंग सिस्टम (एमटीएस) के लिए वेल्डेड ज्वाइंट्स का मूल्यांकन। इससे हमें सही वेल्डिंग प्रक्रिया का चयन करने में मदद मिली, जिसकी इच्छित मियाद होने की आशा है।
- आईआईटी कानपुर के सहयोग से टंडिस स्कल लॉस कम करने के लिए स्लैब कास्टर के टंडिश डिजाइन का विकास। टंडिश में स्टील का सुचारू प्रवाह करने के लिए डेम विद टर्बो पेड युक्त डेम इंसर्टिंग द्वारा और स्लैब की स्वच्छता को बिना प्रभावित किए न्यूनतम लेफ्ट ओवर मेटल के लिए स्लैब कास्टर का टंडिश डिजाइन संशोधित किया गया।

उत्पाद विकास

- लाइट सेक्शन मिल एवं वायर रॉड मिल के लिए 165x165 एमएम स्क्वेयर सेक्शन की कास्टिंग। इससे विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की जरूरत पूरी होगी।

वर्ष 2009–10 में नई इस्पात श्रेणियां विकसित की गईं:

विकसित किए गए ग्रेड	एप्लिकेशन
एचसी–66/70, एचसी 71/75 (लो नाइट्रोजन ग्रेड)	वायर रॉड एप्लिकेशन
जेएसएल25 (162 डाया राउंड) सीमलैस पाइप एप्लिकेशन के लिए अलॉय स्टील	सीमलैस पाइप उत्पादन
जेएसपी पीटी02 (आईएस 10748) ग्रेड 2	निर्माण
जेएसपी पीटी03 (आईएस 10748) ग्रेड 2	निर्माण
एसडब्ल्यूआरएम–15, जेएसएल–55, 5एसपी	सीमलैस पाइप
एसएई 1012एस (ब्लूम)	वायर रॉड एप्लिकेशन
एआईएसआई12एल14 (ब्लूम)	फ्री कटिंग स्टील
कॉर्टेन स्टील	रेल–वैगन बॉडी निर्माण

अनुसंधान एवं विकास कार्य (पूर्ण किए जाने हैं)

- मैसर्स रॉकवैल आटोमेशन एवं आईआईटी, कानपुर के सहयोग से निजि स्रोत से ब्रेक आउट प्रिडिक्शन प्रणाली विकसित की गई जो आयातित टेक्नालॉजी के मुकाबले 5 गुना सस्ती है (परियोजना का ट्रायल चल रहा है)। इससे ब्रेक आउट्स रोकने के लिए बाद में स्वतः सुधार के साथ स्लैब कास्टर मोड्स में स्टिकर्स की पहचान कर ली जाएगी।

विशेषताएं:

- ब्रेक आउट प्रिडिक्शन के अंतर्गत, दो प्लेन्स में मोल्ड वार एवं नेरो प्लेट्स के आर–पार समान रूप से रखी गई एम्बेडेड सीथड थर्मोकपल्स द्वारा मोल्ड तापमान को मापना शामिल है। सामान्य कास्टिंग प्रचालन के दौरान थर्मोकपल पेयर्स में तापमान अंतराल तकरीबन स्थिर रहा।
- फिर भी, स्टिकर द्वारा हुए हॉड स्पॉट डेवलपमेंट के कारण, पहले (उपरी) थर्मोकपल का तापमान अचानक बढ़ जाता है। दूसरा (निचला) थर्मोकपल तब भी सामान्य परिस्थिति में रहता है। जैसे ही हॉट स्पॉट नीचे की ओर जाता है, पहले थर्मोकपल का तापमान कम हो जाता है जबकि दूसरे में बढ़ जाता है। उपरोक्त लक्षण का पूर्वानुमान लगाया जाता है और सुधार करने के लिए अलार्म बजता है।

अतिरिक्त विशेषताएं:

- कलर स्केल में डिफ्रेंशियल तापमानों की प्लॉटिंग कर मोल्ड की थर्मल इमेजिंग। इससे स्टील फ्लो पैटर्न में किसी भी किस्म का परिवर्तन, मोल्ड प्रविधियों में विचलन आदि दिखाई देता है ताकि सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।
- वास्तविक तापमान एवं कास्टिंग स्पीड के थर्मल मैप का प्रदर्शन।

- कोयला आधारित डीआरआई भट्टियों में एक्रिशन कम करने का अध्ययन : डीआरआई भट्टियों में अंतिम ट्रायल की प्रतीक्षा है।
- आईआईटी, कानपुर के सहयोग से मिक्स ग्रेड कास्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर का विकास : स्लैब कास्टर में आरंभिक ट्रायल किए गए।
- आईआईटी–कानपुर के सहयोग से टंडिश स्कल कम करने के लिए नियर नेट शेप कास्टर और स्टील स्वच्छता सुधारने के लिए वाटर मॉडलिंग अध्ययन : यह कार्य प्रगति पर है।
- उत्पादकता बढ़ाने के लिए रोटरी भट्टियों में लौह अयस्क पेलेट हेतु प्रक्रिया अनुकूलनः उत्पादकता में 12 प्रतिशत वृद्धि के साथ ट्रायल संपन्न।
- पेट्रोग्राफिक और पायलट कोक ओवन अध्ययनों की मदद से मौजूदा कोकिंग कोयले की जगह विभिन्न स्रोतों के कोकिंग/नॉन–कोकिंग कोयले के इस्तेमाल : प्रगति पर है।
- ब्लास्ट फर्नेस में स्लैग दर कम करने के लिए लौह अयस्क चूर्ण की धुलाई की शुरूआत (फील्ड ट्रायल पूर्ण कर लिए गए): स्लैग की मात्रा 295 कि.ग्रा./टन तप्त धातु से कम होकर 280 कि.ग्रा./टन तप्त धातु हो गई।
- इस्पात बनाने के लिए जैसलमेर से मंहगे लाइम की बजाय डोलोमीटिक लाइम का उत्पादन एवं उपयोगः आरंभिक ट्रायल इस्पात की कीमत 80 रुपये प्रति टन कम करने में सफल रहे।

अनुसंधान एवं विकास पर वर्षवार कुल खर्चः

अनु. एवं विकास खर्च (लाख रुपये में)	2007–08	2008–09	2009–10 (अप्रैल–सितंबर 2009)
पूंजी	126.10	107.15	लागू नहीं
आवर्ती	210.20	207.14	लागू नहीं
कुल	336.30	314.29	250
अनु. एवं विकास खर्च, टर्न ओवर का प्रतिशत	0.06%	0ण्04%	लागू नहीं

अध्याय–VII

ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन

पर्यावरण प्रबंधन और ऊर्जा कार्यकुशलता वैश्विक और घरेलू दोनों स्तरों पर किसी सेक्टर या कंपनी के मूल्यांकन के मामले में बेहद अहम मानक हैं। सरकार के विभिन्न नियमों और स्कीमों के जरिए इस्पात मंत्रालय इस्पात संयंत्रों की ऊर्जा की खपत और प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कदम उठा रहा है। विभिन्न मंचों और उपायों के जरिए इस साल इस्पात मंत्रालय द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं:

पर्यावरण सुरक्षा के लिए कारपोरेट जिम्मेदारी संबंधी चार्टर (सीआरईपी)

पर्यावरणीय प्रदूषण, जल की खपत, ऊर्जा खपत, ठोस कचरा और खतरनाक कचरा में कमी करने के लिए यह इस्पात मंत्रालय के सहयोग से पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ)/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की पहल है। आपसी सहयोग व सहमति के आधार पर प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए बने नियमन का उद्देश्य संबद्ध नियमों व मानकों से भी अधिक लक्ष्य हासिल करना है।

सीपीसीबी में राष्ट्रीय कार्य बल सीआरईपी एक्शन प्वाइंट और लक्ष्यों पर खरे उतरने के मामले की समीक्षा करता है। सीपीसीबी और पर्यावरण व वन मंत्रालय के निर्देश पर इस्पात मंत्रालय ने लक्ष्य के 100 प्रतिशत उपयोग/रिसाइक्लिंग के उद्देश्य को सामने रखते हुए इस्पात संयंत्रों में स्टील बनाने वाले स्लैग के उपयोग/रिसाइक्लिंग के नियमों पर खरे उतरने की समीक्षा की। ऐसे टैग के 100 प्रतिशत उपयोग/रिसाइक्लिंग में तकनीकी परेशानियों को देखते हुए इस्पात मंत्रालय ने स्लैग की रिसाइक्लिंग/उपयोग के लिए एमओईएफ को एक रोडमैप सौंपा।

क्योटो प्रोटोकॉल के तहत क्लीन डेवलपमेंट मेकेनिज्म (सीडीएम)

इस स्कीम के तहत इस्पात मंत्रालय पर्यावरण व वन मंत्रालय की राष्ट्रीय सीडीएम अथॉरिटी के जरिए लोहे और इस्पात संयंत्रों में ऊर्जा कुशल ग्रीन तकनीक अपनाने की पहल कर रहा है। ऊर्जा कुशल तकनीक अपना कर कई लौह और इस्पात संयंत्रों ने कार्बन क्रेडिट का उपयोग करने के लिए मेजबान देशों की स्वीकृति ली है। अभी तक 99 मिलियन टन कार्बन डायऑक्साइड कम करने वाले 127 ऐसे प्रोजेक्ट को नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मेकेनिज्म (सीडीएम) अथॉरिटी ने स्वीकृति दी है। इससे पहले इन परियोजनाओं में से अधिकांश निजी क्षेत्र से थीं। पिछले साल सरकार द्वारा की गई पहल के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू), सेल और आरआईएनएल जैसी इस्पात कंपनियां मेजबान देश की स्वीकृति के लिए सीडीएम प्रोजेक्ट विकसित कर रही हैं।

यूएनडीपी– ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी (जीईएफ) स्टील प्रोजेक्ट

इस प्रोजेक्ट के तहत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और इस्पात मंत्रालय के योगदान से एक स्कीम विकसित की गई है जो ऊर्जा खपत में कमी करने, उत्पादकता सुधारने और ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन और संबंधित प्रदूषण स्तरों में कमी करने जैसे लक्ष्यों के साथ देश में स्टील री–रोलिंग मिलों में ऊर्जा कुशल लो कार्बन टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 34 मॉडल यूनिट्स की अभी तक पहचान की गई है। 15 यूनिट में टेक्नोलॉजी पैकेज लागू कर दिया गया है।

एनईडीओ मॉडल प्रोजेक्ट

जापान सरकार की वित्तीय सहायता से विभिन्न इस्पात संयंत्रों में मॉडल प्रोजेक्ट नाम से जाने वाले इस ऊर्जा कुशल, पर्यावरणानुकूल प्रोजेक्ट की स्थापना की पहल इस्पात मंत्रालय कर रहा है। प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन जापान के न्यू एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन (एनईडीओ) द्वारा किया जा रहा है। अभी तक एक प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन टाटा स्टील में किया गया है और एक अन्य प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 2008–09 के दौरान आरआईएनएल के विशाखापटनम स्टील प्लांट में सिंटर कूलर वेस्ट हीट रिकवरी के लिए एक माडल प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई है और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सरकार सभी औपचारिकताएं पूरी कर रही है।

स्वच्छ विकास और जलवायु पर एशिया–प्रशांत साझेदारी (एपीपीसीडीसी)

इस उपाय के तहत सात देशों अमेरिका, आस्ट्रेलिया, चीन, कनाडा, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक/उपकरण/कोष की आपूर्ति के जरिए ऊर्जा कुशल उपायों को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया है। इसमें लोहा और इस्पात क्षेत्र भी शामिल है। इसके लिए स्टील समेत आठ कार्य बलों का गठन किया गया है। भारत में एपीपीसीडीसी का समन्वय पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा किया जाता है और एमओईएफ से दो और एमईए से एक सदस्य इसकी सर्वोच्च इकाई में है जिसका नाम कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन समिति (पीआईसी) है। इस्पात मंत्रालय इस कार्य बल का सह–अध्यक्ष है।

इस व्यवस्था के तहत स्टील टास्क फोर्स ने ऊर्जा कुशल पर्यावरणानुकूल तकनीकों के क्रियान्वयन के स्तर के मूल्यांकन के लिए भारत में तीन स्टील प्लांट के प्रदर्शन के विश्लेषण के लिए जापान के एनईडीओ के नेतृत्व वाली टीम को लगाया था। टाटा स्टील लिमिटेड और विशाखापटनम स्टील प्लांट (वीएसपी) के प्रदर्शन का विश्लेषण 2008–09 में किया गया और इसकी रिपोर्ट स्टील टास्क फोर्स को

दे दी गई। भारतीय स्टील कंपनियों और इस्पात मंत्रालय इस मकसद के लिए ऊर्जा कुशल/पर्यावरणानुकूल तकनीक और कोष के लिए एक व्यवस्था विकसित कर रहे हैं।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

ऊर्जा संरक्षण एवं पर्यावरण नियंत्रण

- **दुर्गापुर स्टील प्लांट के सिंटर प्लांट 1 में ऊर्जा दक्ष इग्निशन प्रणाली शुरू**

  मशीन 1 में कर्टेन फ्लेम इग्निशन प्रणाली चालू की गई, फलस्वरूप विशिष्ट ऊर्जा खपत में 50 प्रतिशत कटौती होकर यह 27 से कम होकर 13.5 मेगा कैलरी/टन सिंटर और जीएचजी उत्सर्जन में 49 प्रतिशत की कमी के साथ 0.98 से कम होकर 0.50 टन सीओ$_2$/घंटे हुआ। इसके साथ–साथ उत्पादन में 94.8 से बढ़कर 101.9 टन/घंटे बढ़ोत्तरी हासिल हुई।

- **बोकारो स्टील प्लांट के एसएमएस 2 में उच्च तापीय लैडल हीटिंग प्रणाली**

  दो लैडल हीटिंग स्टैंड्स में उच्च तापीय लैड हीटिंग प्रणाली चालू होने से लेडल में अधिक तेजी से हीटिंग हुई और मौजूदा लैडल हीटिंग बर्नर में 24 घंटे में 800 डिग्री सेंटिग्रेड के मुकाबले 15 घंटे में 1200 डिगी सेंटिग्रेड अपेक्षित प्रिहीट तापमान प्राप्त किया गया। लैडल के उच्च ताप से स्कल फार्मेशन में कमी आने की आशा है जिससे लैडल की लाइनिंग मियाद बढ़ेगी।

- **बोकारो स्टील प्लांट स्थित एसएमएस–1 में हॉट लैडल्स हेतु दक्ष एवं फास्टर लैडल कूलर का डिजाइन**

  नैचुरल एयर कूलिंग युक्त 72 घंटे के मुकाबले महज 30 घंटे के अंदर वर्किंग तापमान हेतु हॉट लैडल्स की तेजी से कूलिंग के लिए नई डिजाइन की गई लैडल कूलिंग प्रणाली स्थापित की गई। यह नई प्रणाली खास तौर पर मोनोलिथिक सेफ्टी लाइनिंग युक्त लैडल्स के लिए उपयोग है जिनमें तेजी से कूलिंग के लिए जल के छिड़काव की अनुमति नहीं होती है। इस तरह से लैडल की उपलब्धता बढ़ी है और लैडल्स के सर्कुलेशन की आवृत्ति कम हुई है।

- **तकनीकी सुधार द्वारा सेल के एकीकृत इस्पात कारखानों से कोक ओवन कचरे का उपचार**

  कोक ओवंस में कोकिंग कोयले कार्बनीकरण के दौरान बड़ी मात्रा में टॉक्सिक अपशिष्ट जल का सृजन होता है। उपचारित कचरे की गुणवत्ता में सुधार के लिए, सेल के सभी एकीकृत इस्पात कारखानों से कोक ओवन कचरे के नमूनों का अध्ययन किया गया। प्रयोगशाला में किए गए अध्ययनों से पता चला कि नमूनों का इलेक्ट्रोकेमिकल एवं फोटोकेटालिक उपचार करने से डिजॉल्वड सॉलिड्स में कुल 25 प्रतिशत की कमी आती है, कुल संस्पेडिड सॉल्ड्स 65 प्रतिशत कम होता है और सीओडी (कैमिकल ऑक्सीजन डिमांड) में 40 प्रतिशत की गिरावट आती है। आर्गेनिक टॉक्सिक घटकों में भी महत्वपूर्ण कमियां देखने को मिलीं।

सेल की हरी–भरी राजहारा माइन्स का एक दृश्य।

प्रति टन कच्चे इस्पात पर गीगा कैलरी (जी कैल/टन कच्चा इस्पात) ऊर्जा खपतः

प्लांट	2007–08	2008–09	2009–10 (अप्रैल–सितंबर)
बीएसपी	6.72	6.50	6.57
डीएसपी	6.94	6.50	6.63
आरएसपी	7.39	7.09	7.00
बीएसएल	6.89	6.83	6.74
आईएसपी	8.14	8.18	8.21
सेल	6.95	6.74	6.74

वर्ष 2008–09 के दौरान कार्यान्वित कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम नीचे दिए गएः

भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी)

- एसएमएस 2 में हॉट मेटल डिसल्फराइजेशन यूनिट की स्थापना
- सिंटर प्लांट 2 की मशीन 3 एवं 4 के मल्टी–स्लिट बर्नरों को चालू किया गया – लौह और इस्पात अनुसंधान एवं विकास केंद्र (आरडीसीआईएस)
- 10000 मीटर स्टीम पाइपलाइन इंसुलेशन
- परंपरागत ब्लास्ट्स की जगह इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट का उपयोग

दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी)

- सिंटर प्लांट 2 के नोडलाइजिंग ड्रम में स्टीम इंजेक्शन (आरडीसीआईएस)
- बू आक्सीजन प्लांट एवं सीडीआई चालू
- सीओ एवं बीओएफ गैस होल्डरों की पैच मरम्मत
- मर्चेंट मिल, स्केल्प मिल, व्हील प्लांट एवं सेक्शन मिल में फर्नेसों की हर्थ एवं फ्लू टनल मरम्मत
- प्रतिस्थापनः स्केल्प मिल फर्नेस रेक्यूप्रेटर फर्नेस के टॉप 2 सेगमेंट्स

राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी)

- ईंधन गैसों एवं यूटिलिटीज की बेहतर निगरानी एवं नियंत्रण करने में सक्षम होने के लिए अधिक सिग्नल्स की सुविधा देने की दृष्टि से एनर्जी सेंटर का चरण–II कम्प्यूटरीकरण
- एलडी गैस होल्डर को चालू करने के बाद एलडी गैस रिकवरी को 100 एनएम^3/टन कच्चा इस्पात से अधिक कायम रखना
- 'सीओ' गैस होल्डर को पुनः चालू करने के उपरांत ग्रिड की सेफ्टी कायम रखने के लिए कोक ओवन (सीओ) गैस की निरंतर ब्लीडिंग पर रोकथाम
- प्लेट मिल की वाकिंग बीम फर्नेस में उच्च एमिसिविटी कोटिंग का प्रावधान
- जीरो लीक डोअर्स, ऑन–मैन चार्जिंग एवं कम्प्यूटरीकृत कम्बर्शन प्रणाली से युक्त नई कोक ओवन बैटरी 1 चालू

बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल)

- 17 ओवंस/माह की दर से ओंवस की ड्राई गनाइटिंग
- स्टीम युक्त बीपीपी में 1 एग्जास्टर की रनिंग
- ब्लास्ट फर्नेस 3 एवं 4 के स्टोव्स की मरम्मत
- ब्लास्ट 1 एवं 4 में अमानो स्कोप की स्थापना (आरडीसीआईएस)
- दैनिक उत्पादन सारणी के अनुसार सोकिंग पिट्स का अनुकूलन (पूर्व 18 की जगह 10–12 पिट)
- एलसी–70 कोटिंग के साथ पिट संख्या 32 में संशोधन
- निरंतर आधार पर एक रोटरी भट्टी में सीओ गैस का उपयोग
- हॉट स्ट्रिप मिल के आरएच 4 में क्षतिग्रस्त रेक्युप्रेटर का प्रतिस्थापन
- अनीलिंग 1 में 10 बेस फेन की मरम्मत
- 3 कि.मी. क्षतिग्रस्त वाटरलाइन का प्रतिस्थापन
- हॉट सर्फेसों पर 3000 वर्ग मीटर क्षतिग्रस्त इंसुलेशन का प्रतिस्थापन
- 15 स्टीम ट्रेपों की स्थापना
- 1250 टीपीडी ऑक्सीजन प्लांट (बीओओ आधार पर) चालू
- एसएमएस 2 में कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया नियंत्रण प्रणाली शुरू
- लम्प और स्क्रिनिंग चालू, ताकि ब्लास्ट फर्नेस में पर्मिएब्लिटी में सुधार हो और तद्नुरूप कोक दर में कमी आए।

इस्को स्टील प्लांट (आईएसपी)

- ब्लास्ट फर्नेस 3 की भारी मरम्मत
- ब्लास्ट फर्नेस लौह उत्पादन अनुकूलन हेतु ब्लास्ट फर्नेस 4 को बंद करना
- सोकिंग पिट्स के लिए ब्लास्ट फर्नेस गैस लाइन की सफाई
- बैटरी 8 की मरम्मत
- हैवी स्ट्रक्चरल मिल के रिहीटिंग फर्नेस की भारी मरम्मत
- लौह सेक्शन में डिवाइस पर रिएक्टिव पावर कम्पनसेशन की स्थापना
- ऑन–लाइन सीलिंग द्वारा स्टीम लीकेज पर रोकथाम
- बॉयलर हीटिंग सर्फेस की सफाई

वर्ष 2009–10 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा संरक्षण योजनाओं का कार्यान्वयन चल रहा है:

भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी)

- नया स्लैब कास्टर, आरएच डिगैसर और लैडल फर्नेस
- कोक ओवन बैटरी 5 का पुनर्निर्माण
- सिंटर प्लांट 2 एवं 3 में हॉट वाटर जेनरेशन के लिए सिंटर कूलर से वेस्ट हीट रिकवरी (आरडीसीआईएस)
- ब्लास्ट फर्नेस 4 के स्टोव्स में सुपरवाइजरी कम्प्यूटर नियंत्रण प्रणाली शुरू (आरडीसीआईएस)
- एसएमएस 2 में ब्लूम कास्टर के लिए इलेक्ट्रॉ–मेगनेटिक स्टरर
- प्लेट मिल स्टैंड्स का थाईरिस्टोराइजेशन (एमजी सेट्स का प्रतिस्थापन)
- प्लेट मिल की क्षमता का आधुनिकीकरण एवं विस्तार
- कोक ओवन बैटरी 6 का पुनर्निर्माण

दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी)

- सिंटर प्लांट 1 में मल्टीस्लिट बर्नर शुरू (आरडीसीआईएस)
- ब्लास्ट फर्नेस 3 एवं 4 में सीडीआई का स्टेब्लाइजेशन (आरडीसीआईएस)

राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी)

- ब्लास्ट फर्नेस 4 में सीडीआई
- ब्लास्ट फर्नेस 1 में टार इंजेक्शन
- बैटरी 4 चालू

बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल)

- एसएमएस 2 में समानांतर ब्लोईंग का प्रावधान
- बीएफ 1 में कोल तार इंजेक्शन का उपयोग
- सीसीएस में दूसरी एलएचएफ एवं एक्सटेंशन बे की स्थापना
- तीसरा बीएफ गैस ब्लीडर चालू एवं तीसरे ब्लीडर के लिए एनडी 1400 ब्लास्ट फर्नेस गैस लाइन बिछाने का कार्य संपन्न
- ब्लास्ट फर्नेस 1 की ग्नाइटिंग
- ब्लास्ट फर्नेस 5 की ग्नाइटिंग एवं ओवर बर्डन प्रोब की फिक्सिंग
- बीएफ 2 एवं 3 में सीडीआई की स्थापना
- 8 सिंटर स्क्रीन्स एवं कोक स्क्रीन्स की स्थापना
- बीएफ 2 का नवीकरण
- जीसीपी 2 का आधुनिकीकरण
- कैप्टिव पावर प्लांट हेतु अतिरिक्त बीएफ गैस पाइपलाइन

इस्को स्टील प्लांट (आईएसपी)

- बॉयलर यूनिट में बीएफ गैस शुरू
- स्टीम पाइपलाइन्स एवं हॉट एयर डक्ट्स का थर्मल इंसुलेशन
- आईएसपी के हैवी स्ट्रक्चरल मिल के रिहीटिंग फर्नेस के प्रदर्शन में सुधार (आरडीसीआईएस)

सेल निरंतर पर्यावरण सुधार में विश्वास रखता है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

ऊर्जा प्रबंधन

आरआईएनएल (वीएसपी) में खास ऊर्जा खपत भारत में एकीकृत स्टील प्लांट में सबसे कम है। पिछले कुछ सालों में कंपनी द्वारा अपनाए गए कई सारे ऊर्जा खपत कम करने के उपायों के बावजूद इसकी ऊर्जा खपत बढ़ती जा रही है जो इस सारणी से साफ है:

प्रतिटन तरल इस्पात पर गीगा कैलरी ऊर्जा खपत (जीकैल/टन तरल इस्पात):

वर्ष	ऊर्जा खपत (जी.कैल/टन तरल इस्पात)
2007–08	6.21
2008–09	6.45
2009–10 (दिसंबर तक)	6.56

ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय/उठाए गए कदम एवं भावी योजनाएं

- थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर 1 के ट्यूबलर एयर हीटर की प्रतिस्थापना
- चिल्ड वाटर प्लांट 1 में पर्यावरण अनुकूल एवं ऊर्जा दक्ष चिलर्स से युक्त 5 मौजूदा चिलर्स की प्रतिस्थापना
- चिल्ड वाटर प्लांट 3 में पर्यावरण अनुकूल एवं ऊर्जा दक्ष चिलर्स से युक्त 2, 4, 5, 6, एवं 8 मौजूदा चिलर्स की प्रतिस्थापना
- चिल्ड वाटर प्लांट 4 में पर्यावरण अनुकूल एवं ऊर्जा दक्ष चिलर्स से युक्त 3 मौजूदा चिलर्स की प्रतिस्थापना
- सिंटर प्लांट में इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स का संचालन
- थर्मल पावर प्लांट बॉयलर्स 3 एवं 4 के इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स में इलेक्ट्रानिक कंट्रोलर्स की स्थापना
- चौथा एलडी गैस रिकवरी प्लांट चालू
- सुपरवाइजरी नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण प्रणाली का नवीकरण
- एमएमएसएम फर्नेसों के स्तर 2 स्वचालन चालू
- एमएमएसएम के वाकिंग बीम फर्नेस 2 में एयर रेक्यूप्रेटर की प्रतिस्थापना

आरआईएनएल में पर्यावरण संरक्षण/सुधार में योगदान देने वाले कर्मचारियों को "ग्रीन अवार्ड" से सम्मानित किया गया।

वेस्ट हीट रिकवरी

- एलडी गैस रिकवरी प्लांट में प्राप्त कुल एलडी गैस की मात्रा – 197.613 मिलियन नॉर्मल क्यूबिक मीटर
- बैक प्रैशर टरबाइन स्टेशन में कुल उत्पादित बिजली – 75845 मेघावाट घंटा
- गैस एक्सपेंशन टरबाइन स्टेशन में कुल उत्पादित बिजली – 57316 मेघावाट घंटा

आरआईएनएल को नवंबर 2009 में सीआईआई–गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा एक ऊर्जा दक्ष यूनिट के रूप में सम्मानित किया गया।

एनएमडीसी लिमिटेड

कर्नाटक एवं छत्तीसगढ़ स्थित परियोजनाओं से वास्तविक ऊर्जा खपतः

वर्ष 2007–08 के लिए ऊर्जा खपत	:	1.78 कि.वा.घं. प्रति टन लौह अयस्क का उत्खनन
वर्ष 2008–09 के लिए ऊर्जा खपत	:	1.79 कि.वा.घं. प्रति टन लौह अयस्क का उत्खनन
अप्रैल–दिसंबर 2009 के दौरान ऊर्जा खपत	:	1.76 कि.वा.घं. प्रति टन लौह अयस्क का उत्खनन

ऊर्जा खपत में कटौती के लिए किए गए उपाय/उठाए गए कदम एवं इस आशय की भावी योजनाएंः

एनएमडीसी ने मैसर्स इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, वडोदरा, गुजरात कंसलटेंट के जरिए ऊर्जा आडिट अध्ययन किए, जिन्होंने दोनीमलाई एवं बछेली कॉम्प्लेक्स परियोजनाओं के ऊर्जा संरक्षण मसलों का समाधान किया है और उनकी सिफारिशों को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। एचटी एवं एलटी पर स्टेटिक केपिसिटर युक्त समुचित मांग प्रबंधन का लगभग 0.95 पावर फैक्टर कायम रखा जा रहा है। नगरियों में स्थित आवासीय क्वार्टरों में इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट युक्त फ्लोरोसेंट लैम्प लगाए गए। यह प्रथा जारी रहेगी।

परंपरागत वायर–वाउंड रेगुलेटरों की जगह इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटरों की स्थापना की गई और यह प्रथा जारी रहेगी। स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक इमारतों की लाइट, माइन हॉल रोड की विकास व्यवस्था एवं इक्विपमेंट प्रकाश व्यवस्था, संयंत्र का विद्युतिकरण इत्यादि का ऑटोमेटिक स्विच ऑफ के लिए टाइमर्स लगाए गए और इनके प्रदर्शन की निरंतर निगरानी की जा रही है।

आवासीय के साथ–साथ सार्वजनिक इमारतों में बिजली की बरबादी पर बेहतर परामर्श द्वारा टाउनशिप की समग्र ऊर्जा खपत निरंतर कम हो रही है। वीएफ ड्राइव्स के जरिए संचालित ऊर्जा दक्ष मोटर्स को पुराने वर्तमान नियंत्रण मोटरों की जगह लगाया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से प्रकाश कारखाने की इमारतों तक पहुंचाने के लिए पारदर्शी शीट्स लगाई गई हैं। बिजली उत्पादन के लिए डाउनहिल कन्वेयर प्रणाली में अनुकूलतम फीड दर कायम रखी गई और ऊर्जा की समग्र खपत कम करने के लिए एक फीड बैक प्रणाली स्थापित की गई।

पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपायः

एनएमडीसी के बैलाडिला डिपोजिट 5, बैलाडिला डिपोजिट 14/11सी, दोनीमलाई आयरन अयस्क परियोजना एवं हीरा खनन परियोजना मजगांव, पन्ना को आईएसओ 14001:2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों से प्रमाणित किया गया है।

वछेली, किरानदुल एवं दोनीमलाई स्थित लौह अयस्क परियोजनाओं में ग्रीष्मकाल 2009 के दौरान एम्बिऐंट एयर क्वालिटी का अध्ययन किया गया और पता चला कि औद्योगिक एवं आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अंदर ही सभी पार्टिकुलेट एवं गैसीयस पॉल्यूटेंट्स हैं।

परियोजनाओं के तहत की गई गतिविधियों का विवरण नीचे दिया जा रहा हैः

- टेलिंग बांध, चैक बांधों इत्यादि की डिसिल्टिंग
- उद्यानों, नर्सरी इत्यादि का विकास एवं रख–रखाव
- वृक्षारोपण एवं रख–रखाव
- जहां जरूरी हुआ बटरस वाल्स/रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) वाल्स का निर्माण
- सभी ब्लास्ट होल ड्रिल मशीनों में डस्ट स्प्रैशर्स (वाटर इंजेक्शन) का प्रावधान
- धूल उत्सर्जन को रात–दिन नियंत्रित रखने के लिए हॉल सड़क मार्गों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव
- अधिक दक्षतापूर्वक धूल शमन के लिए डस्ट बाइंडिंग केमिकल कंपाउंड भी जोड़ा गया है

- ऐसे प्राइमरी क्रसर में पानी का नियमित छिड़काव; जहां क्रशिंग के साथ–साथ समस्त ट्रांसफर प्वाइंट्स के दौरान धूल सृजन की रोकथाम के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए नोजल्स लगे उच्च प्रैशर वाटर जैट्स के जरिए अयस्क को क्रशिंग के लिए इकट्ठा किया जाता है।
- लौह अयस्क की स्क्रीनिंग के दौरान धूल नियंत्रण पुनः नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव करते हुए स्क्रीनिंग प्लांट में वेट स्क्रीनिंग की प्रथा है।
- जल संरक्षण, जिसे स्क्रीनिंग प्लांट में पुनः उपयोग के लिए रिसाइकिल किया जाता है, के साथ लौह अयस्क की अधिकतम रिकवरी के लिए कम गति के क्लासिफायर्स एवं हाइड्रोसाइकलोन एवं उच्च रफ्तार एवं थिकनर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।
- धूल उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए बेल्ट कन्वेयर्स को ढक कर रखा जाता है। चूर्ण अयस्क के बिखराव को रोकने, जिससे धूल उड़ सकती है, के लिए भी कन्वेयर्स की गति एवं फीड का नियमन किया जाता है।

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

कंपनी की पर्यावरण अनुकूल खनन रणनीति में निम्न शामिल हैं:

- वैज्ञानिक खान योजना
- प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण उपाय
- संसाधन उपयोग का अनुकूलन
- हवा, जल, ध्वनि एवं कंपन्न गुणवत्ता की नियमित निगरानी
- डिग्रेडेड जमीन को बॉयलॉजिकल रिक्लेमेशन
- पुनः प्राप्त क्षेत्रों की पुनः बहाली
- ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास

वायु, जल, ध्वनि एवं खतरनाक कचरे के लिए उत्सर्जन/प्रदूषण का वर्तमान स्तर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा निर्धारित किया जाता है। इन घटकों की नियमित निगरानी निजी स्तर के साथ–साथ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारियों द्वारा किया जाता है। उत्सर्जन/प्रदूषण को सक्षम एजेंसियों द्वारा निर्धारित मानकों से नीचे पाया गया। प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए जिनका संक्षिप्त रूप से नीचे वर्णन किया जाता रहा है:

वायु प्रदूषण नियंत्रण

धूल उत्सर्जन के केंद्र हैं: i) ब्लास्ट होल ड्रिलिंग ii) ब्लास्टिंग iii) कूड़ा–कर्कट की लदाई iv) अयस्क, वेस्ट रॉक तथा मृदा v) क्रशर्स एवं अयस्क प्रोसेसिंग प्लांट vi) अयस्क का ट्रकों में प्रेषण। इन केंद्रों पर धूल का शमन निम्न तरीकों से सुनिश्चित किया जाता है:

- ब्लास्ट होल्स की वेट ड्रिलिंग।
- लोडिंग से पहले कूड़े–कर्कट को गीला किया जाता है।
- ढुलाई सड़कों पर पानी का छिड़काव अक्सर किया जाएगा, जिसके लिए पानी के टैंकरों में छिड़काव की व्यवस्था की गई है।
- गहरे बड़े ब्लास्ट हॉल की ड्रिलिंग के दौरान निकलने वाले धूल को नियंत्रित करने के लिए विनिर्माताओं द्वारा यथा अनुशंसित ड्रिलिंग गति रखी जाती है।

उत्सर्जन का नियंत्रण करने के लिए नियमित रूप से वाहनों एवं मशीनरियों का रख–रखाव किया जाता है; सभी समस्त मशीनरी की समय पर समुचित रख–रखाव के लिए खनन क्षेत्र में एक पूर्णतः सुसज्जित वर्कशॉप कार्य कर रही है। इस तरह से समुचित रख–रखाव से यह सुनिश्चित होगा कि इनसे गैस उत्सर्जन कम से कम हो।

ढुलाई मार्गों एवं ओवरबर्डन डम्प्स में हरित पट्टी का विकास किया गया है धूल धूसरित माहौल में सभी कामगारों को डस्ट रेस्पिरेटर्स प्रदान किए गए हैं; एक अच्छे गृह रख–रखाव एवं समुचित अनुरक्षण को आत्मसात किया जाता है जिससे प्रदूषण नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

जल प्रदूषण

- भूमिगत खनन प्रचालन के दौरान पम्प किए गए पानी को वृक्षारोपण एवं सैंड स्टोविंग प्रचालन के लिए पूर्णतः उपयोग किया जाता है।
- खुले गड्ढ़ों में एकत्रित बरसात का पानी हर वर्ष धूल शमन एवं वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है।
- नजदीक के जल स्रोतों में किसी भी खान से पानी की निकासी नहीं की जाती।

ध्वनि प्रदूषण

ध्वनि एवं जमीन के कंपन को कम करने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं:

- उपयुक्त मशीनरी एवं उपकरण का चयन कर, उपकरण की समुचित माउंटिंग एवं वेंटिलेशन प्रणालियों द्वारा स्रोत पर ही ध्वनि कम करने का बेहतर तरीका अपनाया जाता है और जहां व्यावहारिक हो, ध्वनि इंसुलेटिंग एन्कलोजर्स या पैडिंग प्रदान किए जाते हैं।

- नए उपकरण खरीदे जाते हैं और इस तरह से इनके डिजाइन/प्रचालन के लिए ध्वनि उत्सर्जन अनुकूलतम होता है। समुचित रख–रखाव/कार्य किया जाता है ताकि ध्वनि स्तर सीमा के अंदर रहे।
- ध्वनि ट्रांसमिशन को रोकने के लिए खान क्षेत्र में और आस–पास झाड़ियों वाले पेड़ लगाने से यह एक अच्छी छत्तरी का काम करती है। खनन क्षेत्रों में ध्वनि को कम करने में सहायक भूमिका अदा करने के लिए विभिन्न ऊंचाई के पेड़ों वाली एक 50 मीटर चौड़ी पट्टी उपयोग है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

- विवेच्य अवधि के दौरान औसतन 3.0 मिलियन घन मीटर ठोस अपशिष्ट पैदा हुआ। मॉयल ने इस अपशिष्ट को दो श्रेणियों में विभाजित करने की एक प्रणाली अपनाई है यथाः (प) व्हाइट वेस्ट और (पप) ब्लेक वेस्ट। दोनों ही वेस्ट अलग–अलग एवं व्यवस्थित रूप से फैंके जाते हैं। व्हाइट वेस्ट पूर्णतः वेस्ट रॉक है और ब्लेक वेस्ट अधिकांशतः मेग्नीफरस रॉक्स अथवा सब ग्रेड मिनरल है जिसका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है।
- व्हाइट डम्प्स एक बार भर जाए तो उन पर वृक्षारोपण किया जाता है। मॉयल ने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) के परामर्श से इन व्हाइट डम्प्स पर सफलतापूर्वक वृक्षारोपण किया है।
- नए एवं सक्रिय डम्प्स को जमीन स्तर पर चारों ओर से एक मीटर ऊंचाई की बैंचिंग और ट्रेंच कटिंग/स्टोन पिचिंग वाली दीवार बनाई जाती है।

वृक्षारोपण के प्रयास

स्थानीय वृक्ष प्रजातियों का व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाता है। मॉयल ने पिछले 20 वर्षों के दौरान अपनी सभी खानों में 14 लाख से अधिक वृक्ष लगाए।

प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर हुआ खर्च

धूल शमन, ध्वनि नियंत्रण, कंपन नियंत्रण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर होने वाले खर्च को कंपनी की खनन लागत में जोड़ा जाता है। वृक्षारोपण एवं निगरानी पर निम्न खर्च हुआः

वर्ष	लाख रुपये में
2007–08	46.28
2008–09	53.05
2009–10 (दिसंबर 2009 तक – अनंतिम)	60.42

ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता से संबंधित संगठन द्वारा उठाए गए कदम

कि.वा.घ. खपत प्रति टन	2007–08	2008–09	2009.10 (दिसंबर 2009 तक – अनंतिम)
मैंगनीज अयस्क	12.25	15.90	17.20
इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड	2268	2300	2456
फैरो मैंगनीज	2862	3016	2946

मेकॉन लिमिटेड

एक परामर्शदात्री संगठन होने के नाते मेकॉन लिमिटेड स्वयं कुछ प्रचालन/किसी बड़े पैमाने पर प्लांट या मशीनरी कुछ ऐसा विनिर्माण नहीं करती है जिसके लिए ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण अथवा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वितांत प्रयासों की जरूरत हो। फिर भी मेकॉन द्वारा अपने ग्राहकों के लिए किए गए प्रयासों, जिनके तहत इन महत्वपूर्ण मसलों का निराकरण किया जाता है, पर निम्न पैराग्राफों में प्रकाश डाला गया हैः

ऊर्जा संरक्षण

भारत द्वारा हस्ताक्षरित केओटो प्रोटोकोल के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ऊर्जा संरक्षण सहित प्रौद्योगिकी आविष्कार द्वारा ग्रीन हाउस गैसों को कम करना भारत में व्यवसाय का एक नया क्षेत्र है। मेकॉन ने क्लीन डेवलपमेंट मेकेनिजम (सीडीएम) में अपने विशेषज्ञों को प्रशिक्षित कर इस नये क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर ली है। इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए पर्यावरण इंजीनियरी अनुभाग में एक मौसम बदलाव प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। सीडीएम के क्षेत्र में, मेकॉन बोकारो इस्पात कारखाने से उनके मैसर्स स्टील प्लांटेक कंपनी (एसपीसीओ) जापान के सहयोग से मेरामंडली में अपनी स्पंज आयरन परियोजना के लिए पीआईएन एवं पीडीडी तैयार करने के लिए सीडीएम कार्य कर रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलरों में भट्टे वेस्ट गैसों की हीट का उपयोग कर बिजली तैयार की जा रही है और इसका वितरण ग्रिड में किया जा रहा है। यदि इस परियोजना को यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लामेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) द्वारा मंजूर किया जाता है तो एसपीसीओ जापान ने बीएसएल से प्रमाणिकृत एमिशन रिडक्शंस (सीईआर) खरीदने का निश्चय किया है। इसके लिए एसपीसीओ द्वारा धन जुटाया जा रहा है। मेकॉन के पास सदैव सीडीएम हकदारी के जरिए सीईआर की भागीदारी भी होगी।

क्लीन डेवलपमेंट मेकेनिजम के क्षेत्र में, मेकॉन ने सेल के बोकारो इस्पात कारखाने हेतु रिजेनरेटिव बर्नरस युक्त रिहीटिंग फर्नेस एवं दुर्गापुर इस्पात कारखाने हेतु कोक ड्राई क्वेंचिंग के लिए पीडीडी ऊर्जा बचत योजना बनाने के लिए मैसर्स एसपीसीओ का आर्डर पूरा किया है।

प्रदूषण नियंत्रण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म (सीडीएम) परियोजना के रूप में यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) द्वारा वृक्षारोपण एवं पुनः वृक्षारोपण प्रयासों को अब मंजूरी दे दी गई है क्योंकि ऐसा करने से कार्बन डाई आक्साइड समाहित होती है एवं ग्रीन हाउस गैसें (जीएचजी) कम होती हैं। वन क्षेत्र द्वारा ग्रीन हाउस गैसों को पृथक करने के क्षेत्र में, यूएनएफसीसीसी सचिवालय, जर्मनी द्वारा मेकॉन के एक वैज्ञानिक को चुना गया है और उन्हें वृक्षारोपण एवं पुनः वृक्षारोपण कार्य दल में रखा गया है।

मेकॉन ने स्वयं की इंजीनियरी से बनाए गए उत्पादन कारखानों से शून्य डिस्चार्ज प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण इंजीनियरी प्रयास किए हैं।

मेकॉन ने रॉ मैटीरियल डिविजन, सेल कारखानों, पर्यावरण प्रभाव आकलन/पर्यावरण प्रबंधन योजना, भूषण स्टील लिमिटेड इत्यादि के लिए (ईआईए/ईएमपी) रिपोर्ट्स तैयार की हैं।

मेकॉन की पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत मान्यता प्राप्त पर्यावरण इंजीनियरी प्रयोगशाला निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न इस्पात कारखानों और अन्य क्षेत्रों के लिए सैम्पलिंग, टेस्टिंग एवं वायु, जल, ध्वनि, सीवेज एवं मृदा गुणवत्ता के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करती है।

मेकॉन ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से देश में स्पंज आयरन कारखानों के लिए पर्यावरण मानक तैयार किए हैं और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इसे सिंटर प्लांट्स के लिए पर्यावरण एवं ऊर्जा बचत मानकों को तैयार करने के लिए कहा है; रिरोलिंग मिल्स के लिए व्यापक उद्योग दस्तावेज एवं पर्यावरण मानकों के विकास की परियोजना; एकीकृत लौह एवं इस्पात उद्योग में सृजित ठोस एवं हानिकारक अपशिष्ट के प्रबंधन की दिशानिर्देश बनाने इत्यादि।

मेकॉन ने यूएनडीपी/जीईएफ, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार से भारत में स्टील रिरोलिंग मिल्स में प्रत्येक में पांच मॉडल यूनिट में आईएसओ 9001 एवं आईएसओ 14001 कार्यान्वित करने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रतिष्ठित कार्य प्राप्त किए हैं।

मेकॉन ने आईएसपी, बर्नपुर के कोक ओवन बैटरी सं. 10 का पुनर्निर्माण कार्य का जिम्मा लिया है और कोक ओवन कचरे के डिग्रेडेशन हेतु बॉयोलॉजिकल आक्सिडेशन और डिफेनोलाइजेशन एवं आईएसपी बर्नपुर के 2.5 मिलियन टन विस्तार हेतु बीओडी प्लांट के लिए भी एक कंसलटेंट है। इसके अलावा, मेकॉन नाल्को, अंगुल के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज सुविधाओं एवं अन्य कचरा उपचार सुविधाओं; बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर की सेल परियोजनाओं के साथ–साथ विभिन्न निजी क्षेत्र की कंपनियों जैसे भूषण ग्रुप, जिंदल ग्रुप इत्यादि के लिए विस्तृत इंजीनियरी कार्य कर रहा है। मेकॉन ने आईएसपी सेल के लिए टेक्निकल स्पेसिफिकेंशंस कंटिन्युअस एम्बिऐंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रणाली एवं हरित पट्टी विकसित करने के लिए भी कार्य किया है। मेकॉन द्वारा टेलिंग पांड एवं दक्षिण कालियापानी स्थित अपने दो क्रोम और बेनिफिसिएंश कारखानों के लिए कचरा उपचार के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

ऊर्जा संरक्षण

ऊर्जा प्रबंधन के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों के तहत कंपनी ने अपनी यूनिट की ऊर्जा कुशलता में काफी सुधार किए हैं। प्रति टन स्पंज आयरन के लिए 160 यूनिट की सामान्य जरूरत के बदले कंपनी ने 146 यूनिट प्रति टन स्पंज आयरन के स्तर को अप्रैल–दिसंबर 2009 के दौरान हासिल किया।

ऊर्जा के संरक्षण के उपाय के तहत कंपनी ने प्लांट की बेहतरी व आधुनिकीकरण के लिए वेस्ट हीट रिकवरी (डब्ल्यूएचआर) और कैप्टिव पॉवर प्लांट (सीपीपी) में निवेश किए।

पर्यावरण प्रबंधन और ठोस कचरा प्रबंधन

आंध्र प्रदेश पॉलूशन कंट्रोल बोर्ड/सेंट्रल पॉलूशन कंट्रोल बोर्ड के सभी प्रावधानों का तय मानकों के अनुसार पालन किया जाता है।

ठोस कचरा प्रबंधन

- ठोस कचरा सृजन 300 टन प्रति वर्ष है जो कारखाने के अंदर निचले क्षेत्रों को भरने के लिए उपयोगी है।

केआईओसीएल लिमिटेड

ऊर्जा संरक्षण

कुद्रेमुख में

दिसंबर के दौरान मौजूदा बाल मिल मोटर के स्थान पर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट बैंक्स चालू किये किये। इस कारण से, कुद्रेमुख में प्रति घंटे 95 किलोवाट बिजली खपत में बचत होगी। वार्षिक बचत निम्न प्रकार से होगी :

ऊर्जा बचत प्रति घंटा	=	95 कि.वा.घं.
ऊर्जा बचत प्रति दिन (8 घंटे प्रति दिन)	=	760 कि.वा.घं.
ऊर्जा बचत प्रति वर्ष (760 x 365)	=	277400 कि.वा.घं. कि.वा.घं
वार्षिक ऊर्जा लागत बचत @ 4.30 रुपये/यूनिट	=	11,92,620/– रुपये

कुद्रेमुख साइट पर उत्पादन न होने के कारण कोई अन्य ऊर्जा संरक्षण उपाय नहीं किए गए।

01.04.2009 से 30.09.2009 तक कुल ऊर्जा खपत 4.7012 जीडब्ल्यूएच हुई।

मंगलौर में

पेलेट प्लांट, पोर्ट सुविधाएं एवं केप्टिव पावर प्लांट

कुल खपत हुई ऊर्जाः (गीगा वाट घंटे में)

- वर्ष 2008–09 हेतु 114.40 जीडब्ल्यूएच
- वर्ष 2009–10 (सितंबर 2009 तक)* हेतु 19.07 जीडब्ल्यूएच

* *मंदी के कारण प्लांट को निरंतर नहीं चलाया जा सका।*

विगत 2 वर्षों के दौरान एवं अप्रैल से सितंबर 2009 तक ऊर्जा खपत प्रति टन पेलेट किलोवाट घंटे में निम्न हैः

वर्ष	2007–08	2008–09	2009.10 (सितंबर 2009 तक)
पेलेट्स की विद्युत खपत प्रति टन (किलो वाट घंटे/टन)	84.10	86.90	78.14
पेलेट्स की तापीय खपत प्रति टन *000 कि. केलोरीज में	237.0	241.0	236.12

ब्लास्ट फर्नेस यूनिट

क) ऊर्जा खपत का विवरणः

वर्ष	कुल खपत जी.डब्ल्यू.एच. में
2007–08	33.60
2008–09	25.20
2009–10 (सितंबर 2009 तक)	11.99

ख) विशेष ऊर्जा खपत और कोक दर

वर्ष	हॉट मेटल की विशेष ऊर्जा कि.वा.घ./टन	हॉट मेटल की कोक दर के.जी./टन
2007–08	214	756
2008–09	213	711
2009–10 (सितंबर 2009 तक)*	190	661

**05.08.2009 से प्लांट बंद है।*

पर्यावरण प्रबंधन

प्रदूषण नियंत्रण एवं ठोस कचरा प्रबंधन

खनन एवं संबंधित गतिविधियों पर रोकः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, कुद्रमेख माइन में 31.12.2005 से खनन प्रचालन बंद हो गया है। डिसिल्टिंग, चैक बांध इत्यादि के निर्माण जैसे प्रदूषण नियंत्रण कार्यों को संपन्न करने के लिए वन विभाग से अनुमति की जरूरत होती है क्योंकि 4605 हेक्टेयर कुल लीज क्षेत्र में से 3203.55 हेक्टेयर वन भूमि कुद्रेमुख राष्ट्रीय पार्क से जुड़ी है।

उपचार यूनिट्स

वेयरहाउस, कंसंट्रेटर एवं टाउनशिप में सीवेज ट्रीटमेंट कारखानों का प्रचालन नियमित रूप से किया जा रहा है।

वनरोपण गतिविधि

2008–09 के दौरान खनन परित्यक्त क्षेत्र में कोई वन रोपण गतिविधियां नहीं की गईं क्योंकि वन क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित हैं।

निगरानी एवं मापन

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) द्वारा मासिक आधार पर भद्रा नदी के उपरी हिस्से एवं निचले हिस्सों में पानी की गुणवत्ता एवं तीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों से सीवेज कचरे की निगरानी की जा रही है।

ठोस कचरा प्रबंधन

आवासीय एवं सार्वजनिक क्षेत्रों से प्रतिदिन 2 टन एकत्रित म्युनिसिपल ठोस कचरे को आवासीय क्षेत्र से लगभग 3 कि.मी. दूर लैंडफिल एरिया में डाल दिया जाता है।

टाउनशिप एसटीपी से उत्पन्न सीवेज स्लज टाउन पार्क में बागवानी के लिए उपयोग किया जा रहा है और स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा भी खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

मंगलौर में

पेलेट प्लांट, पोर्ट सुविधाएं तथा केप्टिव पावर प्लांट

- गाद को रोकने के लिए कैच बांध के साथ कारखाना क्षेत्र में ड्रेन्स की व्यवस्था की गई है। इस तरह एकत्रित गाद को संसाधन संरक्षण/प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से प्रक्रिया में पुनः परिचालित किया जाता है।
- धूल शमन के लिए औद्योगिक क्षेत्र में पानी का छिड़काव किया जा रहा है।
- कारखाना परिसर में 200 पौधे लगाए गए।
- बेंटोनाइट ग्राइंडिंग, लाइम स्टोन एवं कोक ग्राइंडिंग यूनिटों में उत्पन्न धूल को रिवर्स जैट बैक फिल्टर लगाकर नियंत्रित किया जा रहा है। इस यूनिट के साथ लगे स्टैक से उत्सर्जन का इस तरह से मुआयना किया जाता है कि इसकी मात्रा हवा में निर्धारित मानकों के अंदर हो।
- उत्पादन के दौरान उत्पन्न धूल का मुकाबला करने के लिए पेलेट प्लांट में मल्टीक्लोन्स एवं वेट स्क्रबर्स लगाए गए हैं। मल्टीक्लोन्स से एकत्रित धूल को पेलूट चूर्ण के रूप में पुनः परिचालित/निपटान कर दिया जाता है।
- थिकनर में सक्रबर से आउटलेट को गाढ़ा किया जाता है और पुनः फिल्ट्रेशन/प्रोसेसिंग के लिए फिल्टर प्लांट के लिए थिकनर का अंडरफ्लो स्लरी टैंक्स में भरा जाता है।
- केप्टिव पावर प्लांट स्थित फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन यूनिटें एनएओएच युक्त डीजी सैट्स के एग्जॉस्ट में एसओ$_2$ गैसों को स्क्रब करती है। इससे एसओ$_2$ उत्सर्जन में 90 प्रतिशत से अधिक कमी आती है।
- बाल मिल क्षेत्र में छितरन को रोकने के लिए एक गड्ढे का निर्माण किया गया है। छितरित सामग्री को पुनः प्रक्रिया में परिचालित किया जाता है।

ब्लास्ट फर्नेस यूनिट में

- धूल का शमन करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में पानी का छिड़काव किया जा रहा है।
- ब्लास्ट फर्नेस में डस्ट कैचर, गैस क्लीनिंग प्लांट एवं कचरा उपचार प्लांट (थिकनर्स) प्रदान किए गए हैं।
- उपचार प्लांट (थिकनर्स): स्लरी के रूप में थिकनर में से अलग किए गए ठोस पदार्थ को संसाधनों के संरक्षण की दृष्टि से पुनः परिचालन के लिए टैंकरों के जरिए पेलेट प्लांट में भेजा जा रहा है।
- रेन हार्वेस्टिंग/जल संरक्षणः मानसून की बरसात के पानी को एकत्रित करने एवं जलाशय में भरने की एक प्रणाली 2006 में विकसित की गई। बरसात के पानी की हार्वेस्टिंग 2007 से मानसून के बाद सफलतापूर्वक की जा रही है।
- हर वर्ष कम से कम 200–250 पौधे नियमित रूप से लगाए जा रहे हैं।

वैधानिक आवश्यकता का अनुपालन (सभी स्थानों पर)

- वायु एवं जल गुणवत्ता निगरानी के संबंध में केएसपीसीबी द्वारा निर्धारित मानकों का सभी कार्यक्षेत्रों में अनुपालन किया जा रहा है।
- सहमतियां/प्राधिकार का समय पर नवीकरण किया जा रहा है।
- सहमतियों में निर्धारित शर्तों के संबंध में अनुपालन स्थिति को नियमित रूप से संबंधित प्राधिकारियों के पास भेजा जाता है। सहमति शर्तों का अनुपालन संतोषजनक है।
- कंपनी ने निम्न अपेक्षाओं को पूर्णतः कार्यान्वित किया है:
  - बैटरी नियमावली 2001
  - हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधित) नियमावली 2003
  - बॉयो मेडिकल अपशिष्ट नियमावली 1998
  - जल अधिनियम 1974
  - वायु अधिनियम 1981
  - पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986

कंपनी के पास मंगलौर प्रतिष्ठान के लिए आईएसओ–14001, आईएसओ–9001 और आईएसओ–18001 वैध प्रमाण पत्र हैं।

टाटा स्टील लिमिटेड

ऊर्जा प्रबंधन

नई टाटा स्टील हाइड्रोजन हार्वेस्टिंग प्रोसेस टेक्नालॉजी का प्रदर्शन करने के लिए फेरो अलॉय प्लांट, बामनीपल में एक पायलट टेक्नालॉजी डेमांस्ट्रेशन प्लांट लगाया गया। इस प्रक्रिया में मॉल्टन स्टील एवं फैरो एलॉयस मेकिंग स्लैग्स के वेस्ट हीट का उपयोग करते हुए हाइड्रोजन गैस तैयार की गई। इस परियोजना को जुलाई 2009 में प्रतिष्ठित टाटा इन्नोविस्टा प्रोमिसिंग इन्नोवेषण पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।

	2007–08	2008–09	2009–10 (अप्रैल–दिसंबर 2009)
विशिष्ट ऊर्जा खपत	6.655 जीकैल/टीसीएस	6.587 जीकैल/टीसीएस	6.173 जीकैल/टीसीएस

उठाए गए कदम

- 120 मेगावाट बाय–प्रोडक्ट गैस फायर्ड पावर प्लांट की स्थापना एवं चालू
- एलडी गैस रिकवरी में वृद्धि
- पुरानी एवं अक्षम ब्लास्ट फर्नेसेस एवं ब्लोअर्स बंद
- उच्च टॉप प्रैशर प्रचालन के साथ 'सी' ब्लास्ट फर्नेस का नवीकरण
- ब्लास्ट फर्नेस में अधिक कोयला प्रक्षेपण
- केप्टिव बिजली संयंत्रों की बॉयलर दक्षता में सुधार

वर्ष 2009–10 में पर्यावरण पहल

परिणाम और कार्रवाइयां

- स्टील प्लांट से विशिष्ट जल प्रदूषण डिस्चार्ज में 30 प्रतिशत की कमी के साथ यह 2008–09 में 0.13 कि.ग्रा./टन कच्चा इस्पात से कम होकर 2009–10 (दिसंबर 2009 तक) में 0.09 कि.ग्रा./टन कच्चा इस्पात निम्न कारणों से हुआः
  - सनसूंगरिया और गरम नाला से अपशिष्ट जल का पुनः परिचालन
  - प्रोसेस यूनिटों में अपशिष्ट जल उपचार प्लांटों का प्रभावी प्रचालन
  - स्टील प्लांट में विशिष्ट जल खपत 2008–09 में 6.8 घन मीटर/टन कच्चा इस्पात थी जिसमें 17.6 प्रतिशत की कमी के साथ अब यह 2009–10 (दिसंबर 2009 तक) 5.6 घन मीटर/टन कच्चा इस्पात हो गई है
  - सनसूंगरिया नाला में अपशिष्ट जल पुनः परिचालन प्रणाली चालू
  - ग्राम नाला एवं बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से अपशिष्ट जल का निरंतर पुनः परिचालन
  - पानी की छीजन एवं बरबादी रोकने के लिए गहन अभियान

टाटा के जमशेदपुर स्थित इस्पात कारखाने का एक हरा–भरा दृश्य।

- वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की प्रविधी के हिसाब से सीओ$_2$ उत्सर्जन दिसंबर 09 तक निम्न कारणों से 2.42 हुआः
  - एलडी गैस रिकवरी और उसके उपयोग में वृद्धि
  - बिजली उत्पादन (~14 मेगावाट) के लिए टॉप प्रेसर रिकवरी टरबाइन (टीआरटी) एवं एच ब्लास्ट फर्नेस का दक्षतापूर्वक प्रचालन
  - 2009–10 (दिसंबर 09 तक) बीएफ स्लैग का ग्रेनुलेशन बढ़कर 97 प्रतिशत
  - ब्लास्ट फर्नेसों में ईंधन दर 575 कि.ग्रा./टन तप्त धातु से कम होकर 568 कि.ग्रा./टन तप्त धातु
  - 'जी' ब्लास्ट फर्नेस में टीआरटी की रेट्रोफिटिंग की परियोजना को यूएनएफसीसीसी में एक सीडीएम परियोजना के रूप में पंजीकृत किया गया।
  - 'सी' ब्लास्ट फर्नेस में ऑनलाइन कास्ट हाउस स्लैग ग्रेनुलेशन सुविधा प्रदान करने के लिए सभी प्रचालन कर रही ब्लास्ट फर्नेसों में 100 प्रतिशत ऑनलाइन कास्ट हाउस स्लैग ग्रेनुलेशन सुविधाएं प्रदान की गईं।
  - पर्यावरणीय स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को नवीकृत किया गया और ओएचएसएएस–18001:2007 एवं आईएसओ 14001:2004 मानकों के अनुसार प्रमाणित किया गया।
  - हरियाली बढ़ाने के लिए 2009–10 के दौरान स्टील कारखाने के अंदर 4500 से अधिक पौधे लगाए गए।

इस्पात कारखाने में वायु प्रदूषण की स्थिति

स्टैक उत्सर्जन मिलिग्राम प्रति नॉर्मल घन मीटर (एमजी/एनएम^3)

संबद्ध प्रोसेस स्टैक्स	प्रदूषक	भारतीय मानक	वास्तविक 07–08	वास्तविक 08–09	वास्तविक 09–10 (दिसंबर)
ब्लास्ट फर्नेस स्टोव्स	पीएम	150 एमजी/एनएम^3	20.7	23.2	26.9
सिंटर प्लांट	पीएम	150 एमजी/एनएम^3	103.0	137.4	124.7
रिफ्रेक्टरीज उत्पादन	पीएम	150 एमजी/एनएम^3	43.4	44.7	39.9
स्टील मेल्टिंग शॉप्स	पीएम	150 एमजी/एनएम^3	79.1	95.3	101.85
कोक प्लांट वेस्ट गैस	पीएम	150 एमजी/एनएम^3	37.1	43.1	87.1
	एसओ$_2$	800 एमजी/एनएम^3	138	160	143.5
	एनओएक्स	500 एमजी/एनएम^3	253	249	209.0
केप्टिव पावर प्लांट	पीएम	350 एमजी/एनएम^3	32.3	33.2	37.75

कार्य क्षेत्र डस्ट (एसपीएम – एमजी/एम^3)

कार्य क्षेत्र की स्थिति	प्रदूषक	भारतीय मानक	वास्तविक 07–08	वास्तविक 08–09	वास्तविक 09–10 (दिसंबर)
ब्लास्ट फर्नेस कास्ट हाउस	एसपीएम	10 एमजी/एनएम^3	1.95	2.36	2.40
मेअर्ज किल्न का डिस्चार्ज प्लेटफार्म	एसपीएम	10 एमजी/एनएम^3	2.22	3.98	1.81
सिंटर प्लांट में मशीन फ्लोर	एसपीएम	10 एमजी/एनएम^3	5.22	9.12	5.19
एलडी–1 का लेडल फर्नेस	एसपीएम	10 एमजी/एनएम^3	1.98	2.32	2.77

पीएम – पर्टिकुलेट मैटर एसपीएम – सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर

कोक प्लांट में कोक ओवन से दृश्य फ्युजिटिव उत्सर्जन

(सभी आंकड़े प्रतिशत में हैं; डाटा 09–10 दिसंबर 2009 से संबंधित है)

पैरामीटर्स	लीगल नॉर्मस	बैटरी 3		बैटरी 5		बैटरी 6		बैटरी 7		बैटरी 8*		बैटरी 9*	
		08.09	09.10	08.09	09.10	08.09	09.10	08.09	09.10	08.09	09.10	08.09	09.10
प्रतिशत लीकिंग डॉर्स (पीएलडी)	नई बैटरी' –5 प्रतिशत पुरानी बैटरी–10 प्रतिशत	3.6	3.1	2.4	1.9	2.6	1.5	2.3	1.5	2.7	2.2	2.9	2.3
प्रतिशत लीकिंग ऑफ टेकस (पीएलओ)	4 प्रतिशत	1.6	1.6	0.84	0.90	1.3	0.60	1.2	0.75	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रतिशत लीकिंग लिड्स (पीएलएल)	1 प्रतिशत	0.59	0.71	0.26	0.35	0.81	0.50	0.61	0.50	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
चार्जिंग एमिशन (सेकिंड/चार्ज)	50 सेकिंड	73						73		लागू नहीं			

**नई बैटरी: 8 एवं 9*

टाटा स्टील वर्क्स सीमा के चारों ओर ध्वनि मापक (2009–10 दिसंबर 09 तक)

स्थान	सामान्य दिन डीबी (क)	सामान्य रात डीबी (क)	परिणाम (दिन समय) डीबी (क)	परिणाम (रात समय) डीबी (क)
''एन'' रोड गेट बिस्तुपुर	75	70	60.1	50.4
राम मंदिर ड्रेन	75	70	60.3	53.2
टाटा पिगमेंट गेट	75	70	73.5	59.7
ऑक्शन यार्ड गेट	75	70	60.3	50.1
सुसुंगरिया गेट	75	70	60.5	51.3
एचएसएम ड्रेन	75	70	56.7	50.2
स्लैग रोड गेट	75	70	70.3	63.3
एसजीडीपी गेट	75	70	64.2	56.7
कॉर्पोरेट सर्विसेस लॉन (एमडी कार्यालय)	75	70	55.4	49.1

स्टील वर्क्स में जल प्रदूषण की स्थिति

प्राचल	07–08	08–09	09–10 दिसंबर
प्रवाह जेनरेशन – मिलियन क्यूबिक मीटर	14.38	14.87	9.31
कुल निलंबित ठोस – टन	709.18	611.21	298.27
तेल और ग्रीसें – टन	18.91	22.10	14.68
अमोनिया – टन	70.53	88.23	66.35
साइनाइड – टन	1.25	1.35	0.88
फिनॉल – टन	1.00	1.27	1.20

स्टील वर्क्स में ठोस कचरे की स्थिति टन में तथा प्रतिशत उपयोग

उपयोग	07–08 (प्रतिशत)	08–09 (प्रतिशत)	09–10 दिसंबर (प्रतिशत)
बीएफ स्लैग	94.27	96.38	97.54
एलडी स्लैग	74.13	78.49	75.96
बीएफ स्लज	84.32	71.95	100
एलडल स्लज	69.09	82.90	80.67
मिल स्लज	96.34	96.93	100
मिल स्केल	96.75	100	100
फ्लू डस्ट	83.46	87.85	94.86
लाइम फिन्स	100	100	100
डोलो डस्ट	100	100	100
अंडराइज लाइम स्टोन	100	100	100
रिफ्रेक्टरी कचरा	100	100	100
कोल तार स्लज/ऑयल स्लज	100	100	100
बीओडी स्लज	–	100	100
कुल उपयोग प्रतिशत	**85.43**	**89.63**	**89.73**

प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों पर पूंजीगत व्यय

वर्ष	खर्च की राशि (करोड़ रुपये में)
2002–2003	42.00
2003–2004	91.10
2004–2005	58.47
2005–2006	115.11
2006–2007	133.70
2007–2008	215.03
2008–2009	151.52

जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

ऊर्जा प्रबंधन

विशिष्ट ऊर्जा खपत गीगा कैलोरी/टन कच्चा इस्पात

■ 2007–08	6.847
■ 2008–09	6.704
■ 2009–10 (अप्रैल से सितंबर)	6.797

ऊर्जा खपत में कमी के लिए किए गए उपाय/उठाए जा रहे कदम

किए गए उपाय – अप्रैल–सितंबर 09–10 में 08–09 के मुकाबले ऊर्जा मानकों में सुधार

- केप्टिव पावर प्लांट 2 से बिजली उत्पादन 70.25 से बढ़कर 103.32 मेगावाट/घंटे हुआ। इसमें बढ़ोत्तरी नए बॉयलर को ब्लास्ट फर्नेस से जोड़ने के बाद हुई।
- फ्लेयर कंट्रोल वाल्वस के प्रचालन में सुधार कर कोरेक्स गैस उपयोग 94.17 प्रतिशत से बढ़कर 97.23 प्रतिशत हुआ।
- प्रभावी रोकथाम अनुरक्षण द्वारा पेलेट प्लांट में उपलब्धता बढ़ाते हुए पेलेट प्लांट की विशिष्ट ऊर्जा खपत 0.15 जीकैल/टन से कम होकर 0.141 जीकैल/टन हुई।
- पल्वराइज्ड कोयला प्रक्षेपण बढ़ाकर कोक की खपत दर 572 कि.ग्रा./टन तप्त धातु से कम होकर 520 कि.ग्रा./टन तप्त धातु हुई।
- लाइम केलसिनिंग प्लांट में विशिष्ट हीट खपत 0.83 जीकैल/टन से कम होकर 0.674 जीकैल/टन हुई और विशिष्ट बिजली खपत 37.48 कि.वा.घं./टन से कम होकर 30 कि.वा.घ./टन हुई। यह गैस मिक्सिंग स्टेशन चालू कर गैस उत्पादन बढ़ाते हुए प्राप्त की गई, फलतः एलसीपी यूनिटों की रनिंग अवधि बढ़ी।
- हॉट स्ट्रिप मिल की विशिष्ट हीट खपत 0.31 जीकैल/टन से कम होकर 0.287 जीकैल/टन हुई। यह गैस की उपलब्धता में सुधार से संभव हुआ। फलतः एचएसएम के रोलिंग समय में सुधार हुआ।

किए जा रहे उपाय

- पेलेट प्लांट के लौह अयस्क ड्राइंग के लिए उच्च केलोरिक एवं उच्च प्रेशर कोरेक्स गैस की जगह न्यून केलोरिक एवं न्यून प्रैशर बीएफ गैस का उपयोग।
- कोक ओवन प्लांट 3 की बैटरियों में कोक ओवन गैस हीटिंग की जगह बीएफ गैस हीटिंग का इस्तेमाल किया जाना है। यह 4 एमटीपीए बीएफ गैस नेटवर्क को 7 एमटीपीए बीएफ गैस नेटवर्क से जोड़ने से संभव हुआ। जिससे यहां तक कि ब्लास्ट फर्नेस 3 बंद होने के दौरान भी कोक ओवन प्लांट 3 के लिए बीएफ गैस की उपलब्धता निर्बाध रूप से सुनिश्चित होगी।
- कोरेक्स यूनिटों के लंबे समय तक बंद रहने के दौरान एचपी कोरेक्स गैस की अनुपलब्धता को देखते हुए एक गैस मिक्सिंग एवं बूस्टिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है।
- मार्च 10 तक ब्लास्ट फर्नेस 3 के लिए टीआरटी चालू की जानी है। इस यूनिट से 15 मेगावाट/घंटा बिजली का उत्पादन होगा। जनवरी 10 के अंत तक बीओएफ 2 की एलडी गैस रिकवरी चालू की जानी है।

एस्सार स्टील लिमिटेड

ऊर्जा प्रबंधन

कंपनी ने 2008–09 के दौरान ऊर्जा संरक्षण के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं। इससे खास ऊर्जा खपत कम होकर 2007–08 के 5.99 जीकैल/टन क्रूड स्टील से कम होकर 2008–09 में 5.81 जीकैल/टन कच्चा इस्पात हो गई।

पर्यावरण प्रबंधन

प्रदूषण नियंत्रणः कई सारे उपाय करने के कारण प्लांट राज्य और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा तय किए गए मानकों पर पूरी तरह से खरा उतरता है।

ठोस कचरा सृजन और उपयोग

ठोस कचरा सृजन	1,353,119 टन
ठोस कचरा रिसाइकिल हुआ/फिर से उपयोग हुआ	1,249,019 टन
ठोस कचरा बेचा गया	104,100 टन
प्रतिशत उपयोग	100 प्रतिशत

इस्पात इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड

ऊर्जा तीव्रता/विशेष ऊर्जा

वित्त वर्ष	ऊर्जा तीव्रता (जीकैल/टन इस्पात)
अप्रैल'07–मार्च'08	5.73
अप्रैल'08–मार्च'09	5.42*
अप्रैल'09–सितंबर'09	5.46

** ब्लास्ट फर्नेस एवं सिंटर प्लांट की तकरीबन छह माह के लिए भारी मरम्मत की गई।*

इस्पात, डोल्वी में पहले ही किए गए ऊर्जा संरक्षण उपाय

इस्पात में आरंभिक चरण से अर्थात् प्लांट का लेआउट तैयार करने और टेक्नालॉजी एवं उपकरणों का चयन करने ऊर्जा दक्षता को प्रमुख महत्व दिया गया, जिसका विवरण निम्न है:

- हीट रिकवरी मिडरेक्स स्पंज आयरन प्लांट
- कूलर हीट रिकवरी युक्त सिंटरिंग प्लांट
- हाई टॉप प्रैशर, कोयला धूलि प्रक्षेपण, उच्च ब्लास्ट तापमान, बेल लैस टॉप (बीएलटी), गैस एक्सपेंशन टरबाइन एवं स्टोव वेस्ट हीट रिकवरी युक्त ब्लास्ट फर्नेस
- कच्चे माल के रूप में डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई), तप्त धातु एवं स्क्रैप युक्त कॉन–आर्क स्टील मेकिंग फर्नेसेस
- कास्टर युक्त कंपेक्ट स्ट्रिप प्लांट एवं रेक्युप्रेटर्स युक्त टनेल फर्नेस
- फर्नेस ऑयल हीटिंग के लिये स्टीम उत्पादन हेतु 11.8 मेगावाट डीजल जनरेटर स्टेशन से अपशिष्ट हीट रिकवरी

जहां निरंतर सुधार के लिए ऊर्जा संरक्षण पर सदैव बल दिया जाता रहा है, वहीं पिछले कुछ वर्षों से की गई प्रमुख कार्रवाइयां निम्न हैं:

- सॉफ्ट स्टार्टर सह ऊर्जा बचत मॉड्यूल्स का कनेक्शन
- हॉट स्ट्रिप मिल (एचएसएम) में इंटेलिजेंट कूलिंग टावर एनर्जी सेवर की स्थापना
- परांपरागत चोक्स के स्थान पर इलेक्ट्रानिक ब्लास्ट का कनेक्शन
- केपिसिटर बैंक का कनेक्शन
- इंसुलेशन लगा कर कोल्ड ब्लास्ट को ब्लोअर से स्टोव में भेजने के दौरान कोल्ड ब्लास्ट के तापमान क्षति में कमी
- बिजली की खपत कम करने के लिए इम्पेलर्स का प्रतिस्थापन और कम्प्रेस्ड वायु प्रणाली में संशोधन।

जारी ऊर्जा संरक्षण उपाय

- एसएमएस कोजेक्ट प्रणालियों, कास्टर लैडल प्रिहीटर्स, टनेल फर्नेस–बर्नर, सिंटर प्लांट–इग्निशन प्रणाली, ब्लास्ट फर्नेस आग्जि–कोयला प्रक्षेपण फायरिंग प्रणाली, फ्लेयर स्टैक इत्यादि में मौजूदा ईंधन लाइटर डीजल ऑयल (एलडीओ)/फर्नेस ऑयल (एफओ)/प्रोपेन की जगह रिगैसिफाइड लिक्विफाइड नैचुरल गैस (आरएलएनजी) का इस्तेमाल।
- ब्लास्ट फर्नेस में बीएफ गैस फायरिंग के लिए 16 टीपीएच बॉयलर का कन्वर्जन
- ब्लास्ट फर्नेस इत्यादि में वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स की स्थापना

निकट भविष्य में विचारणीय परियोजनाएं

- बीएफ गैस आधारित पावर प्लांट की स्थापना
- बिजली उत्पादन के लिए उच्च दक्ष टॉपप्रैशर रिकवरी टरबाइन (टीआरटी) की स्थापना
- बिजली की खपत कम करने के लिए एसएमएस में हॉट चार्जिंग

मुकंद लिमिटेड

ऊर्जा प्रबंधन रिपोर्ट

विद्युत और ईंधन खपत	अप्रैल–सितंबर 2009	2008–09	2007–08
बिजली कि.वा. घ./टन	538	571	488
फर्नेस ऑयल लीटर/टन	53	60	54

टिप्पणी: निम्न वर्णित उपाय किए जाने के कारण पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान बिजली एवं फर्नेस तेल की खपत में कमी हुई है। फिर भी, प्रमुख रूप से प्रोडक्ट मिक्स एवं कम क्षमता उपयोग के कारण 2007–08 की तुलना में बिजली की खपत बढ़ी है।

विद्युत और ईंधन खपत

स्टील प्लांट

बिजली ऊर्जा खपत को कम करने हेतु:

- तरल धातु की हीट डिसिपेशन एवं रिहीटिंग रोकने के लिए प्रोसेस साइकल कम हुआ।
- ऑक्सीजन ब्लोइंग, डि–स्लजिंग एवं क्रोमियम एडिशन द्वारा ऊर्जा खपत कम करने के लिए स्टील मेल्टिंग प्रक्रिया संशोधित की गई।
- डीसी मोटर की जगह नए रफिंग स्टैंड में ऊर्जा दक्ष एसी मोटर का उपयोग।
- क्रेनों एवं नए रफिंग स्टैंडों में वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव की स्थापना।
- बिजली घटक में सुधार एवं क्षति को कम करने के लिए लोड ऐंड पर एलटी केपिसिटर 2.4 मेगा वोल्ट एम्पियर स्थापित।
- स्ट्रीट लाइटों के स्वतः बंद करने की प्रणाली।
- कूलिंग टावर्स के लिए स्वचालित तापमान नियंत्रक स्थापित।
- ऑफिस और केंटीन क्षेत्र में 40 वाट की जगह 28 वाट की सीएफएल ट्यूब की स्थापना

पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण और वेस्ट प्रबंधन पर खर्च

विवरण	कुल व्यय (लाख रुपये में)		
	2007–08	2008–09	अप्रैल–दिसंबर 2009
जल प्रदूषण (प्रचालन एवं अनुरक्षण सहित)			
■ पिकलिंग एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट	391.81	335.97	179.10
■ नॉन पिकलिंग एफलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट	3.35	10.66	5.77
वायु प्रदूषण	28.41	44.28	10.8
ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट (बागवानी सहित)	12.00	17.52	12.79
ठोस एवं खतरनाक कचरा प्रबंधन	24.91	19.57	14.26
अन्य (प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं द्वारा ऊर्जा खपत)	165.84	150.45	110.33
कुल	**625.84**	**578.45**	**333.05**

उत्पादन की कुल लागत (लाख रुपये में)			प्रदूषण नियंत्रण पर खर्च (प्रतिशत)		
2007–08	2008–09	अप्रैल 09–दिसंबर 09	2007–08	2008–09	अप्रैल–दिसंबर 2009
161000	215267	119025	0.33	0.27	0.28

ठोस कचरा प्रबंधन

गैर–खतरनाक ठोस कचरा:

कचरे का विवरण	जेनरेशन मात्रा (मीट्रिक टन/वर्ष)	निपटान का तरीका
फर्नेस स्लैग*	14760	भूभराव के रूप में निपटाए गए
मक ब्रोकन रिफ्रेक्टरी	295	बाहरी पार्टियों को बेचे गए
स्केल्स	385	बाहरी पार्टियों को बेचे गए
प्रोसेस डस्ट	1400	रि–मेल्टिंग के लिए स्टील मेल्टिंग फर्नेस का रिसाइकिल

* *फर्नेस स्लैग के पुनः प्रचालन/पुनः उपयोग के लिए सीमेंट विनिर्माताओं जैसे विभिन्न उद्योगों के साथ हम निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं।*

खतरनाक ठोस कचरा:

अनुसूची 1 के अनुसार खतरनाक वेस्ट श्रेणी	वेस्ट का प्रकार	जेनरेशन मात्रा (मीट्रिक टन/वर्ष)	निपटान का तरीका
3.3	टैंक बॉटम स्लज	147.51	अधिकृत रि–प्रोसेसर
5.1	खर्च किया गए ऑयल	56.03	अधिकृत रिसाइकलर
12.1	एसिड, एसिड रेसिड्यू, एसिड मिक्सचर	816.28	अधिकृत रिजेनरेटर अथवा कॉमन एफुलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी)
12.0	ईटीपी स्लज	858.09	कॉमन खतरनाक वेस्ट प्रबंधन साइट

नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)

ऊर्जा प्रबंधनः

- कंपनी ने ऊर्जा खपत को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इसके फलस्वरूप, विगत वर्ष के मुकाबले ब्लास्ट फर्नेस और सिंटर प्लांट में कम हीट एवं बिजली की खपत, पावर प्लांट में कम हीट की खपत हुई और कोक ओवन में कार्बनडाई आक्साइड गैस फ्लेयरिंग में कटौती हुई है।
- वर्ष 2007–08 में ब्लास्ट फर्नेस में हीट की खपत 527 मेगा कैलरी/टन तप्त धातु थी, जो वर्ष 2008–09 में घटकर 522 मेगा कैलरी/टन तप्त धातु हुई और अप्रैल–सितंबर 2009 के दौरान 409 मेगा कैलरी/टन तप्त धातु रह गई।
- वर्ष 2007–08 में ब्लास्ट फर्नेस में बिजली की खपत 44.1 किलो वाट घंटे/टन तप्त धातु थी जो वर्ष 2008–09 में घटकर 42.3 किलो वाट घंटे/टन तप्त धातु हुई और अप्रैल–सितंबर 2009 के दौरान 39 किलो वाट घंटे/टन तप्त धातु रह गई।
- वर्ष 2007–08 में सिंटर प्लांट में बिजली की खपत 62 किलो वाट घंटे/टन ग्रॉस सिंटर थी, जो वर्ष 2008–09 में घटकर 59 किलो वाट घंटे/टन ग्रॉस सिंटर हुई और अप्रैल–सितंबर 2009 के दौरान 57 किलो वाट घंटे/टन ग्रॉस सिंटर रह गई। सिंटर प्लांट में अप्रैल–सितंबर 2009 के दौरान हीट की खपत भी वर्ष 2008–09 के मुकाबले 2 मेगा कैलरी/टन ग्रॉस सिंटर कम हुई।
- इसी तरह वर्ष 2007–08 में विद्युत संयंत्र में हीट की खपत जो 910 मेगा कैलरी/टन स्टीम जेनरेशन थी, वर्ष 2008–09 के दौरान 109 मेगा कैलरी/टन स्टीम जेनरेशन तक कम हुई। अप्रैल–सितंबर 2009 के दौरान, हीट की खपत पुनः 29 एमकैल/टन स्टीम जेनरेशन घटकर 772 मेगा कैलरी/टन स्टीम जेनरेशन रह गई।

पर्यावरण प्रबंधन एवं ठोस कचरा प्रबंधन

प्रदूषण नियंत्रण उपाय

वायु प्रदूषण उपाय

- पर्यावरण पर प्लांट गतिविधियों के प्रभाव का आकलन करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार चार केंद्रों पर एम्बिएंट वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। मानक निर्धारित स्तर पर हैं।
- चार प्रमुख स्टैक्स के लिए नियमित रूप से स्टैक उत्सर्जन की गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। मानक निर्धारित स्तर पर पाए गए हैं।

जल प्रदूषण नियंत्रण

कचरा उपचार संयंत्र का सुचारु रूप से प्रचालन किया जा रहा है और मानकों की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। कारखाने से डिस्चार्ज किये गये कचरे की गुणवत्ता सभी मानकों के अनुरूप है। फिर भी, कोक ओवन बीओडी प्लांट में उपचारित कचरे में साइनाइड की मात्रा अधिक है। बॉयोलॉजिकल ऑक्सिडेशन एंड डिफेनोलाइजेशन (बीओडी) प्लांट के प्रदर्शन में सुधार के लिये प्रयास किए गए हैं।

ध्वनि स्तर

डिजाइन स्तर पर ही ध्वनि प्रदूषण में कमी करने के विभिन्न उपायों में स्रोत पर ध्वनि में कटौती, एकोस्टिक एवं सक्शन साइड सायलेंसर के प्रावधान सहित विभिन्न उपाय किए गए हैं। प्रौद्योगिकीय प्रक्रिया की वजह से कुछ क्षेत्रों में ध्वनि स्तर को स्वीकार्य सीमा के अंदर लाना संभव नहीं है, ऐसे क्षेत्र प्रचालन कार्मिकों से दूर रखे गए हैं। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ध्वनि स्तर की नियमित निगरानी की जाती है और ध्वनि स्तर मानक 75 डेसिबल मानक के मुकाबले औसतन लगभग 72 डेसिबल (ए) है।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए की गई कार्रवाई

- समस्त वायु एवं जल प्रदूषण सुविधाओं का नियमित प्रचालन हो रहा है।
- बीएफ, गैस क्लींसिंग प्लांट (जीसीपी) से उपचारित कचरे को पूर्णतः पुनः परिचालित किया जा रहा है। बीएफ स्लज तालाबों में उपचारित पृथक किए गए कचरे को पूर्णतः बागवानी के लिए पुनः इस्तेमाल किया जा रहा है।
- नियमित आधार पर एंबिएंट एयर क्वालिटी (एएक्यू), स्टैक उत्सर्जन और फ्युजिटिव धूल उत्सर्जन की तीसरी पार्टी द्वारा निगरानी की जा रही है।

ठोस कचरा प्रबंधन

- ठोस कचरा सामग्री अर्थात् बीएफ स्लैग बहुत अच्छी गुणवत्ता का है; इस तरह से उत्पन्न संपूर्ण मात्रा को सीमेंट निर्माताओं को बेचा जाता है।
- जीसीपी–एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) स्लज तालाब में उत्पन्न ड्राई स्लज लोहे की दृष्टि से स्मृद्ध होता है और इस तरह से पूर्णतः सिंटर प्लांट में पुनः परिचालित किया जा रहा है। हमारे पास इस तरह के कचरे का भंडार नहीं है।

- बाय–प्रोडक्ट प्लांट के प्रचालन के दौरान, गैस कंडेंसेशन प्लांट में टार डिकेंटर से लगभग 20–30 मीट्रिक टन/प्रति माह डिकेंटर स्लज सृजित होता है। इस स्लज में कोक डस्ट मिश्रित वाटर टार होता है। डिकेंटर स्लज को कोक ओवन बैटरियों के लिए कोल डस्ट के साथ मिलाने के बाद पूर्णतः पुनः परिचालित किया जाता है। इसको जमीन पर डिस्चार्ज नहीं किया जाता।
- ब्लास्ट फर्नेस से फ्लू डस्ट साइक्लोन सेपरेटर में एकत्रित की जाती है और सिंटर प्लांट में पुनः परिचालित की जाती है।
- जंक्शन हाउसेस और स्टॉक हाउस में स्थापित डस्ट एक्सट्रेक्शन प्रणाली में एकत्रित समस्त महीन धूल को एक कच्चे माल के रूप में सिंटर प्लांट में पुनः परिचालित किया जाता है।

ठोस कचरे की मात्रा अर्थात् सृजित के साथ–साथ बिक्री हुए बीएफ ग्रेनुलेटिड स्लैग का विवरण निम्न है:

(यूनिट टन में)

वर्ष	उत्पादित	बेची गई
2007–08	177974	187006
2008–09	209722	236195
2009–10 (अप्रैल–सितंबर 2009)	109033	63900

प्लांट एवं मशीनरी सहित परियोजना के लिए 30 नवंबर 2009 तक प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर खर्च 170.41 करोड़ रुपये हुआ है।

जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल)

ऊर्जा प्रबंधन:

क) विशिष्ट विगत तीन वर्षों के दौरान ऊर्जा खपत एवं (एसईसी)

वित्त वर्ष	एसईसी (जीकैल/टीसीएस)
2007–08	7.68
2008–09	7.25
2009–सितंबर 2009 तक	7.17

ख) ऊर्जा खपत में कटौती हेतु किये गये उपाय/उठाये गये कदम एवं इस आशय की भावी परियोजनाएं:

परियोजना विवरण	प्रति वर्ष आधार पर ऊर्जा बचत के क्षेत्र में उपलब्धि				
	विद्युत	ईंधन*			कुल बचत (लाख रुपये में)
	(लाख कि.वा. घंटे)	कोयला (टन)	ईंधन ऑयल (कि.ली.)	कुल (ईंधन) (एमटीओई)* में	
वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर में बीएफ गैस फायरिंग	396			34056	982
आईडी फैन में वीएफडी ड्राइव की स्थापना	6.96			599	17.28
ऊर्जा बचत का लाइटिंग ट्रांसफार्मर की स्थापना	2.37			204	5.89
इल्युमिनेशन प्रणाली में ऊर्जा बचत	3.14			293	7.79
रूट ब्लोअर में ऊर्जा बचत	1.98			170	4.93
पेट्रो ईंधन की जगह पेट्रोलियम गैस का उपयोग			14517	13065	400
डीआरआई–2 की दक्षता में सुधार		77262		37858	695

* *एमटीओ – मीट्रिक टन ऑयल के समकक्ष*

2*25 मेगावाट एवं 3*25 मेगावाट पावर प्लांट के टर्बो जेनरेटर एरिया में 2 लाइटिंग ट्रांसफार्मर (बेबलेक) स्थापित किए गए। इससे वोल्टेज का स्तर 230 वाट के करीब कायम रखने में मदद मिली और 30 कि.वा./घंटे बिजली की बचत हुई।

22750 एनएम^3/घंटे क्षमता के नए प्रोड्यूसर गैस प्लांट (पीजीपी–3) स्थापित किया गया। वित्त वर्ष 2008–09 में प्लेट मिल में अतिरिक्त 116133 टीएच एनएम^3 प्रोड्यूसर गैस का इस्तेमाल किया गया और इस तरह से पेट्रो ईंधन के उपयोग से बचा गया और इसके समकक्ष लागत बचत प्राप्त की गई।

टिप्पणीः इसी वित्त वर्ष में प्लेट मिल का उत्पादन भी क्रमशः 239455 टन से बढ़कर 558040 टन हुआ, जहां फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है। 2*25 मेगावाट पावर प्लांट के इन्वर्ड ड्राफ्ट (आईडी) फैन सं. 1 में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स (वीएफडी) स्थापित की गई। ऊर्जा की बचत प्राप्ति की दृष्टि से विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

	इकाई	डिजाइन	चलाना (डेम्पर कंट्रोल के साथ)	चलाना (वीएफडी कंट्रोल के साथ)
स्टेटिंग टॉर्क	किग्रा–एम^2	2200	2200	1600
पावर	किलोवाट	300	222	134
इनलेट प्रेशर	एमएमडब्ल्यूसी	–260	–100	–101
आउटलेट प्रेशर	एमएमडब्ल्यूसी	30	30	30
फ्लो	एम^3/सेकिण्ड	77.43	67	68
डेम्पर ओपन	%		35	100
गति	आरपीएम	986	986	821

वर्ष के दौरान प्रदूषण नियंत्रण उपायों की झलक

- मिनी ब्लास्ट फर्नेस की प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली का नवीकरण
- रॉ मैटीरियल हैंडलिंग सेक्शन और डीआरआई–II के डे–बिन–II में ड्राई फॉग डस्ट शमन प्रणाली स्थापित
- स्टील मेल्टिंग शॉप के फर्नेस वर्क जोन क्षेत्र में बैग फिल्टर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है
- स्टील मेल्टिंग शॉप के ग्राउंड हॉपर में बैग फिल्टर की स्थापना का कार्य चल रहा है
- कचरा पुनः परिचालन–II की स्थापना
- कचरा पुनः परिचालन–III की स्थापना का कार्य प्रगति पर है
- स्टील मेल्टिंग शॉप स्लैग यार्ड में ड्राई फॉग कर्टेन स्थापित
- पावर प्लांट में उच्च कंसंट्रेशन स्लरी निपटान प्रणाली स्थापित
- कार्यालय बिल्डिंग में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के जरिये बरसाती पानी की हार्वेस्टिंग, एअर स्ट्रिप ड्रेन में रिचार्जिंग स्ट्रक्चर एवं बंद बोर–वेल्स में रिचार्जिंग शुरू
- ऊर्जा के अक्षय स्रोत को बढावा देने हेतु सौर ऊर्जा प्रकाश प्रणाली स्थापित

विगत दो वित्त वर्षों एवं चालू वर्ष में प्रदूषण नियंत्रण एवं कचरा प्रबंधन पर कुल खर्च राशि

विगत दो वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान पर्यावरण प्रबंधन, हरित पट्टी विकास एवं हाउसकीपिंग हेतु आवंटित बजटः

वर्ष	(करोड़ रुपये में)	वर्ष	(करोड़ रुपये में)	वर्ष	(करोड़ रुपये में)
2007–08	18.19	2008–09	20.88	2009–10	23.90

अध्याय–VIII

सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

इस्पात मंत्रालय और इसके तहत आने वाले सार्वजनिक उपक्रम सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े ढांचे के विकास और संचालन को उन्नत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

- मंत्रालय का कंप्यूटर केंद्र विंडोज 2003 सर्वर, पेंटियम आधारित उपभोक्ता व्यवस्था,दस्तावेजों के चित्र लेने के लिए एक स्कैनर और लेजर प्रिंटर से युक्त है। इसके अलावा यह केंद्र स्विचों और हब जैसे लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) से भी जुड़ा है जो मंत्रालय के विस्तृत लोकल एरिया नेटवर्क से सूचनाओं को हासिल करने के साथ मंत्रालय में इंटरनेट अधारित कार्यों को करने लिए मुख्य माध्यम का कार्य करता है।
- एनआईसी की केंद्रीय सुविधा के अलावा 160 पेंटियम आधारित उपभोक्ता सर्वर दिन प्रतिदिन के विंडोज साफ्टवेयर आधारित कार्यों और मंत्रालय के विभागों, अनुभागों और अधिकारियों के कार्यों का संचालन करने में सक्षम हैं।
- मंत्रालय में करीब 160 नोड का एक लैन काम कर रहा है और इसका निम्नांकित के लिए व्यापक उपयोग हो रहा है:
  - इलेक्ट्रॉनिक डाक और डायरी
  - फाइलों/दस्तावेजों का आदान–प्रदान
  - सेक्शन/डेस्क से वार्षिक रिपोर्टों,संसदीय प्रश्नों, लंबित मामलों, आवेदनों की स्थिति और उन पर निगरानी (अतिविशिष्ट संदर्भों,जन शिकायतों, संसदीय आश्वासनों, रिक्त पदों की स्थिति, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति(एसीसी) की मंजूरियों, समीक्षा/अपील मामलों, ड्राफ्ट आडिट पैराओं) से जुड़ी सूचना/सामग्री हासिल करना।
  - मंत्रालय के डेस्क/सैक्शन से संसदीय प्रश्नों के उत्तर का संकलन और संग्रह और उन्हें ई–मेल से राज्यसभा और लोकसभा में भेजना।
- क्षेत्रीय सूचनाओं तक पहुंच के लिए सभी अधिकारियों/डेस्क/सेक्शनों तक इंटरनेट की पहुंच।

मंत्रालय में ई–गवर्नेंस और कागजविहीन कार्यालय की अवधारणा को बढ़ावा

- ई–गवर्नेंस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मंत्रालय का एक विस्तृत पोर्टल है जो मंत्रालय के उपयोगकर्ताओं को एक बुलेटिन सेवाओं के जरिए नोटिस/परिपत्रों/कार्यालयीय आदेश संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराता है और इनका प्रसार करता है।
- पोर्टल दस्तावेजों और अन्य लंबित आवेदन पत्रों की निगरानी की स्थिति की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक डाक/डायरी के जरिए देता है।
- इसके माध्यम से छुट्टी और चिकित्सा खर्च की वापसी के फार्मों को डाउनलोड किया जा सकता है और मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, पहचान पत्र, स्टाफ कार बुकिंग, आयकर, टेलीफोन लिस्ट, मंत्रालय के अधिकारियों/डेस्क/सेक्शनों के ई–मेल पते और डायरेक्टरी, संगठनात्मक चार्ट, कार्य सूची की जानकारी भी मंत्रालय के पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
- पोर्टल पर कर्मचारियों का प्रोफाइल, वेतन की जानकरी, जीपीएफ जानकारी, कार्यालय ज्ञापनों, कार्यालयीय आदेशों, कार्यालयीय परिपत्रों और भारत सरकार में प्रतिनियुक्तियों, रिक्तियों, पदों की संख्या उपलब्ध है। यह सब इसके पर्सनल कॉर्नर खंड में उपलब्ध है।
- निर्णय लेने में विलंब को कम करने के लिए इंटरनेट पोर्टल कंप्यूटर आधारित प्रणालियों के तहत निगरानी और निरीक्षण के लिए महत्वपूर्ण संदर्भों, संसदीय आश्वासनों, जन शिकायतों, रिक्त पदों की संख्या और मंत्रालय और उसके सार्वजनिक उपक्रमों में उनकी स्थिति, लंबित समीक्षा/अपील मामलों, अदालती मामलों से जुड़ी सूचनाओं और आडिट दस्तावेजों तक पहुंच उपलब्ध कराता है।
- भारत सरकार की ई–गर्वनेंस योजना के हिस्से के रूप में मंत्रालय में निम्नलिखित वेब आधारित व्यवस्था संचालित हो रही है:
  - सूचना का अधिकार कानून, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों और अपीलों पर आरटीआई–एमआईएस सुविधा के माध्यम से निगरानी रखी जाती है। यह व्यवस्था मंत्रालय और इसके सार्वजनिक उपक्रमों में पूरी तरह से लागू है। इस व्यवस्था का विकास केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों के लिए केंद्रीय व्यवस्था के रूप में की गई है।
  - केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली को मंत्रालय एवं उसके पीएसयूज में जन शिकायतों के निराकरण के लिए कार्यान्वित किया गया है। यह प्रणाली प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग द्वारा विकसित की गई है।
  - पीएसयूज में रिक्तियों की निगरानी के लिए एसीसी वेकंसी निगरानी प्रणाली कार्यान्वित की गई है। यह प्रणाली कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा विकसित की गई है।
  - कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशानुसार मंत्रालय में ई–सर्विस बुक इलेक्ट्रानिक, ई–सर्विस बुक कार्यान्वित की जा रही है।

मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट

मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट (http://steel.gov.in) द्विभाषी में उपलब्ध है। इस पर मंत्रालय के बारे में सूचना, उसकी नीतियों, प्रशासकीय गठन, बड़े कार्यक्रमों और पहल लौह और इस्पात के भारतीय निर्माताओं और प्रक्रमों, सूचना का अधिकार कानून 2005, वार्षिक रिपोर्टों, निष्कर्ष बजट, निविदाएं, अनुसंधान एवं विकास का उन्नयन, मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों के लिंक के साथ इस्पात क्षेत्र की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।

वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा

- मंत्रालय और उसके सार्वजनिक उपक्रमों के बीच महत्वपूर्ण बैठकों के आयोजन,निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने, कार्यकारियों के समय का उपयोग बढ़ाने और यात्रा व्यय कम करने के लिए एक वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा स्थापित की गई है।
- इस्पात सचिव के चैंबर में एक एक्जीक्यूटिव वीडियो कांफ्रेंसिंग व्यवस्था (ईवीसीएस) स्थापित की गई है। यह ईवीसीएस निकनेट पर आधारित है जो भारत सरकार के सभी सचिवों और राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों के कार्यालयों में ई–गवर्नेंस को व्यावहारिक और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के उपकरण के रूप में स्थापित किया गया है।

संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)

इंटिग्रेटिड सॉफ्टवेयर प्रणाली का फेज़ I

आंकड़ों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, जेपीसी ने एक ऑनलाइन एकीकृत प्रणाली के फेज़ I को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर लिया है, जिससे आयात/निर्यात से संबंधित रिपोर्ट संदर्भित माह के 10–15 दिन के अंदर तैयार करने में मदद मिली है। वर्तमान प्रणाली में प्रतिदिन इनपुट आता है और प्रतिदिन रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद अनेक लाभ देखने को मिले हैं।

- समय में उल्लेखनीय बचत हुई जिससे आंकड़ों को एकत्रित करने एवं प्रकाशित करने में देरी कम हुई
- आयात/निर्यात की निगरानी दैनिक आधार पर संभव हुई
- रिपोर्ट्स को वर्ड, एचटीएमएल एवं एक्सेल फार्मेट में लिया जा सकता है

इस प्रणाली से मात्रा की दृष्टि से माह–श्रेणीवार आयात/निर्यात, मात्रा की दृष्टि से माह–ग्रेडवार आयात/निर्यात, माह–सेक्शन साइजवार आयात/निर्यात, देश–श्रेणीवार यूनिट कीमत, आयातित श्रेणी का देश–आईटीसीवार यूनिट कीमत इत्यादि जैसी अतिरिक्त रिपोर्ट्स बनाने में मदद मिली है। एफटीपी कनेक्शन के इस्तेमाल से नई दिल्ली में एनआईसी सर्वर से प्रतिदिन ईडीआई आंकड़े डाउनलोड करने के लिए जेपीसी की लीज्डलाइन बीएसएनएल कनेक्टिविटी का इस्तेमाल किया जाता है। गैर–ईडीआई आंकड़े को मेनुअली पोर्ट्स/कस्टम से एकत्रित किए जाते हैं। हर माह, जेपीसी द्वारा कुल लगभग 15000 एंट्री बिल एवं 15000 शिपिंग बिल (ईडीआई एवं गैर–ईडीआई प्रणाली सहित) का निस्तारण किया जाता है।

इंटिग्रेटिड सॉफ्टवेयर प्रणाली का फेज़ II

दूसरे फेज़ में उत्पादन, कीमत, स्टॉक एवं खपत शामिल है। सिस्टम स्टडी, रिक्वायरमेंट, विश्लेषण एवं डिजाइन फेज़ पूर्ण हो चुका है और ट्रायल चल रहा है। एक मल्टी–टियर सॉफ्टवेयर, यह प्रणाली तेजी से चैकिंग, प्राप्ति स्थिति की अद्यतन जानकारी के साथ तेजी से आंकड़े तैयार करने एवं रिपोर्ट बनाने में मददगार होगी और इससे कुल 35 किस्म की माहवार, अवधिवार, क्षेत्रवार, राज्यवार, यूनिटवार एवं खण्डवार उत्पादन आंकड़े बनाए जा सकते हैं।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

अपनी स्थिति कायम रखने और अपने व्यापारिक लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सेल ने संगठन में कई परियोजनाओं और पहल को आरंभ किया है जिससे सेल की प्रतिस्पर्धात्मकता स्थिति और बाजार में स्थान कायम रहे। सेल ने इसके लिए जो पहल की है, आईटी उसका महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी)

सेल ने ईआरपी को लागू करने की प्रक्रिया आरंभ की है और भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) ने एसएपी–ईआरपी को लागू करने की पहल की है।

- अपने विज़न के अनुरूप बीएसपी ने 01.04.2009 को ईआरपी कार्यान्वयन के जरिए अपनी बिजनेस प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों को नया रूप दिया है। बेहतर प्रक्रिया एवं प्रणाली एकीकरण से सूचना दृश्यता प्रदान हुई है जिससे कंपनी को बिजनेस एवं बाजार परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को तेजी से ढालने में मदद मिल सकती है। ऐंड टू ऐंड एवं समय पर सूचना दृश्यता सुनिश्चित करते हुए भावी बिजनेस अवसरों को तलाश कर बीएसपी को एक बेहतर राजस्व प्रबंधन की एक एकीकृत प्रणाली प्रदान करने का प्रयास ईआरपी में किया गया है।
- डीएसपी में 01.10.2009 से ईआरपी लागू हो गया है और छह मॉड्यूल्स में ली गई प्रमुख प्रक्रियाएं तैयार कर ली गई हैं और उनमें स्थायित्व आ गया है।
- बीएसएल में ईआरपी को लागू करने की प्रक्रिया प्रगति पर है और परियोजना 01.04.2010 से आरंभ होगी। सीएमओ और आरएसपी भी ईआरपी कार्यान्वयन प्रक्रिया जनवरी–फरवरी 2010 में शुरू कर देंगे।

सेल में लाभदायक सूचना टेक्नोलॉजी पर प्रमुख बलः बोकारो स्टील प्लांट (सेल) में इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) का कार्यान्वयन प्रगति पर।

- सेल में मेटीरियल कोड, पार्टी कोड और सेवा कोड के क्षेत्र में यूनीफाईड कोडीफिकेशन व्यवस्था लागू हो गई है।

मैनुफैक्चरिंग एग्जिक्यूशन सिस्टम्स (एमईएस)

बीएसपी ने 10.11.2009 से एमईएस का भी कार्यान्वयन शुरू कर दिया है, जो स्टील मेल्टिंग शॉप 2, प्लेट मिल एवं रेल व स्ट्रक्चरल मिल में उत्पादन शेड्यूलिंग सुधारने और मैनुफैक्चरिंग आपरेशंस के अनुकूलन के लिए एक औद्योगिक आईटी टूल है। कार्यान्वयन भागीदार के रूप में मैसर्स पोस्डाटा का चयन किया गया है।

नेटवर्किंग

- वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन)
  - सेल ने देश भर में अपने 23 केंद्रों पर एमपीएलएस–वीपीएन आधारित वैन को स्थापित एवं चालू किया है। कारखानों एवं यूनिटों को 512 केबीपीएस से लेकर 8 एमबीपीएस रेंज की बैंड विड्थ के साथ एक सुरक्षित एवं विश्वसनीय एमपीएलएस–वीपीएन से जोड़ा गया है। यह एमपीएलएस–वीपीएन फायबर ऑप्टिक्स पर चल रही है। एमपीएलएस–वीपीएन नेटवर्क के जरिए विभिन्न एप्लिकेशंस जैसे प्राइमावेरा, ईपीएमएस और मेलिंग चलाए जा रहे हैं।
  - आंकड़ों तक तेज एवं निरापद एक्सेस के लिए सेल के सभी कारखानों एवं यूनिटों में नई आईपी एड्रेस स्कीम कार्यान्वित की गई है।
- लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन)
  - सेल निगमित कार्यालय के लिए नवीनतम नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम युक्त वाई–फाई कनेक्टिविटी की लेयर 3 डिस्ट्रिब्यूटिड लेन स्थापित एवं चालू करने के लिए पहल की गई है।
  - सेल निगमित कार्यालय में डेस्कटॉप्स एवं सर्वर्स के लिए प्रोएक्टिव नेटवर्क सिक्योरिटी एवं एंटिवायरस साल्यूशन कार्यान्वित किया गया है।
  - सेलम इस्पात कारखाने में, 400 नोड्स एवं 2 एमबीपीएस एमपीएलएस–वीपीएन रिलायंस लिंक युक्त प्लांट वाइड फायबर ऑप्टिक नेटवर्क स्थापित किया गया है।
  - आरएमडी मुख्यालय की किरिबुरू, मेगाहातुबुरू, गुआ, बरसुआ एवं काल्टा के साथ कनेक्टिविटी 2 एमबीपीएस लीज्ड लाइन्स सर्किट द्वारा स्थापित की गई है।

इंटरनेट

- सेल निगमित कार्यालय में आप्टिकल फायबर के जरिए 4 एमबीपीएस बैंड विड्थ की एक सुरक्षित इंटरनेट कनेक्टिविटी चालू की गई है।
- इंटरनेट क्लाउड के जरिए सेल कर्मचारियों को 'एम्पलॉईज परफार्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम' (ईपीएमएस) की एक्सेस दी गई है।

ई–कामर्स

- **ई–खरीद व्यवस्था (ईपीएस)**
  पहले बीएसपी और आरएसपी में वर्ष 2006–07 में ई–खरीद व्यवस्था (ईपीएस) लागू की गई और क्रम से सभी संयंत्रों में इसे लागू किया जाएगा। जिससे सेल और इसके ग्राहकों के बीच निविदाओं को स्वीकार करने में लगने वाला समय कम हो और यह पारदर्शी बन गई।
- **ई–खरीद (प्रतिलोम नीलामी के माध्यम से ई–खरीद)**
  सौदेबाजी में पारदर्शिता के लाभ और सबसे बेहतर बाजार कीमत पर खरीद के लिए 2001–02 में ई–खरीद को लागू करने वाला सेल सबसे पहला उपक्रम था। इस माध्यम से 2001–02 में खरीद 19 करोड़ रुपये से तेजी से बढ़कर 2008–09 में 1,646 करोड़ रुपये हो गई। वर्तमान वर्ष में ई–क्रय के माध्यम से 1,788 करोड़ रुपये की खरीद की गई है।
- **ई–बिक्री (अग्रवर्ती नीलामी के जरिए बिक्री)**
  सेल ने ई–बिक्री की शुरुआत 2002–03 में की और यह 2002–03 में 53 करोड़ रुपये से बढ़कर 2008–09 में 3,105 करोड़ रुपये हो गई। इस वर्ष 985 करोड़ रुपये की ई–बिक्री की गई।

निविदा वेबसाइट

विस्तृत विज्ञापन तथा प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से निविदाकर्ताओं की आसान पहुंच एवं उन्हें डाउनलोड की सुविधा मुहैया कराने के लिए निविदाओं और उनसे जुड़ी सूचनाओं को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है।

ई–भुगतान

- सेल अपने कर्मचारियों को एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से ई–भुगतान से वेतन देता है।
- आपूर्तिकर्ताओं को भी ई–भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

वीडियो कांफ्रेंसिंग

- सेल के सभी 33 केंद्रों पर पहले वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रणाली आईएसडीएन बीआरआई और पीआरआई पर चल रही थी। अब वीडियो कांफ्रेंस एमपीएलएस–वीपीएन नेटवर्क के जरिए आईपी प्रोटोकोल का इस्तेमाल करते हुए संचालित की जाती हैं। वीडियो कांफ्रेंस के प्रदर्शन, स्पष्टता एवं गुणवत्ता में भारी सुधार हुआ है। वीडियो कांफ्रेंस अब बिना व्यवधान अथवा रुकावट के लंबे समय तक संचालित की जा रही हैं।

परियोजना निगरानी

- सेल ने वृहद निवेश के द्वारा अपने सभी संयंत्रों की वर्तमान क्षमताओं को करीब दोगुना करने के लिए विस्तार की एक बड़ी योजना आरंभ की है। अधिकांश सेल संयंत्रों ने या तो इस संबंध में निविदाएं प्रकाशित कर दी हैं या उसे लागू करने वाले का चयन कर लिया है। अगला चुनौतीपूर्ण चरण तय समय और बजट में परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और नियंत्रण की प्रक्रिया है। परियोजनाओं की निगरानी एवं निष्पादन को नियंत्रित करने के लिए, प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर पर आधारित एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग प्रणाली को केंद्रीकृत आर्किटेक्चर अपनाकर सेल भर में स्थापित किया गया है। इस मॉनिटरिंग प्रणाली का सेंट्रल सर्वर्स सेल निगमित कार्यालय में है और 4 एमबीपीएस तक के बैंड विड्थ के जरिए इसके कारखाने एवं यूनिटों में 205 डेटा फीडिंग टर्मिनल्स कनेक्ट हो रखे हैं। समस्त गतिविधियों के नेटवर्क को एक सिस्टम में रखा गया है। यह सिस्टम चालू हो गया है और इसमें स्थायित्व लाने की प्रक्रिया चल रही है। परियोजनाओं की ऑनलाइन एवं रियलटाइम मॉनिटरिंग के लिए, सिस्टम का प्रयोग करते हुए विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पहले ही शुरू हो गई है। सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए, सेल के 415 कार्यपालकों को गहन प्रशिक्षण दिया गया है।

विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में नए साफ्टवेयर एप्लिकेशंस का विकास

निगमित कार्यालय

- प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्र, विकास जरूरतों, प्रदर्शन डायरी, मध्य वर्ष समीक्षा, ऑनलाइन प्रदर्शन समीक्षा चर्चा, अंतिम समीक्षा का आकलन, दक्षताएं एवं समीक्षा, कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) का न्यून स्तर एवं उच्च स्तर, जैसे पहलुओं को भरने के लिए सेल के सभी कार्यपालकों के लिए ऑनलाइन 'एम्पलॉईज परफार्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम (ईपीएमएस)' सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई है। कारखानों/इकाइयों के सभी कार्यपालकों हेतु केंद्रीकृत डेटाबेस बनाया गया है
- रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (सीआरआईएस) सरवर से निगमित कार्यालय में केंद्रीकृत रूप से हिस्टोरिकल वैगन सूचना देखी जाती है और ऑनलाइन फ्रेट आपरेशन इंफार्मेशन सिस्टम (एफओआईएस) की मदद से सभी सेल इकाइयों को उनकी एमआईएस रिपोर्ट्स तैयार करने के लिए उपलब्ध कराई जाती है।
- निगमित कार्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए टूर मंजूरी एवं अग्रिम, अवकाश की स्थिति, सेलम ग्रुप बीमा, सतर्कता, दैनिक लाभप्रदत्ता और सेल वाइड प्रोडक्ट वाइज कॉस्टिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र विकसित किए गए।
- सतर्कता, अप्रत्यक्ष कर हेतु होम पेज, स्टील बिजनेस परिदृश्य हेतु पोर्टल ''जिज्ञासा'' हेतु वेबसाइट और जन्म दिवस पर बधाई की प्रणाली विकसित की गई और निगमित कार्यालय पोर्टल से जोड़ी गई।
- द्विभाषी वाउचर्स एवं चैक विकसित किए गए तथा प्रयोग में लाए गए।

- निगमित कार्यालय के सभी विभागों के लिए, फ्रिंज बेनिफिट कराधान प्रणाली, प्रबंध प्रशिक्षु (तकनीकी) एवं प्रबंध प्रशिक्षु (प्रशासन) की भर्ती, सामान्यीकृत बिल निस्तारण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण किया गया।
- पूर्व बीआरएल के लेखों को समाहित करने के लिए सेल की लेखा प्रणाली का नवीकरण किया गया।

अन्य कारखाने/इकाइयां

- भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) में लोकल एरिया नेटवर्क (लेन) की पूर्व गति 622 एमबीपीएस को बढ़ाकर 10 जीबीपीएस किया गया। इंटरेक्टिव वेब आधारित पोर्टल विकसित किया गया जहां कोई भी कर्मचारी कार्मिक से संबंधित विषय पर अपना प्रश्न ऑनलाइन (हिंदी/अंग्रेजी दोनों में) कर सकता है। संबंधित कार्मिक अधिकारियों (पीओ) द्वारा इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। केंद्रीय भविष्य निधि (सीपीएफ) अनुभाग द्वारा किए गए निवेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीपीएफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम विकसित एवं कार्यान्वित किया गया। ई–सहयोग नामक वेब पोर्टल शुरू किया गया जिसमें कर्मचारियों को अपनी ई–पे स्लिप, विगत अदायगियां, उपस्थिति, मूल वेतन फिक्सेशन, प्रत्यक्ष बचत आंकड़े अद्यतन ऋण एवं अग्रिम शेष, सेल कर्मचारी सेवा निवृत्ति हितलाभ कोष (एसईएसबीएफ) शेष और विद्युत बिल विवरण इत्यादि देख सकते हैं। अन्य विकसित ऑनलाइन प्रणालियों में, ऑनलाइन ईएल नकदीकरण, ऑनलाइन आवास अनुरक्षण भत्ता, वेब पर कर्मचारियों का फोटोग्राफ प्रदर्शन शामिल हैं। सूचना के इस आसानी से उपलब्ध विपुल भंडार से कर्मचारियों को अपने कार्य पर अधिक ध्यान देने में मदद मिलती है और फलतः उत्पादकता बढ़ती है ।
- राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) में नॉलेज मैनेजमेंट पोर्टल एवं आरएसपी पोर्टल शुरू किए गए। कर्मचारियों एवं डॉक्टरों के लिए ऑटो एनालाइजर से सीधे ही आरएसपी इंटरानेट पर इस्पात जनरल अस्पताल की बॉयो कैमिस्ट्री रिपोर्ट देखने के लिए उपलब्ध की गई।
- बीएसएल में, कोलकाता कार्यालय पेरोल को बीएसएल पेरोल के साथ मर्ज किया गया। सेवा शुल्क एवं वैट को क्रेडिट करने, स्टोर्स हेतु मेटीरियल इश्यू कीमत एवं वर्क्स अनुबंध प्रबंधन के लिए ऑनलाइन प्रणालियां विकसित की गईं।
- दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी) में प्रोसेस कंट्रोल एवं ईआरपी प्रणालियों के बीच डेटा इंटरफेस चालू किया गया। डीएसपी इंटरानेट पर विभिन्न मेटीरियल ग्रुप्स के लिए वेब आधारित ऑनलाइन एक्सवाईजैड एवं एबीसी विश्लेषण विकसित किया गया।
- एसएसपी का इंटरानेट 'थगावल' स्थापित किया गया। प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई), रांची के इंटरानेट के साथ लिंक दिया गया है।
- इस्को स्टील प्लांट (आईएसपी) में गेट पास प्रबंधन प्रणाली एवं गेट्स के जरिए कम्प्यूटरीकृत मेटीरियल की ऐंट्री/एग्जिट विकसित किया गया। कंपनी द्वारा संचालित तीन स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षण शुरू किया गया।
- सीएमओ में इंटरनेशनल ट्रेड डिवीजन (आईटीडी) हेतु ऑनलाइन ई–बिड प्रणाली, कन्वर्जन एजेंट मॉड्यूल, वेयरहाउस मॉड्यूल, डीम्ड निर्यात, डीलर मॉड्यूल के सॉफ्टवेयर विकसित किए गए।

सेल के राउरकेला स्टील प्लांट में वेब पोर्टल का उद्घाटन किया जा रहा है।

- लौह और इस्पात अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (आरडीसीआईएस) में कारखानों के लिए निम्न परियोजनाओं पर काम किया गया:
  - एसएमएस–2, आरएसपी में : मौजूदा पीएलसी से ओरेकल डेटाबेस सर्वर तक प्रोसेस डेटा प्राप्त करने के लिए एक डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन किया गया। यह बीओएफ माडल की रनिंग के लिए जरूरी है जो प्रक्रिया मानकों को पूरा करेगा।
  - एचएसएम, बीएसएल में : नेटवर्क स्विच जोड़कर एमटीएल तक मौजूदा नेटवर्क बढ़ाया गया है। लेबल 3 कम्प्यूटर में लगे एक माइक्रो स्ट्रक्चर मॉडल मेकेनिकल प्रोपर्टीज का पूर्वानुमान लगाएगा और इसे एमटीएल से देखा जा सकेगा।
  - सिंटर प्लांट, बीएसएल में : नई परिमिएब्लिटी नियंत्रण प्रणाली विकसित की गई है जिसके अंतर्गत सिंटर की परिमिएब्लिटी को नियंत्रित करने के लिए स्वतः पानी मिलाने की सुविधा है।
  - सिंटर प्लांट, आरएसपी में : नई परिमिएब्लिटी नियंत्रण प्रणाली विकसित की गई है जिसके अंतर्गत सिंटर की परिमिएब्लिटी को नियंत्रित करने के लिए स्वतः पानी मिलाने की सुविधा है।
  - रिफ्रेक्टरी विभाग, आरएसपी में : आरएसपी में एकीकृत रिफ्रेक्टरी सूचना प्रणाली के लिए कार्यान्वयन उपरांत सॉफ्टवेयर सपोर्ट प्रदान किया गया।
  - उपरोक्त सभी गतिविधियों के अलावा आरडीसीआईएस ने एसेट एकाउंटिंग एवं प्रोजेक्ट एकाउंटिंग की कम्प्यूटरीकरण के लिए एवं आरडीसीआईएस में उपलब्ध सूचना एवं ज्ञान आधार को एक्सेस करने के लिए एक इंटरानेट आधारित वेब एप्लिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इसके अंतर्गत एक्सिप्लिसिट के साथ–साथ टेसिट नॉलेज को केप्चर एवं शेयर करने का प्रावधान है। इस पोर्टल में टेक्निकल फोरम्स, न्यूज सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स, फार्मेट्स मैनुअल्स, परिपत्र, कार्यालय आदेश, टेलिफोन निर्देशिका इत्यादि जैसी अतिरिक्त सुविधाएं दी हैं जिनसे आरडीसीआईएस में पारदर्शिता एवं बेहतर ऑन–लाइन सम्प्रेषण को बढ़ावा मिलता है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) : आरआईएनएल ने एक एकल ट्रांजेक्शन डेटाबेस के लिए ईआरपी–उक्कू संकल्प कार्यान्वित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो सीमलैस इंटिग्रेशन एवं आंतरिक दक्षताएं सुधारने के लिए संपूर्ण संगठन में शेयर्ड, अद्यतन की गई है। ईआरपी का कार्यान्वयन प्रगति की ओर उठाया गया एक बड़ा कदम है जिससे आरआईएनएल को भावी प्रतिस्पर्द्धा का मुकाबला करने में मदद मिलेगी।

ई–पहल

आयात क्रय के मामलों के संचालन के लिए रिवर्स ई–ऑक्शन प्रणाली में मल्टी–करेंसी बिडिंग का प्रावधान किया गया। कारखाने में विभिन्न स्थानों पर सूचना कियोस्क प्रदान करने की परियोजना पर काम किया गया। कानूनी मामले एवं सुरक्षा विभागों, क्यूएमएस–एमओयू निगरानी प्रणाली इत्यादि के लिए विभिन्न इंटरानेट पोर्टल्स शुरू किए गए। ऑनलाइन वेंडर पंजीकरण मॉड्यूल भी शुरू किया गया।

सुरक्षा पहल

बीएसपी में आईटी गतिविधियों से संबंधित सुरक्षा आश्वासन के लिए, एक बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित आईटी सिक्योरिटी ऑडिट हेतु एक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए इंफार्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का कार्यान्वयन किया गया।

मानक पहल

प्रक्रिया मानकीकरण एवं अंतरराष्ट्रीय साफ्टवेयर विकास मानकों की बराबरी के लिए वीएसपी ने कैपेबिलिटी मैच्योरिटी माडल इंटीग्रेटेड (सीएमएमआई) को चुना है जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राधिकरण द्वारा आकलन किया गया है। सीएमएमआई के अंतिम आकलन में, कारनेगी मेलन यूनिवर्सिटी, यूएसए से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट (एसईआई) से आईटी विभाग को प्रतिष्ठित सीएमएमआई लेबल–3 सर्टिफिकेट से पुरस्कृत किया गया।

व्यापार एप्लिकेशंस का कार्यान्वयन किया गया

लाइट एवं मीडियम मर्चेंट मिल (एलएमएमएम) में मिल स्केल एवं स्क्रैप एकाउंटिंग माड्यूल कार्यान्वित किया गया। टैक्ट्स (टाउन एडमिनिस्ट्रेशन कांट्रेक्ट मैनेजमेंट) प्रणाली विकसित कर लागू की गई। सभी बाह्य शाखाओं के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बजट मॉनिटरिंग प्रणाली (एबीएमएस) लागू की गई।

प्राथमिक पहल

स्पैम मेल्स को नियंत्रित करने एवं बचाव की दृष्टि से ई–मेल के लिए सिक्योरिटी एप्लायंस कार्यान्वित किया गया। टाउनशिप में डाटाकॉम नेटवर्क के विस्तार को संस्थापित कर लिया गया। माधा राम एवं जेएलएम खनन कार्यालयों में कनेक्टिविटी स्थापित करने की परियोजना पर कार्य किया गया।

प्रक्रिया नियंत्रण पहल

नई स्काडा (सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजीशन) प्रणाली चालू की गई। डब्ल्यूआरएम प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम एवं एमएमएसएम

आरआईएनएल को सितंबर 2009 में केपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटेग्रेटिड (सीएमएमआई) लेवल–3 से सम्मानित किया गया।

प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम का नवीकरण किया गया। फर्नेसों में मौजूद मेटीरियल्स की ऑनलाइन ग्राफिकल डिसप्ले को रोलिंग मिल्स में कार्यान्वित किया गया। एसएमएस कन्वर्टर लेबल–2 आटोमेशन, सीसीएम–2 लेबल–2 आटोमेशन एवं सीसीडी एक्सपेंशन लेबल–2 की एएमआर परियोजनाओं पर काम किया गया। ब्लूम स्टोरेज यार्ड में यार्ड आटोमेशन पर भी काम किया गया।

विशेष पहल

रोलिंग मिलों में उत्पादन नियंत्रण कंप्यूटरों के साथ पीपीसी एप्लिकेशन के एकीकरण पर बल जारी रहा। डब्ल्यूआरएम पीआरओडीसीसी–पीपीसी इंटिग्रेशन पूर्ण किया गया। कार्पोरेट बिजनेस इंटेलीजेंस सिस्टम (सीबीआईएस)– एक बिजनेस इंटेलिजेंस पैकेज जारी रहा जहां डेटा वेयरहाउसिंग टेक्नालॉजी का इस्तेमाल करते हुए सिस्टम में सभी बिजनेस वेल्यू चेन्स हेतु रिपोर्ट तैयार की जाती है। वीएसपी के लिए डाक्यूमेंट मैनेजमेंट साल्यूशन/डिजिटाइजेशन का कार्यान्वयन किया गया। इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट प्रणाली को विकसित कर लागू किया गया। इंटरप्राइज एमएस प्रोजेक्ट साल्यूशन एवं इंटरप्राइज ई–मेल आर्किबल साल्यूशन का कार्यान्वयन किया गया।

एनएमडीसी लिमिटेड

- आंध्र प्रदेश सरकार के पोर्टल के माध्यम से नियमित रुप से ई–खरीद
- एचआरएमएस और एफएएस–9 मॉड्यूल्स के लिए एकीकृत वेब आधारित सॉफ्टवेयर पैकेज का विकास पहले ही पूर्ण कर लिया गया है और कार्यान्वित हो गया है। शेष मॉड्यूल्स का परीक्षण चल रहा है।
- वेब आधारित मौजूदा ऑनलाइन आईएमएस का कार्यान्वयन किरंदुल एवं दोणिमलाई में कर लिया गया है। बचेली में इसका कार्यान्वयन चल रहा है।
- जनता से प्राप्त शिकायतों और उनकी स्थिति की जानकारी कंपनी की वेबसाइट (www.nmdc.co.in) पर उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की गई है।

- अधिकारियों को वर्ष 2009 से वार्षिक संपत्ति विवरण ऑनलाइन जमा करने की सुविधा दी गई है।
- मुख्यालय एवं परियोजनाओं के बीच वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा स्थापित की गई है और उसका नियमित उपयोग हो रहा है।
- मुख्यालय एवं परियोजनाओं के बीच बैकअप बीएसएटी कनेक्टिविटी स्थापित की गई है।

मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल)

अपने कार्य क्षेत्रों में प्रभावी कंप्यूटरीकरण को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने एक पूर्णकालिक सिस्टम्स सेल की स्थापना की है। वर्तमान रूप से सिस्टम विभाग में 7 कार्यपालक एवं 11 गैर–कार्यपालक सदस्य हैं। इस विभाग का प्रमुख, निदेशक (वाणिज्यिक) है। पर्याप्त आईटी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम्स डिपार्टमेंट ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

- 180 कंप्यूटर लगाए गए। इनमें से 78 मुख्यालय में और 102 को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की खानों में वितरित किया गया है।
- कंपनी के विभिन्न विभागों मसलन बिक्री और विपणन, खरीद और भंडारण, मानव संसाधन और कार्मिक,उत्पादन और गुणवत्ता, लागत और वित्त विभाग की जरूरतों के हिसाब से कंप्यूटर आधारित कार्यक्रमों की डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन।
- मुख्यालय के साथ–साथ बालाघाट तथा डोंगरी बुजुर्ग जैसी दो प्रमुख खानों और विंडोज–2003 प्लेटफार्म पर लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) की स्थापना की गई है। अन्य खानों में भी लैन का विकास हाल ही में पूर्ण कर लिया गया है।
- एनआईसी सर्वर पर एक कारगर वेबसाइट का डिजाइन, विकास और होस्टिंग।
- इन–हाउस मॉयलनेट सर्वर पर एक कारगर इंटरानेट वेबसाइट का डिजाइन, विकास और होस्टिंग।
- दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित खानों और मुख्यालय के बीच तथ्यों, सूचनाओं और दूसरे संसाधन की नियमित रूप से प्रभावी साझेदारी के लिए उन्हें वीसेट से जोड़ा गया है।
- पुरानी व्यवस्था में बदलाव करके ग्राहक सर्वर व्यवस्था का विकास प्रगति पर है।
- लगातार जानकारी हासिल करने, ई–मेल और आंकड़े भेजने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को 2 एमबीपीएस ब्राडबैंड लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है।

एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी ने आईटी आधारभूत संरचना के संबंध में कई बदलाव किए। ये निम्नलिखित हैं:

- आईएसओ 27001 प्रमाणपत्र हासिल किया।
- ई–खरीद पोर्टल के लिए सन्निहित डिजिटल हस्ताक्षर लागू।
- ई–खरीद पोर्टल के लिए सन्निहित टाइम स्टैंपिंग।
- डिजिटल हस्ताक्षरों के लिए टीसीएस के सब–सीए (उप प्रमाणन प्राधिकरण) का दर्जा।
- प्रणालियों और अनुप्रयोगों की पैठ और संवेदनशीलता का परीक्षण।
- प्राथमिक साइट के विफल होने के मामले में स्थानापन्न साइट की स्वतः सक्रियता।
- ई–कामर्स पोर्टल की उपलब्धता अर्थात् (अपटाइम) को बढाने के लिए, ई–कामर्स को सर्वर को रिडंडेंट एरे इंडीपेंडेंट डिस्क (आरएआईडी) की स्थापना से उन्नत किया गया, फेल ओवर यूपीएस और रिडंडेंट नेटवर्क स्विच की स्थापना करते हुए उन्नत किया गया है।
- वायरस और दूसरे दुर्भावनापूर्ण कोड से होने वाले सुरक्षा खतरों को कम करने के लिए एंटी वायरस प्रणाली लगाना।
- लीज्ड लाइन को 16 एमबीपीएस से बढ़ाकर 20 एमबीपीएस किया गया।
- एसयूएसई लायनक्स संचालन तंत्र से एआईएक्स की ओर कदम।

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

- निगम कार्यालय के विभिन्न विभागों और इकाइयों को कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं। वेतन, वित्तीय लेखा, सामग्री प्रबंधन से जुड़े क्षेत्रों का कंप्यूटरीकरण किया गया है।
- एप्लीकेशन पैकजों से एमआईएस का सृजन किया जा रहा है।
- इकाइयां इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हुई हैं।
- वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) की स्थापना और इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) को लागू करने का काम प्रगति पर है।
- कंपनी के पीएफ, आयकर, निविदाओं जैसी सांविधिक जरूरतों को ई–माध्यम से पूरा किया जा रहा है।
- सूचना अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर दी गई है।

हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

कंपनी की वेबसाइट www.hscl.co.in है, जिसके माध्यम से कंपनी पारदर्शी तरीके से अपना व्यापार चलाने के साथ ही सूचना के अधिकार अधिनियम के सभी सांविधिक निर्देशों का पालन करती है।

मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन के रांची, बंगलौर और दिल्ली कार्यालय अत्याधुनिक हार्डवेयर, नेटवर्क एवं आटोकैड, आटोप्लांट, पीडीएस, ई–टेप, सीजर, पीवी लाइट इत्यादि जैसे विभिन्न इंजीनियरी सॉफ्टवेयर टूल्स से सज्जित हैं, जिनसे विभिन्न परियोजनाओं का गुणवत्ता पूर्ण डिजाइन बनाने एवं समय पर पूर्ण करने में मदद मिलती है।

विभिन्न जारी परियोजनाओं की योजना बनाने एवं निगरानी के लिए प्राइमावेरा, एमएस प्रोजेक्ट्स और निजी तौर पर विकसित परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर जैसे विभिन्न परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है।

मानव संसाधन, निगमित वित्त, परियोजना वित्त, एमआईएस, नॉलेज मैनेजमेंट, ई–आरकाइव जैसे निजी तौर पर विकसित वैब आधारित माड्यूल्स का इस्तेमाल रोजमर्रा की गतिविधियों में किया जा रहा है।

मेकॉन विचार–विमर्श के लिए एवं मेकॉन के विभिन्न कार्यालयों और ग्राहकों/विक्रेताओं के साथ समीक्षा बैठकों के लिए भी वीडियो कांफ्रेंसिंग प्रणाली का गहन इस्तेमाल कर रहा है।

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड में ईडीपी सेंटर प्लांट कार्यालय, पालोंचा के वित्त एवं लेखा प्रभाग के नियंत्रण में है। ईडीपी सेंटर एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर एवं अन्य संबंधित कम्प्यूटर गतिविधियों के विकास के लिए आईटी गतिविधियों का संचालन करेगा। ईडीपी सेंटर में विप्रो लिमिटेड से सन फायर 280आर सिस्टम स्थापित किया गया है। सर्वर का कंफिग्रेशन निम्न है:

1x900 मेगाहर्टज अल्ट्रा स्पार्क–III सीयू प्रोसेसर, 1 जीबी रैम,

1x36 जीबी हार्ड डिस्क ड्राइव, एफकैल डिस्क ड्राइव।

आपरेटिंग सिस्टम	:	सोलारिस–8
सॉफ्टवेयर	:	ओरेकल 9आई

एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए फ्रंट येंड टूल के रूप में इंटरनेट डेवलपर स्यूट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्तमान रूप से सनफायर 280आर सर्वर डेटा फीडिंग हेतु उत्पादन, कच्चे माल एवं क्रय विभागों, विभिन्न रिपोर्टों एवं एमआईएस रिपोर्टों के वेलिडेशन एवं जेनरेशन से भी कनेक्ट है।

उपरोक्त के अलावा, एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के विकास हेतु एक टूल के रूप में फॉक्सप्रो का इस्तेमाल विभिन्न रिपोर्टों के डेटा फीडिंग, जेनरेशन हेतु विपणन, स्टोर्स, वित्त एवं लेखा, बिक्री विभागों एवं माप–तोल अनुभाग में पीसी का इस्तेमाल किया जाता है।

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड में अन्य विभागों जैसे कार्मिक एवं प्रशासन विभाग, टाइम ऑफिस, सुरक्षा विभाग एवं महाप्रबंधक के कार्यालय में भी विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए पीसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। द्विभाषी एवं बहुभाषी विभिन्न रिपोर्टों को तैयार करने के लिए राजभाषा अनुभाग के निर्देशों के अनुसार सभी पीसी में लीप ऑफिस 2000 सॉफ्टवेयर स्थापित किया गया है।

केआईओसीएल लिमिटेड

कंपनी ने आईटी/बीपीओ और अन्य संबंधित क्षेत्रों के उपक्रमों में प्रवेश के लिए मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के लक्ष्य अनुच्छेद में परिवर्तन किया है। कंपनी इस उद्यम में प्रवेश करने की संभावना की तलाश कर रही है।

बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

लौह और मैंगनीज अयस्क की निविदाएं ई–नीलामी के माध्यम से की जाती है। कंपनी वेतन का भुगतान ई–माध्यम से एसबीआई के द्वारा करती है। करों को चुकाने के लिए भी ई–भुगतान का प्रयोग किया जाता है।

अध्याय–IX

सुरक्षा

किसी भी उद्योग के संचालन में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह न सिर्फ इसके कर्मचारियों और कामगारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सरकार और राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। लौह एवं इस्पात उत्पादन जटिल और जोखिम वाली गतिविधि है इसलिए कर्मचारियों को जख्मी होने से रोकने और हादसे नहीं होने देने के लिए स्वस्थ कार्य माहौल और सभी तरह के खतरों और जोखिम के प्रति व्यापक सावधानी की जरूरत है। इस अध्याय में मंत्रालय के अधीन आने वाले पीएसयू द्वारा उठाए गए सुरक्षात्मक कदमों पर प्रकाश डाला गया है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

किसी भी विनिर्माण उद्योग में दुर्घटनाओं की रोकथाम निरंतर एक चिंता का विषय रहा है। सेल के मामले में इस चिंता का विशेष महत्व हो जाता है क्योंकि हमारे पास एक ऐसा विशाल कार्यबल है जो लौह एवं इस्पात का उत्पादन कर रहा है; एक ऐसा कार्य जिसमें व्यावसायिक जोखिम विद्यमान हैं। कार्यस्थल पर सुरक्षा मसला हमारे प्रचालन मूल्यों के तहत स्वाभाविक रूप से एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है।

सेल अपने नैतिक एवं सामाजिक मानकों को कायम रखने के साथ–साथ अपनी निगमित सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में भी दृढ़ विश्वास रखता है। यह उत्पादन, उत्पादकता लागत में कटौती एवं गुणवत्ता के साथ कंपनी के मानव संसाधनों एवं संपत्तियों की सुरक्षा पर भी पर्याप्त बल देता है।

इस्पात कारखानों में दुर्घटना मुक्त काम–काज सुनिश्चित करना सेल प्रबंधन की एक प्रमुख प्राथमिकता है।

सेल में सुरक्षा की प्रबंधन के शीर्ष स्तर पर निगरानी की जाती है अर्थात् सुरक्षा, जागरूकता जगाने एवं सुरक्षा के प्रति मानवीय व्यवहार सुधारने के लिए अध्यक्ष एवं निदेशक स्तर के साथ–साथ संबंधित कारखानों/इकाइयों के प्रमुख कार्यपालकों द्वारा बल दिया जाता है। सुरक्षा सभी समुचित मंचों पर प्रथम मत के रूप में परिचर्चा का विषय होता है और सुरक्षा मानकों में निरंतर सुधार लाने के लिए सभी जरूरी उपाय अपनाने के लिए दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं। इस महत्वपूर्ण मसले पर प्रबंधन की विशेष चिंता परिलक्षित होती है।

सेल के पास एक सुस्पष्ट सुरक्षा नीति है जिसमें न केवल अपने कर्मचारियों के प्रति वरन कंपनी से जुड़े सभी लोगों की सुरक्षा के प्रति संगठनात्मक वचनबद्धता दिखाई देती है। इसके अलावा, कारखानों में एक अत्याधुनिक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली ओएचएसएएस–18001 कार्यान्वित करने के साथ–साथ एक व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति भी है। सभी प्रयासों को इस नीति के अनुरूप निर्देशित किया जाता है और इनको सभी कारखानों/इकाइयों द्वारा निरंतर एवं अनवरत तरीके से देखा जाता है।

सेल में कारपोरेट इकाइयों और शॉप स्तरों पर सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाता है। विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में उपयुक्त कारपोरेट/अग्नि सुरक्षा गतिविधियों के समन्वय, निगरानी, संवर्धन और प्रोत्साहन एवं कंपनी में सुरक्षा प्रबंधन पर उपयुक्त कारपोरेट बल देने के लिए सेल सेफ्टी आर्गनाइजेशन (एसएसओ) नामक कारपोरेट सुरक्षा इकाई है। इसके अलावा सेल के प्रत्येक संयंत्र/इकाई में संबद्ध संयंत्र और इकाई के सुरक्षा प्रबंधन की देखभाल के लिए एक संपूर्ण सेफ्टी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। शॉप फ्लोर पर सुरक्षा का दारोमदार विभागीय सुरक्षा अधिकारियों के जिम्मे है।

सेल वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह के दौरान सुरक्षा स्मारिका का विमोचन किया जा रहा है।

विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में और एसएसओ स्तर पर निम्नांकित सुरक्षा उपाय अपनाए जा रहे हैं:

- विभिन्न लागू कानूनों, मानकों, स्तरों, प्रविधियों इत्यादि में सूचीबद्ध सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रावधानों का पूर्णतः अनुपालन किया जाता है।
- किसी भी कार्य पर अमल से पहले सुरक्षा को हर किसी की जिम्मेदारी और जवाबदेही के तौर पर पेश किया जाता रहा है। सुरक्षा पहलुओं को स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रैक्टिसेस (एसओपी) और स्टैंडर्ड मेन्टिनेंस प्रैक्टिसेस (एसएमपी) के तौर पर शामिल किया जाता रहा है।
- सुरक्षा क्षेत्रों और अग्नि सेवाओं के क्षेत्रों में सालाना प्रदर्शन योजनाओं (एपीपी) पर अमल किया जाता रहा है और एपीपी की क्रियान्वयन की समीक्षा संयंत्रों एवं एसएसओ द्वारा की जाती है।
- प्रमुख विभागों, खासकर नुकसानदेह क्षेत्रों, में आंतरिक और बाह्य सुरक्षा अंकेक्षण को नियत समय के मुताबिक पूरा किया जाता रहा है और ऐसे अंकेक्षण से पैदा होने वाले बिंदुओं का निपटारा किया जाता है। किसी खास विभाग के पुनर्लेखा से पहले लेखा–पूर्व अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।
- सभी जरूरी निजी सुरक्षात्मक उपकरण (पीपीई) मसलन, सुरक्षा जूते, सुरक्षा हेलमेट और दस्ताने आदि सभी नियमित कर्मचारियों को मुफ्त दिए जाते हैं। अनुबंध शर्तों के मुताबिक ठेकेदारों द्वारा अपने कामगारों को पीपीई उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसा नहीं करने पर, ये सामान रिकवरी के आधार पर सेल द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं।
- हादसे रोकने के लिए सभी प्रमुख मरम्मतों/इकाइयों को बंद करते समय उन पर रात–दिन बारीक नजर रखी जाती है।
- जांच सूची के आधार पर असुरक्षित कार्यों और हालात के नियमित ऐहतियाती परीक्षण किए जाते हैं और सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।
- केबल गैलिरियों और भूमिगत सेलर का परीक्षण किया जाता है और आग लगने के खतरे को रोकने के लिए इनकी सुरक्षा पर खास जोर दिया जाता है।
- जोखिम भरी नौकरियों के लिए वर्क परमिट/प्रोटोकॉल प्रणालियां प्रचलन में हैं जहां कई एजेंसियां सीमित दायरों में और ऊंचाई पर गैस लाइन, स्टीम लाइन, प्रेसर वेसेल, लिटिंग उपकरणों, वैद्युत संस्थापन, विद्युत चालित मशीनों, हाइड्रॉलिक लाइनों आदि जैसी सुविधाओं की उपलब्धता में लगी हैं।
- जोखिम के बारे में कर्मचारियों को सावधान करने के लिए विभिन्न जगहों पर नौकरी/क्षेत्र विशेष सुरक्षा संचार प्रणालियों से अवगत कराया जाता है। जमीनी स्तर तक सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए सांविधिक अभियान चलाए जाते हैं। एसएसओ और संयंत्रों/इकाइयों की ओर से जर्नलों, पुस्तिकाओं, रिपोर्टों, मैनुअल आदि के रूप में नियमित प्रकाशन निकाले जाते हैं जिनमें सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के बारे में व्यापक जानकारी रहती है।
- सुरक्षा के प्रति कर्मचारियों का नजरिया बदलने के लिए एसएसओ और संयंत्रों/इकाइयों में एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम 'बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी' लागू किया जा रहा है।
- कार्यस्थल के लिए आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई हैं और आपात तैयारी के तौर पर आपदा से निपटने के लिए छद्म अभ्यास किए जाते हैं।
- सभी दुर्घटनाओं की जांच की जाती है और इनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठाए जाते हैं।
- क्षेत्र विशिष्ट समाधानों का इस्तेमाल करते हुए दुर्घटनाओं का कारणवार विश्लेषण के आधार पर अनेक कार्रवाइयां की गईं। इस तरह के विश्लेषण के परिणामों से सुरक्षा अधिकारियों एवं लाइन मैनेजरों को अवगत कराया गया ताकि उनको रोकथाम परक उपायों पर बल देने के लिए तैयार किया जा सके। इनमें से कुछ क्षेत्र निम्न हैं :
  - कांट्रेक्टर के कामगारों की सुरक्षा
  - ऊँचाई पर कार्य करना
  - गतिमान चीजों/मशीनों के बीच चोट लगना/फंस जाना/दब जाना
  - रेल सड़क सुरक्षा
  - गरम वस्तुओं से सुरक्षा
- किसी किस्म के असमंजस/त्रुटि एवं फलस्वरूप दुर्घटना के अवसरों को रोकने के लिए कार्य में लगी विभिन्न एजेंसियों के बीच स्पष्ट एवं विशिष्ट संप्रेषण सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं।
- ठेका कामगारों को प्रवेश पत्र जारी करने से पहले उनके लिए सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग की ओर से सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, कार्यस्थल पर काम शुरू होने से पहले कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी द्वारा नौकरी केंद्रित प्रशिक्षण दिया जाता है।
- सुरक्षा मामलों में एचआरडी के दखल के दायरे में विभाग प्रमुख, लाइन प्रबंधक और विभागीय सुरक्षा अधिकारी आते हैं। इसके अलावा गैस सुरक्षा, रेल/रोड सुरक्षा और लौह, इस्पात व कोक निर्माण आदि जैसे क्षेत्रों में विभिन्न इलाकों में क्षेत्र केंद्रित कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इसके तहत उन्हें सुरक्षा प्रबंधन के सर्वश्रेष्ठ उपायों से अवगत कराया जाता है।
- क्रेन आपरेटरों, लोको आपरेटरों, पोर्टरों, रिगर, वेल्डर, गैस कटर, इलेक्ट्रिशियन, हैवी अर्थ मूविंग मशीनों के आपरेटरों आदि जैसे विभिन्न समूहों को कौशल एवं कार्य केंद्रित सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है।

राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह के दौरान सेल के कारखाने में सुरक्षा अभ्यास किया जा रहा है।

- सेल के जारी आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण के दौरान सुरक्षा पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्यस्थलों पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। कांट्रेक्टर सुरक्षा आडिट किए जा रहे हैं, परियोजना कार्मिकों के लिए परियोजना निष्पादन के दौरान सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
- विभिन्न कार्यशालाओं, प्रचार अभियानों, प्रतियोगिताओं इत्यादि के जरिए गृहणियों एवं स्कूली बच्चों में सुरक्षा जागरूकता फैलाई जा रही है।
- सड़क हादसे रोकने के लिए पाली परिवर्तन के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी जाती है। किसी भी दुपहिया सवार व्यक्ति को हेलमेट के बगैर संयंत्र परिसर में आने नहीं दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण किए जाते हैं।
- राष्ट्रीय स्तर पर इस्पात उद्योग के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर संयुक्त समिति (जेसीएसएसआई) नामक एक द्विपक्षीय फोरम काम कर रहा है, जिसमें सेल के निदेशक (कार्मिक) इसके चेयरमैन और सेल के कार्यकारी निदेशक (सुरक्षा) इसके वाइस चेयरमैन हैं। इसके अलावा इसमें सेल, आरआईएनएल, टिस्को, इस्पात ग्रुप, एस्सार, एनआईएनएल के इस्पात कारखानों एवं इकाइयों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हैं। केंद्रीय और संयंत्र स्तरीय ट्रेड यूनियन भी राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए जेसीएसएसआई गोष्ठियां, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम और सदस्य संगठनों के लिए सुरक्षा प्रतियोगिताएं आयोजित करती रही है। जेसीएसएसआई ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों की मदद और सहयोग से अपने सदस्य संयंत्रों के लिए नीतियां और दिशानिर्देश तैयार करती हैं और इसके क्रियान्वयन पर नजर रखती है। जेसीएसएआई के सचिवालयी क्रियाकलापों का प्रबंधन रांची स्थित सेल सुरक्षा संगठन द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

संगठन में सुरक्षा को पर्याप्त महत्व दिया जाता है और ओएचएसएएस 18001 के कार्यान्वयन ने सुरक्षित कार्य संस्कृति सुनिश्चित की है। आरआईएनएल वीएसपी ने मई 2009 में ओएचएसएएस 18001:2007 के नवीनतम वर्जन प्राप्त करने में सफलता हासिल की। सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन के लिए निरंतर प्रयासों, जोखिम नियंत्रण की निगरानी एवं अन्य सहक्रियात्मक उपायों के फलस्वरूप संभावित जोखिमों में कमी/समाप्ति हुई है।

ओएचएसएएस 18001:2007 प्रमाण पत्र मानक को पूरा करने के लिए 2500 से अधिक खतरा पहचान एवं जोखिम आकलन शीट्स तैयार

की गई। संयुक्त मुख्य फैक्टरी निरीक्षक की उपस्थिति में कारखाने की आपदा के लिए तैयारी की जांच की दृष्टि से जून 09 में बेंजोल प्लांट के क्रूड एवं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स स्टोरेज टैंक्स के पास संयंत्र स्तरीय अभ्यास किया गया। व्यापक रिस्क आकलन (हजोप, हजन, आपात योजना, सुरक्षा आडिट इत्यादि) गतिविधि को एक बाह्य एजेंसी के सुपुर्द किया गया है और कार्य सितंबर 09 में शुरू हो गया है।

सुरक्षा जागरूकता की भावना आत्मसात करने के लिए निम्न सहक्रियात्मक उपाय भी किए गए:

- ठेका कामगारों, ठेका सुपरवाइजरों एवं मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच ''ऊँचाई पर काम करने'' विषय पर संगठन में परिचर्चा सत्र का आयोजन।
- ''कार्यस्थल सुरक्षा एवं सड़क सुरक्षा'' विषय पर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- सुरक्षा उपकरणों की प्रदर्शनियां आयोजित की गई।
- महिला ठेका कामगारों के लिए नितांत रूप से किचन सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें ''सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं'' (विप्स) के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
- ''ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल के खतरे'' पर अभियान चलाया गया।
- परियोजनाओं के प्रभारियों एवं ठेकेदारों के सुपरवाइजरों के लिए संयुक्त मुख्य फैक्टरी निरीक्षक द्वारा ''निर्माण सुरक्षा'' विषय पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया।
- दिसंबर 2009 के दौरान फैक्टरी विभाग एवं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद – आंध्र प्रदेश शाखा द्वारा संयुक्त रूप से ''सुरक्षा एवं परिवर्तन प्रबंधन हेतु डिजाइनिंग'' विषयक एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी की सभी परियोजनाओं में इसके प्रशिक्षण केंद्र हैं। उन्हें माइन्स वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स के अंतर्गत जरूरी बुनियादी सुविधाओं से लैस किया गया है। ये केंद्र मौलिक प्रशिक्षण, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, कुशल कामगारों और यहां तक कि ड्यूटी के दौरान जख्मी होने वाले कामगारों के लिए भी प्रशिक्षण देते हैं।

एनएमडीसी की प्रत्येक खनन परियोजना में खनन कार्यों और यांत्रिक एवं इलेक्ट्रिक संस्थापनों के लिए कानूनी प्रावधानों के मुताबिक पर्याप्त संख्या में कामगार निरीक्षकों का चयन/नियुक्ति की जाती है।

सभी चालू खानों में खदान स्तरीय त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गई हैं। डीएमपी, पन्ना, को छोड़कर सभी परियोजनाओं ने इस साल बैठक आयोजित की है। ये बैठकें हर साल परियोजना स्तर पर आयोजित की जाती रही हैं और इसमें वरिष्ठ अधिकारी, यूनियन प्रतिनिधि और डीजीएमएस के अधिकारी भाग लेते रहे हैं। जिसमें सुरक्षा प्रदर्शन एवं उसका मूल्यांकन किया जाता है और सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाता है। मुख्यालय में साल में एक बार नियमित रूप से त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित हो रही हैं।

हर चालू खान के लिए सुरक्षा समिति गठित की गई है और पिट सेफ्टी को लेकर हर महीने सुरक्षा बैठकें आयोजित होती रही हैं जहां कार्य महौल को लेकर सुरक्षा मामलों और सुधारात्मक कदमों पर चर्चा होती है। वर्ष 2009–10 (दिसंबर 2009 तक) में प्रति 1000 मानव कार्य दिवसों पर 3.79 मानव कार्य दिवसों का नुकसान हुआ, जबकि पिछले साल यह 5.66 था।

ओएचएसएएस 18001:2007 प्रमाणीकरण

एनएमडीसी की परियोजनाएं – बीआईओएम, किरनदूल कॉम्प्लेक्स, बीआईओएम, बछेली कॉम्प्लेक्स एवं दोणिमलाई लौह अयस्क खान को ओएचएसएएस 18001:2007 प्रमाणीकरण प्राप्त है।

ओएचएस गतिविधियां

पर्याप्त जनशक्ति पूंजी और बुनियादी सुविधाओं के साथ पेशागत स्वास्थ्य सेवाएं (ओएचएस) मुहैया कराई गईं और मुंबई के सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट के ओएचएस में प्रशिक्षित डाक्टरों के नेतृत्वों में इन सभी परियोजनाओं में ये सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध कराई गई है। एक सुनियोजित कार्यक्रम के तहत सभी परियोजनाओं में नियमित रूप से विधिवत तरीके से सावधिक मेडिकल परीक्षा ली जाती रही है। सभी नतीजों को कंप्यूटरीकृत किया जाता है और व्यक्तिगत फाइलों को व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है।

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

माइन मेट, माइन फोरमेन और प्रशिक्षित माइनिंग इंजीनियर जैसे सक्षम सुपरवाइजरों द्वारा सभी खनन कार्यों पर नियमित नजर रखी जाती है। वर्कमेन इंस्पेक्टर, सुरक्षा अधिकारियों, खदान प्रबंधकों और एजेंटों द्वारा कार्य पाली के दौरान भी सुरक्षा निरीक्षण किए जाते हैं। मुख्यालय स्तर पर महाप्रबंधक के नेतृत्व में आतंरिक सुरक्षा संगठन द्वारा खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है और समय–समय पर इसका निरीक्षण किया जाता है।

खदानों में नियमित सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं जहां कामागारों के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित कर रोजाना के सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा होती है। असुरक्षित कार्यों और खदान दुर्घटनाओं का व्यापक विश्लेषण किया जाता है ताकि किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।

वर्ष 2008 और वर्ष 2009 में हुए हादसों का ब्यौरा निम्न है :

विवरण	2008	2009
घातक	4	.
गंभीर	3	1
प्रतिवेदित	10	8
कुल	**17**	**9**

डीजीएमएस के दिशा निर्देश के मुताबिक नियमित पेशागत स्वास्थ्य जांच की जाती हैं। वर्ष 2008 के दौरान शुरुआती मेडिकल जांच (आईएमई), सावधि मेडिकल जांच (पीएमई), आडिमेट्री और लंग फंक्शन टेस्ट से गुजरने वाले लोगों की संख्या निम्न है :

आईएमई	कम्यू.		पीएमई कम्यू.		ऑडिमेन्टरी टेस्ट कम्यू.		पीईटी टेस्ट कम्यू.	
	डिपार्ट.	कन्टे.	डिपार्ट.	कन्टे.	टारगेट	एक्चूयल	टारगेट	एक्चूयल
कुल	117	326	1135	1038	1164	999	1175	813

कंपनी की सुरक्षा नीति, 9वें सुरक्षा सम्मेलन के मुताबिक तैयार की गई है। इससे खदान के सुरक्षा मानकों में पुनः सुधार होगा। कंपनी ने डोंगरी बुजुर्ग खदान और बालाघाट खदान के लिए जोखिम आकलन के आधार पर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबंधन पर अमल किया है। प्रशिक्षण केंद्र मुंसर में वर्कमेन निरीक्षक और कामगारों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। इन गंभीर प्रयासों के कारण खदान हादसों में कमी आई है। निदेशक और सीएमडी नियमित तौर पर सुरक्षा मसलों और मानकों पर बारीक नजर रखते हैं।

मॉयल ने अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है और वर्ष 2008–09 के लिए निम्न पुरस्कार प्राप्त किए हैं :

अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता (2008–09)

समग्र – विजेता

रिकवरी ड्रिल – विजेता

सैद्धांतिक परीक्षा – विजेता

सर्वश्रेष्ठ कप्तान पुरस्कार

सर्वश्रेष्ठ सदस्य पुरस्कार

नेशनल सेफ्टी पुरस्कारों के लिए निम्नांकित खदानों को चुना गया है:

खदान	श्रेणी	वर्ष 2007
डोंगरी बुजुर्ग खदान	दीर्घतम दुर्घटना मुक्त अवधि	विजेता
बेलडोंगरी खदान	न्यूनतम चोट वारम्बारता दर	उप–विजेता

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

पूरे वर्ष के लिए तैयार प्रशिक्षण कैलेंडर में सुरक्षा एवं संबद्ध क्षेत्रों पर विशेष कार्यक्रम शामिल किए गए। ऐसे कार्यक्रम कर्मचारियों के लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और दूसरी एजेंसियों द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, सुरक्षा दिवस समारोहों का आयोजन कंपनी में किया जाता है जहां सुरक्षा पर वाद–विवाद प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन किया जाता है और कर्मचारी पूरे उत्साह से ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। विजेताओं को उपयुक्त पुरस्कार दिए जाते हैं।

उपरोक्त के अलावा, कर्मचारियों के लिए खासतौर पर सभी आपरेटरों के लिए संबंधित इस्पात कारखानों के अग्निशमन सेवा केंद्र के जरिए अग्नि खतरे एवं उपचारात्मक उपायों पर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि उनमें जागरूकता पैदा हो और वे स्वयं के साथ–साथ उपकरणों की अग्नि दुर्घटनाओं से सुरक्षा कर सकें।

हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंसट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

एचएससीएल ने सुरक्षा कोड तैयार किया है और इसे लागू करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी निर्माण गतिविधियों से जुड़े तमाम सुरक्षा उपायों पर अमल करती है। कंपनी की इस्पात संयंत्र इकाइयों, जहां 98 प्रतिशत से ज्यादा कामगार करते हैं, में सुविधा संपन्न सुरक्षा विभाग है।

मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन के डिजाइन और कंसल्टेंसी कार्यालय है और कोई औद्योगिक इकाई नहीं है। तथापि, परियोजना स्थलों पर ऐहतियात के तौर पर सभी तरह की सुरक्षा चौकसी बरती जाती है और इसका परिणाम यह निकला कि पिछले साल कोई हादसा नहीं हुआ।

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

वर्ष के दौरान, सभी क्षेत्रों में कार्मिकों की सुरक्षा और बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। वर्ष के दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।

केआईओसीएल लिमिटेड

- सुरक्षा विभाग सभी स्थलों पर प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। कंपनी अपने कर्मचारियों के पेशागत स्वास्थ्य और सुरक्षा पर पूरा ध्यान रखती है। यूं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से 1 जनवरी, 2006 से कुद्रेमुख खदान में खनन कार्य रोक दिया गया है, फिर भी, वहां खनन उपकरणों की देखभाल और मरम्मत और वाटर पंपिंग (एचईएमएम), निगरानी आदि जैसे जरूरी कार्यों में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा और पेशागत स्वास्थ्य का नियमित निरीक्षण किया जाता है।
- सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में कामगारों की भागीदारी को कंपनी प्रमुख जिम्मेदारी समझती रही है। कार्यस्थलों पर सेफ्टी मानक सुधारने के लिए सुरक्षा समितियां गठित की गई हैं एवं कामगारों के निरीक्षक नामित किए गए हैं। शून्य दुर्घटना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण दिए गए हैं।
- सुरक्षा समिति सदस्यों सहित सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से सुरक्षा निरीक्षण किए जाते हैं। हर महीने होने वाली सुरक्षा बैठकों में सुरक्षा बिंदुओं पर चर्चा होती है और त्रुटियां, यदि कोई हों, को दूर करने एवं सुधार के लिए के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।
- ढांचों को तोड़ने एवं अन्य संबंधित कार्यों को करने वाले ठेका कामगारों में सुरक्षा चेतना जागृत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कामकाज के क्षेत्र से जुड़े पुनश्चर्या प्रशिक्षण – प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण, अग्निशमन और सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आवश्यकतानुसार संचालन किया जाता है।

केआईओसीएल में प्रशिक्षण एवं सुरक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है।

बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

बर्ड ग्रुप के अंतर्गत खनन कंपनियां खनन गतिविधि अधिनियम, नियमावलियों, विनियमों के प्रावधान एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार खनन एवं संबंधित कार्यकलापों में लगे कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपाय करते हैं। संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा उपायों, औजार एवं उपकरणों से लैस किया जाता है। खनन प्रचालन में विभिन्न गतिविधियों से जुड़ी सुरक्षित प्रविधियों को स्थानीय के साथ–साथ क्षेत्रीय आधार पर सुरक्षा प्रदर्शनी में कामगारों की भागीदारी के जरिए प्रदर्शित किया जाता है। कर्मचारियों ने इस क्षेत्र में वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह आयोजन समिति से पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त किए हैं। सभी कामगारों को विभिन्न क्षेत्रों एवं प्रचालन गतिविधियों में व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

अध्याय–X

शिप ब्रेकिंग

प्रस्तावना

- कई दूसरे उद्योगों की तरह पिछले तीन से चार दशकों में पूरी दुनिया में शिप ब्रेकिंग उद्योग का विकास और विस्तार हुआ है। यह उद्योग लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए बड़ी मात्रा में पुनः इस्तेमाल योग्य और स्क्रैप उपलब्ध कराता है। इसने अर्ध–परिष्कृत लौह सामग्री की उपलब्धता बढ़ा दी है, नहीं तो इसकी व्यवस्था में लौह अयस्क का इस्तेमाल करना पड़ता। इस तरह यह उद्योग प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण में मदद दे रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शिपब्रेकिंग उद्योग समेकित इस्पात संयंत्रों की तुलना में कम अपशिष्ट पैदा करता है।
- नियमित व्यावसायिक गतिविधि के तौर पर शिप ब्रेकिंग उद्योग का प्रारंभ ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी जैसे उन्नत देशों में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ। 1960 तक यह गतिविधि औद्योगीकृत देशों से दूसरे यूरोपीय और सुदूर–पूर्व देशों में फैल गई। वैसे, पिछले 10 वर्षों में 90 प्रतिशत से ज्यादा शिप ब्रेकिंग गतिविधियां भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों में होती रही हैं।
- भारत में शिप ब्रेकिंग का कार्य निजी उद्यमियों द्वारा किया जाता है। यह एक श्रम प्रधान कार्य है और भारत में प्रचुर मात्रा में मानव संसाधन होने की वजह से यह एक किफायती गतिविधि है। साठ के दशक तक, भारत में शिप ब्रेकिंग सिर्फ छोटी नावों एवं तटीय कचरे तक सीमित थी। वर्ष 1979 तक यह गतिविधि एक संपूर्ण उद्योग के रूप में उभर गई है।

मौजूदा शिप ब्रेकिंग गतिविधियों के केन्द्र

- गुजरात में अलांग और सोसिया यार्ड
- गुजरात में सचाना
- मुंबई
- कोलकाता

अलांग और सोसिया शिप ब्रेकिंग यार्डः अलांग और सोसिया गुजरात के भावनगर जिले में अरब सागर तट पर स्थित दो गांव हैं, जहां देश की 90 प्रतिशत शिप ब्रेकिंग गतिविधि केंद्रित है। विगत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष 2009–10 (दिसंबर 2009 तक) के दौरान शिप ब्रेकिंग आंकड़े# निम्नवत हैं:

वर्ष	बीचिंग किए गए जहाजों की संख्या	लाइट डिस्प्लेसमेंट टनेज (एलटीटी)* (मिलियन टन में)
2006–07	142	0.76
2007–08	140	0.60
2008–09	267	2.00
2009–10 (दिसंबर 2009 तक)	293	2.3

** एलटीडी शिप के भौतिक वजन की इकाई है*

 # भारतीय लोहा इस्पात स्क्रैप तथा शिप ब्रेकिंग संघ द्वारा प्रस्तुत आंकड़े

शिप ब्रेकिंग के योगदान

शिप ब्रेकिंग एक ऐसी औद्योगिक गतिविधि है, जिससे न सिर्फ पुनः इस्तेमाल योग्य इस्पात पैदा होता है बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलते हैं। शिप ब्रेकिंग प्रक्रिया से उत्पादित इस्पात के जरिए एकीकृत इस्पात संयंत्रों में इस्पात उत्पादन के लिए प्रयोग हेतु लौह अयस्क, कोयला आदि जैसे जरूरी प्राकृतिक संसाधन की बचत होती है। इस प्रक्रिया से उत्पादित इस्पात देश की कुल इस्पात मांग में करीब 1 से 2 प्रतिशत का योगदान देता है। शिप ब्रेकिंग उद्योग से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

- 1 लाख लोगों की आबादी शिप ब्रेकिंग के इस उद्योग पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर निर्भर है।
- चूंकि शिप प्लेट को रि–रोलिंग के लिए 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत पड़ती है, ऐसी स्थिति में रि–रॉलर पर न्यूनतम तापमान का प्रयोग करना होता है।
- ऐसे ढांचे और शिप प्लेट से रि–रोल्ड होने वाले सेक्शन में धारियां, आंतरिक दरार, रंध्रता पैदा होने, अपशिष्ट की मिलावट होने या फर्नेस बर्न्स की समस्या कम पैदा होती है।
- कार्बन की निम्न मात्रा होने के कारण तन्यता में सुधार और मिलावट से मुक्ति के कारण शिप इस्पात से प्राप्त इस्पात से बनीं सलाखों की ज्यादा सघन कोल्ड ट्विस्टिंग संभव।
- जहाज से प्राप्त इस्पात के फाइन ग्रेन को विशेषतया कोरोजन सरफेस पिटिंग का ज्यादा क्षयरोधी माना जाता है।

अलंग स्थित शिप ब्रेकिंग यार्ड का एक दृश्य।

शिप ब्रेकिंग पर अंतर मंत्रालयी समिति (आईएमसी)

- कार्य आवंटन (कृपया परिशिष्ट 1 देखें) के मुताबिक इस्पात मंत्रालय शिप ब्रेकिंग से संबद्ध है। शिप ब्रेकिंग मुख्य रूप से गुजरात के अलांग में केंद्रित है। इस शिप ब्रेकिंग उद्योग में एक लाख से भी अधिक लोग कार्यरत हैं। शिप ब्रेकिंग उद्योग भी देश में स्टील स्क्रैप की उपलब्धता में योगदान करता है और देश को इससे शुल्क के तौर पर मोटा राजस्व भी मिलता रहा है।
- रिसर्च फाउंडेशन फॉर साइंस टेक्नोलॉजी नेशनल रिसोर्स पालिसी द्वारा 1995 में दाखिल याचिका संख्या 657 के अनुसरण में नुकसानदेह अपशिष्ट के नियंत्रण और प्रबंधन का सामान्य मसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। आवेदनकर्ता ने पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्मित नुकसानदेह अपशिष्ट (प्रबंधन और निपटान) नियमावली 1989 और औद्योगिक अपशिष्ट के नियंत्रण एवं प्रबंधन के सामान्य मसले से संबद्ध प्रावधानों एवं सुधारात्मक कदमों को लागू किए जाने की मांग की। विभिन्न प्रांतीय सरकारें/केंद्रीय मंत्रालय इस मामले में प्रभावित हुए और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) इस मामले में नोडल मंत्रालय था।
- सुनवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न आदेश पारित किए जिनमें पहला मुख्य आदेश 14 अक्टूबर, 2003 को पारित किया गया। इस आदेश में कहा गया कि शिप ब्रेकिंग गतिविधियों के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया जाएगा। इस्पात मंत्रालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को लागू करने तथा अन्य कार्यों के लिए 12 जनवरी, 2004 को जारी आदेश के तहत अपर सचिव और वित्त सलाहकार की अध्यक्षता में एक अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया जिसमें पोत मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, गुजरात मारीटाइम बोर्ड, गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्रम संगठन, स्टील स्क्रैप और शिप ब्रेकर्स एसोसिएशन आदि के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अब तक, आईएमसी ने 11 बैठकें कर दी हैं जिसमें अन्य संगठनों के सदस्यों को शामिल किया गया और शिप ब्रेकिंग उद्योग से जुड़े विभिन्न मसलों पर विचार–विमर्श किया और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए अनेक निर्देश जारी किए।
- आईएमसी की पिछली बैठक 5.10.2009 को आयोजित हुई थी। इस बैठक में जिन मसलों पर चर्चा की गई उनमें से अधिकांश कामगारों की सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़े थे (यथा चिकित्सीय सहायता, सुरक्षा उपकरण, प्रदूषित पर्यावरण से एक्सरे, बीमारी, आवास सुविधा इत्यादि)। कामगारों के स्वास्थ्य एवं आवास सुविधा से संबंधित मामलों में गुजरात सरकार के साथ भी बात की गई है।

शिप ब्रेकिंग गतिविधि पर आचार संहिता तैयार

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 17.02.06 को अपने एक आदेश के जरिएशिप ब्रेकिंग पर तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का निर्देश दिया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 24.03.06 को सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अध्यक्षता और विभिन्न अन्य संगठनों/प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के विशेषज्ञों से युक्त एक समिति गठित की। इस समिति ने अनेक सिफारिशें कीं जिनको सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 06.09.07 के फैसले में स्वीकार कर लिया है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 06.09.2007 के फैसले में कहा है कि भारत सरकार सिफारिशों को शामिल करते हुए एक व्यापक आचार–संहिता तैयार करेगी और तब तक लागू रहेगी जब तक कि संबंधित स्थिति को सिफारिशों के अनुरूप संशोधित न किया जाए। जब तक आचार–संहित लागू होती है, ये सिफारिशें दिनांक 06.09.07 के फैसले के बदोलत लागू रहेंगी। आचार–संहिता इस्पात मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही है।

अध्याय–XI

समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण

इस्पात मंत्रालय और इसके अधीन आने वाले सरकारी उपक्रम समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण संबंधी सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। यह विवरण 31 दिसंबर, 2009 को इस्पात मंत्रालय के संदर्भ में एससी/एसटी/ओबीसी/पूर्व सैनिकों/कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है:

एससी, एसटी और ओबीसी का मंत्रालय में प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियों की संख्या*				वर्ष के दौरान हुई नियुक्तियों की संख्या									
					प्रत्यक्ष नियुक्ति से				पदोन्नति से			अन्य प्रविधियों से		
	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	एससी	एसटी	कुल	एससी	एसटी
ग्रुप ए	36	4	0	0	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
ग्रुप बी	96	13	7	2	1	1	–	–	–	–	–	1	1	–
ग्रुप सी	53	11	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग्रुप डी (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	61	26	5	5	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
ग्रुप डी (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	246	54	16	9										

** माननीय मंत्री इस्पात एवं माननीय राज्य मंत्री, इस्पात का निजी स्टॉफ शामिल है।*

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और बर्नपुर स्थित पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र तथा दुर्गापुर, सेलम और भद्रावती में तीन विशेष इस्पात संयंत्र शामिल हैं। सेल रिफ्रेक्टरी यूनिट व झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में खदानों वाले कच्चा माल प्रभाग का समूह है। सेंट्रल मार्केटिंग आर्गनाइजेशन का पूरे भारत में नेटवर्क है। रांची स्थित रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील, सेंटर फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी सेल के अंग हैं।

सेल के कारखाने ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जहां अधिकांशतः परिधीय जनसंख्या अनु. जाति एवं अनु. जनजाति की है। सेल ने अनेक तरीकों से अनु. जाति/जनजाति समुदायों के विकास में निम्नांकित तरीके से भूमिका निभाई है:

- चूंकि नॉन–एग्जीक्यूटिव (जो कुल कर्मचारियों का लगभग 86 प्रतिशत है) की भर्ती मुख्यतः क्षेत्रीय आधार पर होती है, इसलिए एससी/एसटी और समाज के दूसरे कमजोर तबकों के लोग सेल से रोजगार में लाभ हासिल करते रहे हैं।
- परियोजना कार्य और दूसरे अस्थायी नौकरियों के लिए ठेकेदार मुख्यतः स्थानीय इलाकों के लोगों को बहाल करते रहे हैं, ऐसे में एससी/एसटी उम्मीदवारों को फिर से रोजगार का मौका मिलता है।
- आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सेल के कारखानों की स्थापना से वहां आर्थिक गतिविधियों को बल मिला है जिससे वहां की जनता को विभिन्न किस्म की सेवाएं प्रदान करने का मौका मिला है।
- वर्षों से इलाके में बड़े पैमाने पर आनुषंगिक उद्योगों का विकास हुआ है। इससे स्थानीय बेरोजगारों को लाभ मिला है और उद्यमिता का विकास भी हुआ है।
- सेल द्वारा विकसित इस्पात नगरियां सर्वश्रेष्ठ चिकित्सीय, शैक्षणिक और नागरिक सुविधाओं से लैस हैं और ये स्थानीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दूसरे लोगों, जो सेल कर्मचारियों के साथ समृद्धि का लाभ उठाते रहे हैं, के लिए उम्मीद की किरण हैं।

सेल में एससी/एसटी समुदायों के कल्याण के लिए किए गए कार्य

सरकारी दिशानिर्देशों के मुताबिक उठाए गए कदमों के अलावा सेल ने एससी/एसटी एवं दूसरे कमजोर वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। कुछ मुख्य कदम निम्न हैं:

- सभी प्रमुख एकीकृत इस्पात कारखानों में, एक–एक स्कूल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीब तबके के बच्चों को मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए खोला गया है। इन बच्चों को मुफ्त वर्दी, किताबें और अन्य लेखन सामग्री के अलावा मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है ताकि इन बच्चों में स्कूल में आने का उत्साह बना रहे।
- सेल संचालित स्कूलों में एससी/एसटी छात्रों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है, चाहे ये बच्चे सेल कर्मचारियों या फिर गैर–सेल कर्मचारियों में से किसी की भी संतान हों।
- सेल मेधावी छात्रों और योग्य छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए 432 छात्रवृत्तियां देती है। इनमें से कुल 132 छात्रवृत्तियां एससी/एसटी छात्रों को दी गई हैं।
- सेल संयंत्रों ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों/आदिम आदिवासियों के 124 एससी/एसटी छात्रों को गोद लिया है। उन्हें मुफ्त शिक्षा, आवासीय सुविधा और चिकित्सीय सुविधाएं मिल रही हैं, ताकि उनका संपूर्ण विकास हो।
- कंपनी ने स्थानीय आबादी में शिक्षा के प्रसार के लिए इस्पात नगरियों और कुछ दूसरे इलाकों में स्कूल इमारतों के निर्माण के लिए जमीन मुहैया कराई है। बोकारो स्टील प्लांट ने एससी/एसटी छात्रों के लिए 12 कमरे आवंटित किए हैं।
- चिरिया में कंपनी प्रायोजित डीएवी स्कूल में 51 आदिवासी छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है।
- सेल इस्पात संयंत्र हर साल डा. बी.आर. अंबेडकर जयंती समारोह मनाते हैं। बच्चों और आम लोगों में डा. अंबेडकर के संदेश को फैलाने के लिए उस रोज कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- सेल ने छह खेल अकादमियों – राउरकेला में हाकी अकादमी, भिलाई में लड़कों के लिए एथलेटिक्स अकादमी, दुर्गापुर में लड़कियों के लिए एथलेटिक्स अकादमी, बोकारो में फुटबॉल अकादमी, किरिबुरू लौह अयस्क खदान में तीरंदाजी अकादमी– और बर्नपुर में फुटबॉल अकादमी की स्थापना की है। खेल गतिविधियों पर अनवरत ध्यान दिए जाने से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकले। सेल कई प्रमुख खेल आयोजनों को भी प्रायोजित करती है।
- अधिकांशतः अनु. जनजाति समुदाय वाले खान क्षेत्रों – चिरिया, किरिबुरू, रावघाट में अनेक खेल गतिविधियों (फुटबॉल, तीरंदाजी और एथलेटिक्स) का आयोजन किया गया।
- सेल के आरएसपी में एक इंस्टीट्यूट फॉर पेरिफेरल डेवलपमेंट स्थापित की गई जो सेल में अपने किस्म की पहली है और आस–पास के गांवों में एक आदर्श सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। यह इंस्टीट्यूट आस–पास के गांवों में एकीकृत सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए नीति तैयार करती है और रणनीति बनाती है। इन गांवों में अधिकांशतः अनु. जनजाति के लोग रहते हैं। फील्ड कार्यक्रमों के तकनीकी परामर्श और इसे संपन्न करने के लिए विभिन्न सरकारी एवं गैर–सरकारी एजेंसियों के साथ संपर्क में रहती है।
- राउरकेला के कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए दीपिका इस्पात शिक्षा सदन जुलाई 2007 से शुरू किया गया। वर्तमान रूप से इसमें 100 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और इनको मुफ्त शिक्षा, वर्दी, किताबें और मध्याह्न भोजन सेल के आरएसपी द्वारा प्रदान किया जाता है।

एससी/एसटी के लिए विशेष भर्ती अभियान

बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए नियमित तौर पर विशेष भर्ती अभियान चलाया जाता रहा है। 01.01.2008 को कुल रिक्त 87 पदों में से, दिसंबर 2009 तक 82 रिक्त पदों को भरा गया।

अन्य महत्वपूर्ण सूचना

एससी/एसटी के लिए नियुक्त संपर्क अधिकारियों और सेल संयंत्रों/इकाइयों के अन्य संपर्क अधिकारियों के लिए नियमित तौर पर आंतरिक कार्यशिविरों का आयोजन किया जाता रहा है। एक बाह्य विशेषज्ञ के जरिए इसका आयोजन होता रहा है जो इन अधिकारियों को एससी/एसटी और दूसरे मामलों के संदर्भ में आरक्षण नीति के बारे में अद्यतन जानकारी देता है।

सभी संयंत्रों/इकाइयों में एससी/एसटी कर्मचारियों के लिए अलग से शिकायत पुस्तिका रखी जाती है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सलाह पर सेल के एससी/एसटी कर्मचारियों ने प्रत्येक संयंत्र/इकाई में विभिन्न संगठनों की संबद्धता वाला एक प्रतिनिधि इकाई गठित की है। केंद्रीय स्तर पर भी एक परिसंघ की स्थापना की गई है। इन प्रतिनिधि निकायों के साथ नियमित बैठकें होती रही हैं।

केंद्रीय स्तर पर, हर छह महीनों में सेल एससी/एसटी एम्प्लायज फेडरेशन के साथ नियमित रूप से बैठकें होती रही हैं। फेडरेशन की पिछली बैठक 06 जून, 2009 को हुई। इसके अलावा, फेडरेशन के प्रतिनिधियों की नियमित आधार पर केंद्रीय स्तर पर मध्यम प्रबंधन के साथ भी विचार–विमर्श होता है।

सेल में एससी/एसटी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व

(31.12.2009 को)

एससी/एसटी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व														
समूह	कर्मचारियों की संख्या				अप्रैल–दिसंबर 2009 के दौरान हुई नियुक्तियां									
					प्रत्यक्ष नियुक्ति द्वारा				प्रोन्नति द्वारा			दूसरे तरीकों से		
	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	एससी	एसटी	कुल	एससी	एसटी
ए	16077	2223	936	1137	323	76	20	71	686	95	76	0	0	0
बी	43836	5686	3922	3180	0	0	0	0	5805	926	732	0	0	0
सी	58245	9613	10164	5945	42	8	10	6	7561	1271	1814	47	11	5
सी (एसके)	947	697	129	4	0	0	0	0	77	49	15	0	0	0
कुल	**119105**	**18219**	**15151**	**10266**	**365**	**84**	**30**	**77**	**14129**	**2341**	**2637**	**47**	**11**	**5**

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

एससी/एसटी और ओबीसी का कल्याण

31 दिसंबर, 2009 तक कुल मानवशक्ति में एससी/एसटी और ओबीसी का समूहवार प्रतिनिधित्व निम्नांकित है:

	कर्मचारियों की संख्या (31.12.2009 को)				वित्त वर्ष 2009–10 (दिसंबर 2009 तक) के दौरान हुई नियुक्तियां									
	प्रत्यक्ष नियुक्ति द्वारा					पदोन्नति द्वारा			दूसरे तरीके द्वारा					
ग्रुप	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	एससी	एसटी	कुल	एससी	एसटी
ग्रुप ए	5178	857	386	474	21	6	3	7	992	226	87	.	.	.
ग्रुप बी	2429	395	130	80	.	.	.	.	1895	269	50	.	.	.
ग्रुप सी	7342	1148	503	448	299	51	22	103	1030	206	152	.	.	.
ग्रुप डी	2528	388	127	140	100	18	4	42	8	1	1	.	.	.
कुल	**17477**	**2788**	**1146**	**1142**	**420**	**75**	**29**	**152**	**3925**	**702**	**290**	.	.	.

एससी/एसटी कर्मचारियों के बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए एक विशेष पहल की गई जिसके अंतर्गत 290 बच्चों को लाभ पहुंचेगा। अब तक, 9 कार्यक्रमों में 193 बच्चों को प्रशिक्षित किया गया है।

एससी एवं एसटी वर्ग के कर्मचारियों के लिए मृत्युकोष योजना जनवरी 2009 से शुरू की गई जिसके तहत किसी सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में एसोसिएशन के सदस्यों (लगभग 4000) के वेतन से 50 रुपये की कटौती की जाएगी और इस तरह से एकत्र की गई राशि मृत कर्मचारी के आश्रित को दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत अब तक नौ परिवारों को मदद मिली है।

एससी/एसटी वर्ग हेतु छात्रवृत्तियां

निम्न छात्रवृत्तियां केवल एससी/एसटी वर्ग के कर्मचारियों के बच्चों के लिए हैं:

ग्रुप	उत्तीर्ण परीक्षा	आवेदित पाठ्यक्रम	छात्रवृत्तियों की राशि	छात्रवृत्तियों की संख्या	
				एससी	एसटी
I	विज्ञान शाखा में 12वीं कक्षा/ इंटरमीडिएट परीक्षा	इंजीनियरी/आर्किटेक्चर/मेडिकल/ पशु चिकित्सा/कृषि विज्ञान में डिग्री पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि हेतु 1500 रुपये प्रति माह	4 (चार)	2 (दो)
II	कला/विज्ञान/ वाणिज्य मानव विज्ञान में 12वीं कक्षा/ इंटरमीडिएट परीक्षा	उपरोक्त ग्रुप–I के क्षेत्रों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम अथवा विशुद्ध विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/ वाणिज्य/बिजनेस/कार्मिक प्रशासन/ मानव विज्ञान में डिग्री अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि हेतु 750 रुपये प्रति माह	4 (चार)	2 (दो)
III	एस.एस.सी. अथवा समकक्ष	हायर सैकेंडरी पाठ्यक्रम (अर्थात् सामान्य अथवा व्यावसायिक शाखा में (बारहवीं स्तर का)	पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि हेतु 400 रुपये प्रति माह	4 (चार)	2 (दो)

नोटः प्रत्येक समूह में दो वर्गों के लिए 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियां मैरिट के आधार पर प्रदान की जाती हैं, चाहे कर्मचारी किसी भी कैडर का हो अर्थात् एक्जिक्यूटिव या नॉन–एक्जिक्यूटिव और शेष 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियां केवल नॉन–एक्जिक्यूटिव कर्मचारियों के बच्चों के लिए नियत की गई हैं।

वर्ष 1991 में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जन्म शताब्दी समारोह के रूप में, वीएसपी में वार्षिक मैरिट नकद पुरस्कार योजना शुरू की गई थी। इस योजना के मुताबिक हर वर्ष दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है और इसके तहत 12 वीएसपी स्कूलों (उक्कुनगरम में 10 स्कूल और माइन्स स्थित 2 स्कूल) के प्रत्येक स्ट्रीम में हर स्कूल के लिए प्रथम रैंक वाले बच्चे को 500 रुपये और द्वितीय रैंक वाले बच्चे को 250 रुपये का वार्षिक मैरिट नकद पुरस्कार दिया जाता है। सामान्य वर्ग के तहत 28 बच्चों को और एससी/एसटी के तहत भी 28 (अट्ठाइस) बच्चों को मेरिट नकद पुरस्कार दिया गया।

एससी/एसटी/ओबीसी हेतु जिला स्तरीय डीलरशिप

इस्पात उत्पादों के वितरण के लिए जिला स्तरीय डीलरों की नियुक्ति में एससी/एसटी/ओबीसी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है। वर्तमान रूप से नियुक्त कुल डीलरों में से लगभग 40 प्रतिशत जिला स्तरीय डीलर एससी/एसटी/ओबीसी के हैं।

एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी में 31 दिसंबर, 2009 तक कुल 5,948 कर्मचारी थे, जिनमें से 1,076 कर्मचारी अनुसूचित जातियों (18.09 प्रतिशत), 1,313 अनुसूचित जनजाति (22.07 प्रतिशत) और 748 ओबीसी समुदाय (12.58 प्रतिशत) से थे:

एससी/एसटी/ओबीसी का प्रतिनिधित्व (01.01.2010 को)					कैलेंडर वर्ष 2009 के दौरान हुई नियुक्तियां									
					प्रत्यक्ष नियुक्ति से				पदोन्नति से			प्रतिनियुक्ति/समावेश से		
ग्रुप	कर्मचारियों की संख्या	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	एससी	एसटी	कुल	एससी	एसटी
ग्रुप ए	1054	156	64	116	170	25	9	21	2	0	0	0	0	0
ग्रुप बी	1060	161	238	68	18	4	3	5	17	2	2	0	0	0
ग्रुप सी	2304	472	534	264	42	13	5	10	190	33	46	0	0	0
ग्रुप डी (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	1472	249	476	300	379	80	135	77	16	2	2	0	0	0
ग्रुप डी (सफाई कर्मचारी)	58	38	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**5948**	**1076**	**1313**	**748**	**609**	**122**	**152**	**113**	**225**	**37**	**50**	**0**	**0**	**0**

ग्रुप ए में कम्पनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और चार कार्यवाहक निदेशक शामिल हैं।

नीति के अनुसार, निरंतर आधार पर अगले वर्ष में बैकलॉ रिक्ति को भरने के प्रयास किए जाते हैं और कंपनी अब तक आरक्षित रिक्तियों को भरने में सफल रही है।

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड एक श्रम–प्रधान संगठन है जिसके 6,747 कर्मचारी हैं। इसके कुल कर्मचारियों में से करीब 72.77 प्रतिशत अर्थात् 4910 एससी/एसटी/ओबीसी हैं, जिनमें से करीब 60.57 प्रतिशत अर्थात् 2974 एससी/एसटी श्रेणी से हैं। मॉयल ने एससी/एसटी और ओबीसी वर्गों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। कुछ कल्याणकारी गतिविधियां निम्न हैं:

- जनजातीय गांवों को गोद लेना।
- आर्थिक विकास के लिए रेशम कीट–पालन का प्रशिक्षण।
- खानों के आस–पास के स्कूलों को मदद।
- विशेषतः एससी/एसटी के लिए नेत्र शिविरों/रक्तदान शिविरों/बाल कल्याण शिविरों का आयोजन।
- स्वच्छ जलापूर्ति परियोजना के लिए ग्राम पंचायत को सब्सिडी।
- बुजुर्गों और विकलांगों के पुनर्वास के लिए काम करने वाले सामाजिक संस्थानों को वित्तीय मदद देना।
- विकलांगों को तिपहिया साइकिल मुहैया कराना। जनजातीय महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए सिलाई मशीन मुहैया कराई।
- मॉयल ने जीवन स्तर सुधारने के लिए, एससी/एसटी और कमजोर तबकों के निमित्त बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी कदमों में निरंतरसुधार किया है।

31.12.2009 को कंपनी की मानवशक्ति की स्थिति निम्न प्रकार है :

ग्रुप	एस.सी	एस.टी	ओ.बी.सी.	अन्य	कुल
ए	34	9	40	143	226
बी	26	4	41	104	175
सी	347	233	392	605	1577
डी	917	1404	1463	985	4769
कुल	**1324**	**1650**	**1936**	**1837**	**6747**

उपरोक्त में से 799 महिला कर्मचारी हैं

ग्रुप	कर्मचारियों की संख्या (31.12.2009 को)				वर्ष के दौरान (01.04.2009 से 31.12.2009 तक) की गई नियुक्तियों की संख्या									
					प्रत्यक्ष नियुक्ति से				पदोन्नति से			अन्य प्रविधियों से		
	कुल*	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल*	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल*	एससी	एसटी	कुल*	एससी	एसटी
ग्रुप ए	83	34	9	40	11	6	1	4	4	3	1	0	–	–
ग्रुप बी	71	26	4	41	2	0	1	1	2	1	1	0	–	–
ग्रुप सी	972	347	233	392	33	9	4	20	19	10	9	0	–	–
ग्रुप डी (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	3728	861	1404	1463	1	0	1	0	28	24	4	0	–	–
ग्रुप डी (सफाई कर्मचारी)	56	56	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	–	–
कुल	**4910**	**1324**	**1650**	**1936**	**47**	**15**	**7**	**25**	**53**	**38**	**15**	**0**	–	–

** एससी+एसटी+ओबीसी का कुल जोड़*

मॉयल के कुल कर्मचारियों की संख्या 6747 है

एमएसटीसी लिमिटेड

किसी भी निर्णय/कार्रवाई के वक्त एससी/एसटी/ओबीसी/पीएच उम्मीदवारों के लिए आरक्षण, छूट और रियायत आदि के संदर्भ में सरकार की नीतियों और प्रक्रियाओं को लेकर समय–समय पर जारी राष्ट्रपति के निर्देशों का खास ख्याल रखा जाता रहा है।

नियुक्तियों और प्रोन्नति के संदर्भ में इन निर्देशों का पालन किया जाता रहा है। विभागीय प्रोन्नति समितियों और चयन समितियों (नियुक्ति के संदर्भ में) में एससी/एसटी/ओबीसी सदस्यों को भरपूर प्रतिनिधित्व दिया जाता रहा है।

आरक्षित श्रेणियों के कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने और उन्हें भविष्य में उच्चतर जिम्मेवारियों से लैस करने के लिए उनके प्रशिक्षण और संबद्ध क्षेत्रों में उनके विकास पर खास जोर दिया जाता रहा है। वर्ष 2009–10 के दौरान (दिसंबर, 2009 तक) कंपनी के 13 एससी और 3 एसटी कर्मचारियों को आंतरिक और सांस्थानिक दोनों क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया गया। उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए एक एससी कर्मचारी को कंपनी द्वारा छात्रवृत्ति दी गई। इसके अलावा, कंपनी के दूसरे कर्मचारियों को भी सभी तरह की कल्याणकारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त, कंपनी के आरक्षित पदों पर तैनात कर्मचारियों के हितों की रक्षा में लगे संगठन एमएसटीसी एससी/एसटी एम्पलॉईज काउंसिल को हर संभव सहयोग और मदद दी गई।

एमएसटीसी में एससी, एसटी, ओबीसी का प्रतिनिधित्व

ग्रुप	कर्मचारियों की संख्या (31.12.2009 को)				वर्ष के दौरान 01.04.2009 से 31.12.2009 तक की गई नियुक्तियों की संख्या									
					प्रत्यक्ष नियुक्ति				पदोन्नति द्वारा			अन्य प्रविधियों द्वारा		
	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	एससी	एसटी	कुल	एससी	एसटी
ए	149	24	9	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बी	67	13	3	–	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सी	80	21	2	13	5	1	–	1	–	–	–	–	–	–
डी (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	17	8	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
डी (सफाई कर्मचारी)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**313**	**66**	**15**	**31**	**6**	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–	–

** ग्रुप बी में कोई भर्ती नहीं हुई।*

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए, कंपनी भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपयुक्त पद आरक्षित करती है। कमजोर वर्गों के कर्मचारियों की प्रोन्नति और कल्याण के संदर्भ में कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए प्रोन्नति नीति और कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, जिसके दायरे में एससी/एसटी/ओबीसी समुदाय के कर्मचारी खासतौर पर आते हैं। कंपनी में एससी और एसटी कर्मचारियों की प्रतिशतता क्रमशः 17.61 प्रतिशत और 11.07 प्रतिशत है।

एफएसएनएल में एससी, एसटी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व

ग्रुप	कर्मचारियों की संख्या (31.12.2009 को)				वर्ष के दौरान 01.04.2009 से 31.12.2009 तक की गई नियुक्तियों की संख्या									
					प्रत्यक्ष नियुक्ति				पदोन्नति द्वारा			अन्य प्रविधियों द्वारा		
	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	एससी	एसटी	कुल	एससी	एसटी
ए	161	17	3	17	10	2	1	3	–	–	–	–	–	–
बी	534	70	32	55	–	–	–	–	5	–	1	–	–	–
सी	441	112	89	58	10	–	1	3	–	–	–	–	–	–
डी (सफाई कर्मचारियों को छोडकर)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
डी (सफाई कर्मचारी)	03	03	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**1139**	**202**	**124**	**130**	**20**	**2**	**2**	**6**	**5**	–	**1**	–	–	–

हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

- एचएससीएल ऐसे इलाकों में स्कूलों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में मदद करती रही है जहां एससी/एसटी/ओबीसी और विकलांग कर्मचारी ज्यादा संख्या में रहते हैं।
- पेयजल की आपूर्ति के लिए सहायता दी जाती रही है।
- ग्राहकों के स्थलों पर आवंटित जमीन पर कर्मचारियों को आवास बनाने के लिए भूखंड दिए गए। उन्हें इसके लिए बिजली, जलापूर्ति और साफ–सफाई की सुविधाएं दी गई हैं।
- परियोजनाओं के अंतर्गत स्कूली मामलों में एससी/एसटी, ओबीसी और विकलांग कर्मचारियों के बच्चों को वाजिब तवज्जो दी गई।
- एससी/एसटी/ओबीसी और विकलांग कर्मचारियों की भर्ती एवं पदोन्नति के संदर्भ में केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन किया जाएगा।
- एचएससीएल के संदर्भ में उपरोक्त सभी बिंदुओं पर ध्यान रखा गया है, पर मौजूदा हालात को देखते हुए फिजूलखर्ची को रोका जा रहा है और अनावश्यक खर्च में कटौती की जा रही है।

एचएससीएल में एससी, एसटी, ओबीसी का प्रतिनिधित्व

ग्रुप	एससी, एसटी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व (31.12.2009 को)				कैलेंडर वर्ष 2009 के दौरान हुई नियुक्तियां									
					प्रत्यक्ष नियुक्ति से				पदोन्नति से			अन्य प्रविधियों से		
	कर्मचारियों की संख्या	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	एससी	एसटी	कुल	एससी	एसटी
ग्रुप 'ए' प्रबंधकीय (कार्यपालक स्तर)	159	19	1	16	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग्रुप 'बी' सुपरवाइजरी स्तर	176	08	1	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग्रुप 'सी' कामगार/ लिपिकीय स्तर	718	97	65	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग्रुप 'डी' अर्द्ध कुशल अकुशल सफाई कर्मचारियों को छोड़कर	36	06	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग्रुप डी (सफाईकर्मी)	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**1089**	**130**	**71**	**72**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

मेकॉन लिमिटेड

कम्पनी समाज के कमजोर वर्ग के विकास एवं कल्याण के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति पूर्णतः सजग है। कंपनी ने उनके हितों की सुरक्षा के लिए और शामली कॉलोनी, रांची में सामुदायिक शिक्षण योजना, संसाधन सृजन योजना, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, शेशायर होम में विकलांग लोगों की सहायता, ग्राम आधारित कार्यक्रमों, स्वच्छ जलापूर्ति परियोजनाओं इत्यादि जैसी कल्याणकारी गतिविधियों के लिए प्रयाप्त उपाय किए हैं।

मेकॉन द्वारा गांव के गरीब तबके के बच्चों के लिए स्कूल का उद्घाटन करते हुए।

मेकॉन लिमिटेड में समाज के कमजोर वर्गों (एससी/एसटी/ओबीसी) के रोजगार का मौजूदा परिदृश्य निम्न है:

ग्रुप	कुल कर्मचारियों की संख्या	एससी	एसटी	पूर्व. सैनिक	पीएच	ओबीसी	महिला कर्मचारी
ए	1738	265	120	3	4	203	138
बी	61	12	14	4	.	16	1
सी	116	24	44	9	3	17	26
डी	30	8	13	.	3	4	9
कुल	**1945**	**309**	**191**	**16**	**10**	**240**	**174**

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

मानवशक्ति (31.12.2009 की स्थिति)

31 दिसंबर, 2009 तक कुल कर्मचारियों की संख्या 300 थी, जिनमें से एससी श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 62 (20.66 प्रतिशत), एसटी श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 23 (7.67 प्रतिशत) है। इनमें 20 महिलाएं (6.67 प्रतिशत) और विकलांग कर्मचारियों की संख्या 4 (1. 33 प्रतिशत) है।

एसआईआईएल में एससी/एसटी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व

ग्रुप	कर्मचारियों की संख्या				वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
					प्रत्यक्ष नियुक्ति से				पदोन्नति से			अन्य प्रविधियों से			
	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	एससी	एसटी	कुल	एससी	एसटी	
ग्रुप ए	54	16	2	शून्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
ग्रुप बी	49	9	3	शून्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
ग्रुप सी	125	24	6	1	3	1	–	1	–	–	–	–	–	–	
ग्रुप डी (सफाई कर्मचारियों को छोडकर)	66	8	11	शून्य	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
ग्रुप डी (सफाई कर्मचारी	6	5	1	शून्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
कुल	**300**	**62**	**23**	**1**	**5**	**1**	–	**1**	–	–	–	–	–	–	

प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी

सरकारी दिशानिर्देशों के मुताबिक, कंपनी की सभी गतिविधियों में कामगारों और अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तरह की समितियां गठित की गई हैं। कर्मचारियों के भागीदारी के क्षेत्र निम्न हैं:

- योजना, सुधार, गृह व्यवस्था, बेहतर भंडार नियंत्रण, लक्ष्यों और कार्य नतीजों आदि से जुड़े मामलों में।
- सुरक्षा और प्रचालन से जुड़े मामलों में।
- कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े मामले।

संयंत्र और शॉप स्तर पर कई समितियां, सुरक्षा समिति, कैंटीन समिति, खेल और क्रीड़ा समितियां और सांप्रदायिक सद्भाव समितियाँ गठित की गई हैं, इस तरह विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय प्रक्रिया में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। उल्लिखित मंचों पर अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा दी गई सलाहों की समीक्षा की जाती है और जब जरूरत पड़े तो उनका क्रियान्वयन किया जाता है। इसके बेहतर नतीजे सामने आए हैं।

समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु संचालित गतिविधियाँ

विभिन्न पदों पर नियुक्ति और प्रोन्नतियों के मामले में सरकारी निर्देशों के मुताबिक एससी/एसटी उम्मीदवारों को लाभ और रियायतें दी जाती हैं। ओबीसी उम्मीदवारों के मामले में भी नियुक्तियों के दौरान सरकारी निर्देशों का पालन किया जाता है।

एससी/एसटी के लिए पदों के आरक्षण को लेकर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का कंपनी द्वारा संकलन किया गया है। एससी/एसटी/उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों का कोई बैकलॉग नहीं है। प्रशिक्षण इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए कि एसआईआईएल मुख्य रूप से जनजातीय इलाके में स्थित है जहां पढ़े–लिखे एससी/एसटी उम्मीदवारों की कमी है, विभिन्न संस्थानों से नए एससी/एसटी उम्मीदवारों को भर्ती कर उन्हें जरूरी प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि प्रशिक्षण के बाद नियमित पदों पर भविष्य में उनकी नियुक्ति की जा सके।

आस–पास के इलाकों में परिधीय विकास गतिविधियों की देखरेख के लिए कंपनी द्वारा एक छोटा मेडिकल प्रकोष्ठ गठित किया जा रहा है। अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों को समझते हुए कंपनी स्थानीय इलाकों में समय–समय पर जनजातीय लोगों के लाभ के लिए कार्यक्रम चलाती रही है। इसके तहत पास के गांवों में स्थानीय डाक्टरों की मदद से एसआईआईएल द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं। शिक्षा कंपनी अपने परिसर में तेलुगु और अंग्रेजी माध्यमों में एक उच्च विद्यालय चलाती रही है, जहां न सिर्फ एसआईआईएल के कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते हैं, बल्कि आस–पास के आदिवासी इलाकों के बच्चे भी इससे लाभान्वित होते हैं। स्थानीय बच्चे, खासकर एससी/एसटी/श्रेणियों के बच्चे, बाहरी इलाकों के स्कूलों में जाकर पढ़ने की बाध्यता से मुक्त हैं। चिकित्सीय सुविधाएं चूंकि संयंत्र मुख्यतः जनजातीय इलाके में हैं, यह पास के आदिवासी गांवों की चिकित्सीय जरूरतों को भी पूरा कर रहा है। खासकर एससी/एसटी/श्रेणियों और दलित वर्गों के लोगों की चिकित्सीय जरूरतों की पूर्ति हो रही है।

कंपनी परिसर में डाकखानों, बैंकों, एलपीजी आउटलेटों की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे स्थानीय लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ठेके प्रदान करने में आपात स्वरूप वाले छोटे–मोटे ठेकों के मामले में स्थानीय ठेकेदारों, खासकर एससी/एसटी/श्रेणियों के लोगों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, ठेकेदारों को कंपनी परिसर में अस्थायी ठेका कार्यों में एससी/एसटी/ उम्मीदवारों को लगाने में उच्च प्राथमिकता देने को कहा जाता है। पेयजल संयंत्र में और इसके आस–पास रहने वाले स्थानीय लोगों को निःशुल्क क्लोरीनेटेड पेयजल दिया जा रहा है। यह जल किनरासानी पेयजल जलाशय से लाया जा रहा है।

केआईओसीएल लिमिटेड

मानवशक्ति

केआईओसीएल में 31 दिसंबर, 2009 तक कर्मचारियों की कुल संख्या 1,374 है, जिनमें से 198 कर्मचारी अनुसूचित जाति (14.41 प्रतिशत), 61 कर्मचारी अनु. जनजाति (4.43 प्रतिशत) और 212 कर्मचारी ओबीसी (15.42 प्रतिशत) हैं। इनके अलावा, 56 महिला कर्मचारी (4.07 प्रतिशत), 18 शारीरिक रूप से विकलांग (1.31 प्रतिशत) और 12 पूर्व सैनिक (0.87 प्रतिशत) हैं।

कल्याणकारी कदम

- कंपनी ने कुद्रेमुख और मंगलौर में एक आधुनिक टाउनशिप, अस्पताल, मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराकर पूर्ण सुविधाएं मुहैया कराई हैं। दस प्रतिशत ''ए'' और ''बी'' टाइप एवं 5 प्रतिशत ''सी'' और ''डी'' टाइप क्वार्टर एससी/एसटी कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं।
- वित्त वर्ष 2009–10 (दिसंबर 2009 तक) के दौरान, कर्मचारियों के बच्चों को 15 मेधा छात्रवृत्तियां और 40 मेधा–सहायता छात्रवृत्तियां दी गईं। 55 छात्रवृत्तियों में कुल 11 यानी 20 प्रतिशत छात्रवृत्तियां एससी/एसटी कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षित की गईं। वर्ष के दौरान एससी/एसटी कर्मचारियों के बच्चों के लिए 11 छात्रवृत्तियां मंजूर की गईं। अर्हता मानक, जो प्रथम श्रेणी या 60 प्रतिशत उत्तीर्णांक दोनों में से जो ज्यादा है, को एससी/एसटी कर्मचारियों के बच्चों के लिए घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया।

नियुक्तियां

कैलेंडर वर्ष 2009 (जनवरी–दिसंबर 2009) के दौरान, समूह ''ए'' (एग्जीक्यूटिव) के 16 उम्मीदवारों (2 एससी, 4 एसटी, 2 ओबीसी, 2 शारीरिक विकलांग और 1 अल्पसंख्यक) को नियुक्त किया गया।

प्रैस विज्ञापन के जरिए ग्रुप ए (एग्जिक्यूटिव्स) में चार आंतरिक उम्मीदवारों को उच्चतर पद पर नियुक्त किया गया, जिनमें से एक एससी वर्ग का है।

ग्रुप	कर्मचारियों की संख्या				कैलेंडर वर्ष 2009 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
प्रक्रिया					प्रत्यक्ष नियुक्ति से				पदोन्नति से			अन्य से		
	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	एससी	एसटी	कुल	एससी	एसटी
ए (एग्जीक्यूटिव)	437	52	15	15	15	2	4	2	70	6	2	4	1	–
बी (सुपरवाइजर्स)	33	3	1	–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	18	3	2	शून्य	शून्य	शून्य
सी (नॉन–एग्जीक्यूटिव)	827	121	36	65	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	212	39	13	शून्य	शून्य	शून्य
डी (नॉन–एग्जीक्यूटिव)	77	22	9	7	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	10	4	2	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	**1374**	**198**	**61**	**87**	**15**	**2**	**4**	**2**	**310**	**53**	**19**	**4**	**1**	**शून्य**

एससी/एसटी प्रतिनिधियों के साथ आवधिक बैठकें

कुद्रेमुख, मंगलौर और बंगलौर में एससी/एसटी वेलफेयर एसोसिएशन और प्रबंधन के बीच नियमित बातचीत होती रही है। एससी/एसटी कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार विमर्श होता रहा है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाते रहे हैं।

14 अप्रैल 2009 को सभी स्थानों में डा. अंबेडकर जयंती मनाई गई थी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

- विभिन्न कार्यक्रमों, सेमिनारों एवं सम्मेलनों के लिए 543 कर्मचारियों को नामित किया गया, जिनमें से 95 (17.49 प्रतिशत) एससी/एसटी वर्ग के हैं।
- एग्जिक्यूटिव्स, सुपरवाइजर्स एवं नॉन–एग्जिक्यूटिव्स ने जिन कार्यक्रमों में भाग लिया उनमें शामिल हैं – फिक्की द्वारा वे फारवर्ड, बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण, टोस्ट मास्टर्स क्लब द्वारा नेतृत्व एवं संप्रेषण प्रशिक्षण, आईएफआरएसः भारतीय बिजनेस के लिए एक हकीकत, आईएफआरएस एवं लेखा मानकों पर सेमिनार, कंसलटेंट्स एवं क्लाइंट कंसलटेंट एग्रिमेंट का चयन, खनन परियोजनाओं की पर्यावरण मंजूरी, सतर्कता एवं अनुशासात्मक कार्यवाही, खनन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ठोस रणनीतियां, आईएसओ 9001:2008 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली/आंतरिक लेखापरीक्षक प्रशिक्षण, लौह एवं इस्पात उत्पादन में प्रक्रिया मॉडलिंग कार्यशाला, आईएसओ 14001:2000 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली – प्रमुख लेखापरीक्षक प्रशिक्षण, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं उससे आगे विषयक सेमिनार, खनन, खोज समागम एवं व्यापार प्रदर्शनी, इंटिग्रिटी पैक्ट पाठ्यक्रम, वाणिज्य सचिव के साथ ओपन हाऊस मीट, ओएचएसएएस 18001–2007 प्रमुख लेखापरीक्षक प्रशिक्षण, सामाजिक आविष्कार के जरिए परिवर्तन प्रबंधन एवं संस्थागत विकास विषयक सेमिनार, दक्ष लौह उत्पादन एवं सहायक पहल विषयक सेमिनार, भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु सतर्कता जागरूकता, डब्ल्यू46 डीजल इंजन पर फील्ड अनुभव एवं तकनीकी अपडेट पर कार्यशाला, पावर ट्रांसफार्मर्स की मियाद बढ़ाने पर सेमिनार, आईओडी की प्रविधियों, कार्रवाइयों एवं जिम्मेदारियों पर सेमिनार, प्रचालन, लागत नियंत्रण तकनीकों पर सेमिनार, एटलस कम्प्रैसर पर कार्यशाला एवं प्रशिक्षण, ओएचएसएएसः18001:2007 के नवीकरण पर कार्यशाला, रेक्यूपरेशन फैन एन्हांसमेंट विषयक कार्यशाला, आईएसओ 9001:2000 से आईएसओ 9001:2008 तक नवीकरण, एनड्यूरेटिंग मशीन पर तकनीकी रिफ्रेशर क्लास, सतर्कता पर इंटिग्रेटिड पैक्ट, 'स्टोर्स गतिविधियों' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं एसए8000 विषयक सेमिनार।

बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

1 जनवरी, 2010 तक एससी/एसटी/ओबीसी/पूर्व सैनिक/पुरुष एवं महिला कर्मचारियों की संख्याः

ग्रुप	पुरूष	महिला	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	पीएच	पूर्व सैनिक	सामान्य	कुल
एग्जीक्यूटिव	136	7	143	2	4	14	शून्य	2	123	143
नॉन–एग्जीक्यूटिव	1592	326	1918	427	1006	232	3	शून्य	253	1918
कुल	**1728**	**333**	**2061**	**439**	**1010**	**246**	**3**	**2**	**376**	**2061**

कल्याणकारी गतिविधियां

शैक्षणिक सुविधाएंः बीजीसी के तहत ओएमडीसी और बीएसएलसी आस–पास के स्कूलों और कालेजों को सहायता देती हैं। कंपनियां इमारतों के निर्माण, अध्ययन सामग्रियों की व्यवस्था और फर्नीचर एवं स्कूल बसों की उपलब्धता जैसी सुविधाएं मुहैया कराती है।

अस्पताल सुविधाएंः ओएमडीसी और बीएसएलसी द्वारा संचालित अस्पताल में खदान गतिविधियों के स्थित गांवों के आस–पास कमजोर तबकों के कर्मचारियों और लोगों को मुफ्त चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया कराते हैं।

पेयजलः कमजोर तबकों के कर्मचारियों और आस–पास के गांवों को कुओं और ट्यूब बेल के जरिए पानी उपलब्ध कराना।

व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानीः कंपनी ओएमडीसी और बीएसएलसी के अस्पतालों के जरिए सभी कर्मचारियों एवं खानों के आस–पास स्थित गांवों के लिए मलेरिया उन्मूलन, पल्स पोलियो आदि के लिए कार्यक्रम चलाती है।

व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी के तहत कंपनी की खनन गतिविधियों के आस–पास के गांवों के निवासियों के लिए ओएमडीसी द्वारा समय–समय पर एक्स–रे, पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाओं, ऑडियोमेट्री टेस्ट, ईसीजी, लंग फंक्शन टेस्ट, डेंटल क्लीनिक आदि की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं।

अध्याय–XII

सतर्कता

इस्पात मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग की गतिविधियां

केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर नियुक्त संयुक्त सचिव स्तर का मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) मंत्रालय की सतर्कता इकाई का नेतृत्व करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी एक निदेशक, एक अवर सचिव और अन्य सहायक कर्मचारी के साथ मंत्रालय के सतर्कता ढांचे के अंतर्गत प्रमुख बिंदु के रूप में काम करते हैं। सतर्कता इकाई अन्य बातों के साथ–साथ इस्पात मंत्रालय और उसके प्रशासनिक नियंत्रण वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निम्न बातों के लिए जिम्मेदार है :

- उन संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगाना जहां गलत कामों/प्रलोभन की प्रवृत्ति है और सरकार के कामकाज में ईमानदारी/कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए ऐहतियाती उपाय करना;
- शिकायतों की जांच और उचित जांच उपाय शुरू करना;
- निरीक्षण और इन पर आगे की कार्रवाई;
- केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच रिपोर्ट पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को मंत्रालय की टिप्पणियां सौंपना;
- सीवीसी या अन्य की सलाह पर विभागीय कार्रवाई को आगे बढ़ाने की दिशा में उचित कार्रवाई;
- जहां जरूरी हो वहां सीवीसी से पहले और दूसरे चरण की सलाह लेना;
- सीवीसी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की सलाह पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सीवीओ की नियुक्ति;
- उचित कार्रवाई के लिये इस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के खिलाफ आरोपों के संबंध में शिकायतों की जांच करना;
- मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की अचल संपत्ति के ब्यौरे का रखरखाव और जांच;
- मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में दस पीएसयू काम कर रहे हैं। सभी पीएसयू में सतर्कता विभाग का नेतृत्व एक सीवीओ करता है जिनकी नियुक्ति मंत्रालय सीवीसी और डीओपीटी से सलाह करने के बाद करता है।

मंत्रालय सामयिक बैठकों और सीवीओ द्वारा मासिक जांच बिंदुओं, समय–समय पर भेजे गए ब्यौरे और रिपोर्टों के जरिये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सतर्कता गतिविधियों की समीक्षा करता है। इसके अलावा, लंबित विषयों के बैकलॉग को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने जरूरत के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के संबद्ध उपक्रमों के सीवीओ के साथ विचार–विमर्श किया। वर्ष के दौरान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें पीएसयू के संपूर्ण कामकाज की समीक्षा की गई। बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ऐहतियाती सतर्कता और ढांचे में सुधार की प्रक्रियाओं पर विशेष जोर दिया गया। सतर्कता प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सीवीसी से प्राप्त निर्देशों और दिशा–निर्देशों के साथ सभी सर्कुलरों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच वितरित किया गया ताकि वे इनका सख्ती से पालन करें। इस दिशा में प्रगति पर भी नजर रखी गई।

वर्ष 2009–10 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सीवीओ को निर्देश दिए गए कि:

- अपने संबद्ध पीएसयू में सत्यनिष्ठा समझौता लागू करने की प्रक्रिया में सक्रियता से शामिल हों, समन्वय बनाएं और ऐहतियाती उपाय कितने कारगर रहें, उसकी भी समीक्षा करें;
- टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने की दृष्टि से सीवीसी के दिशा–निर्देशों का अनुरूप पालन किया जाए; और
- ई–क्रय और ई–भुगतान सहित ई–कॉमर्स को सम्बद्ध पीएसयू में किस हद तक लागू किया जा सकता है इस बारे में सतर्कता के लिहाज से किये जा सकने वाले उपाय बताये जाएं।

आईएसओ प्रमाणपत्र

मंत्रालय द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों के सतर्कता विभागों ने आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त किया।

सत्यनिष्ठा समझौता

लाभदायक पहलुओं के मद्देनजर, सभी पीएसयूज द्वारा सत्यनिष्ठा समझौते को कार्यान्वित करने की जरूरत पर बल दिया गया। इस्पात मंत्रालय द्वारा किए गए दृढ़ प्रयासों से प्रेरणा लेकर, इस्पात मंत्रालय के अधीन सभी पीएसयूज ने 24.09.2007 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसमें अपने अपने संगठनों में इस तरह के सभी सौदों में सत्यनिष्ठा समझौता लागू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। वर्ष 2009–10 के दौरान पीएसयूज में सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का करीब से मुआयना किया गया।

संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)

जेपीसी को आईएसओ 9001:2008 प्राप्त

निरंतर सुधार के एक उपाय के रूप में, जेपीसी ने अपने उपभोक्ताओं के लिए अपनी सेवा की गुणवत्ता में व्यापक ख्याति प्राप्त करने की दृष्टि से अपनी गुणवत्ता प्रणाली को आईएसओ 9001:2000 से बढ़ाकर आईएसओ 9001:2008 कर दिया है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल दंडात्मक कार्रवाई के साथ–साथ निवारक और प्रोएक्टिव कार्यकलापों पर जोर दे रहा है ताकि एक ऐसा माहौल तैयार किया जा सके जिसमें लोग मिल–जुलकर, दक्षता और पारदर्शिता के साथ काम कर सकें और संगठन में नैतिकता के सर्वोच्च मानदंडों को बरकरार रखा जा सके। तदनुसार, अप्रैल–दिसंबर 2009 की अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्यकलापों को शुरू किया गया:

- विभिन्न स्टेकधारकों से मिली जानकारियों के आधार पर सतर्कता विभाग द्वारा खरीद एवं ठेका प्रक्रिया को संशोधित किया गया और नई खरीद एवं ठेका प्रक्रिया–2009 (पीसीपी–09) 22.04.09 को जारी की गई।
- सेल सतर्कता की पहल पर, मानक बिडिंग दस्तावेज को सम्यक बनाने एवं उसे वर्तमान जरूरत और सीवीसी के दिशानिर्देशों को अनुरूप बनाने के लिए उसकी समीक्षा के वास्ते एक समिति का गठन किया गया। संशोधित मानक बिडिंग दस्तावेज 21.05.09 को सेल अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद कार्यान्वित कर दिया गया है।
- सतर्कता की सलाह पर, 05.05.09 को प्रमुख कार्यपालकों की बैठक के दौरान विचार–विमर्श के उपरांत संवेदनशील क्षेत्रों की सूची में पीपीसी का योजना एवं कार्यक्रम अनुभाग, आर एंड सी लैब (सामग्री के रासायनिक परीक्षण में रत एक्जीक्यूटिव्स) और रिफ्रेक्टरी योजना प्रकोष्ठ सहित इंडेंटिंग विभागों के सामग्री योजना एवं तकनीकी प्रकोष्ठ को शामिल किया गया है। संशोधित सूची कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 02.06.2009 के पत्र द्वारा जारी कर दी गई है।
- इस्पात मंत्रालय की सलाह पर, कंपनी की वर्तमान विस्तारीकरण योजना के तहत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के पर्यवेक्षण प्रबंधन, इस्पात मंत्रालय और सीवीसी को सूचित कर दिए गए हैं। अप्रैल–2009 में आयोजित एक बैठक, जिसमें निदेशक (तकनीकी), निदेशक (वित्त), सीवीओ एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, में परियोजना निदेशालय द्वारा सीवीओ के पर्यवेक्षण के अनुपालन में एक प्रस्तुति की गई।
- सेल अध्यक्ष की सलाहानुसार, निदेशक (तकनीकी) एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई) के साथ परामर्श के बाद शॉप्स में

सेल के प्रमुख सतर्कता अधिकारी श्री वेणुगोपाल के. नायर द्वारा लिखी गई पुस्तक 'रिफ्लेक्शंस' का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, श्री प्रत्यूष सिन्हा और सेल अध्यक्ष, श्री एस.के. रूंगटा विमोचन करते हुए।

सेल अध्यक्ष, श्री एस.के. रूंगटा इस्पात भवन, नई दिल्ली में आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान कर्मचारियों को संबोधित करते हुए।

कार्यरत कार्यपालकों की वाणिज्यिक निपुणता बढ़ाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया। पहले कार्यक्रम का संचालन एमटीआई में 10–13 अगस्त 2009 को किया गया। इसी विषय पर दूसरा कार्यक्रम 2010 की प्रथम तिमाही में करने की योजना है।

- तीन आईईएम के साथ सत्यनिष्ठा समझौते को कार्यान्वित करने से संबंधित समीक्षा बैठकों का संचालन 15 जुलाई 2009 और 16 दिसंबर 2009 को किया गया। इस संबंध में आयोग द्वारा तैयार स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर्स (एसओपी) पर विचार किया गया। विक्रेताओं में जागरूकता बढ़ाने और सत्यनिष्ठा समझौते का प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए 16 दिसंबर 2009 को विक्रेताओं की एक बैठक का संचालन किया गया।
- विभिन्न संयंत्रों और इकाइयों में नियमित रूप से सतर्कता जागरूकता सत्रों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। खरीद/ठेका प्रक्रियाओं, आरटीआई कानून, आचरण और अनुशासन आदि से जुडे नियमों के बारे में सतर्कता जागरूकता बढ़ाने के लिये 110 से अधिक कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें 2,581 लोगों ने हिस्सा लिया। इन कार्यक्रमों में कारखानों/इकाइयों में सेल सीडीए नियमावली, अनुशासनात्मक कार्यवाहियों, आरटीआई अधिनियम एवं खरीद/ठेका प्रविधि पर प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए रिसोर्स परसन्स तैयार करना भी शामिल है।
- कंपनी के संवेदनशील स्थानों पर नियमित रूप से संयुक्त निरीक्षण समेत समय–समय पर अचानक निरीक्षण किये गये। अनेक संयंत्रों/इकाइयों में 411 संयुक्त निरीक्षण समेत समय–समय पर कुल 3,175 सामयिक निरीक्षण किये गये। एहतियाती सतर्कता गतिविधियों, मुख्य रूप से अचानक हुए इन निरीक्षणों के कारण लगभग 3.68 करोड़ रुपये की बचत हुई।
- सतर्कता विभाग 'इंस्पीरेशन' के नाम से नियमित अपना अर्द्धवार्षिक प्रकाशन निकालता है। इसमें प्रकाशित केस स्टडीज या उदाहरणों, अनुभवों आदि से कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने में मदद मिलती है।
- सभी एसीवीओ के साथ नियमित वार्ता कायम रखने के लिए सीवीओ ने नियमित तिमाही बैठकों का संचालन किया। ऐसी बैठकों के दौरान, सतर्कता गतिविधियों की स्थिति की समीक्षा की गई, मसलों का समाधान किया गया और आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार सहित, सतर्कता क्रियाकलाप हेतु विशेष बल वाले क्षेत्रों की पहचान की गई ।
- विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में कुल 12 मामलों की व्यापक जांच पड़ताल की गई। सघन जांच के दौरान ज्यादा राशि वाले सामानों/ठेकों की सिलसिलेवार छानबीन की गई और भविष्य में बेहतर करने के सुझावों पर अमल करने के लिए संबद्ध विभागों को आवश्यक सुझाव दिये गये।
- निम्नलिखित व्यवस्था सुधार योजनाओं (एसआईपी) को सेल के विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में लागू किया गया :
  - भिलाई इस्पात कारखाने में डिस्पैच से पहले विक्रेता के परिसर में जांच की जाने वाली, संयंत्र/इकाई स्तर पर उपभोग योग्य मदों/गैर उपभोग योग्य मदों/स्टोर्स एवं स्पेयर्स/कच्चा माल एवं रिफ्रेक्टरी की पहचान।
  - दुर्गापुर इस्पात कारखाने में क्रिटिकल बियरिंग्स, मानकीकरण, क्रय योजना तैयार करने और कारखाने में पड़े नॉन–मूविंग, स्लो–मूविंग बियरिंग्स की पहचान करने के लिए प्रणाली का अध्ययन।
  - बोकारो इस्पात संयंत्र में वे ब्रिजों में प्रिंटआउट टैग के साथ प्रत्येक कॉयल का भार, ग्रेड आकार इत्यादि की जानकारी ऑन–लाइन देने के साथ कोल्ड रोल्ड मिल, हॉट स्ट्रिप मिल एवं हॉट रोल्ड कॉयल फिनिशिंग में संबंधित कॉयल्स में लगाई जाएगी।

- राउरकेला इस्पात कारखाने में स्लो/नॉन–मूविंग मदों के संबंध में विभिन्न स्टोर विभागों के मालसूची की पहचान एवं वितरण की प्रक्रिया की स्थापना।
- मिश्र इस्पात कारखाने में वैगनों द्वारा स्टील मेल्टिंग शॉप में कच्चे माल स्टोर्स को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में सुधार।
- सेल इस्पात कारखाने में कन्वर्जन एजेंटों की नियुक्ति की संपूर्ण प्रणाली एवं कन्वर्टिड उत्पादों की बिक्री प्रक्रिया में सुधार।
- विश्वेश्वराया आयरन एंड स्टील प्लांट (वीआईएसएल) में रोलिंग मिल्स/हीट ट्रीटमेंट शॉप/फोर्ज शॉप के फिनिशिंग अनुभागों में मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन (एमपीआई) परीक्षण, खराबी की पहचान करने समेत हैंडलिंग मिल्स एवं फोर्ज्ड फिनिश्ड उत्पादों की करार प्रक्रिया में सुधार।
- लौह और इस्पात अनुसंधान एवं विकास केंद्र (आरडीसीआईएस) में विक्रेताओं के पंजीकरण से संबंधित इंटर प्लांट स्टील स्टैंडर्ड्स (आईपीएसएस) में सुधार के लिए प्रक्रिया अध्ययन एवं सुझाव।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल के सतर्कता विभाग ने कम्पनी में पारदर्शिता एवं सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए रोकथामपरक एवं दंडात्मक सतर्कता के जरिए विभिन्न उपाय किए। रोकथामपरक सतर्कता की दृष्टि से सभी विभागों के खरीद, बिक्री एवं ठेका प्रदान करने से संबंधित प्रविधियों का अध्ययन किया गया। ठेकों/खरीद आदेशों की गहन जांच, ऑडिट पैराज/आंतरिक ऑडिट रिपोर्टों का अवलोकन किया गया। संवेदनशील पदों की पहचान, निगरानी अचानक/गुणवत्ता जांच का संचालन, और रेल/सड़क नापतौल एवं फिर से नापतौल, बिलों की जांच की गई। मौजूदा प्रविधि एवं प्रणालियों में जहां जरूरी लगा, में सुधारात्मक कार्यवाहियों/सुधार के लिए सतर्कता परेक्षणों को संबंधित की सूचना में लाया गया। दंडात्मक कार्यवाही की दृष्टि से अनुशासात्मक मामलों को तेजी से समाधान करने के लिए संबंधित को जरूरी सहायता प्रदान की गई।

आरआईएनएल ने ई–ऑक्शन, ई–रिवर्स ऑक्शन एवं ई–पेमेंट आदि जैसी ई–पहल के जरिए अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सूचना टेक्नालॉजी का इस्तेमाल किया। स्रोतों की संख्या बढ़ाने हेतु कार्रवाई, निविदा की पूर्व अर्हता मानकों, नियम एवं शर्तों की अस्पष्टता समाप्त करने, ई–ऑक्शन की नियम एवं शर्तों एवं वास्तविक ऑक्शन कार्रवाइयों के मध्य असंगतता हटाने जैसे क्षेत्रों से संबंधित व्यवस्था में सुधार लाने के लिए पर्यवेक्षण एवं सुझाव भी दिए गए।

कर्मचारियों एवं अन्य स्टेकधारकों में सतर्कता जगाने के लिए सतर्कता जागरूकता अभियान चलाए गए जिसके तहत जागरूकता सत्र, सेमिनार, विचार–विमर्श सत्र आदि का संचालन किया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया और पेंटिंग, निबंध लेखन, वाद–विवाद, क्विज जैसी गतिविधियों पर इस्पात कारखाने के आस–पास एवं स्कूली बच्चों के लिए आयोजन किया गया। इस्पात कारखाने के आस–पास और कम्पनी की जगायापेटा एवं माधाराम स्थित खानों के आस–पास क्षेत्रों में स्थित जिला परिषद स्कूलों के स्कूली बच्चों के लिए तेलुगु भाषा में निबंध लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। अन्य गतिविधियों में महिलाओं एवं आरआईएनएल के कर्मचारियों के बीच तीन भाषाओं में स्लोगन प्रतियोगिताएं, अधिक पारदर्शिता, सच्चाई एवं समान अवसर को बढ़ावा देने के लिए सूचना टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने से संबंधित कर्मचारियों से सुझावों को आमंत्रण, विकलांग बच्चों के लिए पेंटिंग एवं क्विज प्रतियोगिताएं, आरआईएनएल के ठेकेदारों, विक्रेताओं एवं उपभोक्ताओं के साथ विचार–विमर्श सत्र इत्यादि शामिल हैं।

सत्यनिष्ठा समझौते को अपनाते हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग छेड़ने के लिए संगठनों में अधिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, आरआईएनएल के परिसर में ''केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन'' पर 12.08.2009 को एक सेमिनार का आयोजन किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री प्रत्यूष सिन्हा ने सेमिनार का उद्घाटन किया और इस सेमिनार में संयुक्त सचिव एवं सीवीओ, इस्पात मंत्रालय, श्री जी. इलियास और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के उपाध्यक्ष डॉ. एस.के. अग्रवाल उपस्थित थे। इस सेमिनार में उन संगठनों ने भाग लिया जिन्होंने अपने यहां सत्यनिष्ठा समझौते को कार्यान्वित कर लिया है और जो इसे कार्यान्वित करने का इरादा रखते हैं।

एनएमडीसी लिमिटेड

वर्ष के दौरान एनएमडीसी के सतर्कता विभाग द्वारा सिंगल टेंडर नामांकन आधार पर ठेकों की निगरानी और समय–समय पर सीवीसी से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप टेक्नालॉजी मुहैया करने की दिशा में अच्छी प्रगति की है। सतर्कता विभाग ने निरंतर संपन्न ठेकों की निगरानी की। इन ठेकों को सीवीसी दिशा–निर्देशों के अनुरूप वेबसाइट पर डाला जाता है और इसकी शुरुआत के बाद इसकी मूल्य सीमा को कम कर 10 लाख रुपये कर दिया गया ताकि कुल सौदों का 75 प्रतिशत कवर हो सके। वर्ष 2007 के दौरान एनएमडीसी में सत्यनिष्ठा समझौता कार्यान्वित हुआ और आज की तारीख तक 1012 करोड़ रुपये मूल्य के 20 ठेके संपन्न हुए। सतर्कता विभाग द्वारा मामला उठाने के बाद, ठेकों की मूल्य सीमा को सिविल कार्यों के मामले में 50 करोड़ से कम कर 20 करोड़ रुपये और खरीद के मामलों में 15 करोड़ रुपये से कम कर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया। इससे निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। सत्यनिष्ठा समझौता के कार्यान्वयन से एनएमडीसी ने भारी उपलब्धियां हासिल की हैं। इसमें निरंतर सुधार के लिए सत्यनिष्ठा समझौते के बारे में मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2006 में एनएमडीसी के सतर्कता विभाग को आईएसओ 9001:2000 प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया जो 27.10.2009 तक वैध था। वर्ष 2007, 2008 और 2009 के दौरान अनिवार्य निगरानी लेखापरीक्षा

आरआईएनएल में स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर्स (आईईएम) के साथ सत्यनिष्ठा समझौते की समीक्षा करते हुए।

सफलतापूर्वक संपन्न की गई। बाद में आईएसओ 9001:2008 प्रमाण पत्र का 26.10.2009 को नवीकरण किया गया, जो अगले तीन वर्षों के लिए वैध है।

एनएमडीसी के मुख्यालय और अन्य इकाइयों में 03 से 07 नवंबर 2009 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम के कंसलटेंट श्री वाई.आर.के. रेड्डी द्वारा ''निगमित मूल्यों को बढ़ावा'' विषय पर एक परिचर्चा जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर ''प्रस्तावों का निस्तारण'' विषय निगमित धोखाधड़ियों के मूल कारण पर सतर्कता पहलुओं की प्रस्तुतियां की गई।

एनएमडीसी ने पहले ही ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं इत्यादि के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्रों को डाउनलोड करने योग्य बना दिया है और एनएमडीसी की वेबसाइट पर ऐसे आवेदन पत्रों की स्थिति दिखाई गई है। यह सूचना नियमित रूप से अद्यतन की जाती है। एनएमडीसी ठेकेदारों को बिल अदायगियों के ब्यौरे भी प्रदान करता है और एनएमडीसी की वेबसाइट पर स्थिति को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। वर्ष 2009 से एनएमडीसी के कर्मचारियों द्वारा आन–लाइन वार्षिक संपत्ति विवरणियां प्रस्तुत की जा रही हैं।

विभिन्न इकाइयों में जांच की जाती है और कार्य योजना के मुताबिक मामलों के अध्ययन की तिमाही बैठकों में समीक्षा की जाती है और सतर्कता प्रशासन में सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाइयां की जाती हैं।

सतर्कता विभाग विक्रेता सूची को अद्यतन बनाने, खरीद, कार्य ठेकों इत्यादि में पारदर्शिता लाने के मामले वाली प्रणालियों एवं प्रविधियों में सुधार का सूत्रधार रहा।

मैंगनीज़ ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

वर्ष 2009 के दौरान, सार्वजनिक निविदाओं के संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी किये गए दिशा– निर्देशों को कार्यान्वित किया गया और ठेकों/जारी निविदा आमंत्रण सूचनाओं एवं संपन्न ठेकों/जारी कार्य आदेशों से संबंधित सूचना को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। मॉयल का सतर्कता विभाग नीति के अनुसार गुणवत्ता सेवाएं प्रदान करता है और उसके पास आईएसओ 9001:2000 प्रमाण पत्र है।

प्रमुख कार्यों का विवरण निम्न है:

- मॉयल के सतर्कता विभाग के विभिन्न क्रियाकलापों की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों का मौजूदा आईएसओ 9001:2000 से बढ़ाकर आईएसओ 9001:2008 के रूप में पुनः प्रमाणीकरण हुआ है। नवंबर 2009 में क्यूएमएस मैनुअल तैयार किया गया और प्रमाणीकरण संस्था ने उसकी जांच की और फलस्वरूप दिसंबर 2009 में आईएसओ 9001:2008 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ।
- सत्यनिष्ठा समझौते की मूल्य सीमा को 15 करोड़ से कम कर 10 करोड़ रुपये किया गया ताकि समझौते के दायरे के तहत अधिक ठेके कार्य कवर हो सकें। निविदा निस्तारण में सुधार एवं उसमें अधिक पारदर्शिता लाने के लिए चार परिपत्र जारी किए गए।

- मॉयल के विभिन्न प्रतिष्ठानों/खानों में सीवीसी से प्राप्त निर्देशों के मुताबिक 03 से 07 नवंबर 2009 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।
- निदेशक मंडल द्वारा अपनी छमाही/वार्षिक बैठकों में सतर्कता कार्य/अनुशासनात्मक मामलों में समीक्षा की जा रही है।
- विभिन्न कार्यक्षेत्रों से कुल मिलाकर 17 संवेदनशील पदों की पहचान की गई और कंपनी द्वारा तद्नुरूप अधिकारियों की अदला–बदली की जाती है।
- जन सूचना अधिकारियों के साथ नियमित विचार–विमर्श करने की अब एक प्रथा बना ली गई है। वर्ष 2009–10 (दिसंबर 09 तक) के दौरान, जन सूचना अधिकारी ने कुल 17 आवेदन पत्र प्राप्त किए। सभी आवेदनों का जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित 30 दिन के अंदर जवाब दे दिया गया है। सूचना की स्थिति मॉयल की वेबसाइट www.moil.nic.in में दी गई है।
- लाभदायक टेक्नालॉजी का कार्यान्वयनः मॉयल द्वारा प्रणाली में सुधार और कार्य के जहां तक संभव हो अधिकतम क्षेत्रों में पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

मॉयल संगठन की वेबसाइट पर संगत नियमावलियों एवं प्रविधियों को डालने के संबंध में सीवीसी परिपत्र सं. 40/11/06 दिनांक 22.11.2006 में दिए गए दिशा–निर्देशों को कार्यान्वित करने के प्रति समर्पित है। मॉयल में कार्यान्वयन की स्थिति निम्न हैः

- ई–विक्रयः मॉयल ने अप्रैल 2006 से फेरो मैंगनीज एवं फेरो मैंगनीज स्लैग का ई–विक्रय कार्यान्वित कर दिया है। अप्रैल 2007 से डोंगरी बुजुर्ग माइन से अयस्क की ऑक्साइड एवं डाइऑक्साइड श्रेणी को भी ई–निलामी में शामिल किया गया है। वर्ष 2009–10 (दिसंबर 2009) के दौरान कुल 8 बार ई–विक्रय संपन्न हुए।
- ई–क्रयः मॉयल ने ई–क्रय के लिए 1 करोड़ रुपये एवं अधिक की सीमा निश्चित की है। तद्नुरूप मॉयल ने हाई स्पीड डीजल, लूब्रिकेंट्स, विस्फोटक सामग्री (रिवर्स ऑक्शन), कोक एवं कोयले को ई–क्रय के लिए चिन्हित एवं नियत किया है, जो वार्षिक खरीद का लगभग 76 प्रतिशत है। इसके अलावा, कुल वार्षिक खरीद का 34 प्रतिशत नितांत रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से किया जाता है।
- ई–भुगतानः कंपनी केवल ऑन–लाइन के जरिए ही भुगतान सुनिश्चित कर रही है। जहां ऑन–लाइन भुगतान की सुविधा नहीं हो, कंपनी उपलब्ध सुविधा को देखते हुए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमैंट (आरटीजीएस) अथवा एकाउंट पेयी चेक के जरिए भुगतान कर रही है।

एमएसटीसी लिमिटेड

- आईएसओ प्रमाणपत्रः सतर्कता विभाग के लिए आईएसओ प्रमाणपत्र 9001–2000 जुलाई 2008 में यूआरएस प्रमाणन लिमिटेड, ब्रिटेन से प्राप्त किया गया। बाद में निगरानी आडिट ने भी इसे जून 2009 में पूर्ण कर लिया है।
- सत्यनिष्ठा समझौताः मार्केटिंग विभाग में 2 करोड़ रुपये और बिक्री एजेंसी व्यवसाय में 50 लाख रुपये से अधिक के सभी ठेकों में वर्ष 2007–08 से आगे सत्यनिष्ठा समझौता लागू किया गया। खरीददार/विक्रेता दोनों समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। मंत्रालय की सलाह के मुताबिक बाहरी स्वतंत्र निगरानी सलाहकारों की नियुक्ति की गई और वे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समय–समय पर बैठकें करते हैं।
- लाभदायक टेक्नालॉजीः इस क्षेत्र में कंपनी ने प्रगति की है। सभी किस्म की सामग्रियों के निपटान के लिए कंपनी ने ई–ऑक्शन/ई–टेंडरिंग शुरू कर दी है और भुगतानों का निस्तारण ई–अदायगियों द्वारा किया जा रहा है। खातों को बंद करने, वेतन भुगतान, सुरक्षा जमा के रिफंड इत्यादि से संबंधित सभी कार्य कम्प्यूटर के जरिए किए जा रहे हैं।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ बैठकः सतर्कता विभाग ने सीएमडी के साथ नियमित बैठकें कीं और इसका विवरण रिकॉर्ड किया गया।
- सहमत सूची और संदेहास्पद सूचीः वर्ष 2009 के लिए एक सम्मत सूची तैयार की गई और सीबीआई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), कोलकाता, नई दिल्ली, वाइजाग, बैंगलोर और चेन्नैई ने इस पर हस्ताक्षर किये।
- निलंबन के मामलेः इस समय एक कार्यपालक निलंबित हैं। सीबीआई/न्यायालय इस मामले की जांच कर रहा है।
- विभागीय कार्यवाहियांः तीन अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किए गए और उन्होंने उनका जवाब भी दे दिया है। अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा जांच अधिकारियों एवं प्रस्तुति अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। एक अन्य मामले में आरोप पत्र तैयार किया गया है।

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

वर्ष के दौरान, निरोधक सतर्कता वर्तमान व्यवस्था में सुधार के विश्लेषण पर विशेष जोर देते हुए सतर्कता गतिविधियां जारी रहीं। सतर्कता विभाग का प्रयास प्रणालियों एवं प्रविधियों को सुधारने में प्रबंधन की मदद पहुंचाने का रहा है ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी हो सके। सीवीसी और मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न दिशा–निर्देशों को व्यापक रूप से परिपत्रित किया गया। सीबीआई के साथ समन्वय बैठक एवं अधिकारियों की संपत्ति विवरणियों की अचानक समीक्षा की गई।

सतर्कता विभाग के लिए आईएसओ 9001:2000 प्राप्त किया गया। सतर्कता प्रशासन सुधारने के लिए टेक्नालॉजी का लाभ उठाने के लिए भी कार्रवाई की गई। जिसमें निविदाओं की पूर्व अर्हता हेतु ठेकेदारों का पंजीकरण और स्टोर मदों की विभिन्न श्रेणियों की आपूर्ति, विक्रेता सूची को अद्यतन करने, विक्रेताओं को ई–भुगतान करने के लिए डाउनलोड करने योग्य आवेदन फार्म कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड करना शामिल है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 03 से 07 नवंबर 2009 के दौरान मनाया गया। इस दौरान कर्मचारियों में सतर्कता जागरूकता लाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया गया।

एफएसएनएल के कर्मचारियों को सतर्कता जागरूकता शपथ दिलाई जा रही है।

हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

- कंपनी के सतर्कता विभाग का मुखिया सीवीओ होता है।
- अप्रैल 2009 से दिसंबर 2009 तक दर्ज किये गए मामले : शून्य
- सतर्कता प्रबंधन : वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करने के लिए वेबसाइट www.cvohscl.org है
- सीवीसी के निदेर्शों के मुताबिक सतर्कता गतिविधियों और अन्य के बारे में नियमित मासिक और तिमाही रिपोर्ट इस्पात मंत्रालय/सीवीसी को भेजी गई।
- संगठन में क्रमबद्ध सुधार के लिए सर्कुलर जारी किये गए।
- 3 से 7 नवम्बर 2009 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया और इसकी रिपोर्ट सीवीसी को भेजी गई।
- एचएससीएल की सतर्कता शाखा द्वारा आईएसओ 9001:2008 प्राप्त कर लिया है। आईएसओ प्रमाण पत्र सितंबर 2009 से सितंबर 2012 तक वैध है।

सत्यनिष्ठा समझौता (आईपी)

आईपी को 5 करोड़ एवं उससे अधिक राशि के कार्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। एजेंसियों एवं एचएससीएल के बीच 19 आईपी समझौते हुए। अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। स्वतंत्र बाह्य मॉनिटरों (आईईएम) के साथ अगली तिमाही बैठक मार्च 2010 में होगी, जहां आईपी कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी और यदि जरूरी हुआ तो अंतिम सीमा संशोधित की जाएगी।

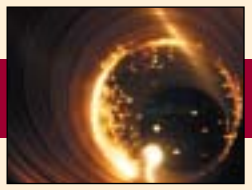

लाभदायक टेक्नोलॉजियां

लाभदायक टेक्नोलॉजी का द्वितीय चरण कार्यान्वयन प्रगति पर है। जहां तक संभव हो ठेकेदारों और कर्मचारियों को भुगतान ई–भुगतान के जरिए किया जा रहा है। भविष्य निधि, ग्रेच्युटि इत्यादि के फार्म वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, आमंत्रित निविदाएं एवं सौंपे गए कार्य, वर्क मैनुअल एवं विक्रेताओं के पंजीकरण वेबसाइट पर डाले जा रहे हैं। ई–टेंडरिंग कार्यान्वित करने के प्रयास चल रहे हैं।

वर्ष 2009 हेतु सहमत सूची एवं संदेहजनक सत्यनिष्ठा की सूची अंतिम रूप से तैयार की गई और 2010 की सूची तैयार की जा रही है। कंपनी में कोई भी विभागीय कार्यवाहियां लंबित नहीं हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख तकनीकी जांचकर्ता (सीटीई) ने वर्ष के दौरान एचएससीएल के दो कार्यों की जांच की है। सीटीई जांच के पर्यवेक्षणों का पहले ही समाधान कर लिया है। एक मामले में 3 अधिकारियों को माइनर पेनल्टी एवं एक अन्य मामले में दो अधिकारियों को सेंसर किया गया है। विवेच्य अवधि के दौरान सीवीसी से 3 शिकायतें मिली हैं और उनकी रिपोर्ट सीवीसी को सौंप दी गई है।

मेकॉन लिमिटेड

मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) सतर्कता विभाग के सहयोग से मैकॉन के सतर्कता ढांचे का प्रबंध करता है। सतर्कता ढांचा निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है :

- मैकॉन में गलत कामों/प्रलोभन में आने वाले संवदेनशील क्षेत्रों का पता लगाना और सत्यनिष्ठा/दक्षता सुनिश्चित करने के एहतियाती उपाय करना।
- शिकायतों की जांच और उचित जांच उपाय शुरू करना।
- इन मामलों में निरीक्षण और आगे की कार्रवाई।
- जांच रिपोर्ट की टिप्पणियों की केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को जानकारी देना।
- विभागीय कार्रवाई के मामले में उचित कार्रवाई करने की सलाह देना।
- जहां जरूरी हो वहां सीवीसी की पहले और दूसरे चरण की सलाह लेना।
- शासकीय/अधिकारियों के खिलाफ आरोपों के संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए शिकायतों की जांच करना।
- मेकॉन के अधिकारियों और कर्मचारियों की अचल सम्पत्ति रिटर्न का रखरखाव और जांच।

ऊपर दिये गए कार्यों का पालन करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई प्रारंभ की गई और उसे लागू किया गया:

- कंपनी ने प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए संबंधित कर्मचारियों को मनोनीत करके कर्मचारियों के बीच सतर्कता जागरूकता लाने के लिए एक प्रो–एक्टिव रवैया अपनाया। वर्ष के दौरान मेकॉन के कोलकाता, बंगलौर, मुंबई और दिल्ली स्थित कार्यालयों में कर्मचारियों में जागरूकता लाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कर्मचारियों के लाभ के लिए सीवीसी और अन्य प्राधिकारियों द्वारा जारी परिपत्रों को व्यापक रूप से वितरित किया गया।
- वर्ष के दौरान 3 से 7 नवंबर 2009 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह में कार्यपालकों/कर्मचारियों, खासतौर पर ठेके/वाणिज्यिक, क्रय एवं भंडार, वित्त, कार्मिक एवं प्रशासन आदि जैसे संवेदनशील विभागों के लिए प्रस्तुति–सह–परिचर्चा सत्र आयोजित किए गए ताकि कर्मचारियों को सीवीसी द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न दिशा–निर्देशों से अवगत कराया जा सके और टेक्नालॉजी का व्यापक उपयोग करते हुए सरकारी संस्थाओं के क्रियाकलाप में पारदर्शिता लाई

दायें से बायें: श्री ए.के. घोष, निदेशक (वाणिज्यिक), श्री एम.के. देशमुख, तत्कालीन निदेशक (इंजीनियरी), श्री एल.आर. सिंह, निदेशक (टेक्नोलॉजी), श्री ए. के. सरकार, महाप्रबंधक (कोयला एवं रसायन) एवं श्री एस.वाई.के. मिंज, सीवीओ मेकॉन में सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम का संचालन करते हुए।

जा सके। परिचर्चा विषयों में 'सीवीसी द्वारा चिन्हित आम भूल–चूक' और 'मेकॉन में पर्यवेक्षित आम भूल–चूक' शामिल थे।

- अचानक की गई जांच और नियमित निरीक्षणों के जरिये कुछ क्षेत्रों में व्यवस्था में सुधार की सिफारिश की गई, खासतौर से टेंडर देने और प्राप्ति, कर्मचारियों (संस्थान के नियमों), वित्त (आपूर्तिकर्ताओं के बिल, टीए बिल, एलटीसी आदि क्षेत्रों में)।
- निरोधक सतर्कता के मोर्चे पर, टेंडरों की जांच पर अधिक जोर दिया गया ताकि प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए टेंडर की कुछ प्रतिबंधात्मक धाराओं में संशोधन किया जा सके।
- प्रचालन और रखरखाव के लिए ठेका देने और उसका पालन करने के क्षेत्रों में प्रोएक्टिव सतर्कता कार्य किये गए। प्रबंधन ने सतर्कता विभाग के सुझावों के प्रति सकारात्मक रवैया दिखाया।
- सीबीआई के साथ निकट संपर्क बनाकर रखा गया। लंबित मामलों की समय–समय पर समीक्षा की गई। सभी आवधिक सांख्यिकी रिटर्न/रिपोर्ट समय पर इस्पात मंत्रालय (एमओएस), सीवीसी और सीबीआई को सौंप दी गईं।
- सीवीसी के सर्कुलर के मुताबिक यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गये कि जारी किये गए टेंडर/ठेकों को नियमित रूप से हर महीने वेबसाइट पर डाला जाए और इस पर कड़ी नज़र रखी जाए। टेंडर में आईटी का इस्तेमाल, व्यावसायिक गतिविधियों को तेज़ी से लागू किया गया। व्यापक पहुंच और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए समाचारपत्रों में एनआईटी के साथ साथ सामग्री, उत्पाद, सेवाओं आदि के सभी महत्वपूर्ण टेंडरों को कंपनी की वेबसाइट पर डाला गया। ठेका मैनुअल को अद्यतन किया गया ।
- पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने के लिए आपूर्तिकर्ताओं को ईटीएफ के जरिये भुगतान किया गया। पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए विक्रेता पंजीकरण और भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन किया गया।
- वर्ष 2009 के दौरान मेकॉन में संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों की अदला–बदली की गई। संवेदनशील पदों का आकलन और उनका पता लगाना एक सतत प्रक्रिया है।
- मेकॉन में सम्पत्ति रिटर्न की नियमित रूप से जांच होती है।
- सत्यनिष्ठा समझौता लागू करने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये। विक्रेताओं के साथ 14 परियोजनाओं के लिए सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।
- मेकॉन के सतर्कता विभाग को अगले तीन वर्षों के लिए अक्तूबर 2009 में आईएसओ प्रमाणपत्र मिला।
- मेकॉन की गृह पत्रिका ''मेकॉन संसार'' में सतर्कता से जुड़े मसलों पर लेख प्रकाशित किए गए।

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन किया गया। सीवीसी के निर्देशों के मुताबिक 03.11.2009 से 07.11.09 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया और सीवीसी/इस्पात मंत्रालय से समय–समय पर प्राप्त सुझावों को अमल में लाया गया।

केआईओसीएल लिमिटेड

आईएसओ 9001:2008

केआईओसीएल के सतर्कता विभाग ने तीन वर्ष के लिए वैध आईएसओ 9001:2000 प्रमाण पत्र 07.11.2006 को प्राप्त किया। जैसा कि वैधता नवंबर 09 तक थी, परामर्श (प्रणाली को 2000 से 2008 वर्जन में नवीकृत करने के लिए) और अलग से प्रमाणीकरण के लिए एजेंसियां निश्चित की गईं। केआईओसीएल ने निविदा प्रक्रिया में एजेंसियां निश्चित करने के लिए एनएमडीसी, आरआईएनएल, मॉयल जैसे अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की मदद की, जैसा कि इसने वर्ष 2006 में किया था। मैसर्स आईसीएस प्रा. लि. ने 06 नवंबर 2009 को ऑडिट किया और 08 दिसंबर 2012 तक वैध प्रमाण पत्र जारी किया।

सत्यनिष्ठा समझौता

सत्यनिष्ठा समझौता केआईओसीएल में 1 जनवरी, 2008 को लागू किया गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के साथ वार्षिक समीक्षा बैठक 30 सितंबर 2009 को आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया, नई दिल्ली के अध्यक्ष एडमिरल (सेवानिवृत्त) तहिलियानी, अवर सचिव, इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली ने भाग लिया। लगभग 15 एजेंसियों (काउंटर पार्टियां) ने भाग लिया। इस अवसर पर अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, निदेशकगण, सीवीओ, आईईएम, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सीवीओ ने सभी प्रतिभागियों को सत्यनिष्ठा समझौते की मूल बातें बताईं। सत्यनिष्ठा समझौते विषयक अपने अनुभव को काउंटर पार्टियों और आईईएम में आदान–प्रदान किया। काउंटर पार्टियों द्वारा उठाए गए संदेह का निराकरण एडमिरल तहिलियानी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और सीवीओ ने किया। स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर्स (आईईएम) की तीसरी समीक्षा बैठक निगमित कार्यालय, बंगलौर में 10.11.2009 को श्री केवीएम पाई और डॉ. मीनाक्षी सुंदरम तथा दो आईईएम के साथ 2 जून 2009 को हुई। दिसंबर 2009 तक लगभग 97 ठेके आईपी के साथ जारी किये गये लेकिन अभी तक आईईएम को कोई शिकायत नहीं मिली है।

सहमत सूची

सीबीआई के साथ परामर्श एवं अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, केआईओसीएल की मंजूरी के बाद 20 मई 2009 को संदेहास्पद सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची बनाई गई।

निरीक्षण

अप्रैल 2009 से दिसंबर 2009 तक की समीक्षा अवधि के दौरान सीटीई श्रेणी के कुल 19 निरीक्षण, 18 अचानक निरीक्षण, 12 सामान्य निरीक्षण और 27 बार फाइलों की जांच–पड़ताल की गई।

सतर्कता विभाग मैनुअल

सतर्कता विभाग का मैनुअल तैयार किया गया और उसका अक्तूबर 2009 से उपयोग किया जा रहा है।

सतर्कता की सुनियोजित बैठकें

सीवीसी और इस्पात मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के साथ सतर्कता की नियमित रूप से सुनियोजित बैठकें हो रही हैं। आज की तारीख तक इस तरह की तीन बैठकें हो गई हैं। ई–क्रय, लाभदायक टेक्नोलॉजी, सत्यनिष्ठा समझौता, निगमित अधिशासन, भर्ती नीति से संबंधित मसलों पर चर्चा की गई। बैठक में किए गए फैसले के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को बैठक के कार्यवृत्त (मिनट्स) दिए गए। कार्यवृत्त की प्रतियां केंद्रीय सतर्कता आयुक्त एवं इस्पात मंत्रालय को भेजी गयीं।

सम्पत्ति रिटर्न

सीवीसी दिशा–निर्देशों के अनुसार हर वर्ष 20 प्रतिशत सम्पत्ति रिटर्न की जांच–पड़ताल की जाती है। यह कार्य अक्तूबर 2009 तक पूर्ण कर लिया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

केआईओसीएल लि. में 03 से 07 नवंबर 2009 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर 04 नवंबर 2009 को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एन. वेंकटाचला, पूर्व लोकायुक्त, कर्नाटक, मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर कम्पनी के तीन ऐसे अत्यंत उच्च स्तरीय सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने निष्पक्षता, पारदर्शिता, अनुशासन एवं सत्यनिष्ठा मान्यता प्रमाण पत्र के साथ लगातार तीन वर्षों के वार्षिक मूल्यांकनों में नीतिपरक व्यवहार जैसे चार मानकों में उत्कृष्ट ग्रेडिंग स्कोर की। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के समापन दिवस 07 नवंबर 2009 को सम्मेलन कक्ष में एक भाषण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें श्री नरसिम्हा कुमार, आईपीएस, एसपी, सीबीआई, बंगलौर मुख्य अतिथि थे। उन्होंने ''भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सीबीआई की भूमिका'' विषय पर अपने विचार प्रकट किए।

शिकायतें और मामले

उपरोक्त अवधि के दौरान दस शिकायतें मिलीं। उनमें से दो गुमनाम थीं और एक छद्मनाम से थी। इसलिए सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार इन तीन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और उन्हें फाइल कर दिया गया। सीवीसी से तीन शिकायतें मिलीं। सीवीसी को पहले ही रिपोर्ट दे दी गई है। इन तीन में से एक को सीवीसी से सूचना मिलने के बाद बंद कर दिया गया। एक शिकायत एसपी/सीबीआई/एसीबी से प्राप्त हुई। उन्हें पुनः सूचना और इस मसले पर अपने विचार पुनः देने के लिए कहा गया। जवाब की प्रतीक्षा है। शेष तीन शिकायतों पर कार्रवाई कर दी गई और उन्हें बंद कर दिया गया। इस अवधि के दौरान चार मामले दर्ज किये गये और उनमें से दो बंद कर दिए गए और बाकी दो मामलों में जांच जारी है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

सतर्कता विभाग ने अलग–अलग तीन स्थानों पर कुल 10 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में 300 से अधिक कर्मचारियों ने भाग लिया। सत्यनिष्ठा समझौता, लाभदायक टेक्नोलॉजी, पारदर्शिता में सुधार, वेबसाइट की कारगर उपयोगिता, निरोधक सतर्कता, इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया।

बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

कार्य के संवेदनशील क्षेत्रों की समीक्षा के बाद निम्नलिखित निर्णय लिये गये:

- सभी प्रकार का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाए, मुख्यालय में एमआईएस प्रणाली को सरल और कारगर बनाया जाएगा ताकि बर्ड ग्रुप की कंपनियों के अंतर्गत विभिन्न कंपनियों में अलग–अलग उत्पादन स्थलों से खनिजों के उत्पादन और बिक्री का रिकार्ड रखा जा सके। विभिन्न खदानों से खनिजों के उत्पादन और वहां से की गई बिक्री का हर रोज का आंकड़ा हर खान के खाते में कम्प्यूटर में डाला जाए। उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार, इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।
- प्रत्येक उत्पादन स्थल/पूछताछ के निकासी द्वार पर धर्मकांटा लगाया जाएगा और इस तरह के धर्मकांटे को कम्प्यूटर से जोड़ा जाएगा ताकि प्रतिदिन रेलवे साइडिंग पर आने वाले खनिजों की रिकॉर्डिंग हो सके। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है।
- खनिजों की बिक्री के विज्ञापन के लिए एनआईसी पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। खनिजों की बिक्री ई–नीलामी के जरिये की जाएगी चाहे ई–नीलामी का जवाब 'शून्य' क्यों न मिले। लौह अयस्क और मैंगनीज़ अयस्क की बिक्री भी सिर्फ ई–नीलामी के जरिये की जा रही है।
- बीजीसी ने नवम्बर 2009 में 3 नवंबर से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया।

अध्याय–XIII

शिकायत निवारण तंत्र

इस्पात मंत्रालय का शिकायत प्रकोष्ठ

इस्पात और इस्पात उत्पादों से जुड़ी जनता की शिकायतों/सुझावों पर समन्वय कायम करने और उन पर निगरानी करने के लिए इस्पात मंत्री का शिकायत प्रकोष्ठ जुलाई 2004 से काम कर रहा है। शिकायतें सीधे इस्पात मंत्री के कार्यालय में मिलती हैं या सीधे प्रकोष्ठ को मिलती हैं। इसके साथ ही जनता की शिकायतों को लेने और उनका निपटारा करने के लिए मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति शिकायत अधिकारी के रूप में की गई है।

केन्द्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली

मंत्रालय और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जन शिकायतों को आगे बढ़ाने के लिए केन्द्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) को लागू किया गया। सीपीजीआरएएमएस निकनेट पर एक ऑनलाइन वेब प्रणाली है जिसे एनआईसी ने प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के साथ मिलकर तैयार किया है। इसका उद्देश्य है कि भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग/संगठन शिकायतों का तेज़ी से निपटारा और उनकी प्रभावकारी निगरानी करें। शिकायत निवारण कार्य का पूरा चक्र है (1) नागरिक की शिकायत को दर्ज करना (2) संगठन द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने की पुष्टि (3) आगे की कार्रवाई के संबंध में शिकायतों का आकलन (4) आगे बढ़ाना और हस्तांतरण (5) स्मरणपत्र और स्पष्टीकरण (6) मामले का निपटारा। सीपीजीआरएएमएस के अंतर्गत निपटाए गए मामलों का विवरण निम्न है:

शिकायत का स्रोत	प्रारंभिक शेष	अवधि के दौरान प्राप्तियां	कुल	31.12.2009 तक जिनका आकलन बाकी है	कार्यालय में लिए गए मामले	एसओ* को भेजे गए मामले	जिनमें कार्रवाई की जरूरत नहीं	अवधि के दौरान मामलों का निपटारा	31.12.2009 को अंतिम शेष किया गया	डीजीपी/डीएआरपीजी को भेजे गए जवाब
डीपीजी**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
डीएआरपीजी	12	10	22	6	0	7	1*	3	18	0
स्थानीय/डाक/इंटरनेट	22	20	42	19	0	16	4	0	38	–
कुल	34	30	64	25	0	23	5	3	56	0

टिप्पणी: नोडल प्राधिकरण अर्थात् डीपीजी/डीएआरपीजी द्वारा बिना इस्पात मंत्रालय की कार्रवाई के निपटान की गई शिकायतों की संख्या दर्शाती है।
** जन शिकायत निदेशालय

शिकायत निवारण के लिए उपभोक्ता बैठक प्रगति पर।

संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)

जेपीसी ने अपने कर्मचारियों की शिकायतों को देखने एवं उनका निराकरण करने के लिए अपने संगठन के अंदर एक व्यवस्थित एवं निष्पक्ष प्रणाली बनाई है।

स्टील अथॉरिटी इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल के संयंत्र और इकाइयों में एक प्रभावकारी आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। इसमें कार्यपालकों और गैर–कार्यपालकों के लिए अलग–अलग व्यवस्था है। सेल में शिकायत की प्रक्रिया कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों और संगठनों के साथ लगातार बातचीत और उनकी सहमति के बाद शुरू की गई।

सेल संयंत्रों/इकाइयों में शिकायतों से 3 स्तरों में निपटा जाता है और कर्मचारियों को हर चरण में एक मौका दिया जाता है ताकि वे वेतन अनियमितताओं, काम करने की स्थिति, तबादले, छुट्टी, उन्हें सौंपे गए कार्य और कल्याणकारी सुख सुविधाओं आदि से जुड़ी शिकायतों को हर स्तर पर उठा सकें। शिकायत प्रबंधन की व्यवस्था के जरिये इनसे कारगर तरीके से निपटा जाता है। हालांकि इस्पात संयंत्र के सहयोगपूर्ण माहौल को देखते हुए अधिकतर शिकायतों को अनौपचारिक तरीके से ही निपटा दिया जाता है। यह व्यवस्था विस्तृत, सरल और लचीली है और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में कारगर साबित हुई है।

1.4.2009 से 31.12.2009 के बीच जन शिकायतों/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति इस प्रकार है:

1.4.2009 को लंबित शिकायतें	अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गई जन शिकायतों की संख्या	31.12.2009 को लंबित शिकायतों की संख्या
18	1856	1854	20

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

कर्मचारी शिकायतें

आरआईएनएल/वीएसपी में, कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए पृथक सुनियोजित एवं औपचारिक शिकायत निवारण प्रणालियां है। गैर–कार्यपालकों की औपचारिक शिकायत प्रणाली के अंतर्गत समिति में कामगारों का एक प्रतिनिधि उपस्थित होता है। इसके अलावा, कार्यपालक एवं गैर–कार्यपालक दोनों की शिकायत निवारण प्रणालियों में शिकायतों का निवारण करने के लिए समय–सीमा निश्चित की गई है।

जन शिकायतें

जन शिकायतों का निपटारा करने के लिए महाप्रबंधक के स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को विशेष कार्य अधिकारी (जन शिकायतें) के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा, आरआईएनएल/बीएसपी में एक पूर्ण आरटीआई सैल भी है जो निश्चित समय–सीमा के अंदर जनशिकायतों का निपटारा करता है।

वर्ष 2009–10 (दिसंबर 2009 तक) की जन एवं कर्मचारी शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया है:

शिकायतों के प्रकार	1.4.2009 को बकाया शिकायतें	अवधि के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई की शिकायतों की संख्या	(दिसंबर 2009 तक) बकाया शिकायतें
जन शिकायत	–	–	–	–
कर्मचारी शिकायत	02	30	28	04

आरआईएनएल में कोई भी जन शिकायत लंबित नहीं है।

एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी में शिकायत निवारण तंत्र मुख्यालय में एक कार्यकारी निदेशक और चार उत्पादन परियोजनाओं में परियोजना प्रमुखों के नेतृत्व में काम करता है। सीवीओ को शिकायत निवारण तंत्र की निगरानी के लिये नोडल अधिकारी के रुप में मनोनीत किया गया जो संतोशजनक ढ़ंग से काम कर रहा है। लेकिन शिकायतों के निपटारे की संख्या बहुत कम है, क्योंकि इस काम के लिये कंप्यूटर नहीं लगाये गये हैं। संगठन का जनता से सीधा संपर्क बहुत कम है, इस नाते समय सीमा आदि के लिये कोई दिशानिर्देश तय नहीं किये गये हैं। लेकिन जब कभी कोई जनशिकायत (चाहे प्रेस के जरिये ही क्यों न मिले) प्राप्त होती है तो उस पर तत्परता से कार्रवाई की जाती है। पूरी स्थिति से अवगत कराने के लिये मंत्रालय को हर महीने और हर तिमाही में कर्मचारी/जनशिकायतों की रिपोर्टें भेजी जाती हैं। एनएमडीसी द्वारा कोई भी जन/कर्मचारी शिकायतें प्राप्त नहीं की।

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

- कर्मचारियों की शिकायतें : मॉयल में कार्यकारी अधिकारियों और गैर–कार्यकारी अधिकारियों की शिकायतों के निवारण की अपनी प्रक्रिया है। कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा नियमानुसार किया जाता है।
- मॉयल में शिकायतों की निपटारा मशीनरी में एक शिकायत अधिकारी को प्रत्येक इकाई के लिए मनोनीत किया जाता है। मुख्यालय में मनोनीत शिकायत अधिकारी कारगर तरीके से काम करने के लिये प्रत्येक इकाई के शिकायत अधिकारी के साथ समन्वय बनाकर रखता है।
- जन शिकायतः सभी शिकायत अधिकारियों को बता दिया गया है कि शिकायत मिलते ही उससे किस तरीके से निपटा जाए। जन शिकायतों का निपटारा करने के लिये जो प्रणाली अपनाई गई है वह अतीत में विभिन्न अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के आधार पर बनाई गई है।
- निदेशकों द्वारा जन शिकायतों की समयावधि की निगरानी के लिए सीमा निश्चित की गई है और कंपनी के अन्य प्रभागों में भी मंत्रालय की जन शिकायत निवारण प्रणाली से अलग एक जन शिकायत निवारण प्रणाली है।
- मुख्यालय में निगरानी इकाई से प्राप्त आंकड़ें, शिकायत अधिकारी से हर महीने मिलनेवाली रिपोर्ट और यहां तक कि मुख्यालय अधिकारियों के निरीक्षण के आधार पर मिलने वाली रिपोर्ट के जरिए शिकायतों पर निगरानी रखी जाती है।

01.04.2009 से 31.12.2009 की अवधि में जन/कर्मचारी शिकायतों का स्थितिः

शिकायतों के प्रकार	01.04.2009 को लंबित	समयावधि के दौरान प्राप्त शिकायतों शिकायतें	निपटाए गयी शिकायतों की की संख्या	31/12/2009 को शिकायतें संख्या बकाया
जन शिकायतें	–	–	–	–
कर्मचारी शिकायतें	शून्य	401	387	14
कुल	**शून्य**	**401**	**387**	**14**

एमएसटीसी लिमिटेड

कंपनी के कामकाज से जुड़ी जनता की किसी भी शिकायत से निपटने के लिए एक जन शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसमें तीन वरिष्ठ और मध्यम स्तर के कार्यकारी अधिकारी शामिल है। यह शिकायत प्रकोष्ठ कंपनी के कार्यकारी अधिकारियों और गैर–कार्यकारी अधिकारियों की शिकायतों का भी निपटारा करता है। इसी तरह शिकायत प्रकोष्ठ में क्षेत्रीय प्रबंधकों और शाखा प्रबंधकों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया है। इस प्रकोष्ठ के गठन के बारे में एमएसटीसी के सभी कार्यालयों को पूरी जानकारी दे दी गई है। शिकायत मिलने पर संबद्ध विभाग के प्रमुख के साथ सलाह करके प्रकोष्ठ उसकी जांच पड़ताल करता है। एमएसटीसी निहायत ही छोटा संगठन होने के नाते कंपनी में हर कर्मचारी का अपने विभाग के प्रमुख यहां तक की सीएमडी से भी आसानी से संपर्क हो जाता है। यहां प्रत्येक विभाग/कार्यालय में ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 कर्मचारी हैं। इस नाते महसूस किया गया कि कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारे के लिये अलग से औपचारिक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। कार्मिक विभाग संबद्ध विभागों के प्रमुख के साथ सलाह करके औपचारिक या अनौपचारिक रूप से मिली शिकायतों को दूर करता है और अगर शिकायत सामूहिक रूप मिली हो तो उसे कर्मचारी यूनियनों के साथ मिलकर निपटाया जाता है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुरूप कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिये एक समिति गठित की गई है।

01.04.2009 से 31.12.2009 की अवधि में जन/कर्मचारी शिकायतों का स्थितिः

	01.4.2009 को लंबित	प्राप्त	निपटाए गए	लंबित (31.12.2009)
जन शिकायतें	14	27	36	5
कर्मचारी शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल इस्पात संयंत्रों में स्क्रैप प्राप्त करने और उनके प्रसंस्करण के लिए विशिष्ट सेवाएं प्रदान करती है। अतः कंपनी का जनता के साथ कोई सीधा सरोकार नहीं होता है। लेकिन अगर कोई जन शिकायत प्राप्त होती है तो उसका अविलंब निपटारा किया जाता है।

कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारे के लिये एक शिकायत निवारण योजना है, जिसके तहत हर किसी को पूरी तरह संतुष्ट करना और निर्धारित समय सीमा में शिकायत का निपटारा करने की व्यवस्था है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- सभी इकाइयों/कारपोरेट आफिस में एफएसएनएल ने बक्से रखे हुये हैं जिन पर "शिकायत/सुझाव पेटी" लिखा होता है। इन बक्सों को इकाइयों/कारपोरेट कार्यालय आगंतुक कक्ष में रखा गया है ताकि जनता और कर्मचारी आसानी से इस तक पहुंचकर इसका इस्तेमाल कर सकें। यहां इस तथ्य का उल्लेख करना जरूरी है कि अब तक कोई भी जनशिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- जो भी सुझाव/शिकायत प्राप्त होते हैं उन्हें हर शुक्रवार को "सुझाव/शिकायत रजिस्टर" में जन/कर्मचारी शिकायत अधिकारी की मौजूदगी में दर्ज किया जाता है, जिसे इसी उद्देश्य के लिये नामित किया गया है।
- चरण–1 के तहत, अगर किसी कर्मचारी या जनता को कोई शिकायत है तो इस काम के लिये नामित जन/कर्मचारी शिकायत अधिकारी से मिलने का एक अवसर दिया जाता है जो ध्यान पूर्वक शिकायत को सुनता है और अगर जरूरी हो तो जांच–पड़ताल करता है और शिकायतकर्ता को शिकायत सुनने के बाद अगले तीन कार्य दिवस के भीतर मौखिक उत्तर देता है।
- चरण–2 के तहत, अगर कर्मचारी/जनता जन/कर्मचारी शिकायत अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट नहीं है या उसे तीन कार्य दिवस के अंदर कोई उत्तर नहीं मिलता है या जन/कर्मचारी शिकायत अधिकारी के स्तर पर उसकी शिकायत का संतोषजनक ढ़ंग से निपटारा नहीं किया गया तो शिकायतकर्ता को इकाई के प्रमुख और कारपोरेट आफिस में महाप्रबंधक(प्रचालन) से मिलने का एक मौका दिया जाता है, जो ध्यानपूर्वक शिकायत सुनता है,संबंधित व्यक्तियों से जानकारियां हासिल करता है और शिकायत के बारे में अपना फैसला देता है या शिकायतकर्ता को उत्तर भेज देता है। चरण–3, अगर कर्मचारी/जनता चरण–2 के नतीजे से संतुष्ट नहीं है तो उसे कारपोरेट आफिस में कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक से मिलने का अवसर दिया जाता है, जो ध्यानपूर्वक शिकायत सुनता है और अगर उसे लगता है कि चरण–2 का फैसला सही नहीं है तो वह उसका विश्लेषण करके उसका निपटारा करता है।
- अगर कर्मचारी/जनता चरण–1, 2 और 3 के नतीजों से संतुष्ट नहीं है तो वह कंपनी के प्रबंध निदेशक से एक अपील कर सकता है जो तीनों चरण में की गई कार्रवाइयों की नये सिरे से जांच करेगा, शिकायत का विश्लेषण करेगा और अपील प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर संबंधित कर्मचारी/जनता को अपने फैसले के बारे में सूचित करेगा।

1 अप्रैल, 2009 से 31 दिसंबर, 2009 तक की अवधि की शिकायतों का निम्न विवरण है:

बकाया	01.04.09 को लंबित	(01.04.09 से 31.12.09) को प्राप्त	31.12.2009 को निपटाए गए	31.12.09 को लंबित
जन शिकायतें	10	20	20	10
कर्मचारी शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंसट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

वर्ष 2007–08 और 2008–09 में जन/कर्मचारी शिकायतों के अनुसार निपटारा किया गया। आरटीआई कानून के प्रावधान लागू हैं।

मेकॉन लिमिटेड

जन शिकायतें

कुल मिलाकर आमतौर पर मेकॉन का जनता से कार्य व्यापार नहीं होता है। लेकिन अगर किसी प्रकार के उत्पीड़न से जुड़ी कोई निश्चित शिकायत मिलती है तो उसे एक शिकायत के रूप में लिया जाता है। उपभोक्ता की शिकायतों को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है और उनका निस्तारण किया जाता है। सामान्य तौर पर ठेकेदारों/उपभोक्ताओं या जनता की कोई शिकायत लंबित नहीं रहती हैं। मुख्य द्वार पर स्वागत कक्ष के निकट एक नोटिस लगाया जाता है जिसमें शिकायत दर्ज कराने के लिये जनता किस अधिकारी से संपर्क कर सकती है, उसका ब्यौरा होता है। सामान्य तौर पर जनता के प्रतिनिधि जन शिकायतों से जुड़े मामलों के बारे में विभाग के संबद्ध अधिकारियों और मनोनीत अधिकारियों से भी मिल सकते हैं। मेकॉन ने जन शिकायतों को सुनने के लिये सूचना के अधिकार कानून, 2005 के अंतर्गत अधिकारियों को मनोनीत किया है और इस बारे में जन साधारण को सूचित करने के लिये प्रेस और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाता है।

कर्मचारियों की शिकायतें

मेकॉन में कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारे के लिये तीन स्तरीय प्रक्रिया अपनाई जाती है। कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने और उनके निपटारे की सिफारिश एक्जीक्यूटिव और गैर–एक्जीक्यूटिव कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक शिकायत सलाहकार

समिति काम करती है। इसके अलावा कंपनी की एक वरिष्ठ महिला इंजीनियर की अध्यक्षता में भी एक समिति गठित की गई है जो कंपनी की महिला कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा करती है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिये भी अलग से एक प्रकोष्ठ है। फिलहाल कहीं से भी किसी कर्मचारी की कोई शिकायत नहीं है। विभिन्न मंजिलों/कार्यालयों में सुझाव/शिकायत पेटियां लगाई गई हैं जिनका इस्तेमाल कोई भी कर्मचारी प्रबंधन के समक्ष अपनी शिकायत/सुझाव देने के लिये कर सकता है। सामान्य तौर पर गैर–एक्जीक्यूटिव कर्मचारियों के मामलों में कर्मचारी अपने मुद्दों/शिकायतों को उनके द्वारा निर्वाचित मेकॉन कर्मचारी यूनियन (एमईयू) के माध्यम से और एक्जीक्यूटिव कर्मचारियों के मामले में मेकॉन एक्जीक्यूटिव एसोसिएशन (एमईए) के माध्यम से रखने को प्राथमिकता देता है जिन्हें कंपनी ने मान्यता दे रखी है।

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

वर्ष के दौरान कंपनी मामलों से जुड़ी जन शिकायतों के निवारण के लिये कंपनी के दो वरिष्ठ अधिकारियों से युक्त गठित समिति, नियमित रूप से जन शिकायतों का निवारण कर रही है। श्री ए. विक्टर, उप प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) को नई दिल्ली में 18.09.09 को शिकायत निवारण प्रणाली पर आयोजित एक सेमिनार के लिए नामित किया गया है।

केआईओसीएल लिमिटेड

- केआईओसीएल ने मार्च 1977 में अनुशासन संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत शिकायतों के निपटारे के लिये एक सुपरिभाषित प्रक्रिया तैयार कर ली थी जिसके दायरे में एकजीक्यूटिव और गैर–एक्जीक्यूटिव सभी कर्मचारियों को रखा गया। इसके लागू होने के बाद से यह योजना कहीं से भी कोई शिकायत मिले बिना संतोषजनक तरीके से काम कर रही है, चाहे मान्यता प्राप्त यूनियन हो या अधिकारियों की एसोसिएशन। संगठन में कर्मचारियों की सीमित संख्या होने की वजह से शिकायतों के बारे में आसानी से पता लग जाता है और निचले स्तर पर ही उन्हें हल कर दिया जाता है।
- जब कभी कंपनी को लिखित तौर पर जो भी जन शिकायत मिलती है, उसकी तुरंत सूचना दे दी जाती है। इन शिकायतों की विस्तार से जांच–पड़ताल की जाती है और जल्दी से कार्रवाई करने के लिये समीक्षा की जाती है। दो निदेशक, एक महाप्रबंधक और एक उप–महाप्रबंधक को जन/कर्मचारी की शिकायतों को निपटाने के लिये निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

1.4.2009 के लंबित शिकायतें	समयावधि के दौरान प्राप्त शिकायत	निपटायी गई शिकायतों की संख्या	31.12.2009 को बकाया शिकायत
2	1	शून्य	3

बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

जहां तक बीजीसी से जुड़ी शिकायतों की बात है तो 01 जनवरी 2010 तक कोई भी शिकायत लंबित नहीं थी।

अध्याय–XIV

निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का कार्यान्वयन

इस्पात मंत्रालय

इस्पात मंत्रालय और उसके तहत आने वाले सभी पीएसयू निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम,1995 के कार्यान्वयन से जुड़े सभी सरकारी नियमों का पालन करते हैं। इस्पात मंत्रालय में वर्ष 2009–10 (31 दिसंबर 2009 तक) में निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की ये स्थिति रहीः

ग्रुप	कर्मचारियों की संख्या							सीधी भर्ती							पदोन्नति			
	आरक्षित रिक्तियों की संख्या							नौकरियों की आरक्षित संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			नियुक्तियों की संख्या			
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
ग्रुप ए	36	0	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग्रुप बी	96	0	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग्रुप सी	53	0	1	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग्रुप डी	61	1	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**246**	**1**	**1**	**0**														

नोटः

(i) वीएच यानी विजुअली हैंडिकैप्ड (जो दृष्टिहीन हों या जिन्हें दृष्टि दोष हो)

(ii) एचएच यानी हियरिंग हैंडिकैप्ड (जो बधिर हों)

(iii) ओएच यानी ओर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड (जिन्हें लोकोमोटर डिसऐबिलिटी हो या सेरेब्रल पाल्सी हो)

संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निशक्त लोगों को ट्राइसिकल्स सौंपी जा रही हैं।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

विकलांगता वाले लोगों का प्रतिनिधित्व

(31.12.2009 तक)

ग्रुप	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती							पदोन्नति						
	आरक्षित रिक्तियों की संख्या							नौकरियों की आरक्षित संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			नौकरियों की संख्या			
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
ए	16077	0	4	62	1	1	12	323	0	0	5	0	0	0	686	0	0	3
बी	43836	18	7	150	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5805	0	0	14
सी	58245	28	39	363	17	14	15	42	2	0	0	1	1	1	7561	1	0	17
सी(एसके)	947	9	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	77	0	0	0
कुल	**119105**	**55**	**51**	**576**	**18**	**15**	**27**	**365**	**2**	**0**	**5**	**7**	**6**	**6**	**14129**	**1**	**0**	**34**

नोटः

(i) वीएच यानी विजुअली हैंडिकैप्ड (जो दृष्टिहीन हों या जिन्हें दृष्टि दोष हो)

(ii) एचएच यानी हियरिंग हैंडिकैप्ड (जो बधिर हों)

(iii) ओएच यानी ओर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड (जिन्हें लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो या सेरेब्रल पाल्सी हो)

शारीरिक तौर पर विकलांग लोगों के लिए सेल द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाएं/नीतियां

- सेल ने विशाखापटनम के शंकर फाउंडेशन को 20 लाख रुपये शंकर फाउंडेशन नेत्र चिकित्सालय में वाटर ट्रिटमेंट प्लांट लगाने के लिए दिया।
- सेल ने दिल्ली के दीपालय को 15.90 लाख रुपये एक ऐसी आधुनिक बस के लिए दिया जिसके जरिए शिक्षा को विकलांगों के दरवाजे तक पहुंचाया जा सका।
- सेल ने 1,000 पोलियो रोगियों की सर्जरी के लिए उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान (ट्रस्ट) को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई।
- सेल ने 2008 में विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर नेशनल सेंटर फॉर प्रोमोशन ऑफ एंप्लायमेंट फॉर डिसएबल्ड पीपुल को 7 लाख रुपये दिए।
- सेल ने कोलकाता के एसईवीएसी को रोगियों की दवाई/पैथोलॉजीकल टेस्ट/अन्य जांचों के लिए 4.24 लाख रुपये दिए।
- सेल ने दिल्ली के कैनकिड्स–किडस्कैन को होम अवे फ्रॉम होम (एचएएच) चलाने और उसके मेंटेनेंस समेत बच्चों को अस्पताल से एचएएच तक लाने के परिवहन खर्चे के लिए 6.10 लाख रुपये देने का वायदा किया है।
- सेल ने चाइल्ड राइट एंड यू को ''छोटे तारे'' परियोजना के लिए 6 लाख रुपये दिए हैं। इस परियोजना के तहत यह संस्था जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर और बडगाम के दो गांवों और नौ मोहल्लों के विकलांग बच्चों के लिए काम कर रही है।
- सेल ने विकलांगों के लिए 10 बिंगो के खर्च के रूप में राजीव गांधी फाउंडेशन को 7 लाख रुपये दिए हैं।
- सेल ने 2008–09 में दिल्ली के स्वामीनारायण अक्षरधाम को 5,000 विकलांग बच्चों के शैक्षणिक यात्रा फीस के तौर पर 50 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से 2.50 लाख रुपये दिए हैं।
- सेल ने दिल्ली के लाइफ लाइन केयर आर्गनाइजेशन को दृष्टि दोष वाले लोगों के व्यावसायिक प्रशिक्षण/कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए 5 लाख रुपये दिए हैं।
- सेल ने दिल्ली के गुंजन फाउंडेशन को विकलांगों के लिए 15 से 18 अक्टूबर 2008 तक निःशुल्क शिविर आयोजित करने के लिए 2.50 लाख रुपये दिए।
- सेल ने दो अनाथ बच्चों की मदद के लिए कोयंबटूर के यूनाइटेड फिजिकली हैंडिकैप्ड स्कूल को 0.17 लाख रुपये दिए।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

2009–10 के दौरान (31.12.2009 तक) निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं सहभागिता) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की स्थिति है:

(31.12.2009 की स्थिति)

ग्रुप	अधिनियम लागू होने (अर्थात् 7.2.1996) के बाद नियुक्त कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती (वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान)							पदोन्नति (वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान)						
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			नियुक्तियों की संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			नियुक्तियों की संख्या			
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
ग्रुप ए	128*	1	1	3	1#	2#	1#	9*	–	–	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग्रुप बी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग्रुप सी	1080	8	9	11	6#	5#	3#	299	1$	1$	3$	शून्य						
ग्रुप डी	294	3	4	3	2#	2#	2#	100	1$	1$	1$							
कुल	**1502**	**12**	**14**	**17**	**9#**	**9#**	**6#**	**408**	**2$**	**2$**	**1+4$**							

**विकलांगों के लिए चिन्हित पद # प्रक्रिया के तहत भर्ती $ पदों की अधिसूचना 1–04–2009 के पहले जारी हुई थी लेकिन ज्वाइनिंग 2009–10 के दौरान हुई*

टिप्पणी:

(i) वीएच यानी विजुअली हैंडिकैप्ड (जो दृष्टिहीन हों या जिन्हें दृष्टि दोष हो)

(ii) एचएच यानी हियरिंग हैंडिकैप्ड (जो बधिर हों)

(iii) ओएच यानी ओर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड (जिन्हें लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो या सेरेब्रल पाल्सी हो)

वीएसपी कर्मचारियों के शारीरिक रूप से निःशक्त बच्चों को प्रोत्साहित करने एवं मदद पहुंचाने के ध्येय से निम्न छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं:

श्रेणी	चयन की प्रक्रिया	छात्रवृत्ति की राशि	छात्रवृत्तियों की संख्या
निम्न निःशक्तताओं से युक्त कर्मचारियों के बच्चे, जो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल/कॉलेज/सामान्य या व्यवसायिक संस्थान में अध्ययन कर रहे हों: ❖ अंधापन ❖ बहरापन ❖ लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी ❖ मंद बुद्धि ❖ मानसिक रोग ❖ सेरेब्रल पाल्सी	चिकित्सा, खेल, वित्त एवं लेखा तथा कार्मिक से एक–एक कुल चार सदस्यों की समिति द्वारा, बच्चे की निःशक्तता की प्रकृति एवं सीमा और किस हद तक प्रशिक्षण/शिक्षण के जरिए बच्चे का पुनर्वास हो सकेगा, इस बात की जांच की जाती है।	समिति द्वारा यथा सिफारिश की गई अवधि के लिए 750/– रुपये प्रति माह	6 (छह) प्रति वर्ष

इसके अलावा, आरआईएनएल/विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के निगमित कार्यालय के प्रमुख प्रशासनिक भवन में स्थित विभिन्न कार्यालयों में आने वाले निःशक्त लोगों की सुविधा के लिए निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं:

- रैम्प वे
- बिल्डिंग की दोनों लिफ्टों में ऑडिटरी सिग्नल
- प्रमुख प्रशासनिक भवन के प्रवेश द्वार पर स्थित स्वागत कक्ष में व्हील चेयर का प्रावधान

एनएमडीसी लिमिटेड

वर्तमान रूप से एनएमडीसी में विभिन्न पदों पर निःशक्तता से युक्त 42 कर्मचारी हैं।

(31.12.2009 की स्थिति)

ग्रुप	कर्मचारियों की संख्या (01.01.2010 तक)				सीधी भर्ती (वर्ष 2009 के दौरान)							पदोन्नति** (वर्ष 2009 के दौरान)						
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			नौकरियों की संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			नौकरियों की की संख्या			
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
ए	1054	0	0	4	0	0	1	33*	0	0	1	.	.	.	.	.	.	.
बी	1060	0	0	3	0	0	0	0*	0	0	0	.	.	.	.	.	.	.
सी	2304	2	3	26	0	1	2	42	1	3	8	0	0	0	0	0	0	0
डी	1530	0	0	4	3	2	4	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	**5948**	**2**	**3**	**37**	**3**	**3**	**7**	**454**	**1**	**3**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

नोटः

(1) वीएच यानी विजुअली हैंडिकैप्ड (जो दृष्टिहीन हो या जिसे दृष्टि दोश हो)

(2) एचएच यानी हियरिंग हैंडिकैप्ड (जो बधिर हों)

(3) ओएच यानी ओर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड (जिन्हें लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो या सेरेब्रल पाल्सी हो)

(4) (*) समूह ए और बी के जिन पदों की पहचान भर्ती के लिए की गई और जहां आरक्षण लागू होता है।

(5) (**) निश्चित समय सीमा में पदोन्नति हेतु चिन्हित पद।

(6) समूह डी के वैसे पद जहां चिन्हित नहीं किये गये पदों पर भर्ती हुई। चिन्हित पद बहुत कम हैं जिन पर भर्ती नहीं हुई।

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

विकलांगता वाले लोगों का प्रतिनिधित्व

ग्रुप	31.12.2009 को कर्मचारियों की कुल संख्या	चिन्हित पदों की संख्या जिन पर निःशक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सकती है	निःशक्त व्यक्तियों की संख्या (बीएल एचआईएलडी)	चिन्हित पदों की संख्या का प्रतिशत	यदि प्रतिशतता 3 प्रतिशत से कम हो तो उसके कारण
ए	226	80	.	.	
बी	175	101	3	2.97	*
सी	1577	179	10	5.58	
डी	4769	139	3	2.15	*
कुल	**6747**	**499**	**16**	**3.20**	

(*) मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड एक खनन कंपनी है और इसकी प्रमुख गतिविधियां दुर्गम इलाकों में जमीन के अंदर खनन कार्य करना हैं। खनन अधिनियम और मेटलीफेरस माइन्स रेगुलेसंस के प्रावधानों के मुताबिक सुरक्षा कारणों से विकलांगों को उन खानों में नियुक्त करना संभव नहीं है जहां काम की प्रकृति जोखिम भरी है। इस वर्ग में विगत 11 वर्षों से कोई सीधी भर्ती नहीं हुई है। जब भी ऐसी नियुक्ति की जाएगी इस कानूनी प्रावधान का ध्यान रखा जाएगा।

(31.12.2009 की स्थिति)

ग्रुप	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती							पदोन्नति						
	आरक्षित रिक्तियों की संख्या							की गई नियुक्तियों की संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या			
	कुल*	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल*	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल*	वीएच	एचएच	ओएच
ग्रुप ए	0	–	–	–	–	–	–	0	–	–	–	–	–	–	0	–	–	–
ग्रुप बी	3	–	–	3	–	–	–	0	–	–	–	–	–	–	0	–	–	–
ग्रुप सी	10	3	–	7	–	–	–	0	–	–	–	–	–	–	0	–	–	–
ग्रुप डी	3	1	2	0	–	–	–	0	–	–	–	–	–	–	0	–	–	–
कुल	**16**	**4**	**2**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*कुल वीएच+एचएच+ओएच

नोटः

(i)वीएच यानी विजुअली हैंडिकैप्ड (जो दृष्टिहीन हों या जिन्हें दृष्टि दोष हो)

(ii)एचएच यानी हियरिंग हैंडिकैप्ड (जो बधिर हों)

(iii)ओएच यानी ओर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड (जिन्हें लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो या सेरेब्रल पाल्सी हो)

एमएसटीसी लिमिटेड

विकलांगता वाले लोगों का प्रतिनिधित्व

(31.12.2009 की स्थिति)

ग्रुप	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती							पदोन्नति						
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या			
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
ए	149	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
बी	67	–	1	1	ग्रुप बी में कोई भर्ती नहीं की गई							–	–	–	–	–	–	–
सी	80	–	–	3	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
डी	17	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**313**	–	**1**	**7**	–	–	–	**6**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

नोटः
(i)वीएच यानी विजुअली हैंडिकैप्ड (जो दृष्टिहीन हों या जिन्हें दृष्टि दोष हो)
(ii)एचएच यानी हियरिंग हैंडिकैप्ड (जो बधिर हों)
(iii)ओएच यानी ओर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड (जिन्हें लोकोमोटर डिसऐबिलिटी हो या सेरेब्रल पाल्सी हो)

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

जहां–जहां एफएसएनएल की इकाइयां चल रही हैं वहां के नजदीकी गांवों के उच्च माध्यमिक विद्यालयों की पहचान विकलांगों की मदद के लिए की गई। उन स्कूलों में विकलांग छात्रों की पढ़ाई में मदद के लिए उनके बीच पाठ्य पुस्तकों, नोटबुक और अन्य उपयोगी सामग्री का वितरण किया गया।

विकलांगता वाले लोगों का प्रतिनिधित्व

(31.12.2009 तक)

ग्रुप	31.12.09 को कर्मचारियो की संख्या				सीधी भर्ती							पदोन्नति						
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या			
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
ग्रुप ए	161	–	–	–	2	1	1	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग्रुप बी	534	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग्रुप सी	441	–	–	1	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग्रुप डी	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**1139**	–	–	**1**	**2**	**1**	**1**	**20**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(i)वीएच यानी विजुअली हैंडिकैप्ड (जो दृष्टिहीन हों या जिन्हें दृष्टि दोष हो) (ii)एचएच यानी हियरिंग हैंडिकैप्ड (जो बधिर हों) (iii)ओएच यानी ओर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड (जिन्हें लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो या सेरेब्रल पाल्सी हो)

हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

इस कंपनी में पिछले 15 वर्षों से कोई भर्ती नहीं हुई। इस कंपनी में कार्यरत विकलांग लोगों के बारे में विस्तृत जानकारी यहां दी जा रही हैः

ग्रुप	कर्मचारियों की संख्या	विकलांगों की संख्या			नियुक्ति के दौरान (31.12.2009)	
		वीएच	एचएच	ओएच	सीधी भर्ती	पदोन्नति
ए	159	0	0	3	–	–
बी	176	0	0	3	–	–
सी	718	2	0	1	–	–
डी	36	0	0	0	–	–
कुल	**1089**	**2**	**0**	**7**	–	–

मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन में निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक योजना है। कंपनी रांची स्थित शेशायर होम (निःशक्त व्यक्तियों का आश्रय)को सहायता प्रदान कर रही है। कुछ गतिविधियों में शेशायर होम में बालिका हॉस्टल बिल्डिंग, किचन ब्लॉक, स्टोर्स रूम एवं गाय का छप्पर शामिल हैं। मेकॉन ने निःशक्त व्यक्तियों के इस्तेमाल के लिए व्हील चेयर्स, ट्राइसाइकल्स, क्रचेस, आर्टिफिशियल लिंब्स, केलिपर्स इत्यादि दान की हैं। मेकॉन द्वारा शेशायर होम में चौक एवं कैंडल बनाने का प्रशिक्षण दिया गया।

कंपनी ने ''निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम 1995'' के प्रावधानों को कार्यान्वित किया है। मेकॉन के कुल कर्मचारियों की संख्या 31.12.2009 को 1945 थी, जिनमें से निःशक्त/शारीरिक अक्षम वर्ग के लोगों की ''ए'', ''बी'', ''सी'' एवं ''डी'' वर्ग में विभिन्न पदों पर संख्या 10 (ए–4, बी–शून्य, सी–3 और डी–3) थी।

निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

(31.12.2009 तक)

ग्रुप	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती							पदोन्नति						
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या			
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
ग्रुप ए	1738	–	1	3	2	2	2	175	–	–	–	3	3	3	290	–	1	–
ग्रुप बी	61		–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–	–	–
ग्रुप सी	116		1	2	1	–	–	2	–	–	–	1	–	–	9	–	–	1
ग्रुप डी	30		–	3	1	–	–	13	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**1945**	**0**	**2**	**8**	**4**	**2**	**2**	**190**	**0**	**0**	**2**	**5**	**3**	**3**	**301**	**0**	**1**	**1**

(i)वीएच यानी विजुअली हैंडिकैप्ड (जो दृष्टिहीन हों या जिन्हें दृष्टि दोष हो) (ii)एचएच यानी हियरिंग हैंडिकैप्ड (जो बधिर हों) (iii)ओएच यानी ओर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड (जिन्हें लोकोमोटर डिसऐबिलिटी हो या सेरेब्रल पाल्सी हो)

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति मेकॉन द्वारा सहायता प्राप्त निःशक्त लोगों के आश्रय स्थल शेशायर होम के निवासियों के साथ।

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

कानूनी तौर पर कंपनी के 3 प्रतिशत कर्मचारी विकलांग कोटे से होने चाहिए। इसके मुकाबले अभी कंपनी के 1.33 प्रतिशत कर्मचारी ही विकलांगता वाले हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि इस श्रेणी के कुछ कर्मचारियों ने वीआरएस ले लिया और कई कारणों से कंपनी में 1995 के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है। और वर्तमान रूप से शीघ्र ही इस कंपनी का एनएमडीसी के साथ विलय होने वाला है।

विकलांगता वाले लोगों का प्रतिनिधित्व

(31.12.2009 की स्थिति)

ग्रुप	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती									पदोन्नति				
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या			आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
ग्रुप ए	54	शून्य	शून्य	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग्रुप बी	49	शून्य	शून्य	शून्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग्रुप सी	125	शून्य	शून्य	3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग्रुप डी	72	शून्य	शून्य	शून्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**300**	**शून्य**	**शून्य**	**4**	–	–	–	**4**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(i) वीएच यानी विजुअली हैंडिकैप्ड (जो दृष्टिहीन हों या जिन्हें दृष्टि दोष हो) (ii) एचएच यानी हियरिंग हैंडिकैप्ड (जो बधिर हों) (iii) ओएच यानी ओर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड (जिन्हें लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो या सेरेब्रल पाल्सी हो)

केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल इस बात के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है कि सभी स्थानों पर और खास तौर पर उन स्थानों पर जहां विकलांगता वाले लोग(पीडब्ल्यूडी) कार्यरत हैं, वहां सुरक्षा का उचित बंदोबस्त हो और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं वहां उपलब्ध रहें ताकि किसी की विकलांगता उसे दिए गए काम को पूरा करने में बाधा नहीं बने। काम करने के माहौल को ऐसा रखा जाता है कि विकलांग कर्मचारियों की उत्पादकता/प्रदर्शन किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। कंपनी में विभिन्न श्रेणी में कार्यरत विकलांग कर्मचारियों की स्थिति 31 दिसम्बर 2009 तक नीचे दी जा रही है:

ग्रुप	कर्मचारियों की संख्या	विकलांगों की संख्या			सीधी भर्ती	पदोन्नति
		वीएच	एचएच	ओएच	एचएच	ओएच
ए (एग्जीक्यूटिव)	437	1	–	5	शून्य	शून्य
बी (सुपरवाइजर्स)	33	.	.	.	शून्य	शून्य
सी (नॉन–एग्जीक्यूटिव)	827	1	1	7	शून्य	शून्य
डी (नॉन–एग्जीक्यूटिव)	77	.	2	1	शून्य	शून्य
कुल	**1374**	**2**	**3**	**13**	**शून्य**	**शून्य**

(i) वीएच यानी विजुअली हैंडिकैप्ड (जो दृष्टिहीन हों या जिन्हें दृष्टि दोष हो) (ii) एचएच यानी हियरिंग हैंडिकैप्ड (जो बधिर हों) (iii) ओएच यानी ओर्थोपेडिकली हैंडिकैप्ड (जिन्हें लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो या सेरेब्रल पाल्सी हो)

अध्याय–XV

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

केंद्र सरकार की राजभाषा को लागू करने की नीति के तहत गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा तैयार और जारी वार्षिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, इस्पात मंत्रालय ने वर्ष 2009–10 में आधिकारिक कार्यों में हिंदी का व्यापक प्रयोग किया है।

मंत्रालय में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग संबंधी कार्य एक संयुक्त सचिव के प्रशासकीय नियंत्रण में है। संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हिंदी अनुभाग राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य देखता है और हिंदी अनुवाद कार्य के लिए एक सहायक निदेशक (राजभाषा), एक वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, एक सहायक, तीन कनिष्ठ हिंदी अनुवादक और एक चपरासी (शेयरिंग आधार पर) है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव के अधीन राजभाषा कार्यान्वयन समिति है। समिति मंत्रालय और इसके अधीन सार्वजनिक उपक्रमों में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करती है। समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित होती हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान दिसंबर 2009 तक ऐसी तीन बैठकें मार्च आयोजित की गईं।

हिंदी सलाहकार समिति

इस मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति पुनर्गठन के अधीन है।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) का कार्यान्वयन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 3 (3) के अतंर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किया जाता है। क्षेत्र 'क', 'ख' और 'ग' में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी में पत्र भेजने को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में निगरानी बिंदुओं की पहचान की गई है।

हिंदी में मौलिक कार्य के लिए प्रोत्साहन योजना

राजभाषा विभाग द्वारा पेश हिंदी में मौलिक कार्य के लिए नकद प्रोत्साहन योजना को मंत्रालय में लागू किया गया है।

राजभाषा शील्ड/ट्रॉफी

मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इस्पात राजभाषा शील्ड (प्रथम पुरस्कार), इस्पात राजभाषा ट्राफी (द्वितीय पुरस्कार), और इस्पात राजभाषा ट्राफी (तृतीय पुरस्कार), के साथ ही क्षेत्र 'ग' में स्थित सार्वजनिक उपक्रमों के लिए एक राजभाषा शील्ड पुरस्कार की स्थापना की गई है। हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग में प्रदर्शन के आधार पर प्रतिवर्ष सार्वजनिक

माननीय इस्पात मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह और इस्पात सचिव श्री अतुल चतुर्वेदी इस्पात मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली में राजभाषा कार्यान्वयन हेतु पुरस्कार वितरण समारोह में।

उपक्रमों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके अलावा मंत्रालय में जिस अधिकारी/कर्मचारी का काम सबसे बेहतर होता है उसे एक पदक भी प्रदान किया जाता है।

हिंदी में श्रुत लेखन के लिए नकद पुरस्कार

अधिकारियों को हिंदी में टिप्पणी लिखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रोत्साहन योजना मंत्रालय में संचालित है।

हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए पुरस्कार

इस्पात उद्योग और इससे जुड़े विषयों पर हिंदी में तकनीकी पुस्तकों के लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नकद पुरस्कार योजना मंत्रालय में संचालित है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के लिए क्रमशः 25,000/– रुपये, 20,000/– रुपये और 16,000/– रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है।

हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा

मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिकारिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु माननीय इस्पात मंत्री और माननीय इस्पात राज्यमंत्री ने 14 सितम्बर, 2009 को अपील जारी की। मंत्रालय में 1 से 14 सितम्बर 2009 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान कई हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 05.01.2010 को किया गया। हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को माननीय इस्पात मंत्री द्वारा नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

हिंदी/हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण

सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों (समूह ''डी'' के कर्मचारियों को छोड़कर) के पास हिंदी का कार्यकारी ज्ञान है। जहां तक हिन्दी टंकण/आशुलिपि का सवाल है, 8 एलडीसी एवं 16 आशुलिपिकों में से 6 एलडीसी (2 एलडीसी को टंकण से छूट प्राप्त है) और सभी आशुलिपिक क्रमशः हिंदी टाइपिंग एवं आशुलिपि जानते हैं।

संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)

हिंदी जेपीसी मासिक बुलेटिन

जेपीसी हिंदी में पहला जेपीसी बुलेटिन प्रकाशित करने में सफल हुई है और इस तरह यह समिति ऐसी शीर्ष संस्थाओं की जमात में शामिल हो गई है जो अपने विभिन्न गतिविधियों में 'राष्ट्रभाषा' के बारे में सरकार के दिशा–निर्देशों का पालन करते हैं। जेपीसी का हिंदी बुलेटिन वर्तमान रूप से ''रुख प्रतिवेदन'', ''भावी योजनाएं'', ''राष्ट्रीय समाचार'' और ''अंतरराष्ट्रीय समाचार'' जैसे सेक्शनों के साथ लगभग 16 पृष्ठों में निकाला जा रहा है। हिंदी जेपीसी मासिक बुलेटिन अब संगठन के नियमित मासिक प्रकाशनों में से एक है।

सेल के निदेशक (वित्त) शैलेश भट्टाचार्य के नेतृत्व में वित्त निदेशालय के कार्मिकों को तत्कालीन निदेशक, श्री जी. ओझा नई दिल्ली में अध्यक्षीय राजभाषा ट्रॉफी प्रदान करते हुए।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने पर सेल ने लगातार जोर दिया। कंपनी ने अपनी हिंदी गृह पत्रिका ''इस्पात भाषा भारती'' के लिए द्वितीय पुरस्कार एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली से सरकारी काम काज में हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए एक अन्य पुरस्कार सहित, निगमित/ संयंत्र / इकाई स्तरों पर कई पुरस्कार हासिल किए। इसके अलावा, सेल ने राष्ट्रीय हिंदी अकादमी रूपाम्बरा हिंदी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए ''सहस्राब्दि राष्ट्रीय राजभाषा शील्ड'' और 'अकादमी राजभाषा पत्रिका शील्ड सम्मान' प्राप्त किया। सेल के सीएमओ मुख्यालय ने राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय से 2008–09 का 'ग' क्षेत्र में हिंदी का उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया।

इसके अलावा, हिंदी कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र में, सी एंड आईटी विभाग (सॉफ्टवेयर ग्रुप) की मदद से एकीकृत प्रणाली के जरिए 47 कार्य संपन्न किए गए। इस तरह से, सेल पहला पीएसयू हो गया है जिसने एकीकृत प्रणाली के जरिए हिंदी कंप्यूटरीकरण के लिए ओरेकल प्लेटफार्म का प्रयोग किया है जिसकी विभिन्न मंचों पर सराहना हुई है।

श्री सुरेश तिवारी, सहायक महाप्रबंधक ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति से 14 सितंबर 2009 को विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में ''इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार'' 2007–08 (सांत्वना पुरस्कार) प्राप्त किया।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल ने राजभाषा कार्यान्वयन के लिए भारत के महामहिम राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल से 14 सितंबर 2009 को प्रतिष्ठित ''इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड'' प्राप्त की है।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के तहत विभिन्न दायित्वों को पूरा करने के अलावा, आरआईएनएल ने कंपनी और अपनी टाउनशिप एवं आस–पास के क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाईं। गृहणियों के लिए अलग से हिंदी कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। अप्रैल 2009 में एक 'रंगारंग विराट हास्य कवि सम्मेलन' का आयोजन किया गया। उप महाप्रबंधक और उच्च अधिकारियों हेतु चार विशेष हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं । जुलाई 2009 में ''औद्योगिक कर्मचारियों में अच्छी आदतों के विकास के महत्व'' जैसे विषय पर एक राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया गया । इस अवसर पर प्रतिनिधियों के लेखों से युक्त एक विशेष प्रकाशन 'संस्कार' जारी किया गया।

सितंबर 2009 में हिंदी सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों, कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। अक्तूबर 2009 में विपणन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में भी हिंदी दिवस समारोहों का आयोजन किया गया।

कर्मचारियों को कंप्यूटर पर हिंदी में काम करना सिखाया गया। दिसंबर 2009 तक 120 कर्मचारियों को हिंदी प्रबोध/प्रवीण कक्षाओं में प्रशिक्षित किया गया।

एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2009–10 के दौरान अपनी समस्त उत्पादन इकाइयों एवं मुख्यालय में राजभाषा के कार्यान्वयन एवं प्रगतिशील प्रयोग के लिए सफल प्रयास किए गए।

कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण दिया गया। हिंदी का कार्यकारी ज्ञान रखने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए भी हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान 'हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा, राजभाषा माह' जैसे विभिन्न कार्यक्रम हिंदी में जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं इत्यादि आयोजित की गईं और कर्मचारियों एवं परिजनों तथा मुख्यालय में एवं आस–पास स्थित अन्य कार्यालयों और विभिन्न उत्पादन इकाइयों के कर्मचारियों में भी जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। केंदीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रोत्साहन योजनाएं कार्यान्वित की गईं और पात्र कर्मचारियों को समुचित पुरस्कार दिए गए।

उत्पादन इकाइयों में वर्ष के दौरान हिंदी में राजभाषा सेमिनारों का आयोजन किया गया। राजभाषा स्मारिका एवं तकनीकी सेमिनार पुस्तिकाओं का भी प्रकाशन किया गया। इन प्रकाशनों के अलावा – हिंदी गृह पत्रिका यथा द्विभाषी रूप से प्रकाशित एनएमडीसी पत्रिका के साथ–साथ मासिक हिंदी बुलेटिनों – बैला समाचार, बछेली समाचार और हीरा समाचार और त्रिभाषी मासिक पत्रिका दोणि समाचार भी प्रकाशित किए गए।

वर्ष के दौरान एनएमडीसी लिमिटेड ने इस्पात मंत्रालय के सौजन्य से हिंदी अधिकारियों की बैठक भी आयोजित की जिसमें इस्पात मंत्रालय के हिंदी अधिकारियों सहित मंत्रालय के अधीन सभी पीएसयूज के हिंदी अधिकारी शामिल हुए।

एनएमडीसी लिमिटेड को वर्ष 2007–08 के लिए राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन एवं 'ग' क्षेत्र के पीएसयूज में हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग करने के लिए भारत सरकार का इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार (द्वितीय) प्राप्त हुआ। श्री राणा सोम, सीएमडी,

एनएमडीसी लिमिटेड ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल से विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 14 सितंबर 2009 को आयोजित एक समारोह में प्राप्त किया।

एनएमडीसी ने राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए 10 फरवरी 2009 को ''इस्पात मंत्रालय की राजभाषा शील्ड'' प्राप्त की।

एनएमडीसी लिमिटेड को हैदराबाद–सिकंदराबाद दो शहरों में स्थित पीएसयूज में राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा वर्ष 2008–09 की राजभाषा शील्ड–प्रथम पुरस्कार भी दिया गया।

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

इस वर्ष के दौरान कंपनी ने राजभाषा कानून 1963 के प्रावधानों और तत्सम्बंधी नियम व आदेशों का प्रचार करना और उसे लागू करने के प्रयास जारी रखे। कंपनी हिंदी में 'संकल्प' नामक गृह पत्रिका का प्रकाशन कर रही है ताकि कर्मचारियों में हिंदी के निबंध लेखन, टिप्पणी लेखन, आलेखन, कविता और लेख जैसी कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का प्रोत्साहन मिले। खानों में 97 प्रतिशत काम हिंदी में हो रहा है। कंपनी के सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड प्रणाली कार्यान्वित की गई है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए हिंदी भाषा सॉफ्टवेयर मुहैया कराया है। मॉयल ने हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस्पात मंत्रालय से ''इस्पात राजभाषा ट्रॉफी'' – तृतीय स्थान प्राप्त किया है।

कर्मचारियों को गृह मंत्रालय की ''हिंदी शिक्षण योजना'' के तहत पुनः प्रशिक्षित किया जा रहा है जिसमें प्राज्ञ (उच्चतर स्तर) हेतु 85 कर्मचारियों को पहले ही प्रशिक्षित कर लिया गया है और कंपनी के 40 अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया है। आने वाले वर्षों में, मॉयल ने कंपनी की सभी खानों में अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। कंपनी ने हिंदी का ज्ञान बढ़ाने एवं दक्षता सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर ''हिंदी कार्यशालाओं'' के आयोजन की भी योजना बनाई है ताकि कर्मचारियों में हिंदी में कार्य करने की दक्षता बढ़ाई जा सके।

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल द्वारा 14 सितंबर 2009 को प्रतिष्ठित ''इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड'' (प्रथम पुरस्कार) से सम्मानित किया गया है।

कर्मचारियों को दैनिक कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करने के उद्देश्य से कंपनी में ''हिंदी दिवस'' और ''हिंदी पखवाड़ा'' के तहत हिंदी निबंध लेखन, हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता/हिंदी वाद–विवाद प्रतियोगिता जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

भारत की महामहिम राष्ट्रपति, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में एफएसएनएल के प्रयासों के लिए 14 सितंबर 2009 को श्री एंथनी चाको, प्रबंध निदेशक, एफएसएनएल को प्रतिष्ठित ''इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड'' (प्रथम पुरस्कार) प्रदान करते हुए।

राजभाषा नीति को लागू करने के संबंध में सरकार/मंत्रालय के दिशा–निर्देशों/निर्देशों का कंपनी में कड़ाई से पालन और उन्हें कार्यान्वित किया जाता है।

कंपनी ''हिंदी प्रोत्साहन योजना'' के तहत हिंदी में प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को एकमुश्त नकद पुरस्कार प्रदान करती है। इसके अलावा हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले व्यक्तियों को भी इस योजना के तहत पुरस्कृत किया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त दिन प्रतिदिन का कार्य हिंदी में करने के लिए कर्मचारियों में रुचि पैदा करने हेतु कंपनी हिंदी पखवाड़ा के तहत आयोजित किये जाने वाली ने हिंदी नोटिंग/ड्राफ्टिंग और हिंदी टाइपिंग प्रतिस्पर्धाओं को जीतने वाले कर्मचारियों को वार्षिक नकद पुरस्कार प्रदान करती है।

हिंदी के कार्यान्वयन में उदाहरणीय कार्य के लिए कंपनी ने मंत्रालय से इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड, इस्पात राजभाषा शील्ड, राजभाषा ट्राफी सहित कई अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किए हैं।

कर्मचारियों को भिलाई–दुर्ग की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के संबंधित सदस्यों यथा सेल/मेकॉन/बीएसएनएल सीआईएसएफ द्वारा प्रतियोगिताओं में नामांकित किया गया और नामांकित कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में कई पुरस्कार हासिल किए।

एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी लिमिटेड ने राजभाषा त्रिमास का आयोजन किया। त्रिमास के दौरान एमएसटीसी लिमिटेड के मुख्यालय, क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में हिंदी कार्यशालाओं और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस्पात मंत्रालय ने एमएसटीसी के मुंबई और विजाग कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस्पात मंत्रालय और हिंदी सलाहकार समिति राजभाषा के कार्यान्वयन के संबंध में लगातार निर्देश उपलब्ध कराते हैं।

हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

कंपनी ने भारत सरकार और राजभाषा विभाग की राजभाषा नीति और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कई उत्साहजनक प्रयास किए हैं। इकाई और निगम स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की नियमित अंतराल पर बैठक आयोजित करने के अलावा कंपनी ने हर स्तर पर अधिकारियों को टिप्पणी और अनुलेखन के लिए हिंदी के प्रयोग के लिए व्यापक अभियान चलाया है। हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा के आयोजन के साथ ही राजभाषा के प्रयोग के सबंध में सरकारी दिशा–निर्देशों का पालन किया गया।

मेकॉन लिमिटेड

कार्मिकों को हिंदी प्रशिक्षण, कार्यशालाएं एवं सेमिनार आयोजन करते हुए सरकारी काम–काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के प्रयास किए गए और मेकॉन के मुख्यालय एवं अन्य कार्यालयों में सरकारी काम–काज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए एक अनुकूल परिवेश तैयार किया गया।

कंपनी के मुख्यालय के साथ–साथ सभी साइट कार्यालयों में 14.09.200 से 19.09.2009 तक ''राजभाषा सप्ताह'' मनाया गया। इस अवसर पर सभी कर्मचारियों ने दिन – प्रतिदिन के सरकारी काम में हिन्दी के प्रयोगक को बढ़ावा देने की शपथ ली। ''राजभाषा सप्ताह'' के दौरान मुख्यालय एवं कंपनी के अन्य कार्यालयों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

मेकॉन में ''हिंदी में तकनीकी लेखनः उपलब्धियां एवं चुनौतियां'' विषय पर हिंदी में एक तकनीकी सेमिनार का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा, ''मेकॉन भारती'' – हिंदी पत्रिका भी नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही है, जो तकनीकी क्षेत्र में सृजनात्मक लेखन के लिए कर्मचारियों को एक मंच प्रदान करती है।

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

01.04.2009 से 31.12.2009 की अवधि के दौरान धारा 3(3) का पूरी तरह पालन किया गया और इस प्रावधान के तहत 166 दस्तावेजों को द्विभाषी जारी किया गया। आवश्यकता के हिसाब से सभी रबड़ की मुहरों और नाम पट्टिकाओं को द्विभाषी/त्रिभाषी में तैयार किया गया। हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की गईं जैसे हिंदी शब्द सीखें, पत्र व्यवहार, नोटिंग एवं ड्राफ्टिंग एवं हिंदी प्रतियोगिताएं जारी रहीं। हिंदी में गानों की प्रतियोगिता का अयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए हिंदी समन्वयक एवं सदस्यों को नामित किया गया। 14.09.2009 को हिंदी दिवस मनाया गया और विजेताओं को स्मृति चिह्न दिए गए। 15 दिवसीय एक हिंदी कार्यशाला का संचालन किया गया। फोटो प्रदर्शनी का आयोजन

02.12.09 से 03.12.09 तक किया गया, जिसमें 1985 से अब तक के फोटोग्राफ की प्रदर्शनी लगाई गई। बच्चों और कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

केआईओसीएल लिमिटेड

कंपनी इस्पात मंत्रालय और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से समय–समय पर राजभाषा हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग के संबंध में जारी निर्देशों का कंपनी पालन करती है।

- राष्ट्रीय हिन्दी अकादमी ने कंपनी को अपनी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए 2.10.2009 को ''सहस्राब्दि राजभाषा शील्ड'' से सम्मानित किया। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ने यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल से प्राप्त किया।
- कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण दिया गया। सरकार के निर्देशों के अनुसार नकद पुरस्कार और वेतन वृद्धियां दी जा रही हैं। कर्मचारियों को सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने और ज्ञान प्रदान करने के लिए नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं, अनुकूलन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हिंदी में सरकारी कार्य करने वाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिए जाते हैं।
- कंपनी की सभी लेखन सामग्री, नाम पट्टिकाएं और बोर्डों पर सभी नाम द्विभाषी में लिखे गए हैं। वार्षिक रिपोर्ट, एमओयू, गृह पत्रिका, कर्मचारी पेंशन योजना आदि सामग्री का प्रकाशन हिंदी में भी होता है। सभी विभागों के कंप्यूटरों में हिंदी के साफ्टवेयर उपलब्ध कराए गए हैं।
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित रूप से होती हैं और इन बैठकों में पूर्व तिमाही में हुई प्रगति की समीक्षा होती है। कंपनी के सभी कार्यस्थलों पर हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। हिंदी कार्यक्रमों और कई हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेताओं के बीच पुरस्कार का वितरण हुआ। कर्मचारियों को अपना कार्यालयी काम–काज हिंदी में करने के लिए नकद पुरस्कार भी दिए गए।
- इस वर्ष के दौरान कर्मचारियों को अपना सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए 3 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- राष्ट्रीय हिंदी अकादमी ने 02.10.2009 को कंपनी के राजभाषा कार्यान्वयन के लिए ''सहस्राब्दि राष्ट्रीय राजभाषा शील्ड'' से सम्मानित किया। यह पुरस्कार कंपनी के सीएमडी द्वारा छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल से प्राप्त किया।
- कंपनी बंगलौर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) की संयोजक है और नियमित रूप से बंगलौर में सभी पीएसयूज के लिए नियमित बैठकें एवं संयुक्त हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित करती है। पिछली बैठक 07 जनवरी 2010 को आयोजित हुई जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा की गई।
- केआईओसीएल ने हमारी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) सदस्यों के लिए संयुक्त हिंदी पखवाड़ा और 15 हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। बंगलौर में स्थित अधिकांश पीएसयू कार्यालयों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया। पुरस्कार वितरण समारोह जनवरी में आयोजित हुआ। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अधिकारियों को भी सदस्यों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया।
- कंपनी ने टॉलिक बैनर के तहत ''दीपिका'' नामक छमाही हिंदी पत्रिका के दो अंक निकाल लिए हैं, जिसमें बंगलौर स्थित पीएसयूज में राजभाषा कार्यान्वयन गतिविधियों और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अच्छे लेखों का समावेश किया गया है।

अध्याय–XVI

महिला सशक्तिकरण

परिचय

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 1997 में विसाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में अपने फैसले में महिलाओं की जेंडर समानता से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और नियमों को उनके कार्य के संबंध में वैधता प्रदान करते हुए कार्यस्थलों पर महिलाओं के उत्पीड़न को उनकी गरिमा के खिलाफ और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (1) और 21 के प्रावधानों का उल्लंघन करार दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार निजी या सार्वजनिक क्षेत्र को यौन प्रताड़ना रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। व्यवस्था के तहत संगठन के बाहर के प्रतिनिधियों की सदस्यता युक्त एक शिकायत समिति का गठन किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत, इस्पात मंत्रालय ने महिला कर्मचारियों की शिकायतों को देखने और उनसे निपटने के लिए संयुक्त सचिव स्तर की महिला अधिकारी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसमें तीन महिला सदस्य हैं। समिति को वर्ष 2009–10 में एक भी शिकायत नहीं मिली है जो मंत्रालय में महिलाओं में आम संतुष्टि का संकेत है।

मंत्रालय के अधीन सभी सार्वजनिक उपक्रमों को भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर अमल करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में संक्षिप्त जानकारी नीचे दी जा रही है।

महिला सशक्तिकरण

वित्त मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार इस्पात मंत्रालय में एक जेंडर बजट सेल की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य इस मंत्रालय की अवधारणा को लागू करने के लिए पहल करना है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

समान अवसर नियोक्ता

31.12.2009 को कुल महिला कर्मचारियों की संख्या 6792 है।

भिलाई इस्पात संयंत्र के आरंभ होने के तुरंत बाद जेंडर समानता और महिला सशक्तिकरण को स्वीकार करते हुए सामाजिक प्रगति को तेज करने के लिए वर्ष 1957 में एक महिला समाज की स्थापना की गई। केवल 50 सदस्यों के साथ 4 अगस्त 1957 को आरंभ

सेलम स्टील प्लांट (सेल) में जीविका उपार्जन के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण।

की गई इस संस्था ने सेल के सभी संयंत्रों में महिला समाज/समूहों की स्थापना को प्रोत्साहित किया, जिससे वे सामुदायिक कल्याण के क्षेत्र में अग्रदूत बनकर सामने आए। इन्हें सेल ने एक सहायक उद्योग का दर्जा दिया है। संयंत्र स्तर के इन विभिन्न संगठनों की आज, 4000 सदस्य हैं और राष्ट्रीय स्तर के 15 संगठनों के साथ संबद्धता है। ये संगठन कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के उत्थान के लिए कई गतिविधियों में शामिल हैं। इनके सदस्य आतंरिक रूप से चंदा जमा करके कई कार्यों को अंजाम देते हैं। दस्तानों, मसालों, साबुन और झोलों के निर्माण के साथ ही महिलाओं के कालेज तथा उनके पुनर्वास में भी योगदान दिया जाता है।

सेल की उपलब्धियों में महिलाओं को रोजगार प्रदान करना तथा असहाय महिलाओं का समाज बनाना शामिल है। भारत में जेंडर समानता इंडेक्स (जीईआई) महिलाओं द्वारा मानवीय विकास सूचकों की प्राप्ति का मापन करता है और इनकी तुलना पुरुषों द्वारा प्राप्त सूचकों से करता है। यह पता चला है कि जीईआई में 1980 के दशक के 62 प्रतिशत से तनिक बढ़कर यह 1990 के दशक में 67. 6 प्रतिशत हो गया है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महिलाओं की उपलब्धियां पुरुषों की तुलना में महज दो तिहाई है।

महिलाओं का योगदान

सेल कर्मचारियों के लिए तैयार उत्पाद	दस्ताने, मसाले, साबुन और अन्य सामान
सामुदायिक कल्याण	सिलाई, कढ़ाई केंद्र, क्रेच किंडरगार्टेन स्कूल, विशेष लोगों के लिए स्कूल, प्रौढ़ शिक्षा, बच्चों का पुस्तकालय, स्वास्थ्य और सफाई शिक्षा, अशिक्षित आदिवासी महिलाओं को मनोवैज्ञानिक समर्थन उपलब्ध कराना, चिकित्सा केंद्र और डिस्पेंसरी स्थापित करना, भिलाई में पेट्रोल पंप का संचालन।
कार्यशालाएं	बैंकिंग, बीमा, महिलाओं के अधिकार, सूचना प्रौद्योगिकी, नागरिक सुविधाओं पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
प्राकृतिक आपदाओं के समय सहायता	कारगिल युद्ध राहत कोष, राष्ट्रीय रक्षा कोष, उड़ीसा बाढ़/तूफान कोष, गरीब महिलाओं के कल्याण के लिए, उड़ीसा मुख्यमंत्री रक्त/सूखा राहत कोष, गुजरात भूकंप आदि।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

महिला कर्मचारियों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, आरआईएनएल/वीएसपी ने महिला कर्मचारियों को एक मजबूत ताने–बाने से बुना हुआ मंच 'वीमेन इन पब्लिक सेक्टर' (विप्स) का स्थानीय प्रकोष्ठ प्रदान किया है।

संवैधानिक प्रावधानों, कंपनी के लक्ष्यों एवं विप्स मंच के लक्ष्यों को देखते हुए एक सहायक कार्य परिवेश प्रदान करने के लिए उपाय किए जाते हैं जहां महिला कर्मचारी अपनी पूर्ण अंतर्निहित क्षमता हासिल कर सकती हैं।

करियर उत्थान, महिला सशक्तिकरण, व्यक्तित्व विकास, जेंडर सुग्राह्यता, सुरक्षा जागरूकता, व्यावसायिक स्वास्थ्य, ऑस्टियोपोरोसिस जागरूकता, अंतःवैयक्तिक कौशल, कंप्यूटर कौशल, संप्रेषण कौशल, क्षमता गठन, कामकाजी जीवन में संतुलन, नेतृत्व एवं सुरक्षित व स्वस्थ जीवन शैली इत्यादि के ध्येय से प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। वर्ष के दौरान, लगभग 350 महिला कर्मचारियों को इन कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। महिला कर्मचारियों को विप्स की क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय बैठक जैसे बाह्य कार्यक्रम, ''महिला कर्मचारी – अवसर एवं चुनौतियां'' जैसी कार्यशालाओं के लिए नामित किया जाता है। वर्ष के दौरान कुछ उल्लेखनीय कार्यक्रम हैं:

- पहली बार सप्ताह भर चले महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का संचालन किया गया।
- प्रत्येक जेंडर के 45 कर्मचारियों को मिलाकर 3 जेंडर सुग्राह्यता कार्यक्रम।
- 45 महिला ठेका कामगारों के लिए सुरक्षा जागरूकता एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- विशाखा स्टील जनरल हॉस्पिटल एवं ओसमानिया जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर्स के सहयोग से, विभिन्न उम्र की महिलाओं के लिए ऑस्टियोपोरोसिस जागरूकता कार्यक्रम अर्थात् वीएसपी, पीएसयूज के कर्मचारियों और टाउनशिप के स्कूलों, सीआईएसएफ एवं गृहणियां। लगभग 75 महिलाओं ने इस कार्यक्रम में बोन मिनरल डेन्सिटि (बीएमडी) जांच कराई।

सेंटर फॉर वीमेंस स्टडीज, आंध्रा यूनिवर्सिटी, विशाखापट्टनम की मदद से नवंबर 2009 के दौरान महिला विकास की जेंडर सुग्राह्यता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उपलब्धि प्राप्त कर चुकी महिलाओं को अतिथि वक्ताओं के रूप में आमंत्रित किया गया जिन्होंने अपने अनुभवों को बांटा। वर्ष 2009–10 के महान व्यक्तित्वों में से कुछ हैं – श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी, माननीय एचआरडी राज्य मंत्री, श्रीमती रंजना कुमार, सतर्कता आयुक्त, भारत सरकार तथा डॉ. सौम्या मिश्रा, डीआईजी (रूरल), विशाखापट्टनम रेंज।

आरआईएनएल में महिला सशक्तिकरण सप्ताह का आयोजन।

महिला कर्मचारियों को कंपनी के सीएमडी एवं निदेशकों के साथ–साथ दौरे पर आए महानुभावों जैसे सचिव, इस्पात मंत्रालय, विभिन्न ट्रॉफियों एवं पुरस्कारों जैसे प्रधानमंत्री ट्रॉफी इत्यादि के माननीय जजों इत्यादि से भी विचार–विमर्श करने का अवसर दिया जाता है।

महिला कर्मचारियों को भर्ती, पदोन्नति एवं सुरक्षा समिति जैसे अंतः संगठनात्मक समितियों एवं इंटर–प्लांट स्टील स्टैंडर्ड्स जैसी अंतर–संगठनात्मक समितियों में नामित सदस्य बनाया गया है। वे आईएसओ एवं ओएसएचएएस के लिए भी आडिटर्स हैं। एक महिला कर्मचारी को क्वालिटी कंट्रोल सर्किल्स के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी नामित किया गया।

महिला कर्मचारियों की मदद के लिए, टाउनशिप में एक क्रेच की व्यवस्था की गई है जिसका प्रबंधन विप्स के लोकल प्रकोष्ठ द्वारा की जाती है। इस क्रेच में आरआईएनएल/वीएसपी द्वारा सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इस क्रेच में हर वर्ष नव वर्ष एवं बाल दिवस मनाया जाता है।

महिला कर्मचारियों को इंटरानेट पोर्टल एवं गृहपत्रिका ''दिशा'' के जरिए अपनी प्रतिभा को अभिव्यक्त करने का मौका दिया जाता है।

एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी लिमिटेड में 268 महिला कर्मचारी हैं जो कुल कर्मचारी संख्या 5,948 (31 दिसंबर, 2009 की स्थिति) का करीब 4.5 प्रतिशत है। कंपनी पुरुष महिलाओं एवं दोनों को चयन, भर्ती, नियुक्ति और पदोन्नति सभी स्तरों पर समान अवसर प्रदान करती है। वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ रही है और एनएमडीसी बोर्ड में दो स्वतंत्र महिला निदेशक हैं।

मुख्यालय और कई परियोजनाओं पर महिलाओं को अलग शौचालय, प्रसाधन कक्ष/ लंच रूम उपलब्ध कराए गए हैं। एनएमडीसी महिला कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और परिवार नियोजन सहित अन्य क्षेत्रों में जागरूकता के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रायोजन करती है। कंपनी की सभी सांविधिक जिम्मेदारियां महिला कर्मचारियों संबंधी नीतियों से प्रदर्शित होती हैं।

कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार मुख्यालय और सभी परियोजना स्थलों पर शिकायत समितियों की स्थापना की गई है। एक महिला की अध्यक्षता वाली समिति प्राप्त शिकायतों की स्थिति की समीक्षा के लिए नियमित तौर पर बैठक करती है। अभी तक उत्पीड़न का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। निर्देशों को विस्तृत रूप से प्रसारित किया गया है और कार्यस्थलों पर महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए वर्ष 1998 में नियमों में संशोधन किया गया।

एनएमडीसी ने अपनी दूरस्थ इलाकों में स्थित खानों के क्षेत्र में महिलाओं में सामान्य जागरूकता फैलाने के गंभीर प्रयास किए हैं। परियोजनाओं में काम करने वाली महिला समितियों की सक्रिय भागीदारी से स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, प्रसव संबंधी सेवाओं, एड्स नियंत्रण पर जानकारी संबंधी कार्यक्रम और अन्य सामाजिक मुद्दों पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

मॉयल में 799 महिला कर्मचारी काम करती हैं जो 31.12.2009 को कुल 6747 कार्यबल का 11.84 प्रतिशत है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुरूप वर्ष 1999 में एक शिकायत समिति का गठन किया गया। समिति में एक महिला चिकित्सक सहित तीन सदस्य हैं। अभी कंपनी की खानों और मुख्यालय में उत्पीड़न का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। महिला कर्मचारियों में जागरूकता लाने के लिए निर्देशों को विस्तृत रूप से प्रसारित किया गया है।

कंपनी की सभी खानों में महिला मंडल सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा,रक्तदान शिविर,नेत्र शिविर और परिवार नियोजन जैसे विभिन्न सांस्कृतिक,सामाजिक,शैक्षिक और सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन नियमित तौर पर दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित खानों के क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के लाभ के लिए किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कंपनी मातृत्व अवकाश परिवार नियोजन के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश देती है। कंपनी ने खानों में शिशुगृहों की स्थापना की है और माताओं को कार्य समय के दौरान अवकाश दिया जाता है। सीएसआर गतिविधियों के हिस्से के रूप में खानों में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है जिसमें दूरस्थ गांवों में रहने वाली महिलाओं को शामिल किया जाता है। इनको मोमबत्ती, वाशिंग पाउडर, साबुन, बांस की टोकरियां बनाने, सिलाई सहित विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी लिमिटेड फोरम ऑफ वीमेन इन पब्लिक सेक्टर (विप्स) का सदस्य है। वर्ष 2009–10 में विप्स द्वारा आयोजित कई कार्यक्रमों में काफी अधिक संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया।

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल में कार्य संस्कृति महिला कर्मचारियों के अनुकूल है। विभिन्न प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में महिलाओं की क्षमता को स्वीकार करने के साथ ही सभी क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों को महत्व दिया गया है। यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए स्थापित समिति सहित कंपनी की सभी समितियों में एक महिला को प्रतिनिधित्व मिलता है।

एचएससीएल लिमिटेड

कंपनी में 31 दिसंबर 2009 को महिला कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है:

कार्यपालक : 3 **गैर–कार्यपालक : 7** **कामगार : 37** **कुल : 47**

ये सभी महिला कर्मचारी कंपनी की विभिन्न इकाइयों में नियुक्त हैं। अधिकांश महिलाएं बोकारो और भिलाई में पदस्थ हैं। कंपनी में महिला कर्मचारियों का कोई संगठन नहीं है। महिला कर्मचारियों के हितों और विशेषाधिकारों को कंपनी का प्रबंधन सुनिश्चित करता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि कार्य स्थलों पर वे किसी भी किस्म के यौन उत्पीड़न का शिकार नहीं बनें।

मेकॉन लिमिटेड

कंपनी में महिला कर्मचारियों की शिकायतों को देखने के लिए एक समिति गठित की गई है जिसकी अध्यक्ष एक वरिष्ठ महिला इंजीनियर हैं।

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

सर्वोच्च न्यायालय और इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार महिला कर्मचारियों की शिकायतों की जांच के लिए एक शिकायत समिति का गठन किया गया है। आज की तिथि में कंपनी में 20 महिला कर्मचारी काम कर रही हैं।

केआईओसीएल लिमिटेड

महिला कर्मचारियों के हितों के मामलों जैसे वेतन, कार्य के घंटे, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के पहलुओं, मातृत्व लाभ से जुड़े सभी उपायों/सांविधिक प्रावधानों का कंपनी पालन करती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए कंपनी के नियमों में संशोधन करके एक उपयुक्त अनुच्छेद शामिल किया गया है। यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की शिकायतों की जांच करने के लिए सितंबर 1998 में एक शिकायत समिति की स्थापना की गई। उप मैनेजर स्तर की एक महिला कार्यपालक को शिकायत समिति का

केआईओसीएल लिमिटेड में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है।

अध्यक्ष बनाया गया है। और उसमें तीन महिला सदस्यों और तृतीय पार्टी की सदस्य के रूप कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक महिला वकील को नामित किया गया है।

वीमेन इन पब्लिक सेक्टर नामक एक महिला संगठन केआईओसीएल में काम करता है और अधिकांश महिला कर्मचारी इसकी सदस्य हैं। केआईओसीएल विप्स का आजीवन सदस्य है। विप्स से संबंध रखने के लिए केआईओसीएल से संयोजक बारी–बारी से नामांकित की जाती हैं जो विप्स के साथ संपर्क में रहती हैं और महिला कर्मचारियों (सदस्यों) को कंपनी द्वारा विप्स की वार्षिक/क्षेत्रीय बैठकों में हिस्सा लेने के लिए भेजा जाता है। केआईओसीएल में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस उचित ढंग से मनाया गया।

बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज

बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज में 01 जनवरी 2010 को 333 महिला कर्मचारी थीं जो कुल कर्मचारी संख्या 2,061 का 16.12 प्रतिशत है।

अध्याय–XVII

नई पहल/अभिनव योजनाएं

इस्पात मंत्रालय की प्रमुख पहल

अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की बैठकें

माननीय प्रधानमंत्री ने देश में इस्पात में बड़े निवेशों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर नजर रखने और उनके समन्वय करने के लिए जुलाई 2007 को एक अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) के गठन की मंजूरी दी थी। आईएमजी की अध्यक्षता सचिव (इस्पात) करते हैं और औद्योगिक संवर्धन एवं नीति, खनन, पर्यावरण एवं वन, भूतल परिवहन एवं राजमार्ग, नौवहन मंत्रालयों के सचिव, रेलवे बोर्ड के सदस्य (यातायात) और संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य सचिव इसके सदस्य होते हैं। आईएमजी प्रमुख इस्पात संयंत्रों को जल्दी पूरा करने के लिए उपयुक्त उपायों की समीक्षा और समन्वय करता है तथा निम्न बिंदुओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का निवारण करता है:

- बंदरगाहों, रेल, सड़क नेटवर्क से संबंधित बुनियादी ढांचागत समस्याएं
- लौह अयस्क और कोयले की उपलब्धता
- परियोजना स्थलों और लौह अयस्क तथा कोयला खनन गतिविधियों के लिए यथाशीघ्र पर्यावरण संबंधी मंजूरी दिलाना
- पुनर्वास से संबंधित मामलों में भूमि, जल संसाधन आदि की उपलब्धता
- देश में इस्पात क्षेत्र में बड़े निवेश से संबंधित कोई भी अन्य बिंदु

सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में आईएमजी इस्पात निवेशकों, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से समीक्षा और समन्वय बैठकें आयोजित करता रहा है। आईएमजी की पिछली बैठक 25.08.2009 को नई दिल्ली में हुई थी और अगली बैठक फरवरी 2010 में प्रस्तावित है।

चुनिंदा इस्पात उत्पादों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश

उपभोक्ताओं को प्रमाणित गुणवत्ता वाले 17 प्रमुख इस्पात उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2008 के दौरान जारी किए गए। इस आदेश को बाद में संशोधित किया गया और 10 उत्पादों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

रेलवे के साथ संयुक्त सलाहकार प्रणाली

इस्पात मंत्रालय ने रेल मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और इस्पात उद्योग (निजी और सार्वजनिक दोनों) के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त सलाहकार प्रणाली तैयार की है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय इस्पात नीति के लक्ष्यों के अनुरूप बुनियादी ढांचे की बढ़ी हुई जरूरतें पूरी करना और लौह अयस्क तथा चूना पत्थर जैसे इस्पात के सामान तथा कच्चे माल के परिवहन के लिए भाड़े को तार्किक बनाना है।

माननीय इस्पात मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह भिलाई स्टील प्लांट (सेल) के आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण के उद्घाटन समारोह में।

उपभोक्ता परिषद बैठक

निर्माताओं और उपभोक्ताओं के बीच नियमित संवाद स्थापित करने और उपभोक्ताओं के सामने आने वाली इस्पात उत्पादों की आपूर्ति एवं उपलब्धता से जुड़ी समस्याएं और अन्य संबंधित पहलुओं का निराकरण करने के लिए मंत्रालय में इस्पात उपभोक्ता परिषद का एक मंच स्थापित किया गया है। उपभोक्ता परिषद की बैठकें माननीय इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में 2008–09 में बुलाई गईं। इस्पात के उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाले विभिन्न मसलों जैसे नए स्टॉकयार्ड खोलना और उनके काम की कंप्यूटर के जरिये निगरानी करना, देश में इस्पात मूल्य के रुझानों पर नजर रखना, मौजूदा उत्पाद एवं आयात शुल्कों की समीक्षा करना और इस्पात सामग्री की उपलब्धता आदि पर बैठक में प्रमुख रूप से विचार किया गया।

स्पेशल पर्पज व्हीकल

इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड (आईसीवीएल): मेटलर्जिकल और थर्मल कोयले की खानों का विदेशों में अधिग्रहण करने के लिए सेल, आरआईएनएल, कोल इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से 3,500 करोड़ रुपये की इक्विटी हिस्सेदारी के जरिये स्पेशल पर्पज व्हीकल, आईसीवीएल बनाई गई है। आईसीवीएल नवरत्न कंपनी की तरह काम करेगी और उसके पास 1,500 करोड़ रुपये तक के निवेश वाली परियोजनाओं को हरी झंडी देने का अधिकार होगा। इक्विटी खरीद, मौजूदा खानों में संयुक्त उपक्रम अथवा आस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडोनेशिया, मोजांबिक, रूस और अमेरिका में नई परियोजनाओं में संयुक्त उपक्रम के जरिये विदेश में कोयला खानों आदि का अधिग्रहण करने में आईसीवीएल का सहयोग निवेश बैंकरों का एक पैनल करेगा।

लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन

वर्तमान अधिकार प्राप्त समिति व्यवस्था के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों और निवेशों के मामले में सहयोग करने के अतिरिक्त इस्पात मंत्रालय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देने के लिए एक नई योजना तैयार की है।

'लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देने के लिए योजना' नाम से एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके लिए बजट में 118 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना का क्रियान्वयन 2009–10 में किया जाएगा।

सेल, आरआईएनएल और एनएमडीसी लिमिटेड की विशाल विस्तार योजनाएं

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात निर्माता उपक्रमों में विस्तार की विशाल योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। आधुनिकीकरण और विस्तार योजनाओं का मुख्य जोर सर्वश्रेष्ठ आधुनिक प्रौद्योगिकी हासिल करना है, जिससे लागत कम करने में सहायता तो मिले ही, साथ ही वह ऊर्जा बचाने वाली और पर्यावरण के अनुकूल भी हो।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल का विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) के सभी इस्पात कारखानों में तप्त धातु उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण एवं विस्तार योजना प्रगति पर है। हाल ही में वैश्विक मंदी शुरू होने के बाद और इस्पात की कीमतों पर दबाव एवं लाभ मार्जिन में ह्रास की संभावना देखते हुए, सेल में समग्र आधुनिकीकरण एवं विस्तार योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रस्तावित उत्पादन विस्तार, जो मूल रूप से 26.18 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाना था, अब दो चरणों में प्राप्त किया जाएगा। प्रथम चरण में क्षमता 23.46 मिलियन टन की जाएगी जिसे चरण 2 में बढ़ाकर 26.18 मिलियन टन किया जाएगा।

लगभग 70,000 करोड़ रुपये की लागत पर चरण–1 को 2012–13 तक पूरा किया जाना है। सेल के विस्तार की प्रगति की निगरानी मंत्रालय द्वारा नियमित आधार पर की जाती है और परियोजनाओं की समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए समस्त प्रयास किए जा रहे हैं।

सार्वजनिक उपक्रमों/कंपनियों का विलय/अधिग्रहण/पुनरुद्धार और पुनर्गठन

महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड (एमईएल): महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित एमईएल देश में मैंगनीज आधारित फैरा अलॉय्स का सबसे बड़ा उत्पादक है और यह अप्रैल 1974 से फैरो अलॉय्स के व्यवसाय में लगा हुआ है। सन् 1986 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने इसका अधिग्रहण किया। यह सेल की एक सहायक कंपनी है जिसमें सेल के 99.12 प्रतिशत शेयर हैं। जून 2009 में सेल के पक्ष में एमईएल की जमीन को हस्तांतरित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से ''कोई आपत्ति नहीं'' प्राप्त करने के बाद, इस्पात मंत्रालय द्वारा विलय के लिए 01.04.2010 नियुक्त तिथि के साथ एमईएल की विलयन ड्राफ्ट योजना मंजूर कर ली गई है और इसे स्टॉक एक्सचेंजों के साथ, जहां सेल और एमईएल को उनकी मंजूरी हेतु सूचीबद्ध किया गया है, 07.12.2009 को दाखिल कर दिया गया है। उसके बाद इस योजना को निगमित मामलों के मंत्रालय में विलयन आदेश जारी करने के लिए दाखिल किया जाएगा।

सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट – पूर्व भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड (बीआरएल): सेल के साथ बीआरएल के विलय का अंतिम आदेश दिनांक 28 जुलाई 2009 को भारत सरकार की गजट अधिसूचना में प्रकाशित हो गया है और विलय की नियुक्त तिथि 01.04.2007

है। सेल के साथ विलय के बाद पूर्व बीआरएल का पुनः नामकरण ''सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट'' कर दिया गया है। इस यूनिट का पुनर्निमाण चल रहा है और इस प्लांट के प्रदर्शन में 2009–10 की तीसरी तिमाही में विगत वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले लगभग 21 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

सेलम स्थित बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (बीएससीएल) का अधिग्रहणः बीएससीएल की सेलम स्थित रिफ्रैक्टरी मदों की एक रेंज का उत्पादन करती है और इस्पात, सीमेंट, ग्लास, कॉपर, पेट्रो रसायन एवं अन्य नॉन–फेरस उद्योगों की जरूरत पूरा कर रही है। बीएससीएल का सेलम कारखाना रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का उत्पादन करने के अलावा केलसाइंड मैग्नेसाइड, डैड बर्न्ट मैग्नेसाइड, ड्यूनाइट, स्मोक डस्ट इत्यादि का भी खुले बाजार में विक्रय कर रहा है। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड के पुनर्निर्माण प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआरपीएसई) की जून 2009 को आयोजित 69वीं बैठक में, बीआरपीएसई ने बीएससीएल की सेलम स्थित रिफ्रैक्टरी यूनिट को इस्पात मंत्रालय/सेल को हस्तांतरित करने की सिफारिश की है। सेल बोर्ड ने उसके बाद जुलाई 2009 में सेल के साथ/द्वारा सेलम स्थित बीएससीएल की रिफ्रैक्टरी डिवीजन के विलय/अधिग्रहण के लिए सिद्धांततः मंजूरी दे दी है जिसे इस आशय के लिए सेल की एक सहायक कंपनी के रूप में निगमित करने की तरजीह दी जाएगी। सेलम स्थित बीएससीएल की रिफ्रैक्टरी यूनिट का इस्पात मंत्रालय/सेल द्वारा अधिग्रहण करने के लिए डीएचआई इस्पात मंत्रालय के साथ विभिन्न मसलों का समाधान करने की प्रक्रिया में है।

जगदीशपुर स्टील प्लांट – पूर्व माल्विका स्टील लिमिटेड (एमएसएल): उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में जगदीशपुर में स्थित उषा (इंडिया) लिमिटेड के एक डिवीजन, पूर्व मैसर्स माल्विका स्टील लिमिटेड (एमएसएल) की परिसंपतियों (अर्थात् बिल्डिंग, प्लांट एवं उपकरण तथा अन्य अचल संपतियां) को सेल ने डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल (डीआरटी)– 1 द्वारा नीलामी के जरिये खरीद लिया है और फरवरी 2009 में उसका कब्जा ले लिया है। सेल ''जगदीशपुर स्टील परियोजना'' की परिसंपत्तियों का चरणबद्ध तरीके से विकास करने की प्रक्रिया में है, जिसकी शुरुआत 1,73,000 टन टीएमटी बार्स, क्रैश बैरियर्स और गैल्वनाइज्ड कोरुगेटेड वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ होगी।

सेल द्वारा किये गए संयुक्त उद्यम एवं समझौता ज्ञापन

एनएमडीसी के साथ संयुक्त उद्यमः सेल और एनएमडीसी ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में अर्की स्थित लाइमस्टोन माइन्स को 50:50 के अनुपात में संयुक्त उद्यम के रूप में संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। इसकी कुल प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 3 मिलियन टन वार्षिक है जिसमें से 1 मिलियन टन लम्स एवं 2 मिलयन टन फाइन्स होगा। सेल और एनएमडीसी इस से युक्त उद्यम से लम्स की खरीद करेंगे जबकि फाइन्स को नजदीक के सीमेन्ट कारखानों को बेच दिया जायेगा। अर्की लाइमस्टोन माइन विकसित होने के बाद, सेल के पास लाइमस्टोन का एक निजी स्रोत हो जायेगा और वाजिब दामों पर इस अच्छी गुणवत्ता के महत्वपूर्ण कच्चे माल की सुनिश्चित आपूर्ति का लाभ मिलेगा।

केरल सरकार के साथ संयुक्त उद्यमः 50,000 टन कन्टिन्यूअस कास्ट बिलेट की वार्षिक क्षमता संयुक्त स्टील कॉम्पलेक्स लिमिटेड (एचसीएल) ने अपने पुनर्निर्माण के लिए सेल से जरूरी मदद मांगी थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) ने एससीएल के पुनर्निर्माण के लिए केरल सरकार के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये, जिसके तहत एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की जायेगी और इसकी 50 प्रतिशत इक्विटी सेल के पास होगी और शेष केरल सरकार एवं अन्य के पास होगी। 65,000 टन वार्षिक क्षमता की रोलिंग मिल की स्थापना के लिए दिसंबर 2008 में सेल और एससीएल के बीच एक संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर हुए। एससीएल के तुलन–पत्र की क्लीन स्लेटिंग एवं औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) की मंजूरी प्राप्त करने के बाद, केरल सरकार सेल के पक्ष में एससीएल के 50 प्रतिशत शेयर हस्तांतरित करने के लिए अंतिम मंजूरी जारी कर देगी।

मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यमः सेल ने मॉयल के साथ एक संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसके तहत 31 जुलाई 2008 को ''सेल मॉयल फैरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड'' नामक एक संयुक्त उद्यम कम्पनी निगमित की गई है। निश्चित समय के अनुसार इस परियोजना को शुरू करने के लिए आगे की प्रक्रिया चल रही है। इस संयुक्त उद्यम कम्पनी के तहत 10 करोड़ रुपये के आरंम्भिक निवेश के साथ नंदिनी गांव, भिलाई (छत्तीसगढ़) में, उच्च कार्बन फेरो मैंगनीज के उत्पादन के लिए 1x16.5 मेगा वोल्ट एम्पीयर (एमवीए) की फर्नेस युक्त एक उच्च कार्बन फैरो एलॉय प्लांट एवं सिलीको मैंगनीज के उत्पादन के लिए 2x27 एमवीए क्षमता के फर्नेस की स्थापना का निश्चय किया गया है।

शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया (एससीआई) लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यमः सेल अपनी शिपिंग से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए एससीआई के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने की प्रक्रिया में है। एससीआई के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद, सेल बोर्ड द्वारा जुलाई 2009 में ड्राफ्ट संयुक्त उद्यम करार मंजूर कर लिया है। एससीआई बोर्ड द्वारा इसे मंजूर करने के बाद 2010 की प्रथम तिमाही में संयुक्त उद्यम की स्थापना एवं अन्य शिपिंग से जुड़ी गतिविधियों की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।

लार्सन एवं टुबरो (एलएंडटी) के साथ संयुक्त उद्यमः 2020 तक सेल की बढ़ी हुई बिजली जरूरत को पूरा करने के ध्येय से, थर्मल कोल ब्लाक्स अधिग्रहित करने के सामरिक गठबंधन के लिए और सुपर क्रिटिकल टेक्नालॉजी के इस्तेमाल से 1680 मेगावाट क्षमता के बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए 30 सितंबर 2008 को लार्सन एवं टुबरो के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। ड्राफ्ट

संयुक्त उद्यम करार की तैयारी चल रही है और प्रस्तावित संयुक्त उद्यम थर्मल कोल ब्लाक्स का अधिग्रहण एवं विकास करेगा। थर्मल कोल ब्लाक्स के आवंटन और इनकी स्थिति के आधार पर थर्मल पॉवर प्लांट की स्थापना के लिए वास्तविक स्थल का निश्चय किया जायेगा।

टाटा स्टील के साथ संयुक्त उद्यमः सेल और टाटा स्टील ने सितंबर 2008 में कोयला खनन के लिए ''एस एंड टी माइनिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड'' नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की है। इस संयुक्त उद्यम कंपनी का मुख्यालय कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में है। इस कंपनी ने अपना कार्य आरंभ कर लिया है और यह कोकिंग कोल ब्लॉक के अधिग्रहण की संभावनाओं को तलाश रही है। सीआईएल ने पहले ही बंद पड़ी खानों के प्रचालन के लिए एस एंड टी माइनिंग कंपनी को एक उपयुक्त साझेदार के रूप में चुन लिया है।

पोस्को के साथ महत्वपूर्ण गठबंधनः सेल और पोस्को ने निगमित महत्वपूर्ण योजना, व्यवसायविदों, जानकारी एवं अनुभव के आदान–प्रदान से जुड़े क्षेत्रों में सूचना को साझा करने के लिए अगस्त 2007 में एक सामरिक गठबंधन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत परस्पर बातचीत के बाद, संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं तथा परस्पर सहमत संयुक्त उद्यमों से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग एवं भागीदारी की भी व्यवस्था की गई है।

सूचना के आदान–प्रदान हेतु महत्वपूर्ण गठबंधन स्थापित करने के लिए सेल और पोस्को के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।

उपरोक्त समझौता ज्ञापन की दृष्टि से, सेल और पोस्को ने अगस्त 2009 में निम्न क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम की संभावना की पहल के लिए एक अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए :

- सीआरएनओ का विनिर्माण एवं वाणिज्यिकरण
- फीनेक्स टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम अवसरों की तलाश

सहमति पत्र में व्यवस्था की गई है कि संयुक्त संभाव्यता अध्ययन के आधार पर संबंधित बोर्डों की मंजूरी के अधीन स्पष्ट करार किए जा सकते हैं। सेल और पोस्को का एक संयुक्त कार्यदल पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पर कार्य कर रहा है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

विस्तारीकरण योजना

आरआईएनएल लगभग 12,228 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर वर्ष 2011 तक, चरणों में, तरल इस्पात उत्पादन क्षमता को लगभग दोगुना कर 6.3 मिलियन टन करने की प्रक्रिया में है। जारी विस्तारीकरण चरण के अंतर्गत आने वाली प्रमुख सुविधाओं में ब्लास्ट फर्नेस, सिंटर प्लांट, रॉ मैटीरियल हैंडलिंग प्लांट, स्टील मेल्टिंग शॉप और फिनिशिंग मिल्स शामिल हैं। विस्तारीकरण के दौरान अपनाई जा रही नई टेक्नोलॉजी पर्यावरण अनुकूल एवं ऊर्जा दक्ष है और इसमें उच्चतर उत्पादकता एवं लब्धि (यील्ड) प्रस्तावित है। विस्तारीकरण सुविधाओं से वीएसपी के प्रोडक्ट मिक्स एवं गुणवत्ता भी समृद्ध होगी।

वीएसपी ने आपूर्ति, संस्थापना एवं यूनिटों को चालू करने, कुछ प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी आपूर्तिकर्ताओं के साथ साझेदारी की है। सभी प्रमुख पैकेजों के लिए आदेश प्रस्तुत कर दिए गए हैं। प्रथम चरण की यूनिटों के 2010–11 तक चालू होने की उम्मीद के साथ, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन, उपकरण आपूर्ति एवं इरेक्शन जोरों पर चल रहा है। विस्तारीकरण के इस चरण के पूर्ण होने के बाद, आरआईएनएल वायर रॉड, बार, चैनल, एंगल, बीम इत्यादि जैसे इस्पात की बढ़ती हुई मांग का कुछ अंश पूरा करने में समर्थ होगा।

विलय/अधिग्रहण/पुनर्निर्माण एवं पुनर्गठन योजनाएं

आरआईएनएल ने देश और विदेश में, संयुक्त उद्यमों की स्थापना, परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, विलय इत्यादि सहित अपनी विस्तारीकरण योजना के अलावा कंपनी के बिजनेस के विस्तार के लिए अनेक पहल की हैं। वीएसपी ने अधिग्रहण/संयुक्त उद्यम स्थापना के जरिए अपने कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विकल्प तलाशने के लिए अत्यंत सक्रियता दिखाई है। लौह अयस्क एवं कोकिंग कोयले की परिसंपत्तियों के क्षेत्र में कुछ प्रमुख पहल निम्न प्रकार से हैं:

बर्ड ग्रुप की कंपनियां: यूनियन कैबिनेट ने 10.09.09 को आयोजित अपनी बैठक में बर्ड ग्रुप की कंपनियों के पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। प्रस्तावित पुनर्गठन में ओएमडीसी एवं बीएसएलसी को ईआईएल की सहायक कंपनियां बनाया जाएगा, जो बदले में आरआईएनएल की एक सहायक कंपनी बनाई जाएगी। इस तरह से ईआईएल, ओएमडीसी एवं बीएसएलसी आरआईएनएल के अधीन आ जाएंगी। अन्य दो कंपनियों केडीसी एवं एसएसएल को बंद कर दिया जाएगा।

आईसीवीएल: आरआईएनएल इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड (आईसीवीएल) के जरिए भी विदेशों में कोयला परिसंपत्तियों को तलाश रही है। जिसकी स्थापना विदेशों में मेटालर्जिकल एवं थर्मल कोयले परिसंपत्तियों को अधिग्रहित करने के लिए एनएमडीसी, सीआईएल, एनटीपीसी, सेल एवं आरआईएनएल की इक्विटी सहभागिता के साथ गठित की गई है। आईसीवीएल का निगमन 20.05.2009 को हुआ।

एनआईएनएल: आरआईएनएल द्वारा नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल), जिसके पास विस्तारीकरण के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा एवं अन्य सुविधाएं हैं, के अधिकांश शेयर अधिग्रहित करने के लिए चर्चा की जा रही है। यह कदम दोनों कंपनियों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए उठाया गया है क्योंकि इसके ऐसा करने से आरआईएनएल के स्वामित्व वाली खानों और उड़ीसा सरकार द्वारा आवंटित की जाने वाली खानों से आरआईएनएल की कच्चे माल की मूल जरूरत पूरी होगी और साथ ही साथ आरआईएनएल को एनआईएनएल में भावी आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण योजनाओं में निवेश की अनुमति देगी। परामर्शदाता द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी ड्यू डिलिजेंस पहले ही पूर्ण कर ली गई है।

आधुनिकीकरण एवं पुनरुद्धार: आरआईएनएल वर्तमान उत्पादन एवं उत्पादकता स्तरों को कायम रखने एवं ऊर्जा खपत कम करने, प्रौद्योगिकीय मानकों को सुधारने के लिए भी अपनी वर्तमान सुविधाओं का आधुनिकीकरण एवं नवीकरण कर रहा है। आरआईएनएल ने प्रमुख भारी मरम्मत/उपकरणों की मरम्मत करते हुए कारखानों में उत्पादन एवं उत्पादकता के उच्च स्तर को पुनः कायम करने का बीड़ा उठाया है। कुछ परियोजनाओं में गुणवत्ता सुधारने एवं उत्पाद को उपभोगताओं तक पहुंचाने के अलावा, ब्लास्ट फर्नेस 1 एवं 2 की भारी मरम्मत, कन्वर्टर्स की मरम्मत, सिन्टर प्लांट का आधुनिकीकरण इत्यादि और प्रदूषण नियंत्रण अपेक्षाओं को पूरा करने वाली टेक्नोलॉजी के नवीकरण हेतु कई अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। आरआईएनएल द्वारा की गई यह एक अन्य पहल है। अप्रैल–दिसंबर 2009 के दौरान चालू की गई/नवीकृत की गई कुछ यूनिटों में निम्न हैं:

- नया माइक्रोबाइलॉजिकल एंड केमिकल्स ट्रीटमेंट (एमबीसी) प्लांट शुरू
- स्टील मेल्टिंग शॉप में कन्वर्टर लाइनिंग प्रोफाइल मापन प्रणाली शुरू
- टर्बो जनेरेटर 1 के नियंत्रण एवं इन्स्ट्रूमेंटेशन प्रणाली का नवीकरण
- ओजोन अनूकूल रेफ्रेजरेंट के साथ ओजोन डिप्लेटिंग रेफ्रेजिरेंट युक्त 2 चिलर्स का प्रतिस्थापन
- ब्लूम कटिंग के लिए ऐसीटिलीन गैस की जगह अधिक स्वच्छ एवं किफायती एलपीजी का प्रतिस्थापन

इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी): आरआईएनएल ने एकल ट्रांजेक्शन डाटावेस ईआरपी–उक्कु संकल्प को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह डाटावेस सीमलैस एकीकरण एवं आंतरिक दक्षता सुधारने के लिए सम्पूर्ण संगठन में शेयर्ड है, और इसे अद्यतन किया जाता है। ईआरपी का कार्यान्वयन भावी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए आरआईएनएल को समर्थ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

एनएमडीसी लिमिटेड

नई पहल/नई परियोजनाएं

- 7 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की बैलाडिला डिपोजिट–11बी खान का विकास
- कर्नाटक स्थित 3 मिलियन टन क्षमता (7 मिलियन टन तक विस्तार) से युक्त कुमारस्वामी खान का विकास
- छत्तीसगढ़ स्थित 2 मिलियन टन वार्षिक क्षमता और कर्नाटक स्थित 1.2 मिलियन टन क्षमता के पेलेट प्लांट
- 3 मिलियन टन वार्षिक क्षमता से युक्त जदगालपुर, छत्तीसगढ़ स्थित एकीकृत इस्पात संयंत्र
- निजी उपयोग/मर्चेन्ट माइनर हेतु कोयला खनन में प्रवेश
- हिमाचल प्रदेश स्थित अर्की लाइमस्टोन परियोजना का पुनरुद्धार
- जम्मू स्थित पंथल मेग्नेसाइट परियोजना का पुनरुद्धार

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विलय/पुनर्गठन

एनएमडीसी द्वारा मैसर्स स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड का अधिग्रहण चरम अवस्था में है और शीघ्र ही पूर्व कर लिया जाएगा।

- **संयुक्त उद्यम/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर**
  - 8 मिलियन टन वार्षिक क्षमता (10 मिलियन टन तक विस्तार) से युक्त बैलाडिला डिपोजिट–13 के विकास के लिए छत्तीसगढ़ स्थित छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (सीएमडीसी) के साथ संयुक्त उद्यम।
  - 4 मिलियन टन वार्षिक क्षमता से युक्त बैलाडिला डिपोजिट–4 के विकास के लिए छत्तीसगढ़ स्थित सीएमडीसी के साथ संयुक्त उद्यम।
  - भारत और विदेश में संयुक्त रूप से इस्पात कारखानों, मूल्य संवर्धन परियोजनाओं एवं संसाधनों की स्थापना की संभावनाएं तलाशने के लिए टाटा स्टील लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
  - आन्ध्र प्रदेश में लौह अयस्क और स्वर्ण भंडारों का पता लगाने और दोहन करने के लिए खान एवं जियोलॉजी विभाग (डीएमजी), आन्ध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एपीएमडीसी) और एनएमडीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
  - झारखण्ड में विभिन्न खनिजों का पता लगाने के लिए एनएमडीसी एवं डीएमजी, झारखण्ड सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

बर्ड ग्रुप की कंपनियां (बीजीसी)

बर्ड ग्रुप की कंपनियों का पुनर्गठन

कैबिनेट ने 10.09.2009 को आयोजित एक बैठक में इस्पात मंत्रालय ने अपने अधीन बर्ड ग्रुप की कंपनियों का पुनर्गठन मंजूर कर दिया है। पुनर्गठन की प्रक्रिया में निम्न को मंजूरी दी गई और उसे कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं:

- ईआईएल को आरआईएनएल की सहायक कंपनी बनाया गया और इस तरह से ईआईएल, ओएमडीसी और बीएसएलसी आरआईएनएल के अधीन आ गए हैं।
- ओएमडीसी एवं बीएसएलसी को ईआईएल की सहायक कंपनियां बनाया जायेगा।
- केडीसीएल और एसएसएल को बंद कर दिया जायेगा। कर्मचारियों को ओएमडीसी में समायोजित किया गया है और उन्हें स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का प्रस्ताव दिया गया है।

अन्य प्रमुख पहल

सेल

स्टील प्रोसेसिंग यूनिटों की स्थापना (एसपीयू)

सेल ने विभिन्न स्थानों पर खास तौर पर ऐसे राज्यों में, जहां कोई इस्पात संयंत्र नहीं है और इस्पात की खपत भी राष्ट्रीय औसत की तुलना में बहुत कम है, खपत के स्थान के निकट ही सही आकार के और तैयार इस्पात की आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं की ओर से हो रही मांग को पूरा करने के लिए बिहार (बेतिया, महनार, गया); उत्तर प्रदेश (लखीमपुर–खीरी); मध्य प्रदेश (ग्वालियर, उज्जैन, होशंगाबाद); हिमाचल प्रदेश (कांगड़ा); असम (गुवाहाटी) और जम्मू–कश्मीर (श्रीनगर) में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट्स (एसपीयू) लगाने की योजना बनाई है।

मॉयल

बालाघाट माइन स्थित मिनरल बेनीफिकेशन प्लांट

कंपनी ने सितंबर 2007 में 5,00,000 टन वार्षिक क्षमता का पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत एवं अत्याधुनिक बॉटम एयर प्लसेटेड जिग्स युक्त एकीकृत मैंगनीज बेनीफिकेशन प्लांट को सफलतापूर्वक चालू किया। इस प्लांट की पूंजीगत लागत 21 करोड़ रुपये है। यह प्लांट निम्न/मध्य श्रेणी फाइन्स को उच्च श्रेणी में बदलेगा। भारत में मैंगनीज ओर बेनीफिकेशन के लिए अपनी तरह का यह पहला प्लांट है।

जारी खनन परियोजनाएं

- गुमगांव माइन में वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग
- बेडोंगरी माइन में वर्टिकल शाफ्ट की डीपनिंग
- बालाघाट माइन में प्रोडक्शन वर्टिकल शाफ्ट की डीपनिंग
- मुनसार माइन में शाफ्ट सिंकिंग
- उकवा माइन में शाफ्ट सिंकिंग

भावी खनन परियोजनाएं

- 20 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत से उकवा माइन में वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग

- 25 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत से मुनसार माइन में वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग
- 20 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत से बालाघाट माइन में होलम्स शाफ्ट की डीपनिंग
- 200 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत से बालाघाट माइन में उच्च गति वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग

मॉयल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, श्री के.जे. सिंह और आरआईएनएल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, श्री पी.के. बिश्नोई, विशाखापट्टनम के पास बोबिली में फैरो अलाय्ज का उत्पादन हेतु कारखाना स्थापित करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद दस्तावेजों का आदान–प्रदान करते हुए।

विविध एवं मूल्य संवर्द्धन योजनाएं

- मॉयल ने 400 करोड़ रुपये (अनुमानित) की पूंजीगत लागत से भिलाई के नजदीक नंदिनी में प्रतिवर्ष 70,000 टन सिलिको मैंगनीज एवं 30,000 टन फेरो मैंगनीज का उत्पादन करने के लिए एक कारखाने की स्थापना हेतु स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) के साथ एक संयुक्त उद्यम करार किया है।
- आरआईएनएल के साथ संयुक्त उद्यमः मॉयल ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी – रिनमॉयल फैरो अलॉय्ज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की है। यह कंपनी 29.07.09 को निगमित की गई । यह संयुक्त उद्यम कंपनी एक 27 मेगावाट फर्नेस एवं एक 9 मेगावाट फर्नेस की क्षमता से युक्त प्रति वर्ष 37500 टन सिलिको मैंगनीज एवं 20000 टन फैरो मैंगनीज का उत्पादन करेगी। यह संयुक्त उद्यम कंपनी निर्यात अवसर के अलावा, वीएसपी की फैरो अलॉय जरूरत पूरा करेगी। यह कंपनी वीएसपी की मौजूदा खानों के निम्न श्रेणी मैंगनीज अयस्क एवं ओएमडीसी इत्यादि की खानों से भी अयस्क का लाभदायक उपयोग करने में मदद करेगी।
- 97.72 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत पर मध्य प्रदेश में देवास स्थित 20 मेगावाट विंड टरबाईन परियोजना चालू की गई है।

एमएसटीसी लिमिटेड

हल्दिया में विभागीय भंडार के निर्माण का काम वर्ष 2008–09 के दौरान पूरा कर लिया गया।

एफएसएनएल

गुणवत्ता में सुधार

मैग्नेटिक सेपरेटर के माध्यम से मिले कबाड़ की गुणवत्ता में ओपन हर्थ (ओएच) ग्रेड, ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ) फाइंस ग्रेड और सिंटर फाइंस ग्रेड के कबाड़ में लौह मात्रा बढ़ाकर सुधार किया गया है। इन दो ग्रेडों में लौह तत्व की मात्रा इस प्रकार बढ़ाई गईः

लौह मात्रा	मौजूदा	आधुनिकीकरण के बाद	पुनःचक्रित किया गया
बीएफ फाइन्स ग्रेड	60 से 65%	80 से 90%	ब्लास्ट फर्नेस/एसएमएस
सिन्टर फाइन ग्रेड	40 से 45%	60 से 90%	सिन्टर प्लांट

उत्पादकता में सुधार

प्लांट में फीडिंग, मैगनेटिक सेपरेशन, क्रशिंग, स्क्रीनिंग इत्यादि जैसे विभिन्न प्रचालनों को स्वचालन के जरिये समाप्त करते हुए उत्पादकता में सुधार किया जा रहा है। स्वचालन से प्लांट को फीडिंग के लिए एक्सकेवेटर और प्रसाधित स्क्रैप एवं स्लेग की लोड़िग के लिए लोडर की जरूरत नहीं रह जायेगी।

धातु क्षय में कमी

आधुनिकीकरण से पहले धातु क्षय लगभग 1.25 प्रतिशत था, जिसे अब 1 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। उपरोक्त योजना का क्रियान्वयन करने से इस्पात संयंत्रों को लाभ होगा क्योंकि कबाड़ की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे इस्पात संयंत्रों को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

एचएससीएल

कंपनी की क्षमता में सुधार करने के लिए कंपनी द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:

- कर्मचारियों के करियर में विकास।
- नेतृत्व क्षमता का विकास करने के लिए व्यक्तियों को अधिक जिम्मेदारी देना।
- कंप्यूटरीकृत लेखा और मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) की जानकारी देना।
- आईएसओ प्रमाणीकरण।
- बोकारो और भिलाई में कामगारों ओर गैर–कार्यपालकों को प्रशिक्षण देने के लिए छह मानक मॉड्यूल अपनाए गए। वर्ष 2008–09 के दौरान कंपनी के 100 कर्मचारियों को आवश्यक श्रेणियों में प्रशिक्षित किया गया।

मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन ने शारीरिक रूप से निशक्त लोगों के लिए रैंप्स और अन्य सुविधाएं जैसे एलीवेटर्स/लिफ्ट में ब्रेल सिंबल्स और ऑडिटरी सिग्नल्स की व्यवस्था करने के लिए मंत्रियों के समूह एवं इस्पात मंत्रालय द्वारा की गई सिफारिश को अपनाया है। इस उद्देश्य के लिए, मेकॉन के रांची कार्यालय, बैंगलौर कार्यालय और इस्पात अस्पताल, रांची में हैंडरेलस, ऑडिटरी सिग्नल्स, ब्रेल सिम्बल्स से युक्त रैप्स की व्यवस्था के लिए 2009–10 एवं 2010–11 वित्त वर्षों के लिए बजट मंजूर किया है। कार्य वित्तीय वर्ष 2010–11 तक पूरा हो जाने की प्रत्याशा है।

मेकॉन के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, श्री द्रोण नाथ, गल्फ आर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कंसल्टिंग (जीओआईसी) के तत्कालीन सेक्रेटरी जनरल, डॉ. अहमद खलील अल–मुतवा के साथ जनरल एग्रिमेंट पर हस्ताक्षर करते हुए।

मेकॉन ने 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए 2 वर्षों में एक बार गहन चिकित्सा जांच शुरू की है।

मेकॉन ने बेहतर संप्रेषण एवं मेलजोल/मित्रता को बढ़ावा देने के लिए निचले स्तर के सभी कार्यपालकों को क्लोज यूजर ग्रुप मोबाइल फोन सुविधा से जोड़ने का प्रस्ताव किया है।

एसआईआईएल

एसआईआईएल को एनएमडीसी के साथ विलय की प्रक्रिया चरम अवस्था में है और संयंत्र की 60,000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता को बढ़ाकर 2,60,000 टन प्रतिवर्ष करने की योजना को एनएमडीसी के साथ विलय के बाद कार्यान्वित कर लिया जायेगा, जिसके लिए प्रारम्भिक तैयारी पहले ही शुरू की जा चुकी है। विस्तारीकरण के लिए, 10.22 एकड़ जमीन एपीआईआईसी से खरीदी गई है।

केआईओसीएल लिमिटेड

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए कुद्रेमुख में खनन गतिविधियां 31 दिसंबर 2005 को रोक दी गईं। कुद्रेमुख में खनन गतिविधियां रुक जाने के परिणामस्वरूप कंपनी कर्नाटक और अन्य राज्यों में भी दूसरे स्थानों पर खनन के लिए विभिन्न विकल्पों की तलाश कर रही है।

चिकन्याकानाहाली परियोजना

कर्नाटक सरकार ने केआईओसीएल के पक्ष में 30 वर्ष की अवधि के लिए होम्बालघाटा और हौशाहली गांव में 116.55 हेक्टेयर क्षेत्र की खनन लीज की सिद्धांत रूप से मंजूरी दे दी है।

अध्याय–XVIII

मान्यता और पुरस्कार

इस्पात मंत्रालय के तहत काम करने वाले पीएसयू ने विभिन्न श्रेणी में बेहतर प्रदर्शन के बूते कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा साल के दौरान प्राप्त किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कारों के बारे में यहां जानकारी दी जा रही है :

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

2009–10 में प्राप्त/अर्जित किए गए पुरस्कार

- सेल ने 2007 के लिए सात प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार जीते। डीएसपी ने एक प्रधानमंत्री श्रम वीर एवं एक प्रधानमंत्री श्रम श्री पुरस्कार प्राप्त किये। आरएसपी ने एक प्रधानमंत्री श्रम वीर एवं एक प्रधानमंत्री श्रम श्री पुरस्कार प्राप्त किये। एसएसपी ने एक प्रधानमंत्री श्रम वीर, दो प्रधानमंत्री श्रम श्री पुरस्कार जीते।

प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार	पुरस्कारों की संख्या कामगारों की संख्या	संयंत्र	संयंत्र द्वारा जीते पुरस्कार की संख्या (कामगार)
श्रम वीर	3 (11)	डीएसपी	1 (6)
		आरएसपी	1 (4)
		एसएसपी	1 (1)
श्रम श्री	4 (10)	डीएसपी	1 (5)
		आरएसपी	1 (1)
		एसएसपी	2 (4)
कुल	**7 (21)**		**7 (21)**

सेल अध्यक्ष श्री एस.के. रूंगटा 15 अक्तूबर 2009 को विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से साल 2006–07 का ''संस्थागत'' वर्ग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान देने के लिए स्कोप गोल्ड ट्रॉफी पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

- श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित कुल 28 में से, सेल ने 2007 के प्रदर्शन के लिए 14 विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (वीआरपी) जीते। इसमें 1 श्रेणी 'ए', 5 श्रेणी 'बी' और 8 श्रेणी 'सी' पुरस्कार हैं जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है:

श्रेणी	संयंत्र	ग्रुप/व्यक्तियों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
ए	बीएसएल	1	4
बी	बीएसपी	2	10
	बीएसएल	3	14
सी	बीएसपी	2	10
	आरएसपी	3	19
	बीएसएल	1	1
	एसएसपी	2	5
	कुल	**14**	**63**

कुल 121 पुरस्कार विजेताओं में से 63 सेल परिवार से हैं।

- सेल अध्यक्ष श्री एस. के. रूंगटा ने साल 2007–08 के लिए ''व्यक्तिगत'' वर्ग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से 15.10.2009 को स्कोप पुरस्कार प्राप्त किया।
- सेल ने 3 अन्य प्रमुख पुरस्कार भी प्राप्त किये – साल 2006–07 का ''संस्थागत'' वर्ग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान देने के लिए, और साल 2007–08 का ''खनन एवं धातु'' एवं ''सूचीबद्ध कंपनियों'' की श्रेणियों में 2 एमओयू एक्सीलेंस पुरस्कार।
- सेल ने ''धातु खनिज एवं व्यापार'' श्रेणी में पीएसयू के अन्तर्गत उत्कृष्टता के लिए दैनिक भास्कर से ''इण्डिया प्राइड अवार्ड'' हासिल किया। भारत के माननीय गृहमंत्री श्री पी. चिदंबरम से यह पुरस्कार निदेशक (वित्त) ने 9 अक्तूबर 2009 को नई दिल्ली में प्राप्त किया।
- सेल ने ''नेशनल सेन्टर फॉर प्रोमोशन ऑफ डिसेबल्ड पीपुल (एनसीपीईडीपी) – शैल हेलेन क्यलर अवार्ड 2009'' अर्जित किया। निदेशक (कार्मिक) ने 2 दिसंबर 2009 को इण्डिया इन्टरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल से प्राप्त किया।
- श्री जी. ओझा, तत्कालीन निदेशक (कार्मिक) को 10 दिसंबर 2009 को इंदौर (मध्य प्रदेश) में ''चौथे एम्प्लॉयर ब्रांडिंग अवार्ड्स के क्षेत्रीय दौर में मानव संसाधन नेतृत्व पुरस्कार – 2009'' से सम्मानित किया गया।
- श्री शैलेश भट्टाचार्य, निदेशक (वित्त) को माननीय शहरी विकास राज्य मंत्री श्री सुगत रॉय से ''सर्वश्रेष्ठ वित्त व्यवसायविद'' के तहत 18 दिसंबर 2009 को नई दिल्ली में ''जीएसबीए–टॉप रैंकर्स एक्सीलैंस पुरस्कार –2009'' से सम्मानित किया गया।
- सेल ने साल 2007–08 के लिए विशेषीकृत क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का ''स्कोप मेरीटोरियस पुरस्कार'' जीता।
- सेल गुणवत्ता सर्कल टीमों ने अक्टूबर 09 में फिलीपीन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता सर्किल सम्मेलन में निम्न पुरस्कार प्राप्त किये (स्वर्ण–8, रजत 1, कांस्य–6)
- सेल की वार्षिक रिपोर्ट को साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ एकाउंटेन्ट (साफा) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के अंतर्गत वर्ष 2008 के सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत लेखा पुरस्कार (द्वितीय स्थान) के विजेता के रूप में घोषित किया गया।

भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी)

- बीएसपी ने इको–इनोवेशन वर्क के अंतर्गत साल 2008 का ''गोल्डन पीकॉक पुरस्कार'' प्राप्त किया।
- बीएसपी ने 2007–08 के दौरान औद्योगिकी इंजीनियरिंग के भारतीय संस्थान द्वारा आयोजित वित्तीय एवं प्रचालनगत सुदृढ़ता की दृष्टि से उद्यम की उत्कृष्टता के लिए ''परफार्मेंस एक्सीलेंस पुरस्कार'' प्राप्त किया।
- बीएसपी ने सुझाव योजना के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए इण्डियन नेशनल सजेशन स्कीम एसोसिएशन से साल 2007–08 ''इनसान पुरस्कार'' प्राप्त किया।
- बीएसपी ने 2006–07 एवं 2007–08 के लिए देश में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र की प्रधानमंत्री ट्रॉफी प्राप्त कीं (नवम्बर 2009)।
- बीएसपी ने 14 दिसंबर 2009 को एकीकृत इस्पात संयंत्र की श्रेणी में ऊर्जा सरंक्षण प्रयासों के मान्यता स्वरूप विद्युत मंत्रालय से साल 2009 का ''राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार'' अर्जित किया।

- बीएसपी द्वारा गुणवत्ता पर निरंतर बल देने के लिए इंस्टिट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, नई दिल्ली ने साल 2010 का ''गोल्डन पीकॉक राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार'' से सम्मानित किया (जनवरी 2010)।
- बीएसपी के प्रबंध निदेशक को संगठन में गुणवत्ता की संकल्पना को प्रोत्साहन के लिए क्यूसीएफआई से साल 2009 का सर्वश्रेष्ठ प्रमुख कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ''क्यूसीएफआई पुरस्कार 2009'' प्राप्त हुआ (18 दिसंबर 2009)।
- बीएसपी की 3 क्वॉलिटी सर्किल टीमों ने गुणवत्ता नियंत्रण सर्किल पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में तीन पुरस्कार (स्वर्ण 2, कांस्य 1) प्राप्त किये।

दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी)

- डीएसपी ने 14 जून 2009 को व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मान्यता स्वरूप इंस्टिट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स से साल 2008–09 का ''गोल्डन पीकॉक ओएचएस पुरस्कार'' प्राप्त किया।
- डीएसपी ने अभिनव मानव संसाधन प्रविधियों एवं प्रणालियों के लिए इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से साल 2008–09 का ''आईएसटीडी पुरस्कार'' प्राप्त किया।
- डीएसपी ने ऊर्जा संरक्षण की दिशा में सुनियोजित एवं सामरिक पहल करने के लिए विद्युत मंत्रालय से एकीकृत इस्पात संयंत्र क्षेत्र में प्रतिष्ठित ''राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार–2009'' (प्रथम पुरस्कार) प्राप्त किया।

सेल के दुर्गापुर स्टील प्लांट के प्रबंध निदेशक श्री पी.के. बजाज को माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री, श्री सुशील कुमार शिंदे ''राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2009'' प्रदान करते हुए।

- डीएसपी को इंस्टिट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, नई दिल्ली से प्राप्त ''गोल्डन पीकॉक इनोवेशन प्रबंधन पुरस्कार'' 16 जनवरी 2010 को बैंगलौर में आयोजित एक समारोह में माननीय कंपनी मामलों के राज्य मंत्री श्री सलमान खुर्शीद द्वारा प्रदान किया गया।

बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल)

- बीएसएल ने उत्पादकता बढ़ाने के मान्यता स्वरूप सीआईआई पूर्वी क्षेत्र से साल 2008–09 का ''सीआईआई (पूर्वी क्षेत्र) उत्पादकता पुरस्कार'' प्राप्त किया।
- बीएसएल ने कामकाज में उत्कृष्टता के मान्यता स्वरूप भारतीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुबंई से साल 2007–08 का ''कार्यनिष्पादन उत्कृष्टता पुरस्कार'' प्राप्त किया।
- बीएसएल ने धातु एवं खनन के मान्यता स्वरूप ग्रीनटेक फाउंडेशन से ''ग्रीनटेक पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार 2009''–स्वर्ण श्रेणी में प्राप्त किया।

- बीएसएल ने पोस्टरों एवं स्लोगनों पर आधारित सुझावों के लिए इंडियन नेशनल सजेशन स्कीम ऐसोसिएशन से साल 2008 का ''इनसान पुरस्कार'' प्राप्त किया।

रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील (आरडीसीआईएस)

- आरडीसीआईएस के डॉ. एस.एन. प्रसाद, सहायक महाप्रबंधक, 15.09.2009 को माइनिंग जियोलॉजिकल एंड मेटलर्जीकल इंस्टिट्यूट कोलकाता के मान्यता स्वरूप फेरस मेटलर्जी में ''इन्द्राणिल पुरस्कार'' प्राप्त किया।
- आरडीसीआईएस के श्री टी.एस. रेड्डी ने मेटलर्जी विषय में अपने योगदान के मान्यता स्वरूप इस्पात मंत्रालय से साल 2009 का ''राष्ट्रीय धातुविद दिवस पुरस्कार–एनएमडी 2009'' प्राप्त किया।
- आरडीसीआईएस के श्री आई.एन.पी. गुप्ता एवं सुश्री अर्चना शरण ने प्रोसेस इंजीनियरी/इक्यूपमेंट एवं सिस्टम डिजाइन के विकास में उल्लेखनीय योगदान करने के लिए इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेटल से साल 2009 का ''मेकॉन पुरस्कार–एनएमडी 2009'' प्राप्त किया।
- आरडीसीआईएस के डॉ. डी. मुखर्जी, डॉ. रमन दत्ता, श्री पी. गुप्ता एवं सुश्री सीमा गुप्ता ने दि इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) से साल 2009 का ''डॉ. एम. विश्वेश्वराया पुरस्कार'' प्राप्त किया।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

- आरआईएनएल ने सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए साल 2006–07 की प्रतिष्ठित इस्पात मंत्री ट्रॉफी पहली बार प्राप्त की है।
- आरआईएनएल–वीएसपी को दसवें ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता हेतु 10वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सीआईआई द्वारा ''ऊर्जा दक्ष यूनिट'' से सम्मानित किया गया।
- आरआईएनएल की दो क्वालिटी सर्किल टीमों ने अक्तूबर 2009 के दौरान सेबु फिलीपीन में आयोजित आईसीक्यूसीसी 2009 में हिस्सा लिया एवं 1 स्वर्ण एवं 1 कांस्य पदक प्राप्त किये।
- 20 क्वालिटी सर्किल टीमों ने क्वालिटी सर्किल फोरम ऑफ इंडिया (क्यूसीएफआई) द्वारा दिसंबर 2009 में बैंगलौर में आयोजित गुणवत्ता सर्किलों के राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। अपनी परिस्थितियों के लिए 7 टीमों ने 'पार एक्सीलेंट' और 13 टीमों ने 'एक्सीलेंट' पुरस्कार प्राप्त किये।
- 2 क्वालिटी सर्किल टीमों ने नवम्बर 2009 में हैदराबाद में संपन्न सीआईआई राज्यस्तरीय क्वालिटी सर्किल प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया और एक टीम को तृतीय पुरस्कार मिला।
- आरआईएनएल ने इंडियन नेशनल सजेशन स्कीम एसोसिएशन (इनसान), मुबंई से राष्ट्रीय स्तर पर स्टील यूनिट वर्ग के तहत ''सुझाव योजना में उत्कृष्टता हेतु इंसान पुरस्कार'' (प्रथम पुरस्कार) प्राप्त किया।
- आरआईएनएल के कुछ विभागों से 5एस टीमों ने बैंगलौर में आयोजित क्वालिटी सर्किलों के राष्ट्रीय सम्मेलन में 'पार एक्सीलेंट' पुरस्कार प्राप्त किये।
- अखिल भारतीय प्रबंधन संघ द्वारा संचालित ''राष्ट्रीय प्रबंधन क्विज़–2009'' में आरआईएनएल को राष्ट्रीय चैम्पियन घोषित किया गया।

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

मॉयल अपने लगभग हर क्षेत्र की गतिविधियों में अच्छे कार्य के लिए निरंतर राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मान्यता प्राप्त करता रहा है। कंपनी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त कुछ सम्मान निम्न हैं :

- भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किये गए।

माइंस	श्रेणी	वर्ष 2007
डोंगरी बुर्जुग माइन	दीर्घतम दुर्घटना मुक्त अवधि	विजेता
बेलडोंगरी	लघुतम चोट आवृत्ति दर	उप विजेता

- भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा साल 2007 का एमओयू एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया।
- कांदरी खान को खनन क्षेत्र में साल 2009 का राष्ट्रीय ऊर्जा सरंक्षण पुरस्कार–द्वितीय पुरस्कार दिया गया।

- राष्ट्रीय गुणवत्ता सर्किल अवार्ड 2009–एनसीक्यूसी 2009 में, डोंगरी बुजुर्ग माइन की टीम पंचरत्न क्वालिटी सर्किल ने 'पार एक्सीलेंट' पुरस्कार और तिरोडी माइन की परख क्वालिटी सर्किल ने 'एक्सीलेंट' पुरस्कार प्राप्त किया।

कंपनी संगठन के अंदर प्रतिभाओं को सम्मानित भी करती है और कंपनी के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए सक्रिय रूप से भागीदारी करने एवं सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करती है।

एनएमडीसी लिमिटेड

- एनएमडीसी ने 25 मई 2009 को मनाली में आयोजित 12वें प्रमुख कार्यपालक अधिकारियों के सम्मेलन में साल 2007–08 का आईआईआईई परफार्मेंस एक्सिलेंस पुरस्कार प्राप्त किया।
- एनएमडीसी ने 9 अक्तूबर 2009 को माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री श्री पी. चिदंबरम से सीएसआर एक्सीलेंस के लिए इंडिया प्राइड पुरस्कार प्राप्त किया।
- एनएमडीसी ने 27 नवंबर 2009 को माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री ज्योतिरादित्या एम. सिंधिया से साल 2008–09 का कैपेक्सिल टॉप निर्यात पुरस्कार प्राप्त किया।

माननीय केंद्रीय गृह मंत्री, श्री पी. चिदंबरम 9 अक्तूबर 2009 को एनएमडीसी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, श्री राणा सोम को साल 2008–09 हेतु सीएसआर उत्कृष्टता के लिए इंडिया प्राइड पुरस्कार प्रदान करते हुए।

अध्याय–XIX

इस्पात के इस्तेमाल को बढ़ावा

घरेलू इस्पात की खपत बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान

राष्ट्रीय इस्पात नीति के सबसे बड़े उद्देश्यों में से एक है देश में इस्पात की मांग और खपत को निरतंर बढ़ाना। मार्च 2007 में शुरू हुए अभियान को आगे बढाते हुए इस्पात के विभिन्न अभिनव एवं आम इस्तेमालों के प्रति जनजागरूकता लाने के लिए इस्पात विकास एवं संवर्द्धन संस्थान (इन्सडैग) ने विभिन्न अभिनवों एवं किफायती समाधान प्रस्तुत किये हैं।

स्टील इन्टेंसिव हाउसिंगः इन्सडैग ने शहरी क्षेत्रों में सस्ती आवास परियोजनाओं में स्टील के इस्तेमाल के फायदों को रेखांकित करते हुए आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष एक विस्तृत तकनीकी प्रस्तुति पेश की थी। तदनुरूप, इन्सडैग ने कुछ मॉडल जी + 3 भवन योजनाएं विकसित की, स्टील इन्टेंसिव डिजाइन पूर्ण किये और उसके लागत अनुमान के साथ संबंधित मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किये। ग्रामीण आवास हेतु विभिन्न स्टील इन्टेंसिव समाधानों के विकास और उनकी समुचित प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुति भी इन्सडैग की ओर से की जा रही है। आरआईएनएल द्वारा विशाखापटनम में आवास, जनसुविधाओं, बैठक हाल एवं स्कूल बिल्डिंग से युक्त एक मॉडल स्टील विलेज पहले ही निर्मित कर लिया गया है। एक बार अंतिम रूप दे दिये जाने के बाद, इन उपायों से घरेलू इस्पात खपत में कई गुना वृद्धि होगी।

भूकम्परोधी स्ट्रक्चरल्स एवं रिबार्सः इन्सडैग ने सेल, आरआईएनएल एवं टाटा स्टील द्वारा विनिर्मित भूकम्परोधी स्ट्रक्चरल्स एवं रिबार्स पर दो पृथक भारतीय मानकों की शुरूआत करते हुए सुरक्षित भवन प्रविधियों को लोकप्रिय करने का प्रयास किया है। भूकम्परोधी स्ट्रक्चरल मानक को अंतिम रूप दे दिया गया है और शीघ्र ही यह उपलब्ध होगा। जबकि भूकम्परोधी रिबार मानक की अब भारतीय मानक ब्यूरो की सिविल इंजीनियरी समिति समीक्षा कर रही है। जैसा कि अधिकांश भारत अत्यंत भूकम्प संवेदनशील क्षेत्र में आता है, देश में इस्पात की खपत बढ़ाने के लिए यह अत्यंत लाभदायक होगा।

ब्रिज एवं पुलियाः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में एक अन्य क्षेत्र ब्रिज एवं पुलिया है। इन्सडैग के डिजाइन के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (एनआरआरडीए) ने ग्रामीण ब्रिज एवं पुलिया हेतु एक डिजाइन मैनुल तैयार किया है, जिसका निर्माण देश भर में किया जायेगा। इन्सडैग ग्रामीण एवं शहरी ब्रिजों के साथ–साथ लिमिट स्टेट प्रविधि के साथ आईआरसी–22 के अनुसार स्टील कंकरीट कम्पोजिट ब्रिजों के कई अन्य किस्मों का डिजाइन बना रहा है।

माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह सेल पवेलियन, आईआईटीएफ 2009 में।

स्टील बुलॉक कार्टः अब तक इन्सडैग द्वारा यथा विकसित एवं सेल, आरआईएनएल एवं अन्य निजी क्षेत्र के स्टील यूनिटों द्वारा प्रायोजित 800 स्टील बुलॉक कार्ट वितरण के लिए निर्मित कर ली गई हैं। स्टील बुलॉक कार्ट की प्रारंभिक बुलॉक कार्ट के साथ तुलना करते हुए इसकी उपयोगिता का व्यापक प्रचार किया गया। जिला प्रशासन के जरिये खास कर गरीब तबके के लोगों को इनका वितरण किया जायेगा।

ज्ञान का प्रसारः ब्रिज, फ्लाईओवर और गगनचुम्बी इमारतों में स्टील का उपयोग बढाने के लिए इन्सडैग ने वास्तुकारों, इंजीनियरों एवं भवन निर्माताओं के साथ निरंतर विचार विमर्श किया जा रहा है और स्टील इन्टेसिव स्ट्रक्चरल डिजाइन को बढ़ावा देने के लिए व्यवसायविदों, सलाहकारों और अध्यापकों का भी मार्गदर्शन किया जा रहा है। इन्सडैग ने वीआईएस एवं आईआरसी कोड्स एवं देश में तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम को भी संशोधित करने के लिए कदम उठाए। इन्सडैग संशोधित स्टील से संबधित संशोधित डिजाइन कोड के समुचित उपयोग के लिए अनेक गाइड बुक भी तैयार कर रही है और बडी संख्या में सिविल इंजीनियरी अध्यापकों एवं कार्यरत व्यवसायविदों को प्रशिक्षित कर रहे हैं।

ग्रामीण भारत में इस्पात मांग के आकलन हेतु अध्ययन

आगामी वर्षों में भारत की इस्पात उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ने जा रही है। वर्तमान में 47 किलोग्राम प्रतिव्यक्ति की न्यून खपत 190 किलो ग्राम विश्व औसत की तुलना में काफी कम है, जो इस तर्क को बल देता है कि घरेलू इस्पात उद्योग में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। इस्पात मंत्रालय की कोयला एवं इस्पात पर अनुदान मांग (2007–08) की संसदीय स्थायी समिति (पीएससी) ने अपनी 25वीं रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि 'इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इस्पात उद्योग के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा बनाने के साथ साथ प्रतिव्यक्ति इस्पात खपत बढाने की जरूरत है'। समिति ने यह भी पाया कि 'खपत का इच्छित स्तर प्राप्त करने के लिए सबसे बडी चुनौती शहरी एवं ग्रामीण इलाकों के बीच व्यापक विषमता को हटाना है। इसलिए समिति ने इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की मांग का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण कराये'।

स्थायी समिति की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए, इस्पात मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की मांग का आकलन करने के लिए संयुक्त संयंत्र के जरिये एक सर्वेक्षण करवा रहा है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य भारतीय ग्रामीण बाजार में इस्पात के विभिन्न मदों की खपत प्रवृतियों का आकलन करना है। यह सर्वेक्षण ग्रामीण भारत के विकास के लिए नितांत रूप से केन्द्रित भारत निर्माण इत्यादि जैसी परियोजनाओं के जरिये बुनियादी ढांचे के विकास में जाने वाले निवेश से उत्पन्न इस्पात मांग को भी देखना होगा।

इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव के नेतृत्व और उद्योग एवं औद्योगिक संघों के सदस्यों से युक्त एक तकनीकी समिति का गठन सर्वेक्षण की निगरानी के लिए किया गया है। तकनीकी समिति द्वारा बाजार अनुसंधान में अग्रणी, आईएमआरबी इंटरनेशनल का फील्ड एवं विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण करने के लिए चुना गया है। सर्वेक्षण निम्न पर विचार करते हुए ग्रामीण जनसंख्या की स्तरपरक सैंपलिंग पर आधारित होगीः

- पृथक रूप से सभी 35 राज्य एवं संघ शासित इकाइयां
- 300 जिले (ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर)
- 1500 गांव (ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर)
- प्रत्येक गांव में कम से कम 15–20 घर और ग्राम पंचायत जैसी सभी संस्थाएं
- ग्रामीण स्तर पर कुल 4500 विनिर्माता एवं 8000 फुटकर विक्रेता (उत्पादन/कारोबार के आधार पर)

सर्वेक्षण के लिए विश्लेषण उद्देश्य से, डाटा तीन वर्षों यथा 2006–07, 2007–08 और 2008–09 के लिए एकत्रित किये जायेंगे और ग्रामीण इस्पात मांग का आकलन 2011–12, 2016–17 और 2019–20 की अवधियों के लिए किया जायेगा। देश में 4 क्षेत्रों (उत्तर, दक्षिण, पूरब एवं पश्चिम) में से प्रत्येक से 1 जिले में पायलेट सर्वेक्षण पहले ही कर दिया गया है। चिन्हित जिलों में पश्चिम बंगाल में नादिया (पूरब), उत्तर प्रदेश में रायबरेली (उत्तर), महाराष्ट्र में अहमदनगर (पश्चिम) एवं तमिलनाडु में वेल्लोर (दक्षिण) थे।

इस्पात वितरण तंत्र

संप्रग के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत आम आदमी के हितों को ध्यान में रखते हुए इस्पात की कीमतों को वाजिब स्तर पर रखने की जरूरत महसूस की गई। इसलिए, प्रमुख इस्पात उत्पादकों ने 8 सितम्बर 2006 को मंत्रालय की एक बैठक में निर्णय लिया कि अपने डीलरों के नेटवर्क के जरिए वह ग्रामीण इलाकों में भी उसी दर पर इस्पात उपलब्ध कराएंगे जिस दर पर वह बड़े शहरों में मिलता है और यह निर्णय किया गया कि आम लोगों तक इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर कम से कम एक डीलर हो। परिणामस्वरूप, परिवहन खर्च के साथ–साथ वितरण/थोक बिक्रेताओं का मार्जिन एक बडे हिस्से का खर्च उत्पादकों द्वारा उठाया जायेगा।

इससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ग्राहकों को प्रति टन करीब 600–1000 रुपये की राहत मिल रही है। देशभर के ग्रामीण इलाकों में इस्पात की आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, सेल और आरआईएनएल ने अपने वितरण नेटवर्क का तेजगति से विस्तार कर रही हैं, जिसका लक्ष्य देश के प्रत्येक जिले में डीलरों को रखना है।

जिला स्तर पर डीलरशिप का वितरण करते समय एससी/एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। एससी/एसटी और ओबीसी श्रेणियों के लोगों को उनकी विस्तृत भागीदारी के लिए प्रवेश शर्तों में भी ढील दी गई।

सेल द्वारा इस्पात के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- अप्रैल 2008 से मार्च 2009 के बीच 7 नए स्थानों पर गोदाम स्थापित कर वितरण नेटवर्क को मजबूत किया गया। अप्रैल–सितंबर 2009 के दौरान विपणन तंत्र का पुनः विस्तार करते हुए 2 ग्राहक संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति एवं 2 नये गोदामों को खोला गया। इसके साथ, ही सेल के व्यापक वितरण तंत्र में 1 जनवरी 2010 को 37 शाखा बिक्री कार्यालय, 26 ग्राहक संपर्क कार्यालय और 67 गोदाम हो गये हैं। सेल के पास देश के इस्पात उत्पादकों में शाखाओं एवम् गोदामों का सबसे बड़ा तंत्र है जिससे उपभोक्ताओं के घर के पास व्यापक रेंज की जरूरत पूरी करने में मदद मिलती है।
- सेल ने अपने डीलर नेटवर्क में भी बड़े पैमाने पर विस्तार किया है। 01 जनवरी 2010 को सेल के 599 जिलों में 1963 डीलर थे। रीबार्स और गैल्वेनाइज्ड शीट्स जैसे बड़े पैमाने पर खपत वाले ऐसे उत्पाद जिनकी जरूरत आम लोगों को रहती है उन्हें जिला स्तर के डीलरों के माध्यम से बेचा जा रहा है।
- कंपनी द्वारा डीलरों को बेहतर प्रदर्शन करने और सेल के इस्पात की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं की शुरुआत की गई। सेल ने अपनी पहली डीलर पुरस्कार योजना ''गौरव सम्मान'' का आयोजन अप्रैल 2008 में बेंगलुरू में किया था। इस आयोजन में वर्ष 2007–08 के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले डीलरों को सम्मानित किया गया और दूसरा समारोह मई 2009 में गोवा में आयोजित हुआ जिसमें 2008–09 के कामकाज के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले डीलरों को सम्मानित किया गया।
- सेल अपने इस्पात को बढ़ावा देने के लिए डीलरों, वास्तुविदों और कारीगरों के साथ नियमित रूप से बैठकों का आयोजन करता रहता है। अप्रैल–दिसंबर 2009 के दौरान, 55 डीलर बैठकों, 17 वास्तुविद बैठकों एवं 8 कारीगर बैठकों का आयोजन किया गया।
- सेल ने 4 अक्टूबर 2008 को दिल्ली में 22वीं इस्पात उपभोक्ता परिषद की बैठक के दौरान दो निर्देशिकाएं जारी कीं। इनमें सेल के डीलरों के नेटवर्क और सेल के गोदामों के नेटवर्क की जानकारी उपलब्ध कराई गई। इन निर्देशिकाओं को परिषद के सदस्यों के बीच वितरित किया गया ताकि सेल के विक्रय केंद्रों के बारे में उनकी जानकारी बढ़े।
- विनिर्माण तथा सुरंग आदि के निर्माण में काम आने वाले जंगरोधी/और भूकंप प्रतिरोधी टीएमटी बार्स जैसे नए उत्पादों से उपभोक्ताओं को परिचित कराने के लिए तकनीकी प्रस्तुतियां समय–समय पर कराई जातह हैं।
- सेल ने डीलरों के माध्यम से बिक्री बढ़ाने के लिए कई प्रमोशनल गतिविधियों की शुरुआत की है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:
  - अंदरूनी क्षेत्रों के अलावा कई स्थानों पर वाल पेंटिंग्स करवाना।
  - एफएम रेडियो पर रेडियो जिंगल्स का प्रसारण।
  - उत्पादों के ब्रोशर/तकनीकी पाठ्य सामग्री आदि डीलरों को वितरित किया गया ताकि वे ग्राहकों को इन्हें उपलब्ध करा सकें।
  - प्रचारात्मक मदों (कैलेंडर/पेन/की–चेन/टी शर्ट/बैग इत्यादि) को ग्राहकों में वितरित किया गया।
  - प्रिंट मीडिया में डीलरों का विज्ञापन/डीलर विवरण सेल वेबसाइट पर भी अद्यतन किया जाता है।
  - सभी डीलर शॉप्स में सेल अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरआरपी) को व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाता है और इसे सेल वेबसाइट पर भी नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।
  - डीलरों को निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने एवं सेल स्टील को बढ़ावा देने के लिए, कंपनी द्वारा प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं।
- इस्पात के विभिन्न उपयोगों को रेखांकित करने के लिए मेलों एवं प्रदर्शनियों में सहभागिता।
- ब्रांड जागरूकता लाने के लिए ट्रेन की टिकटों और शताब्दी जैसी कुछ प्रमुख ट्रेनों पर सेल विज्ञापन जारी किये गये।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल लगातार इस्पात के उपयोग को बढावा देने के लिए विभिन्न उपयोगों की जरूरतों को पूरा करने के ध्येय से नए उत्पादों का विकास कर रहा है। उपभोक्ताओं की नए इस्पात उत्पादों/ग्रेडों/आकारों की जरूरत का अध्ययन किया गया और यदि यह व्यावहारिक पाया गया तो इनका विकास कर उपभोक्ताओं को इनकी आपूर्ति कर दी जाती है। अप्रैल–दिसंबर 2009 के दौरान, उपभोक्ता की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए 19 नये उत्पाद विकसित किये गये। इन नये उत्पादों का विकास ट्रांसमिशन लाइन टावर क्षेत्र, शिप बिल्डिंग उद्योग में एंकर लिंक चेन्स, वाहन उद्योग में फास्टनर्स, हेलीकल स्प्रिंग, एक्सल शॉफ्ट, एचसीवी के लिए यू–बोल्ट, वाहन पुर्जे इत्यादि जैसे उपयोगों के लिए किया गया।

आरआईएनएल द्वारा आदर्श इस्पात ग्राम का निर्माण।

ग्रामीण इलाकों में इस्पात की खपत को बढ़ावा देने के लिए, आरआईएनएल ने जिला स्तरीय डीलरशिप योजना (डीएलडी) शुरू की। डीएलडी का मुख्य उद्देश्य वीएसपी के उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए एक व्यापक वितरण नेटवर्क स्थापित करना है। अब तक, आरआईएनएल ने दक्षिण भारत के लगभग सभी जिलों अर्थात् आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कनार्टक और केरल तथा पड़ोसी राज्यों उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र में डीएलडी की नियुक्ति की है। जनवरी, 2010 तक 80 डीएलडी की नियुक्ति हो गई है।

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष में डीएलडी द्वारा उठाए गए इस्पात की मात्रा निम्न है:

(यूनिटः टन)

2006–07	2007–08	2008–09	2009–10 (अप्रैल–दिसंबर)
10434	34922	42953	8005

इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले सालाना आवंटन के अनुसार, आरआईएनएल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कारपोरेशंस/नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (एसएसआईसी/एनएसआईसी) को इस्पात की आपूर्ति करती है। निगमों को उन्हें आपूर्ति की गई सामग्रियों के सम्भाल प्रभार का निपटान करने के लिए प्रति टन 500 रुपए की जेपीसी रिआयत दी जाती है। अप्रैल – दिसंबर 2009 की अवधि के दौरान, आरआईएनएल द्वारा एसएसआईसी/एनएसआईसी को 60,032 टन इस्पात उत्पादों की आपूर्ति की गई।

अध्याय 20

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

वर्ष 2007–08 के बाद से ही कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) को मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों (पीएसयू) के बीच हुए समझौतों (एमओयू) का प्रमुख मानक माना गया है। विभिन्न पीएसयू में पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक विकास, परिधीय विकास, परिवार कल्याण, सामाजिक पहलें और अन्य ऐसी ही सीएसआर गतिविधियां चलाई जा रही हैं और उन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

- वर्ष 2007–08 से ही इस्पात क्षेत्र की सभी फायदेमंद पीएसयू द्वारा अपनी वितरणयोग्य अतिरिक्त आय का 2 प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों के लिए निश्चित की गई है। खनन क्षेत्र की पीएसयू–एनएमडीसी ने अपने वितरणयोग्य अतिरिक्त आय का 5 प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों के लिए निश्चित किया है।
- वर्ष 2008–09 के दौरान इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली पीएसयू को सीएसआर गतिविधियां संचालित करने के लिए 290.11 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। वर्ष 2008–09 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर कुल 229 करोड़ रुपये खर्च किए गए। ब्यौरा **परिशिष्ट–15** में दिया गया है।
- सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत सेल और अन्य पीएसयू द्वारा 400 से अधिक चिकित्सकीय/स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए जिनसे 5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए।

माननीय केंद्रीय इस्पात मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह और माननीय केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री, श्री ए.साई प्रताप करार पर हस्ताक्षर समारोह में अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के प्रमुख श्री लियेंद्रो नेगरे (दायें से तीसरे) के साथ। इस करार के तहत स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) नई दिल्ली में फरवरी–मार्च 2010 में आयोजित हीरो होंडा हॉकी (एफआईएच) वर्ल्ड कप 2010 का प्रस्तुति भागीदार बना है। चित्र में इस्पात सचिव, श्री अतुल चतुर्वेदी (दायें से दूसरे), विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार श्री बी.एस. मीणा (दायें), सेल अध्यक्ष, श्री एस.के. रूंगटा (बायें) और श्री जी. ओझा, तत्कालीन निदेशक (कार्मिक), सेल (बायें से तीसरे) दिखाई दे रहे हैं।

- सेल, एनएमडीसी, आरआईएनएल, एमओआईएल, केआईओसीएल, एमईसीओएन, एमएसटीसी, एफएसएनएल और ओएमडीसी ने सितम्बर– अक्टूबर 2008 में बिहार बाढ़ राहत गतिविधियों में 30 करोड़ रुपये से अधिक का सहयोग दिया।

आदर्श इस्पात गांव

मंत्रालय ने सभी प्रमुख इस्पात निर्माताओं से कहा है कि वे सीएसआर के अंतर्गत अपने संयंत्रों के आसपास स्थित गांवों को गोद लें। उन्हें इन गांवों को समग्र विकास के मॉडल के साथ आदर्श इस्पात गांवों के रूप में विकसित करने को कहा गया है। इस विकास मॉडल में – चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा, खेल, आदि का बेहतर स्तर तथा कृषि, स्वयं सहायता समूहों, सड़कों और संचार, सफाई तथा सामुदायिक केंद्रों को बढ़ावा देकर जीवनस्तर में सुधार शामिल है।

इन आदर्श गांवों में भंडारण के लिए इस्तेमाल होने वाला बर्तन, बैलगाड़ियों, विद्यालयों, पंचायत हालों, स्वास्थ्य केंद्रों के भवन, वाटर टैंक तथा प्रतीक्षालय आदि के निर्माण में इस्पात का अधिक उपयोग करने पर जोर दिया गया है।

सेल, एनएमडीसी, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), और मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (एमओआईएल) द्वारा सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत 149 गांवों को आदर्श गांवों के रूप में विकसित किया जा रहा है। सेल ने 7 राज्यों में 79 गांवों को गोद लिया है। इनमें से छत्तीसगढ़ में (21 गांव), पश्चिम बंगाल (20 गांव), उड़ीसा (19 गांव), बिहार (3 गांव), झारखंड (13 गांव), कर्नाटक (1 गांव), मध्य प्रदेश (1 गांव) और तमिलनाडु (1 गांव) शामिल हैं। इन 79 गांवों में से, 46 गांवों का काम वर्ष 2009–10 (दिसंबर 2009 तक) में पूर्ण कर लिया गया है। एनएमडीसी ने छत्तीसगढ़ की बैलाडिला परियोजना के निकट 58 गांवों को और कर्नाटक के डोणिमलाई क्षेत्र में 8 गांवों को गोद लिया है। बैलाडिला परियोजना के निकट 58 गांवों का परियोजना पूर्व सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। बैलाडिला क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर एनएमडीसी द्वारा पहले 2 गांवों का समेकित विकास शुरू किया गया है। बाद में उसे वर्ष के दौरान 2.5 करोड़ रुपये की लागत से आठ गांवों तक बढ़ाया गया। बाद में परियोजना सभी 58 गांवों के लिए प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शुरू की जायेगी। मॉयल ने महाराष्ट्र में 3 और मध्य प्रदेश में 2 गावों को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के लिए गोद लिया है। आरआईएनएल ने आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के लिए 7 गांवों को गोद लिया है।

विभिन्न पीएसयू को यह सलाह दी गई कि वे सीएसआर के क्रियान्वयन और समीक्षा के लिए बने अपने मौजूदा तंत्र को मजबूत करें। अपने प्रतिनिधि संगठनों में उपयुक्त अधिकारियों को पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के साथ नियुक्त करें ताकि वे आवंटित बजट के अनुरूप सीएसआर गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकें। ये पीएसयू धीरे–धीरे अपनी सीएसआर गतिविधियों को एससी, एसटी और समाज के कमजोर तबकों के रिहाइश वाले इलाकों में बढ़ाएंगे। इसके अलावा ये पीएसयू उन राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और प्रतिष्ठित स्थानीय संस्थाओं को सहायता प्रदान करेंगे जो कला, संस्कृति, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, खेल और ऐसे ही अन्य कार्यों को बढ़ावा देने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में बाढ़ से आई तबाही को ध्यान में रखते हुए कुछ पीएसयू ने प्रभावित राज्यों में राहत कार्यक्रम भी आयोजित किए।

संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)

संयुक्त संयंत्र समिति की प्रथम सीएसआर गतिविधि

संयुक्त संयंत्र समिति ने अपना 46वां स्थापना दिवस 1 मार्च 2009 को मनाया। इस अवसर पर, जेपीसी द्वारा 50 शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को ट्राईसिकल्स वितरित किये गये। लाभ उठाने वाले लोगों की पहचान भारत सेवा आश्रम संघ द्वारा की गई थी। इस अवसर पर मनोविकास केन्द्र (विकलांग लोगों हेतु पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान) के ''निःशक्त'' बच्चों ने अपनी प्रस्तुति की।

सेल द्वारा परिक्षेत्रीय गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

सेल में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

सेल का सामाजिक उद्देश्य निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का पर्याय है। इस्पात विनिर्माण के बिजनेस के अलावा, कंपनी का उद्देश्य इस तरह से अपने बिजनेस का संपादन करना है जिससे अपने आसपास समुदायों का सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक हित लाभ हो। किसी भी संगठन के लिए, सीएसआर, की शुरूआत समाज पर उसके बिजनेस के प्रभाव की जानकारी से होती है। सेल का मूल मंत्र विशेषतः व्यापक रूप से समाज के प्रति अपनी वचनबद्धता को रेखांकित करता है और जो ''लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास'' का उल्लेख करता है।

सन् 1973 में अपने गठन के बाद से ही, जब 'निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व' इतना प्रचलित नहीं हुआ था, सेल ने अपने आसपास अपने कारखानों और इकाइयों के आस–पास की आबादी एवं समुदायों की सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए प्रणालियां स्थापित की। इसका उद्देश्य है–उस परिवेश में संपन्नता का बीज बोना है जिससे उसने अपनी शक्ति जुटाई, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी ढांचा और सब को रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए असमानता को कम करना, यह सुनिश्चित करना की मानव एवं प्रकृति में सामंजस्य स्थापित हो, भारतीय संस्कृति की मौलिकता एवं सौन्दर्य संरक्षण करना और साथ ही साथ वैज्ञानिक प्रगति एवं आधुनिक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। कंपनी के बिजनेस दर्शन में आर्थिक, पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रगति को समेटते हुए त्रिआयामी दृष्टिकोण समाहित है। सेल की वचनबद्धता समाज के निर्माण एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए, मानव संपदा के पोषण में प्रतिबिंबित होती है।

सेल की सीएसआर नीति की मान्यता है कि बिजनेस गतिविधियों का समाज पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कंपनी अनुवरत विकास के प्रति अपनी वचनबद्धता को प्रमाणित करने एवं अपने स्टेकधारको के हितो को पूरा करने के लिए अपने बिजनेस मूल्यों और प्रचालनों को एक नीतिसम्मत एवं पारदर्शी पद्धति से एकीकृत करने की ओर बढ रही है। कंपनी अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों, पर्यावरण एवं आर्थिक परिविधियों में निरंतर सुधार करने के लिए वचनबद्ध है ताकि समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़े।

सेल ने अपने कारखानों, यूनिटों और आस–पास के क्षेत्रों में जो अनगिनत अदृश्य निवेश किया है, के अलावा सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष क्षेत्रों में समन्वित एवं सुनियोजित प्रयास भी किये गये हैं। सेल ने पर्यावरण सरंक्षण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, महिलाओं के उत्थान, पेयजल की व्यवस्था एवं सहायक उद्योग के विकास में अनेक प्रभावी उपाय किये हैं। अपने कारखानों एवं यूनिटों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा देखभाल, शिक्षा पानी की आपूर्ति साफ–सफाई बिजली एवं सड़क, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, बिजली, खेलकूद, संस्कृति इत्यादि जैसे विभिन्न मसलों को व्यवस्थित रूप से देखते हुए, सेल ने अपने आस–पास के क्षेत्रों के आर्थिक विकास में अपार योगदान दिया है।

इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि सेल के संयंत्रों के आसपास स्थित गांव जो पहले पिछड़े हुए थे अब बड़े औद्योगिक केंद्रों में तब्दील हो चुके हैं। सेल ने लगभग 26.7 मिलियन लोगों को विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 61 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 8 प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य केंद्र, 18 अस्पताल और 6 अत्यंत विशिष्ट अस्पताल स्थापित किये हैं। सेल ने अपनी इस्पात नगरियों में 138 से अधिक स्कूल खोले हैं जिनमें करीब 74,000 बच्चों को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। जनजातीय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के अलावा, सेल ने अपनी यूनिटों के आसपास के गांवों के 55,000 से अधिक बच्चों से युक्त 260 स्कूलों को मदद प्रदान की है। अपने इस प्रयास से, सेल ने शिक्षा के सभी स्तरों पर बालक और बालिका में 1:1 का अनुपात पाने में सफलता हासिल की है और पढाई जारी रखने की दर अर्थात् नामांकित बच्चों का स्कूल में बने रहने की दर सेल के प्राथमिक विद्यालयों में 95 प्रतिशत और सेल के सेकेण्डरी स्कूलों में 90 प्रतिशत है।

समाज के विकास में सेल के योगदान को अत्यधिक प्रशंसा मिली है और उसे वर्ष के दौरान सम्मानित भी किया गया है। सेल को ''स्टीवी अवार्ड–2009'' का फाइनलिस्ट घोषित किया गया, भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी)–सेल को सीएसआर के लिए ''गोल्डन पीकॉक अवार्ड–2008'' से सम्मानित किया गया और सेलम स्टील प्लांट (एसएसपी)–सेल को सीएसआर पहल के जरिये समाज के उपेक्षित तबकों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान करते हुए अपने मूल्यवान योगदान के लिए तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2007–08 और 2008–09 के दौरान ''सीएसआर अवार्ड'' से सम्मानित किया। सेल ने ''नेशनल सेंटर फॉर प्रोमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल (एनसीपीईडीपी) – शैल हेलेन केलर अवार्ड 2009'' भी प्राप्त किया।

सेल ने देश भर के 8 राज्यों (छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखण्ड, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश) में 79 गांवों को गोद लिया है और इनको चरणबद्ध तरीके से आदर्श इस्पात गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन गांवों में चलाई जा रही विकास संबंधी गतिविधियों में शामिल हैं :

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं,
- शिक्षा,
- सड़क और संपर्क मार्ग,
- जल सुविधाओं की पहुंच,
- सफाई,
- सामुदायिक केंद्र,

- जीविका उपार्जन,
- खेल संबंधी सुविधाएं, इत्यादि।

सितंबर 2009 के अंत तक सेल द्वारा स्थापित आदर्श इस्पात गांवों की कुल संख्या 46 पहुंच गई है। इस तरह से, इस दिशा में सीएसआर प्रयासों के परिणाम ग्राम्य जीवन के तकरीबन सभी क्षेत्रों तक पहुंचेंगे और उन्हें अधिक बेहतर जीवन स्तर प्राप्त होगा।

अपनी स्थापना से ही, कंपनी ने अपने कारखानों/इकाइयों के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की चिकित्सा देखभाल कर एक स्वस्थ जीवन प्रदान करने का प्रयास किया है। जैसे कि कारखाने/इकाइयां प्रमुख रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं, कंपनी ने अपने कर्मचारियों के साथ–साथ आस–पास रहने वाले लोगों के लिए बेहतर एवं स्वस्थ जीवन परिस्थितियां बनाने के लिए कदम उठाएं हैं। कंपनी निश्चित दिनों में विभिन्न गावों में अनेक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करती है। स्वास्थ्य शिविरों को उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने और लोगों को टीकाकरण, रक्तदान, जल शुद्धिकरण टेबलेट, हैंडबिल का वितरण इत्यादि द्वारा स्वास्थ्य से जुड़े मसलों के प्रति लोगों को सचेत किया जाता है और इन चिकित्सा/स्वास्थ्य शिविरों में दवाइयां वितरित की जाती हैं। समय–समय पर गायनाकॉलोजी, कार्डियालोजी, बाल चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड, ऑर्थोपेडिक्स के क्षेत्र में विशेषज्ञों का प्रावधान किया जाता है।

सेल नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर रहा है जिनमें लाभान्वित होने वाले लोगों को निम्न सुविधाएं दी जाती हैं:

- मुफ्त स्वास्थ्य जांच
- पैथोलॉजिकल लैब ट्रीटमेंट
- दवाइयां
- शल्य चिकित्सा वाले मामले प्लांट अस्पतालों को भेजे जाते हैं (मुफ्त रहना, आने व जाने का किराया एवं एक अटेंडेंट के साथ भोजन)
- शल्य चिकित्सा के बाद जांच इत्यादि (यदि जरूरी हो)।

पांच एकीकृत इस्पात कारखाना केन्द्रों पर गरीब तबके के बच्चों के लिए अलग स्कूल स्थापित किये गये हैं जिनमें 1400 से अधिक गरीब बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। यहां पर उन्हें मुफ्त शिक्षा स्टेशनरी मदें, पुस्तकों, वर्दी की मदद एवं दिन में पोषक आहार दिया जाता है। कंपनी देश में अपने इस्पात कारखानों/इकाइयों के आस–पास के क्षेत्र में करीब 140 स्कूलों को मदद पहुंचाती है। एससी/एसटी बच्चों को अनेक हितलाभ प्रदान किये जा रहे हैं जैसे मेधावी एससी/एसटी अंडरग्रेजुएट इंजीनियरी बच्चों को छात्रवृत्तियां, भिलाई में 118 आदिवासी बच्चों और बोकारो में लगभग लुप्त बिरहोर जनजाति के अन्य 12 बच्चे गोद लिये गये और उन्हें मुफ्त शिक्षा, रहने–खाने की सुविधा इत्यादि। आदिवासी बच्चों को गोद लेने और उन्हें मुफ्त शिक्षा व अन्य सुविधाएं प्रदान करने के अलावा, गुआ माइंस में एक आईटीआई की स्थापना की गई।

सेल के प्रत्येक कारखाने मे अपने आसपास के क्षेत्रों (अपनी टाउनशिप के लगभग 18 कि.मी. का दायरे) में पेयजल की व्यवस्था की है। इसके लिए 4,714 जल स्रोतों की स्थापना की गई, जिनसे करीब 37 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध हुई।

सेल पक्की सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत के कार्यों में लगा रहा है। मार्च 2009 तक, 435 गांवों के 56 लाख लोगों के लिए इस आधुनिक बुनियादी सुविधा (सड़क) का निर्माण किया गया।

अपनी स्थापना से ही खेलों को प्रोत्साहन देना सेल के निगमित दर्शन का एक अभिन्न अंग रहा है। कंपनी ने 6 खेल अकादमियों की स्थापना की है जैसे भिलाई में लड़कों के लिए एथलेटिक्स अकादमी, राउरकेला में हॉकी अकादमी, बोकारो में फुटबॉल अकादमी, दुर्गापुर में लड़कियों के लिए एथलेटिक्स अकादमी, किरीबुरू में तीरंदाजी अकादमी और बर्नपुर में फुटबॉल अकादमी।

खेल अकादमियां इस्पात कारखानों के आस–पास के क्षेत्रों के साथ–साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों का मुआयना करती हैं और उपर्युक्त युवा प्रतिभाओं का नामांकन हेतु चयन करती हैं। प्रशिक्षुओं को प्रत्येक क्षेत्र में सुशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा सख्त प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें प्रतियोगिता के उच्चतर स्तरों के लिए तैयार किया जाता है। खेल गतिविधियों पर निरंतर बल देने से ऐसे खिलाड़ियों को विकसित करने में मदद मिली जिन्होंने राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों में मुकाबला किया है, एक संगठन के रूप में सेल ने विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं का प्रयोजन भी किया है। जैसे अखिल भारतीय टेनिस ऐसोसिएशन, नई दिल्ली; 7वीं विश्व कॉरफबॉल चैम्पियनशिप, जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट, नई दिल्ली, इत्यादि।

कंपनी विभिन्न लुप्त हो रही कलाओं का प्रोत्साहन करते हुए प्राचीन कलाओं के संरक्षण के लिए अपना योगदान दे रही है। इन कलाओं का प्रोत्साहन देने के साथ कलाकारों को अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए मंच प्रदान किया जाता है, इत्यादि। सेल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ मिलकर लोधी टॉम्ब के संरक्षण का जिम्मा उठाया है। उड़ीसा में राउरकेला के नजदीक स्वर्गद्वार एवं पास के वेदव्यास स्थित परिसर में सुधार/विकासपरक कार्य किये गये। बोकारो स्टील प्लांट द्वारा बिहार के पश्चिमी चम्पारण जिले में लौरिया नंदनगढ़ और चंकीगढ़ के पुरातात्विक स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कार्य कर रहा है।

अनवरत आय स्रोत का सृजन

एक अच्छे जीवन यापन के लिए भविष्य की आशा की एक किरण होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेल निरंतर ऐसे विभिन्न क्षेत्रों की पहचान करने में लगा हुआ है, जिनमें समुदायों को अगर प्रशिक्षण एवं मदद प्रदान की जाए तो उनको आत्मनिर्भर इकाइयां बनाया जा सकता है ताकि वे स्वयं के लिए आजीविका का सृजन कर सकें। सेल के कारखानों और इकाइयों के आस पास रहने वाले लोगों को पशुपालन,

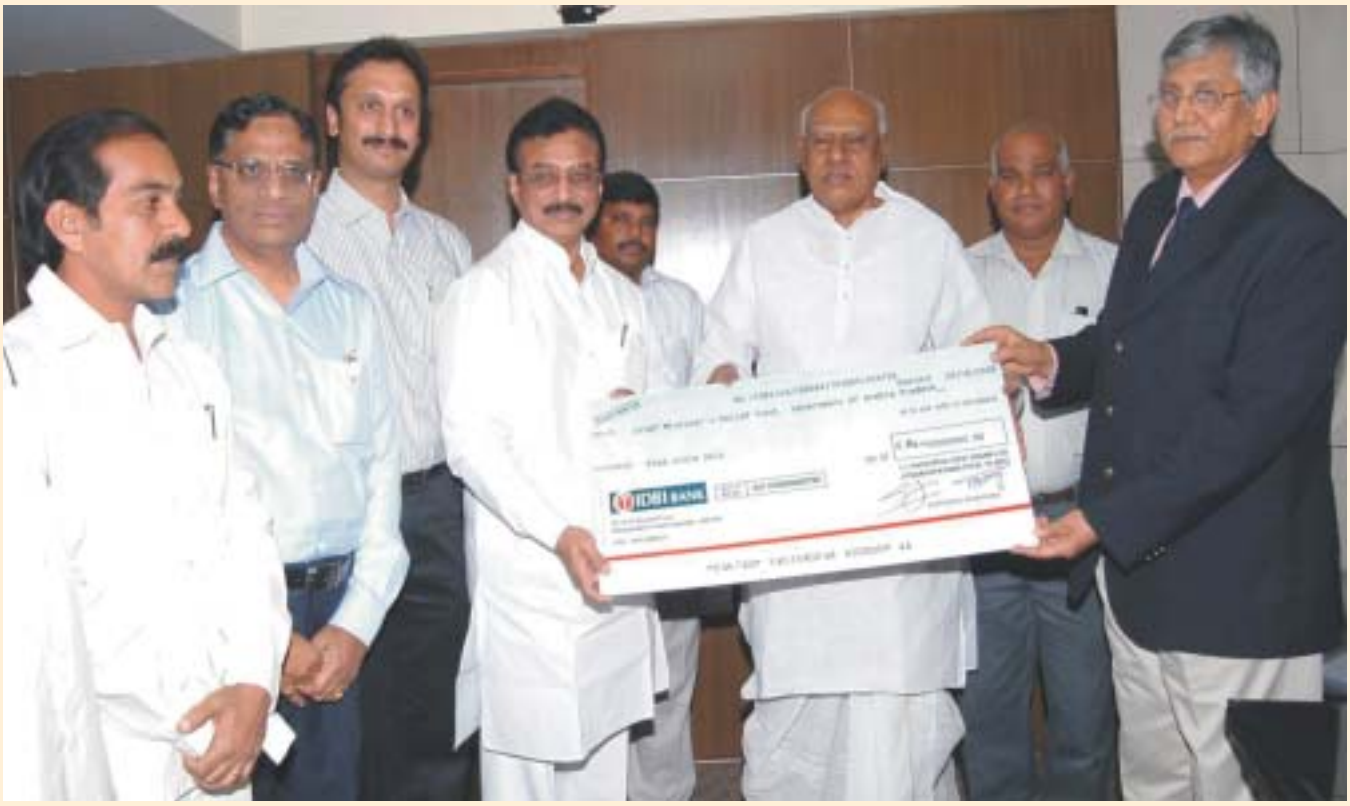

आरआईएनएल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक श्री पी.के. बिश्नोई मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष के लिए माननीय इस्पात राज्य मंत्री, श्री ए.साई प्रताप की उपस्थिति में आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, डॉ. के. रोसैया को चेक भेंट करते हुए।

चूल्हा निर्माण, बकरीपालन, सुअरपालन, मछलीपालन, इत्यादि जैसे हुनर सिखाए जाते हैं। इससे उन्हें दिन में दो वक्त की रोटी से अधिक जीवन स्तर बनाने में मदद मिलेगी। इन कार्यक्रमों के जरिये ग्रामीण बचत एवं ऋण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, गांव के बुनियादी विकास, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन एवं गहन खेती के जरिये कृषि उत्पादकता में वृद्धि और समुदाय के कौशल में विकास एवं विस्तार को बढ़ावा मिलता है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

कंपनी ने वर्ष 2009–10 के दौरान निगमित सामाजिक जिम्मेदारी की दिशा में अनेक पहल की हैं और इसमें आस–पास के समुदायों का अनवरत विकास एवं समग्र उन्नति पर बल दिया गया है। कुछ प्रमुख बल वाले क्षेत्रों में परिधीय विकास, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लोगों की देखभाल खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां और प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रदत्त मदद शामिल हैं। वर्ष 2009–10 के लिए 12.75 करोड़ रुपये के बजट में से अप्रैल–दिसंबर 09 की अवधि तक सीएसआर गतिविधियों पर 8.77 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

शिक्षा

यह सुनिश्चित करने के प्रयास में कि सभी बच्चों की मूल शिक्षण जरूरतें पूरी हों, वीएसपी ने स्कूल इमारतों के निर्माण (11 राज्य प्राधिकारियों को सौंप दिये गये हैं और 6 का निर्माण चल रहा है), विशाखापतनम स्थित आंध्र विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन 21वीं सदी के गुरुकुलम के लिए हॉस्टल ब्लॉक (3 जिलों में), स्कूल इमारत का शेष निर्माण पूर्ण करने के लिए मैसर्स विजया फाउंडेशन, कडप्पा को मौद्रिक सहायता प्रदान करना इत्यादि जैसी विभिन्न पहल की हैं। वीएसपी की टाउनशिप में स्थित विशाखा विमल विद्यालय स्कूल के 225 गरीब बच्चों को मुफ्त प्रवेश दिया गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

वीएसपी ने इस क्षेत्र में अनेक गतिविधियां चलाई हैं। इस दिशा में की गई कुछ पहल में विभिन्न चिकित्सा शिविरों, नशा मुक्ति कार्यक्रमों, बच्चों का टीकाकरण, एड्स जागरूकता अभियान का संचालन शामिल है। आरआईएलएल ने गरीब लोगों की मदद के लिए मुक्त मोतियबिन्द के ऑपरेशन के लिए ''शंकर फाउंडेशन'' (प्रतिष्ठित नेत्र चिकित्सा अस्पताल) को मदद प्रदान की गई है। अप्रैल–दिसंबर 2009 के दौरान करीब 3500 मरीजों की जांच की गई और उनमें से 1100 लोगों की शल्य चिकित्सा की गई। आरआईएनएल ने विशाखापतनम स्थित किंग जॉर्ज हॉस्पिटल के डर्मेटॉलोजी विभाग में विशेष उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय मदद प्रदान की है।

लोगों की देखभाल

कंपनी में लोगों की देखभाल सीएसआर गतिविधियों का अभिन्न अंग है। आरआईएनएल ने 4 पुनर्वास कॉलोनियों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक आरएच कॉलोनी को 52 दिनों की अवधि के लिए टैंकरों के जरिये 36000 लीटर/प्रतिदिन जल आपूर्ति सुनिश्चित की है। इससे प्रतिदिन लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या 18000 (अनुमानित) है।

इस दिशा में की गई अन्य गतिविधियों में मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए विशाखापतनम जिले के आस–पास के गांवों में स्थित आश्रम स्कूलों में मच्छरदानियों का वितरण, लॉयंस क्लब, उक्कू नगरम, विशाखापतनम के सहयोग से गरीब लोगों को सिलाई मशीनें/वेट ग्राइंडर का वितरण इत्यादि शामिल हैं।

लोगों की देखभाल की दिशा में वीएसपी की पहल व्यापक है और इनसे समाज का हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। विशाखापतनम स्थित पुलिस आयोग को 9 अल्को मीटर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

परिधीय विकास

आरआईएनएल ने परिधीय विकास पर प्रमुख बल दिया है और विशाखापतनम जिले के जनजातीय क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति के लिए जलधारा योजना जैसी अनेक अभिनव योजनाओं को कार्यान्वित किया है। इस योजना को 6 जनजातीय गांव में कार्यान्वित किया गया जिससे करीब 1300 ग्रामीण लाभान्वित हुए। आरआईएनएल ने करुणा स्कूल में रसोई घर एवं वाटर टैंक, इस्लामपेटा हाई स्कूल में शेड का निर्माण कर लोगों के सुपुर्द कर दिया है। एससी/एसटी समाज के कमजोर वर्ग के लोगों वाले क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक कल्याणकारी उपाय भी किये गये जैसे विशाखापतनम स्थित पेडाग्यानतादा पुनर्वास (आरएच) कॉलोनी में दुर्गावाणीपालेम में समारोह हॉल का निर्माण। बच्चों के हितलाभ के लिए होस्टल का निर्माण किया गया। आरआईएनएल ने विशाखापतनम में स्थित अगनापुड़ी पुनर्वास कॉलोनी स्थित राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र के लिए जनरेटर, फिल्टर कम कूलर, पंखे, लेजर प्रिंटर और बेंच जैसी मदें प्रदान की हैं।

एक निगमित नागरिक के रूप में

वीएसपी ने जरूरत के वक्त आकस्मिक सेवा प्रदान करने के लिए विशाखापतनम जिला पुलिस को एक पूर्णतः विसर्जित एम्बूलेंस भी सौंपी है। वीएसपी ने विशाखापतनम के सेन्ट्रल जेल में एक सेमी ऑटोमेटिक ऑफसेट प्रिटिंग प्रेस प्रायोजित की है ताकि जेल में रहने वाले कैदी इस हुनर को सीखने के साथ–साथ कुछ कमाने भी लगें। इससे करीब 100 कैदी लाभान्वित हुए हैं। बाढ़ राहत उपायों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रु. की राशि दान की गई।

खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां

इस क्षेत्र में की गई गतिविधियों में खिलाड़ियों को मदद, खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, अकादमियों, संगीत एवं संस्कृति इत्यादि के प्रयोजन के लिए मदद शामिल है। केआरकेएम मेमोरियल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, हैदराबाद द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य राजभाषा आयोग के ''विद्यालय दिवस'' (14.11.2009) समारोहों के अवसर पर एक बैले नृत्य ''तेलगू प्रशस्ति ''का आयोजन किया गया।

एनएमडीसी लिमिटेड

वर्ष 2009–10 (दिसम्बर 2009 तक) के दौरान की गई प्रमुख सीएसआर पहल की सूचीः

गांवों का समेकित विकास : 30 गांवों में परियोजना पूर्व सर्वेक्षण का काम आरंभ किया गया जिसमें से 21 गांवों में इसे पूरा कर लिया गया। वर्ष 2008–09 के दौरान 8 गांवों में शुरू किया गया समेकित विकास कार्य प्रगति पर है। बैलाडिला क्षेत्र के 5 गांवों का समेकित विकास 820.32 लाख रुपये की लागत से शीघ्र ही शुरू किया जायेगा।

चलता–फिरता अस्पताल : बैलाडीला के 29 गांवों के जनजातीय ग्रामीणों को सफलतापूर्वक उनके घर घर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, 'हॉस्पिटल ऑन व्हील्स' (चलता–फिरता अस्पताल) की सुविधा 1 जनवरी 2009 को शुरू की गई। इसमें अत्याधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस मेडिकल वैन हर रोज गांवों के दौरे पर निकलती हैं। 'हॉस्पिटल ऑन व्हील्स' की प्रत्येक वैन में दो प्रशिक्षित चिकित्सक नियुक्त किए गए हैं। दिसम्बर 2009 तक 23,986 मरीजों का उपचार कर लिया गया है।

छात्रवृत्ति योजना : एससी/एसटी छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक छात्रवृत्ति योजना चलाई गई है ताकि वे कक्षा आठ से आगे इंजीनियरिंग/मेडीसन तक की पढ़ाई कर सकें। यह योजना बस्तर क्षेत्र के पांच जिलों और डोणिमलाई परियोजना के आसपास के आठ गांवों में शुरू की गई है। वर्तमान वित्त वर्ष में, 6404 बच्चों को 209.75 लाख रुपये की राशि वितरित कर दी गई है।

शिक्षा : छत्तीसगढ़ के गीदम, कुवाकोंडा, दंतेवाड़ा, नागरनार इलाकों और उत्तर प्रदेश में सीतापुर में आवासीय विद्यालयों, दंतेवाड़ा, नागरनार में पॉलिटेक्नीक और नागरनार में आईटीआई की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। दंतेवाड़ा के 84 विद्यालयों में 368.02 लाख रुपये की लागत से साक्षरता सुधार कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम : डोणिमलाई परियोजना में और आसपास के 10,000 बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है।

कौशल विकास : बस्तर के ग्रामीणों के अंतर्निहित कौशल को विकसित करने के लिए जूट/बांस/बेल मेटल/टेराकोटा/शीशल पर आधारित कौशल विकास कार्यशिविरों का आयोजन किया गया। इसके परिणाम बहुत उत्साहवर्धक रहे हैं और इससे प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है।

राज्य सरकारों की भागीदारी के तहत योजनाएं : दंतेवाड़ा और कुवाकोंडा ब्लॉक में सौर विद्युतीकरण और छत्तीसगढ़ के बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर तथा नारायणपुर जिलों में सड़कों और घरों में सौर बिजली की परियोजना 1611.29 लाख रुपये की लागत से प्रगति पर है। वर्ष 2009–10 में 506 लाख रुपये की दूसरी किस्त जारी की गई। अब तक कुल जारी राशि 1180 लाख रुपये है। गीदम में एससी/एसटी/ओबीसी अनाथ बच्चों के लिए 1291.19 लाख रुपये की लागत से गुरुकुल आस्था की स्थापना की गई है।

वर्ष 2009–10 के दौरान कर्नाटक के बेल्लारी जिले में झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के लिए घरों के निर्माण के वास्ते 375 लाख रुपये का अतिरिक्त योगदान दिया गया। अब तक कुल योगदान 1875 लाख रुपये दे दिया गया है। छत्तीसगढ़ में विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए 558.34 लाख रुपये का योगदान कर दिया गया है।

बुनियादी ढांचा विकास : सड़क, पुलिया, सामुदायिक हाल आदि जैसी विभिन्न शुरू की गई बुनियादी सुविधाओं के विकास पर 844.19 लाख रुपये खर्च किए गए।

आसपास के इलाकों के अलावा सीएसआर संबंधी कार्य

- बिहार में कुशेश्वर स्थान में बाढ़ राहत आश्रय का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक आवासीय विद्यालय की स्थापना का काम प्रगति पर है।
- उत्तर प्रदेश के सीतापुर और लखीमपुर खीरी जिलों में 'हॉस्पिटल ऑन व्हील्स' की सुविधा की शुरुआत।
- आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में बाढ़ राहत के लिए 1,000 लाख रुपये का योगदान।
- हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू अग्निकांड के पीड़ितों को राहत।
- हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू में बाढ़ पीड़ितों को राहत।
- हैदराबाद में मल्टी–डिस्सीपलीनरी अस्पताल की स्थापना के लिए 50 लाख रुपये का योगदान।

खेलों को बढ़ावा

- छत्तीसगढ़ में तीरंदाजी को बढ़ावा।
- विश्व स्नूकर चैम्पियनशिप 2009 का प्रायोजन।
- छत्तीसगढ़ में हैंडबाल को बढ़ावा।
- नेशनल रैपिड एंड ब्लिट्ज चैम्पियनशिप्स 2009 का प्रायोजन।
- जिला फुटबॉल एसोसिएशन, पन्ना को मदद।
- नागरनार, अमागुड़ा और मांगनपुर ग्राम पंचायतों को खेल सामग्री मुहैया।

विविध सीएसआर गतिविधियां

- वाहनों की खरीद के लिए रामकृष्ण मिशन सेनटोरियम, रांची को मदद।
- राज्योत्सव छत्तीसगढ़ 2009 का प्रायोजन।
- बस्तर दशहरा लोक–उत्सव 2009 को योगदान।
- मैसर्स स्पिक मैके की सहायता।
- शिमला में अन्तरराष्ट्रीय लेवी उत्सव को सहायता।
- विभिन्न अन्य संगठनों को हजारों रुपयों की रेंज में वित्तीय सहायता।

सीएसआर गतिविधियों पर किया गया वार्षिक खर्च

वर्ष 2009–10 के दौरान (जनवरी 2010 तक), एनएमडीसी ने तैयार की गई सीएसआर नीति के अनुसार विभिन्न विकासपरक कार्यों पर 153.30 करोड़ रुपये के लिए पहले ही प्रतिबद्धता कर दी है। वर्ष के दौरान (दिसम्बर 2009 तक) सीएसआर गतिविधियों पर वास्तविक खर्च 47.03 करोड़ रुपये हुआ। विगत 3 वर्षों में सालाना सीएसआर खर्च निम्नवत है:

वर्ष		राशि लाख रुपये में
2007–08	.	2721.43
2008–09	.	9883.93
2009–10 (दिसंबर 2009 तक)	.	4703.24

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

कंपनी द्वारा अंजाम दी गई कुछ प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

- मॉयल ने 2008–09 के दौरान सीएसआर योजनाओं पर 5.42 करोड़ रुपये खर्च किये जबकि पिछले वर्ष यह राशि 2.87 करोड़ रुपये थी।
- आदर्श मैंगनीज ग्राम – गांवों को गोद लेना : कंपनी ने अब तक 5 गांवों को गोद लिया है– मध्य प्रदेश में 2 और महाराष्ट्र में 3 गांव। कंपनी ने इन गांवों में संपूर्ण विकास करवाया है। इसमें सड़कों, शौचालयों, विद्यालयों, जल आपूर्ति तंत्र, सामुदायिक भवन आदि विकसित किए हैं। इसके अलावा कंपनी चिकित्सा सुविधा और विद्यालयों आदि के निर्माण से शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- ग्रामीण गरीबों को नेत्र चिकित्सा की सुविधाः अब तक मोतियाबिंद के 1,000 ऑपरेशनों को कंपनी ने लेंस प्रत्यारोपण सहित प्रायोजित किया है।
- देश के विभिन्न इलाकों में पूर्णतया वातानुकूलित अस्पताल, जिनमें हृदय रोगियों से लेकर अत्यंत आपात परिस्थितियों तक के लिए चिकित्सा सुविधाएं हैं।
- स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन कर महिलाओं का सशक्तिकरण।
- महाराष्ट्र के भंडारा और चंद्रपुर जिलों में बाढ़ राहत के लिए मोटर बोट उपलब्ध कराई गई।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी विकलांग लोगों को ट्राइ साइकिल, हियरिंग एड, बैसाखियां आदि उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। कंपनी झुग्गी विकास सहित अनेक सीएसआर गतिविधियों का संचालन कर रही है।

सीएसआर गतिविधियों पर खर्च का ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष 2009–10 के लिए सीएसआर बजट	11.00 करोड़ रुपये
एमओयू के अनुसार वर्ष 2009–10 के लिए सीएसआर बजट	3.00 करोड़ रुपये
वर्ष 2007–08 के लिए वास्तविक सीएसआर	2.87 करोड़ रुपये
वर्ष 2008–09 के लिए वास्तविक सीएसआर	5.42 करोड़ रुपये
वर्ष 2009–10* के लिए वास्तविक सीएसआर	46.47 लाख रुपये
(दिसंबर 2009 तक – अनंतिम)	

** कंपनी ने दिसम्बर 2009 तक 2.42 करोड़ रुपये मूल्य की सीएसआर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कार्य प्रगति पर है।*

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल ने राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो, विशाखापतनम, दुर्गापुर, डोल्वी (महाराष्ट्र), डुबुरी (उड़ीसा) और रायगढ़ (छत्तीसगढ़) में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की पहचान की है। हर वर्ष इन उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से इनमें पढ़ने वाले एससी/एसटी अथवा ओबीसी समुदायों के छात्रों अथवा विकलांग लेकिन उत्कृष्ट बच्चों की सूची मांगी जाती है और विद्यालय प्रबंधन द्वारा दी गई सूची में शामिल छात्रों को स्कूली पोशाक मुहैया कराई जाती हैं। विद्यालयों में स्कूली पोशाकें वितरण में किए गए खर्च के अलावा एफएसएनएल ने भिलाई के निकट डुंडेरा गांव में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक खेल का मैदान निर्मित कराया है। मैदान में बच्चों की सक्रियता बढ़ाने के लिए हैंडबाल का गोलपोस्ट लगाया गया है। इसके अलावा बच्चों को खेल सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है। कंपनी ने भिलाई के निकट डुंडेरा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसर के भीतर 200 (छायादार और खुशबूदार) छोटे वृक्ष भी लगाए हैं। यह प्रयास बच्चों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ाने और उन्हें मानव जीवन में उसका महत्व बताने के लिए किया गया है। एफएसएनएल ने भिलाई के निकट डुंडेरा के विद्यालय के बरामदे में एक बहुउद्देश्यीय हॉल का निर्माण तथा कुछ और बुनियादी ढांचागत विकास किया। यह निर्माण कार्य विद्यालय प्रबंधन तथा विद्यार्थियों दोनों की सुविधा के लिए किया गया है।

एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति समर्पित है। और वर्ष 2009–10 में, पिछले वर्ष के रखे गए लाभ की 2 प्रतिशत राशि इस कार्य के लिए रखी गई जो 131 लाख रुपये है। इस खर्च में निःशक्त बच्चों को हेयरिंग एड, महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, रक्त आधान केन्द्र, झोपड़ पट्टी बच्चों के लिए स्कूल का संचालन, आदि शामिल है।

मेकॉन द्वारा एड्स जागरूकता शिविर का आयोजन।

मेकॉन लिमिटेड

इस्पात मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, मेकॉन लिमिटेड पिछले चार दशकों से अधिक समय से देश के लौह एवं इस्पात उद्योग से गहन रूप से जुड़ा हुआ है और इस कपंनी ने उसकी समृद्धि एवं विकास में उल्लेखनीय भूमिका अदा की है। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रति मेकॉन की चिंता उसके 60 के दशक से ही ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास गतिविधियों में तल्लीनता को देखकर स्पष्ट झलकती है।

प्रमुख क्षेत्र

- स्वास्थ्य
- शिक्षा
- महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण
- व्यावसायिक प्रशिक्षण
- विकलांग/निःशक्त लोगों की सहायता
- गांव/ग्रामीण आधारित कार्यक्रम
- वनीकरण कार्यक्रम एवं अन्य कल्याणकारी गतिविधियां

समाज के कमजोर तबके का कल्याण

- ग्रामीण एवं झोपड़ पट्टी क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर
- एचआईवी/एड्स जागरूकता कार्यक्रम
- झोपड़ पट्टी क्षेत्रों/गांव में बरसात के दौरान ब्लीचिंग पाउडर का वितरण
- पल्स पोलियो कार्यक्रम के दौरान बच्चों को व्यापक रूप से पोलियो की दवा पिलाना
- परिवार नियोजन
- समुदाय शिक्षा योजना

समुदाय शिक्षा योजना

- इस योजना के तहत, वर्तमान में 12 प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में इन सभी केन्द्रों में करीब 400 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। प्रत्येक केन्द्र में एक–एक पूर्णकालिक अध्यापक हैं और उन्हें मासिक मानदेय राशि दी जाती है।

- जरूरत के मुताबिक, इन शिक्षा केन्द्रों में नियमित रूप से शिक्षण सामग्री जैसे स्लेट, पेन्सिल, ब्लैक–बोर्ड, चार्ट, पुस्तकें और कॉपियां इत्यादि प्रदान की जा रही हैं।

महिला सशक्तिकरण

संसाधन सृजन योजना

इस योजना के तहत, वर्तमान में 8 संसाधन सृजन केन्द्र (सिलाई केन्द्र) सफलतापूर्वक चल रहे हैं। वर्तमान में इन सभी केन्द्रों में करीब 150 विद्यार्थी हैं। प्रत्येक केन्द्र में एक–एक पूर्णकालिक अध्यापिका हैं और उन्हें मासिक मानदेय राशि दी जाती है।

निःशक्त लोगों का कल्याण

रांची के पास स्थित शेशायर होम (निःशक्त लोगों का आश्रय) को निम्न क्षेत्रों में सहायता की जा रही है:

- नये किचन ब्लॉक का निर्माण।
- गौशाला का निर्माण।
- क्रचेज, कैलिपर्स, कृत्रिम अंग, व्हील चेयर्स इत्यादि प्रदान करना।
- चाक निर्माण का प्रशिक्षण।
- महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र।
- दृष्टिहीन बच्चों के स्कूल के लिए ब्वाईज हॉस्टल का निर्माण।
- बहरे एवं गूंगे बच्चों की स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत।
- कुष्ठ रोगी कॉलोनी के लिए मरम्मत सहायता।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

निम्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है:

- रेडियो एवं टीवी टेक्नीशियन (1 वर्षीय पाठ्यक्रम)।
- बिजली टेक्नीशियन (1 वर्षीय पाठ्यक्रम)।
- वेल्डिंग टेक्नोलॉजी (1 वर्षीय पाठ्यक्रम)।
- कम्प्यूटर अनुप्रयोग (1 वर्षीय पाठ्यक्रम)।

केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल लिमिटेड ने सीएसआर गतिविधियों के लिए अपने योगदान में मुख्य रूप से ध्यान शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर केंद्रित किया है। मौजूदा वित्त वर्ष में कंपनी द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:

- विद्यालय चलाना और शिक्षा पर अन्य खर्च।
- वन, इकोलॉजी और अन्य संबंधित मुद्दों पर खर्च।
- आसपास के जनजातीय तथा अन्य लोगों को दवाओं का वितरण तथा चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार।
- उपकरण खरीदने के लिए निःशक्त लोगों को वित्तीय सहायता।
- मैंगलोर तथा पड़ोसी इलाकों में स्थित विद्यालयों में खेल तथा अन्य गतिविधियां संपन्न कराने के लिए वित्तीय सहायता।
- कंपनी द्वारा ग्रामीणों के लिए मीणाकैला क्षेत्र, बैकमपडी, मैंगलोर में मुफ्त चिकित्सा शिविर एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया।
- कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 25 लाख रुपये का योगदान।

वर्तमान वित्त वर्ष 2009–10 में, कंपनी ने सीएसआर के लिए 150 लाख रुपये की राशि निश्चित की है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों पर दिसंबर 2009 तक करीब 173.11 लाख रुपये खर्च कर लिए हैं।

बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

ग्रुप के तहत उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी) ने उड़ीसा के क्योंझर जिले में अधिकांशतः बारबिल स्थित खानों में एवं आस–पास के क्षेत्रों में मौजूदा रोपे गए पौधों, मौजूदा जल आपूर्ति पाइपलाइन, उद्यान, आस–पास की सड़क इत्यादि के रखरखाव जैसी सीएसआर गतिविधियां चलाई हैं।

अध्याय–XXI

इस्पात मंत्रालय के अधीन तकनीकी संस्थान

इस्पात मंत्रालय पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के जरिए कामगारों की तकनीकी कुशलता को नियमित तौर पर निखारने की कोशिश करता रहा है। इन उद्देश्यों हेतु निर्मित संस्थानों का उल्लेख उनके सराहनीय कार्य एवं योगदान सहित नीचे दिया गया है:

बीजू पटनायक नेशनल स्टील इंस्टीट्यूट (बीपीएनएसआई)

इस्पात मंत्रालय द्वारा गठित एक टास्क फोर्स की ओर से विकसित एक अवधारणा योजना के आधार पर पुरी में एक बीजू पटनायक नेशनल स्टील इंस्टीट्यूट (बीपीएनएसआई) की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इसे एक प्रशिक्षण–सेवा–शोध एवं विकास केंद्र के तौर पर स्थापित किया गया। पुरी में बीजू पटनायक नेशनल स्टील इंस्टीट्यूट (बीपीएनएसआई) की स्थापना की नींव 1 जनवरी, 2001 को डाली गई। यह संस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1980 के तहत पंजीकृत है और इसने 1 जनवरी, 2002 से काम करना शुरू किया। जेपीसी के चेयरमैन ही बीपीएनएसआई के चेयरमैन भी हैं। इसकी स्थापना वैश्विक एवं भारतीय इस्पात उद्योगों में हो रहे तेज बदलाव के अनुरूप घरेलू द्वितीयक इस्पात उद्योग को ढलने में मदद देने के उद्देश्य से की गई। कैबिनेट ने 20 फरवरी, 2004 को जेपीसी की वित्तीय मदद से पुरी में एक पूर्णकालिक संस्थान के तौर पर बीपीएनएसआई की स्थापना किए जाने की मंजूरी दी। फिलहाल, यह संस्थान पुरी में दो पृथक इमारतों से चलाया जाता है और यह पुस्तकालय, प्रयोगशाला और गोष्ठी कक्ष जैसी सुविधाओं से लैस है। प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के लिए वेल्डिंग टेक्नोलॉजी की एक वर्कशॉप पुरी में स्थापित की गई है।

बीपीएनएसआई द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहल निम्न हैं:

- अक्टूबर, 2006 से संस्थान 'लौह एवं इस्पात निर्माण और संयंत्र प्रबंधन' में एडवांस्ड सर्टिफिकेट कोर्स आयोजित कर रहा है, जिसके अंतर्गत छात्रों को उद्योग में प्रबंधकीय जिम्मेवारियों के लिए तैयार किया जाता है। वर्तमान रूप से इस पाठ्यक्रम में बच्चों का तीसरा बैच चल रहा है।
- वर्किंग एग्जीक्यूटिव के लाभ के लिए यही पाठ्यक्रम ट्रेनिंग एंड फर्दर एजुकेशन (टीएएफई) के तहत जनवरी, 2007 के बाद से आयोजित किए जा रहे हैं। जनवरी, 2009 में डिस्टेंस मोड में तीसरे बैच का दाखिला चल रहा है।
- उड़ीसा सरकार का राजस्व विभाग इस इंस्टिट्यूट के स्थायी परिसर की स्थापना के लिए जमीन के आवेदन पर कार्रवाई कर रहा है।
- इस इंस्टिट्यूट के बच्चों के विगत बैच ने जिन प्रतिष्ठित इस्पात कंपनियों को ज्वाइन किया उनमें से कुछ सूरज प्रोडक्ट्स लिमिटेड, शक्ति पैक लिमिटेड, ईस्ट इण्डिया लिमिटेड, तायो रोल्स लिमिटेड, आरती स्टील्स लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी (एनआईएसएसटी)

द्वितीयक इस्पात क्षेत्र, जिसमें इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस (ईएएफ) से लैस स्टील मेल्टिंग यूनिट या इंडक्शन फर्नेसेस (आईएफ) आते हैं, में मानव संसाधन विकास और तकनीकी सुधार की जरूरत लंबे समय से महसूस की जाती रही है। 1984 में भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय की स्टील रोलिंग इंडस्ट्रीज से संबद्ध सलाहकार समिति ने भी ऐसी ही राय प्रकट की थी। इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और उद्योग की मांग को देखते हुए 18 अगस्त, 1987 को तत्कालीन लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त एवं मंत्रालय के वर्तमान संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में पंजीकृत सोसायटी के तौर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी की स्थापना निम्न लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ की गई :

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी के लक्ष्य और उद्देश्य

- अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पाठ्यक्रमों के जरिए द्वितीयक क्षेत्र को प्रशिक्षित तकनीकी पेशेवर मुहैया कराना और उनके ज्ञान आधार को निखारना।
- गोष्ठियों, वर्कशॉप और विचार गोष्ठियों के आयोजन के जरिए अत्याधुनिक तकनीकी के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- विभिन्न औद्योगिक सेवाएं और परीक्षण सुविधाएं मुहैया कराना।
- तकनीकी समस्याओं के समाधान, ऊर्जा दक्षता में सुधार और प्रदूषण स्तरों में कमी के लिए उद्योगों को परामर्श सेवाएं मुहैया कराना।
- सीमांत क्षेत्रों में अद्यतन तकनीकी उपलब्ध कराने के लिए शोध, विकास और डिजाइन कार्य आयोजित करना।
- उद्योग के लिए प्रलेखन एवं सूचना पुनःप्राप्ति सेवाओं का आयोजन
- उद्योग एवं शैक्षणिक क्षेत्रों और अनुसंधान संस्थानों के बीच वैचारिक संपर्क के लिए एक मंच मुहैया कराना।

संस्थान के दायरे में द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के निम्न क्षेत्र आते हैं:

- इलेक्ट्रिक आर्क एवं इंडक्शन फर्नेस
- लैडल रिफाइनिंग
- रोलिंग मिल्स (हॉट एंड कोल्ड)
- डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन यूनिट

एनआईएसएसटी अपनी प्रयोगशालाओं के लिए एक आईएसओ 9001–2000 प्रमाणित संगठन है। वर्ष 2008–09 के दौरान, इंस्टीट्यूट ने अनेक कीर्तिमान बनाए और कई पहल कीं जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है :

एनआईएसएसटी की प्रमुख गतिविधियां

- अपने संचालन के 19वें वर्ष में प्रवेश करने वाली एनआईएसएस द्वारा संचालित स्टीलमेकिंग एंड रोलिंग टेक्नोलॉजी में रोजगारोन्मुख सर्टिफिकेट कोर्स (जेओसीसी) का आयोजन किया गया। यह द्वितीयक इस्पात क्षेत्र को 550 से अधिक कुशल/अर्ध–कुशल और सुपरवाइजर स्तर के तकनीकी पेशेवर उपलब्ध करा चुका है और इस तरह इसने रोजगार का नया स्रोत पैदा किया है।
- विभिन्न सरकारी एजेंसियों/निर्माताओं/सेवा प्रदाताओं के लिए नियमित आधार पर मेटलर्जिकल और मेकेनिकल टेस्ट आयोजित किए गए।
- मण्डी गोबिंदगढ़ में स्थित एनआईएसएसटी के प्रदूषण नियंत्रण एवं अन्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का नवीकरण कार्य पूर्णता के अंतिम चरण में है और ये प्रयोगशालाएं शीघ्र ही उद्योग के साथ–साथ राष्ट्र को अपनी समर्पित सेवाएं देने लगेंगी।
- एनआईएसएसटी द्वारा द्वितीयक इस्पात क्षेत्र में गुणवत्ता, लब्धि में सुधार, मूल्य संवर्धन एवं लागत नियंत्रण की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए निरंतर तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही हैं।
- माड्यूलर पाठ्यक्रमों के जरिए द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के कर्मचारियों के ज्ञान एवं कुशलता को बढ़ावा देने के लिए नियमित तौर पर मानव संसाधन विकास गतिविधियों का संचालन किया जाता रहा है।

इंस्टीट्यूट फॉर स्टील डेवेलपमेंट एंड ग्रोथ (इंस्डैग)

इंस्डैग की स्थापना की पहल इस्पात उत्पादकों की ओर से हुई और संस्थान को 26 अगस्त, 1996 को सोसायटी के तौर पर पंजीकृत किया गया। इस संस्थान का लक्ष्य है इस उद्योग के सभी भागीदारों के साथ मिलकर काम करना ताकि इस्पात के कारगर इस्तेमाल के तरीकों और उपायों पर पूरी तरह अमल हो और ग्राहकों को उपयुक्त गुणवत्ता वाला उत्पाद मिले। संस्थान मुख्यतः इस्पात के इस्तेमाल के क्षेत्र में तकनीकी के विकास के लिए काम करता है और इस उद्योग के लिए विपणन की जिम्मेवारी भी संभालता है।

इस्पात डिजाइन पर शिक्षा/पेशेवरों का प्रशिक्षण एवं अध्यापन संकायः संरचनात्मक इस्पात डिजाइन विधियों और तकनीकियों पर देश के संकायों एवं पेशेवरों के ज्ञान एवं कुशलता में निखार के लिए निम्नांकित रिफ्रेशर कोर्स और अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इंस्डैग ने बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक/कार्यालय परिसरों, बहुमंजिली कार पार्किंग, पुलों इत्यादि में स्टील इन्टेंसिव स्ट्रक्चरों की उपयोगिता एवं किफायत प्रदर्शित करने के लिए सरकारी एजेंसियों से विभिन्न परामर्शदात्री कार्य भी लिए हैं।

इंस्डैग पूरे देश में विभिन्न गोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण और ज्ञान प्रसार कार्यक्रमों में सक्रिय है। वास्तुकारों, डिजाइन इंजीनियरों और योजनाकारों को आधुनिक ढांचों और निर्माण में इस्पात के अभिनव इस्तेमाल के बारे में अवगत कराया जाता रहा है। इंस्डैग संरचनात्मक इंजीनियरिंग क्षेत्र में विभिन्न डिजाइनों के प्रकाशन और वर्तमान डिजाइनों को अद्यतन बनाने में लगी है। इसने इस्पाती बैलगाड़ियों के डिजाइन और निर्माण में खास योगदान दिया है जिससे ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को मदद मिली है। इस्पात के विभिन्न अभिनव इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इंस्डैग की ओर से निरंतर कदम उठाए जाते रहे हैं।

अध्याय–XXII

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

देश के प्रशासन में खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने और बेहतर प्रशासनिक कामकाज सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को 15 जून, 2005 को लागू किया। इस अधिनियम का उद्देश्य है प्रशासन में खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना और देश में बेहतर प्रशासनिक कामकाज सुनिश्चित करना। इस कानून का लक्ष्य नागरिकों के सूचना के अधिकार (आरटीआई) की रक्षा करना भी है। यह हर नागरिक को सरकारी अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने का हक देता है। साथ ही ऐसी सूचना का प्रसार भी सभी सरकारी अधिकारियों के लिए फर्ज हो गया है।

इस्पात मंत्रालय में आरटीआई अधिनियम का क्रियान्वयन

आरटीआई अधिनियम के क्रियान्वयन और इसकी निगरानी के लिए निदेशक स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के तौर पर मनोनीत किया गया है। उप सचिव/निदेशक, या समकक्ष स्तर, और संबंधित संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को क्रमशः जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त दो सहायक जन सूचना अधिकारियों (एपीआईओ) की नियुक्ति की भी गई है। मंत्रालय अपने पीएसयू और अपने प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण वाली कंपनियों में आरटीआई एक्ट के उपयुक्त कार्यान्वयन और उस दिशा में होने वाली प्रगति पर भी नजर रखता है। 17 आइटम के मैनुअल, अपीलीय प्राधिकरण/जन सूचना अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारियों का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.steel.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों की अपनी–अपनी वेबसाइटों पर 17 आइटम के मैनुअल की जानकारी उपलब्ध कराई गई है और उन्होंने अपनी ओर से जन सूचना अधिकारियों और सहायक जन सूचना अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति भी की है। वर्ष 2009–10 (31 दिसंबर, 2009 तक) के दौरान इस्पात मंत्रालय को कुल 106 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें नियत अवधि में निपटा दिया गया।

संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)

17 आइटम के मैनुअल तैयार किए गए और जेपीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। जेपीसी ने वरिष्ठ अधिकारियों को जन सूचना अधिकारियों के रूप में पदनामित किया है जो अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा, जेपीसी के शीर्ष प्राधिकारी के अधीन एक अपील प्रणाली का भी सृजन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। जेपीसी द्वारा प्राप्त सभी आरटीआई आवेदनों का समय पर निपटारा किया गया है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

17 आइटम के मैनुअल, अपीलीय प्राधिकारी/जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारियों एवं सेल कारखानों/इकाइयों के नाम उनकी श्रेणियों के साथ अद्यतन किया गया है और सेल की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध कराया गया है। सेल के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सेल कारखानों/इकाइयों ने भी 17 आइटम के मैनुअल सेल वेबसाइट पर उपलब्ध कराए हैं और अपने संबंधित जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी नामांकित किए हैं।

वर्ष 2009–10 (अप्रैल–दिसंबर 2009) के दौरान सेल में कुल 2,500 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 260 इसके कारपोरेट कार्यालय से थे। इन 260 आवेदनों में से 141 मामले सेल संयंत्रों/इकाइयों से जुड़े थे जिन्हें आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3) के तहत संबद्ध संयंत्रों/इकाइयों के सुपुर्द किया गया। शेष 119 मामलों का निपटारा किया गया। सभी आवेदनों का जवाब नियत समय सीमा में दे दिया गया।

सेल संयंत्रों/इकाइयों के सभी जन सूचना अधिकारियों एवं कारपोरेट कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के फायदे के लिए जुलाई 2009 में कंपनी के कारपोरेट कार्यालय में ''आरटीआई के तहत जन अधिकारियों का कर्त्तव्य'' विषय पर एक जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशाला आयोजित की गई। कारखानों/इकाइयों में भी समय–समय पर आरटीआई के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

आरटीआई अधिनियम 2005 के बनने के बाद से, 7266 आवेदन प्राप्त हुए और 803 अपील प्राप्त हुईं तथा सभी आवेदनों का नियत समय के अंदर जवाब दिया गया। कुल आवेदनों में से मात्र 141 मामले सीआईसी को भेजे गए और एक मामले को छोड़कर सभी मामलों का निपटारा सीआईसी द्वारा संतोषजनक रूप से कर दिया गया।

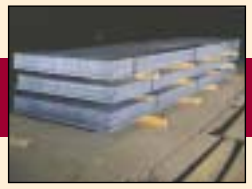

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आईआईएनएल को 1 अप्रैल, 2009 से 31 दिसंबर, 2009 तक सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कुल 141 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 117 अनुरोधों के मामले में आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराकर निपटाया गया, और 24 आवेदन 31 दिसंबर 2009 की स्थिति अनुसार लंबित हैं। ऐसे मामलों की संख्या 4 थी, जिनके संबंध में आवेदक द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में अपील की गई और इन सभी मामलों को सीआईसी द्वारा निपटा दिया गया।

विशाखापट्टनम में एवं आस–पास के क्षेत्र में स्थित विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के जन सूचना अधिकारियों के लिए 08.09.2009 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 विषय पर एक गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इससे स्थानीय पीएसयू के बीच एक नेटवर्क स्थापित करने एवं अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए विचारों/सूचना का परस्पर आदान–प्रदान करने में काफी मदद मिली।

प्रमुख जन सूचना अधिकारी को सूचना भेजने की दृष्टि से मौजूदा 13 नोडल अधिकारियों एवं 29 संपर्क अधिकारियों में एक नोडल अधिकारी एवं 15 संपर्क अधिकारियों को जोड़ा गया। आरटीआई पोर्टल के 17 मैनुअल में उपलब्ध सूचना को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) की मांग के अनुरूप कंपनी की वेबसाइट पर नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों एवं उनके जवाबों को भी संकलित कर स्थानीय भाषा में मुद्रित कराया जाता है और आरआईएनएल/वीएसपी की टाउनशिप एवं आस–पास के गांवों में वितरित किया जाता है ताकि लोगों में इसका व्यापक प्रचार हो और शंकाओं का निराकरण हो।

एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी में आरटीआई अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन :

एनएमडीसी ने आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 4(ब) के तहत सूचनाओं को अपनी वेबसाइट www.nmdc.co.in पर प्रकाशित किया है। कंपनी की वेबसाइट, जो आरटीआई एक्ट के तहत सूचना को उपलब्ध कराने के अलावा अन्य सूचनाएं –वैधानिक या अन्य– और पीआईओ/एए की सूची भी उपलब्ध कराती है, को जनता को सूचना मुहैया कराने के लिए नियमित तौर पर अद्यतन बनाया जाता रहा है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें कंपनी के काम–काज की व्यापक जानकारी होती है, को व्यापक रूप से वितरित किया जाता है और एनएमडीसी अंतिम निष्पादन के लिए नई दिल्ली स्थिति केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लागू आरटीआई–एमआईएस प्रणाली के तहत अपीलीय प्राधिकारी के फैसलों समेत सूचना प्राप्ति के लिए आने वाले सभी आवेदनों का रिकार्ड रखती है। जिस रूप में सूचना मांगी जाती है, उसके लिए तय अधिकतम अवधि में सूचना दी जाती है और जरूरत पड़ने पर स्थानीय भाषा में भी सूचना दी जाती है।

01.04.2009 से 31.12.2009 के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों एवं उनके निपटान की संख्या निम्नवत है:

प्राप्त आवेदनों की संख्या	उत्तरित आवेदनों की संख्या	सीआईसी को भेजे गए मामले	सीआईसी द्वारा निपटाए गए मामले
48	43	1	1

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल)

मॉयल ने आरटीआई एक्ट, 2005 को उसकी पूरी संवेदना के साथ लागू करने के लिए प्रमुख कदम उठाए हैं। मॉयल ने अपने कारपोरेट कार्यालय को नियुक्त किया है और इसकी सभी खनन इकाइयों में पीआईओ/एपीआईओ की नियुक्ति की गई है। इस अधिनियम के तहत प्रोडक्शन एंड प्लानिंग(पी एवं पी) के निदेशक को अपीलीय प्राधिकारी का कानूनी दर्जा दिया गया है। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.moil.nic.in पर सभी पीआईओ/एपीआईओ एवं अपीलीय प्राधिकारियों के नाम उपलब्ध कराए गए हैं। इस कानून की धारा (4) की उप–धारा (1) के अनुच्छेद (बी) के तहत तय अवधि में 17 मैनुअल तैयार करने के कर्तव्य की चर्चा कंपनी के पोर्टल पर की गई है।

केंद्रीय सूचना आयोग और इस्पात मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश के आधार पर मॉयल द्वारा प्रत्येक तीन महीने के अंदर वांछित सूचना को अद्यतन बनाया जाता रहा है। मासिक विवरण नियमित रूप से संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जा रहा है।

इस अधिनियम के उद्देश्य और वास्तविक भावना के बारे में कर्मचारियों में जागरूकता फैलाने की दृष्टि से काफी प्रयास किया जा रहा है। इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को परिपत्र जारी कर रेखांकित किया जाता है और कर्मचारियों से अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों को पारदर्शी रखने एवं समस्त रिकार्डों को समुचित/व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए कहा जाता है। मॉयल जनता के लिए नियमित अंतराल पर अपनी वेबसाइट को भी अद्यतन करता है ताकि जनता मंत्रालय से सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों का इस्तेमाल कर सके।

कर्मचारियों को व्यापक रूप से जागरूक बनाने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया ताकि वे अपने दिन प्रतिदिन के कार्य में आरटीआई अधिनियम के महत्व को समझ सकें। इस सेमिनार में अधिनियम के प्रावधानों को रेखांकित किया गया।

विवेच्य अवधि के दौरान प्राप्त आवेदन, उनका निपटान एवं लंबित का विवरण निम्नवत है:

वर्ष 2009–10 (दिसंबर 2009 तक) के दौरान प्राप्त आवेदन	19
वर्ष 2009–10 (दिसंबर 2009 तक) के दौरान निपटाए गए आवेदन	19
31.12.2009 को लंबित आवेदन	शून्य

एमएसटीसी लिमिटेड

कंपनी आरटीआई एक्ट, 2005 का अनुपालन करती रही है। इस अधिनियम के तहत मांगी गई सूचनाएं आवेदकों को मुहैया कराई जाती रही है। कंपनी ने आरटीआई एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन के लिए अपने मुख्यालय में सीपीआईओ और पीआईओ एवं विभिन्न कार्यालयों में पीआईओ और एपीआईओ की नियुक्ति की है। अप्रैल 2009 से 31 दिसंबर, 2009 की अवधि में, कुल 35 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए। इन सभी 35 आवेदनों का निपटारा किया गया।

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल ने सीपीआईओ/एपीआईओ की नियुक्ति, 17 आइटम (मैनुअल) के मैनुअल की तैयारी और कंपनी की वेबसाइट (www.fsnl.nic.in) पर मैनुअल का विवरण उपलब्ध कराकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किया है। एमओएस और सीआईसी को नियमित तौर पर तिमाही रिपोर्ट सौपी जाती रही हैं। सूचना के लिए सभी आवेदनों को आरटीआई एक्ट, 2005 के तय दिशानिर्देशों के तहत निपटाया जाता रहा है। 1 अप्रैल, 2009 से 31 दिसंबर, 2009 की अवधि के दौरान कुल 14 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए। इन सभी 14 आवेदनों का निपटारा किया गया।

हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

एचएससीएल में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू किया गया है। कंपनी ने एक सीपीआईओ और सात एपीआईओ नामित किए हैं। कंपनी के लिए इस अधिनियम के तहत एचएससीएल का सीएमडी पहला अपीलीय प्राधिकारी है।

1 अप्रैल, 2009 से 31 दिसंबर, 2009 की अवधि में प्राप्त आवेदनों और निपटाए गए मामलों का विवरण निम्न है:

- प्राप्त कुल आरटीआई आवेदनों की संख्या : 73
- सीपीआईओ/एपीआईओ द्वारा निपटाए गए कुल आरटीआई आवेदनों की संख्या : 69
- प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या : 26
- अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निपटाई गई कुल प्रथम अपील की संख्या : 20

मेकॉन लिमिटेड

भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक मेकॉन ने भी सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) 2005 को लागू किया है। इस अधिनियम के सभी संगत मैनुअल को 19 सितंबर, 2005 से मेकॉन की वेबसाइट www.meconlimited.co.in पर उपलब्ध कराया गया है। एक जन सूचना अधिकारी(पीआईओ) को मेकॉन द्वारा अपने मुख्यालय में नियुक्त किया गया है और सहायक जन सूचना अधिकारियों (एपीआईओ) को विभिन्न क्षेत्रीय और स्थल कार्यालयों पर तैनात किया गया है। जनता की ओर से मेकॉन को मिलने वाले ऐसे आवेदनों को ये अधिकारी निपटाते हैं और नियत अवधि में जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) द्वारा इसका जवाब दिया जाता है।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, 2008–09 और 2009–10 (15 दिसंबर 2009 तक) के दौरान प्राप्त आवेदन एवं उनके निपटारे की स्थिति निम्नवत है:

		2009–10 (01.04.2009 से 15.12.2009)
1.1.2009 को प्रारंभिक शेष	:	01
वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन	:	37
कुल	:	38
घटाएं : निश्चित समय के अंदर वर्ष के दौरान निपटाए गए आवेदन	:	32
घटाएं : अन्य जन प्राधिकारी को हस्तांतरित आवेदन	:	02
15.12.2009 को अंतिम शेष	:	04

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल)

अधिनियम के मुताबिक, जब कभी आवेदन प्राप्त हुए कंपनी द्वारा मांगी गई सूचना को प्रस्तुत किया गया।

केआईओसीएल लिमिटेड

कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सभी प्रावधानों का पूरी तरह पालन करती है। अधिनियम के तहत मांगी गई सूचनाएं नियत अवधि में उपलब्ध करा दी जाती हैं। कंपनी ने आरटीआई एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन के लिए अपने विभिन्न कार्यालयों में जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों (पीआईओ और एपीआईओ) की नियुक्ति की है। इस अधिनियम के तहत जरूरी विवरण को कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

आरटीआई सूचना		**(01.04.2009 से 31.12.2009 तक)**
■ प्राप्त कुल आरटीआई आवेदनों की संख्या	:	49
■ निपटाए गए कुल आरटीआई आवेदनों की संख्या	:	49
■ प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	:	5
■ निपटाए गए कुल प्रथम अपीलों की संख्या	:	5

बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक मेकॉन ने भी सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) 2005 को लागू किया है। इस अधिनियम से संबद्ध सभी संगत मैनुअल का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.birdgroup.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है।

निगमित कार्यालय में स्थित एक जन सूचना अधिकारी एवं ओएमडीसी व बीएसएलसी के प्रचालन स्थलों में स्थित सहायक जन सूचना अधिकारियों के जरिए जनता के प्रश्नों का नियमित रूप से समाधान किया जाता है।

अध्याय–XXIII

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

इस्पात मंत्रालय को इस उद्देश्य हेतु अपने 10 प्रतिशत के बजटीय आवंटन की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

डागांव, असम में हॉट डिप गेल्वेनाइजिंग लाइन परियोजना

- पूर्वोत्तर के विकास पर बल देने के अनुरूप और बाजार सर्वेक्षण के आधार पर, सेल बोर्ड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोरूगेटिड एवं प्लेन गेल्वेनाइज्ड शीट्स की मांग को पूरा करने के लिए जनवरी 1997 में एक हॉट डिप गेल्वेनाइजिंग लाइन (एचडीजीएल) की स्थापना को मंजूरी दी थी। इस कारखाने की प्रस्तावित वार्षिक क्षमता 40,000 टन थी और इसकी अनुमानित लागत 42.85 करोड़ रुपये थी।
- जुलाई 97 में यह कार्य मेकॉन को सौंपा गया (पूर्णः 18 माह)। इसका सिविल कार्य पूर्णता के अग्रिम चरण में था और उपकरणों की आपूर्ति शुरू हो गई थी परंतु असम सरकार द्वारा संपर्क मार्ग एवं ब्रिज बनाने में विलंब और इस क्षेत्र में भारी बरसात एवं बाढ़ की वजह से इस परियोजना में देरी हुई।
- इस परियोजना के समय एवं लागत में बढ़ोत्तरी को देखते हुए, मैसर्स आईएफसीआई ने अक्तूबर 1999 में इसका पुनः आकलन किया और बताया कि मौजूदा परिस्थितियों में बिना राजकोषीय प्रोत्साहनों (जैसे उत्पाद शुल्क व आयकर एवं परिवहन सब्सिडी में छूट) के बिना यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।
- तद्नुरूप, सेल बोर्ड द्वारा मार्च 2000 में यह निश्चय किया गया कि इस परियोजना को स्थगित कर दिया जाए और इस परियोजना का स्वामित्व एवं निष्पादन में रुचि रखने वाली उपयुक्त पार्टी की पहचान सहित, वैकल्पिक रणनीतियों का पता लगाया जा सकता है। यह कार्य अप्रैल 2000 में निलंबित किया गया।
- जुलाई 2001 में एक संभावित संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में, मैसर्स नॉर्थ ईस्ट स्टील (एनईएस) को चुना गया और मई 2002 में मैसर्स एनई स्टील प्रा. लि. (एनईएसपीएल – पूर्व एनईएस के कंसोर्टियम सदस्यों को इसके निदेशकों के रूप में एक नव निगमित कंपनी) के साथ ड्राफ्ट सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए और संशोधित एमओयू पर मार्च 2005 में हस्ताक्षर हुए।
- दिसंबर 2005 में एनई स्टील एंड गेल्वेनाइजिंग प्रा. लि. (एनईएसजीपीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेबीसी) निगमित की गई और बाद में, जून 2006 में मेकॉन, सेल एवं एनईएसजीपीएल में एक ट्रांसफर डीड पर हस्ताक्षर हुए जिसके तहत सेल से मेकॉन को दिए गए टर्नकी ठेके को एनईएसजीपीएल को हस्तांतरित किया गया।
- सितंबर 2007 में असम सरकार द्वारा एचडीजीएल की जमीन के अनारक्षण को मंजूरी दी गई और बाद में जमीन के रिकार्ड ठीक किए गए। आगे की जाने वाली कार्रवाइयां हैंः क) 1997 से 2007 तक भू राजस्व कर की अदायगी; और ख) सेल के पक्ष में इस जमीन का 'पट्टा' प्राप्त करना ताकि उस जमीन पर सेल के अधिकार को एनईएसजीपीएल को हस्तांतरित किया जा सके।
- एचडीजीएल परियोजना के लिए जमीन पर सेल के अधिकार के हस्तांतरण के बाद, वित्तीय दस्तावेजों, ठेका दस्तावेज और सेल द्वारा एचडीजीएल परियोजना पर किए गए खर्च के वाउचर्स (टाइटल्स एवं डीड सहित) को एनईएसजीपीएल को हस्तांतरण किया जाएगा और जेपीसी द्वारा कार्य पुनः शुरू किया जाएगा। इस दिशा में आवश्यक दस्तावेजों को पहले ही तैयार कर लिया गया है और गुवाहाटी कार्यालय में हस्तांतरण के लिए उपलब्ध है।

गुवाहाटी में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना

जरूरत के मुताबिक (टेलर मेड) इस्पात उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, यह महसूस किया गया कि खपत केंद्रों के पास एक स्टील प्रोसेसिंग यूनिट (एसपीयू) की स्थापना की जाए। ऐसा खासकर उस राज्य में किया जाए जहां कोई इस्पात संयंत्र नहीं है और जहां इस्पात की खपत राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। राष्ट्रीय इस्पात नीति के मुताबिक, ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति इस्पात खपत को 2 किलोग्राम से बढ़ाकर वर्ष 2019–20 तक 4 किलोग्राम किया जाना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस्पात उद्योग पर गठित कार्य समूह ने इस पर जोर दिया था कि आर्थिक विकास और पारिवारिक आमदनी में बढ़ोतरी से इस्पात खपत में इजाफे के लिहाज से ग्रामीण क्षेत्र महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वैसे, शहरी क्षेत्रों से भिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस ग्रामीण संभावना को हकीकत में तब्दील करने के लिए संगठित प्रयासों की आवश्यकता है।

इसे ध्यान में रखते हुए सेल पूर्वोत्तर भारत समेत विभिन्न इलाकों में एसपीयू की स्थापना कर रहा है। गुवाहाटी को इस्पात की मांग और उपलब्धता के आधार पर एसपीयू की स्थापना के लिहाज से उपयुक्त माना जा रहा है। खासकर निर्माण और आवासीय क्षेत्र के

लिहाज से इसकी स्थापना को ज्यादा उपयुक्त माना जा रहा है। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से कुछ रियायतों और छूट के प्रावधान पर भी जोर दिया गया है।

गुवाहाटी में उपलब्ध कराई जाने वाली संभावित सुविधाओं में टीएमटी बार मिल, गालवनाइजिंग, कट–टू–लेंथ और कॉरूगेशन लाइन एवं टीएमटी क्वायल की कटाई व दृढ़ीकरण प्रमुख रूप से शामिल है। गुवाहाटी आईआईटी के पास तिलिनगांव में इस परियोजना के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और राज्य सरकार ने दिसंबर, 2007 में भू अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। अप्रैल 2008 में सेल बोर्ड की ओर से एसपीयू की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सेल 31 एकड़ जमीन के लिए 7.97 करोड़ रुपए की अदायगी कर चुकी है। मृदा अन्वेषण के लिए आदेश प्रस्तुत कर दिए गए हैं और चार दिवारी कार्य के लिए निविदाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके अलावा, सेल द्वारा असम सरकार के साथ रिआयतों एवं सब्सिडियों का मामला उठाया गया है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल अपने शाखा विक्रय कार्यालय, कोलकाता और गुवाहाटी स्थित एक कंसाइनमेंट विक्रय एजेंसी (सीएसए) एवं सिलिगुड़ी, दार्जिलिंग स्थित जिला स्तरीय डीलर (डीएलडी) के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की सेवा कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विक्रय एवं सेवा को बढ़ावा देने के लिए, आरआईएनएल के कोलकाता स्थित शाखा विक्रय कार्यालय इस क्षेत्र के परियोजना उपभोक्ताओं को 500 रुपये प्रति टन अतिरिक्त रिआयत दे रहा है।

आरआईएनएल कोलकाता स्थित अपने गोदाम के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीधे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक और दूसरी परियोजनाओं को इस्पात उत्पादों की आपूर्ति भी कर रहा है।

वर्ष के दौरान (अप्रैल–दिसंबर 09), आरआईएनएल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के उपभोक्ताओं को उपरोक्त चैनल के जरिए 5327 टन बिक्री की।

हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

एचएससीएल जनवरी 2005 से सिक्किम और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लगी रही है। कंपनी इन दो राज्यों में 835 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को अमल में लाने में लगी है, इससे पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी सुविधाओं और पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा।

एचएससीएल द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों का निर्माण।

एचएससीएल की भारत निर्माण कार्यक्रम एवं पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में भागीदारी:

कंपनी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत पूर्वोत्तर के त्रिपुरा राज्य में ग्रामीण सड़कों के निर्माण की भारत सरकार की भारत निर्माण योजना में हिस्सा लेने पर विशेष गौरव का एहसास हो रहा है। एचएससीएल वहां पर एक परियोजना कार्यान्वयन इकाई के रूप में कार्य कर रहा है और उसकी जिम्मेदारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से लेकर सड़कों के निर्माण के बाद 5 वर्षों तक उसका रखरखाव करना भी है। त्रिपुरा में पीएमजीएसवाई के तहत कार्य का वर्तमान मूल्य करीब 500 करोड़ रुपये है, जो चरणों में 700 करोड़ रुपये तक बढ़ सकती है। झारखंड राज्य में भी एचएससीएल को पीएमजीएसवाई के तहत करीब 1400 कि.मी. ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए परियोजना कार्यान्वयन इकाई के रूप में नामित किया गया है। एनआरआरडीए द्वारा इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट हेतु अब तक 152 करोड़ रुपये मंजूरी किए गए हैं। इसकी लागत 500 करोड़ रुपये तक बढ़ने की संभावना है। एचएससीएल ने त्रिपुरा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के तहत उत्तर, दक्षिण एवं धलाई जिले में एक–एक, 150 बैड वाले जिला अस्पतालों और तेलियामूरा में 100 बैड वाले अस्पताल को लिया है। एचएससीएल द्वारा तीन जिला अस्पतालों में स्टाफ क्वार्टर्स का भी निर्माण किया जा रहा है।

पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों और जिला अस्पतालों एवं स्वास्थ्य देख–भाल केंद्रों के अलावा, एचएससीएल ने त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के अधीन औद्योगिक क्षेत्र के विकास एवं अगरतला म्युनिसिपल काउंसिल के तहत अगरतला स्थित तीन बाजार परिसरों एवं एक आवासीय परिसर के निर्माण का भी जिम्मा लिया है।

सिक्किम के पूर्वोत्तर राज्य में निम्न दो परियोजनाओं को संपन्न करने के कार्य में भी एचएससीएल लगा हुआ है, जिससे इन राज्यों के बुनियादी ढांचे के विकास एवं पर्यटन को बढ़ाने में मदद मिलेगी:

- सिक्किम के सोलोपोक में पिलग्रिमेज सेंटर का निर्माण, इसके तहत खूबसूरत सिक्किम के पहाड़ी इलाके में 100 फीट उंची भगवान शिव की मूर्ति एवं अनेक हिंदू देवी–देवताओं के मंदिर स्थापित किए जाने हैं।
- दक्षिण सिक्किम के यानगांग में सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण, जिससे सिक्किम में पर्यटन विकास को भारी बढ़ावा मिलेगा।

कंपनी, वर्तमान रूप से, इन दो पूर्वोत्तर राज्यों में करीब 835 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाओं को संपन्न कर रही है। आगामी महीनों के दौरान यह राशि लगभग दोगुनी हो जाएगी।

बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

बर्ड ग्रुप कंपनीज की एक इकाई स्कॉट एंड सक्सबी लिमिटेड (एसएसएल) ने अगरतला के आस–पास के दूरदराज के गांव में पेयजल मुहैया करने के लिए जन स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग के तहत त्रिपुरा राज्य में गहरे ट्यूब वेलों को लगाने का काम किया है।

परिशिष्ट–1

भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार इस्पात मंत्रालय को आवंटित विषयों की सूची

1. इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस यूनिटों (ईएफ), इंडक्शन फर्नेस यूनिटों (आईएफ),रिरोलर्स, फ्लैट उत्पादों (हॉल्ट/कोल्ड रोलिंग यूनिटों), कोटिंग यूनिटों, वायर ड्राविंग यूनिटों और शिप ब्रेकिंग समेत स्टील स्क्रैपिंग जैसी प्रोसेसिंग सुविधाओं के साथ लौह और इस्पात उत्पादन सुविधाओं की स्थापना के लिए योजना, विकास और सहायता।

2. सार्वजनिक क्षेत्र में लौह अयस्क खानों एवं अन्य अयस्क खानों का विकास (मैंगनीज़ अयस्क, क्रोम अयस्क, लाइमस्टोन, सिलिमेनाइट, कायनाइट और लौह एवं इस्पात में प्रयुक्त अन्य खनिज, परंतु इनमें खनन लीज़ या तत्संबंधित मामले शामिल नहीं हैं)।

3. लौह और इस्पात एवं फेरो एलॉयज़ का उत्पादन, वितरण, कीमतें, आयात एवं निर्यात।

4. निम्न उद्यमों, उनकी सहायक कंपनियों समेत, से संबंधित मामलेः

   (1) स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल);

   (2) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल);

   (3) एनएमडीसी लिमिटेड;

   (4) मैंगनीज़ ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल);

   (5) एमएसटीसी लिमिटेड;

   (6) फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल);

   (7) हिंन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल);

   (8) मेकॉन लिमिटेड;

   (9) भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड (बीआरएल)*;

   (10) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड (एसआईआईएल);

   (11) केआईओसीएल लिमिटेड, तथा

   (12) बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

* बीआरएल का वर्ष 2009 के दौरान सेल में विलय हो गया है।

परिशिष्ट–2

वर्ष 2009–2010 के दौरान इस्पात मंत्रालय में प्रभारी मंत्री और अधिकारीगण

(कृपया अध्याय–3 देखें)

रसायन एवं उर्वरक तथा इस्पात मंत्री	श्री रामविलास पासवान (22.05.2009 तक)
इस्पात मंत्री	श्री वीरभद्र सिंह (28.05.2009 से)
इस्पात राज्य मंत्री	श्री जितिन प्रसाद (22.05.2009 तक)
	श्री ए. साई प्रताप (28.05.2009 से)
सचिव	श्री श्री प्रमोद कुमार रस्तोगी (31.10.2009 तक)
	श्री अतुल चतुर्वेदी (01.11.2009 से)
विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	श्री बी.एस. मीणा
संयुक्त सचिव	श्री इलियास जॉर्ज
	डा. दलीप सिंह
	डा. उदय प्रताप सिंह
आर्थिक सलाहकार	सुश्री चंद्रलेखा मालवीय
प्रमुख लेखा नियंत्रक	सुश्री एल.एन. तोछवंग
औद्योगिक सलाहकार	श्री ए.सी.आर. दास
निदेशक	श्री जे.पी. शुक्ला
	श्री निहार रंजन दास
	श्री संजय मंगल
	श्री एल.सिद्धार्थ सिंह
	सुश्री इंद्राणी कौशल
	श्री मुखमीत सिंह भाटिया (12.10.2009 तक)
निदेशक स्तर के अधिकारी	डॉ. अरजा श्रीकांत, माननीय इस्पात राज्य मंत्री के निजी सचिव
	श्री अमित पाल सिंह, माननीय इस्पात मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी
	श्री नन्द लाल, प्रमुख स्टाफ ऑफिसर
	श्री डी. काशिवा, अपर औद्योगिक सलाहकार (31.01.2010 तक)
	श्री जे. आलम, रसा. एवं उर्व तथा इस्पात राज्यमंत्री के निजी सचिव (22.05.2009 तक)
उप सचिव	श्री एम.के. रॉय
	सुश्री ए. धनलक्ष्मी
	श्री राकेश भट्टनागर
	सुश्री जया दुबे (15.11.2009 तक)
	सुश्री बी. नलिनी (31.12.2009 तक)
उप सचिव स्तर के अधिकारी	श्री आनंद प्रताप सिंह, इस्पात मंत्री के निजी सचिव
	श्री श्री बी.डी घोष, संयुक्त औद्योगिक सलाहकार
	श्री वेद प्रकाश सिंह, संयुक्त निदेशक (राजभाषा)
	श्री रूपिंदर सिंह, माननीय इस्पात राज्य मंत्री के निजी सचिव (28.05.2009 तक)
	श्री आर.पी. राठी, रसा. एवं उर्व. तथा इस्पात मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी (02.08.2009 तक)

परिशिष्ट–3

प्रमुख एवं द्वितीयक उत्पादकों का उत्पादन

(सार)

(000 टन)

क्र.सं.	मद / उत्पादक उत्पादन	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	अप्रै.–दिसं. 2009*
I.	**कच्चा इस्पातः**					
	प्रमुख उत्पादन	21402	21868	21789	21755	17122
	एएसपी+वीआईएसएल	292	309	315	263	228
	अन्य उत्पादक					
	ई.ए.एफ. यूनिट (कॉरेक्स एवं एमबीएफ ईओएफ सहित)	11273	13250	14820	18365	13529
	इंडक्शन फर्नेस	13493	15390	16933	18054	14896
	कुल (कच्चा इस्पात)	**46460**	**50817**	**53857**	**58437**	**45775**
	अन्य उत्पादकों का प्रतिशत अंश	53.3%	56.4%	59.0%	62.3%	62.1%
II.	**कच्चा लोहाः**					
	प्रमुख उत्पादक	1007	860	936	589	575
	अन्य उत्पादक	3688	4133	4378	5618	3673
	कुल (कच्चा लोहा)	**4695**	**4993**	**5314**	**6207**	**4248**
	अन्य उत्पादकों का प्रतिशत अंश	78.6%	82.8%	82.4%	90.5%	86.5%
III.	**स्पंज आयरनः**					
	गैस आधारित	4545	5265	5845	5516	4560
	कोयला आधारित	10280	13080	14531	15575	10928
	कुल (स्पंज आयरन)	**14825**	**18345**	**20376**	**21091**	**15488**
	प्रक्रिया द्वारा प्रतिशत शेयर (कोयला आधारित)	69.3%	71.3%	71.3%	73.8%	70.6%
IV.	**बिक्री के लिए तैयार इस्पात (मिश्र / गैर–मिश्र)**					
	प्रमुख उत्पादक	16413	17614	18020	17216	12887
	अन्य उत्पादक	34809	40047	43332	46229	35224
	घटा आईपीटी / स्वयं की खपत	4656	5132	5277	6281	4262
	कुल (तैयार इस्पात)	**46566**	**52529**	**56075**	**57164**	**43849**
	अन्य उत्पादकों का प्रतिशत अंश	74.8%	76.2%	77.3%	80.9%	80.3%

**अनंतिम*

ईएएफ : इलेक्ट्रिक आक फर्नेस

एमबीएफ : मिनि ब्लास्ट फर्नेस

ईओएफ : एनर्जी ऑप्टिमाइजिंग फर्नेस

आईपीटी : इंटर–प्लांट ट्रांसफर

परिशिष्ट–4

कच्चे/तरल इस्पात का उत्पादन

(उत्पादक द्वारा)

(000 टन)

उत्पादक	2005–06			2006–07			2007–08			2008–09			अप्रै.–दिसं. 2009*		
	कार्यरत क्षमता	उत्पादन	प्रतिशत उपयोग	कार्यरत क्षमता	उत्पादन	प्रतिशत उपयोग	कार्यरत क्षमता	उत्पादन	प्रतिशत उपयोग	कार्यरत क्षमता	उत्पादन	प्रतिशत उपयोग	कार्यरत क्षमता	उत्पादन	प्रतिशत उपयोग
सार्वजनिक क्षेत्र															
बी एस पी	3925	5054	129%	3925	4799	122%	3925	5055	129%	3925	5183	132%	3925	3927	133%
डी एस पी	1802	1801	100%	1802	1869	104%	1802	1914	106%	1802	1886	105%	1802	1468	109%
आर एस पी	1900	1661	87%	1900	1990	105%	1900	2093	110%	1900	2083	110%	1900	1570	110%
बी एस एल	4360	4228	97%	4360	4067	93%	4360	4127	95%	4360	3577	82%	4360	2695	82%
आई एस पी	520	434	83%	500	472	94%	500	458	92%	500	417	83%	500	287	77%
ए एस पी	234	140	60%	234	150	64%	234	157	67%	234	168	72%	234	152	86%
वी आई एस एल	118	152	129%	118	159	135%	118	158	134%	118	95	81%	118	76	85%
कुल (सेल):	**12859**	**13470**	**105%**	**12839**	**13506**	**105%**	**12839**	**13962**	**109%**	**12839**	**13409**	**104%**	**12839**	**10175**	**106%**
आर आई एन एल	**2910**	**3494**	**120%**	**2910**	**3497**	**120%**	**2910**	**3129**	**108%**	**2910**	**2963**	**102%**	**2910**	**2308**	**106%**
कुल: (सार्वजनिक क्षेत्र)	**15769**	**16964**	**108%**	**15749**	**17003**	**108%**	**15749**	**17091**	**109%**	**15749**	**16372**	**104%**	**15749**	**12483**	**106%**
निजी क्षेत्र															
टाटा स्टील लि.	5000	4730	95%	5000	5174	103%	5000	5013	100%	5000	5646	113%	6800	4867	95%
मुख्य	7160	6968	97%	9750	8410	86%	11400	9538	84%	14800	10218	69%	17200	9835	76%
अन्य ईएफ यूनिट/ कॉरेक्स–बीओएफ/ एमबीएफ–इओएफ	4542	4305	95%	6844	4840	71%	6831	5282	77%	8614	8147	95%	8614	3694	57%
इंडक्शन फर्नेस यूनिट	18700	13493	72%	19500	15390	79%	20865	16933	81%	22180	18054	81%	24400	14896	81%
कुल: (निजी क्षेत्र)	**35402**	**29496**	**83%**	**41094**	**33814**	**82%**	**44096**	**36766**	**83%**	**50594**	**42065**	**83%**	**57014**	**33292**	**78%**
कुल जोड़	**51171**	**46460**	**91%**	**56843**	**50817**	**89%**	**59845**	**53857**	**90%**	**66343**	**58437**	**88%**	**72763**	**45775**	**84%**

मुख्य = एस्सार, इस्पात, जेएसडब्ल्यू – एवं जेएसपीएल

** अनंतिम*

परिशिष्ट–5

कच्चे/तरल इस्पात का उत्पादन 2005–06 से 2009–10 तक

(रूट द्वारा)

('000 टन)

श्रेणी ऑक्सीजन रूट	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10* (अप्रै.–दिसं.)
बी एस पी	5054	4799	5055	5183	3927
डी एस पी	1801	1869	1914	1886	1468
आर एस पी	1661	1990	2093	2083	1570
बी एस एल	4228	4067	4127	3577	2695
आई एस पी	434	472	458	417	287
वी आई एस एल	152	159	158	95	76
आर आई एन एल	3603	3606	3322	3145	2449
टी एस एल	4730	5174	5013	5646	4867
जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	2268	2643	3147	3218	3812
अन्य ऑक्सीजन प्रणाली	576	724	872	995	729
कुल ऑक्सीजन प्रणाली:	**24398**	**25394**	**25966**	**26063**	**21739**
इलेक्ट्रिक प्रणाली					
इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस					
ए एस पी	140	150	157	168	152
एस्सार स्टील लि.	2510	3006	3564	3342	2598
इस्पात इंडस्ट्रीज लि.	2190	2761	2827	2201	1956
जिंदल स्टील एंड पावर लि.	564	803	1219	1457	1469
लॉयड्स स्टील लि.	515	537	463	460	386
जिंदल स्टेनलेस लि.	542	585	585	470	398
अन्य इलेक्ट्रिक आक फर्नेस	2108	2191	2143	6222	4800
कुल इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस:	**8569**	**10033**	**10958**	**14320**	**11759**
इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस					
इंडक्शन फर्नेस	**13493**	**15390**	**16933**	**18054**	**12277**
कुल इलेक्ट्रिक प्रणाली:	**22062**	**25423**	**27891**	**32374**	**24036**
कुल जोड़	**46460**	**50817**	**53857**	**58437**	**45775**

** अनंतिम*

परिशिष्ट–6

कच्चे लोहे का उत्पादन

('000 टन)

संयंत्र	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10* (अप्रै.–दिसं.)
क. सार्वजनिक क्षेत्र					
भिलाई स्टील प्लांट	127	40	136	61	72
दुर्गापुर स्टील प्लांट	26	38	57	20	31
राउरकेला स्टील प्लांट	15	44	26	1	10
बोकारो स्टील प्लांट	166	160	98	78	80
इस्को स्टील प्लांट	213	177	93	99	22
विश्वेष्वराया आई एंड एस प्लांट	21	49	31	8	1
राष्ट्रीय इस्पात निगम	439	352	495	322	359
उप योग (क):	**1007**	**860**	**936**	**589**	**575**
ख निजी क्षेत्र					
अन्य ब्लास्ट फर्नेस/ कॉरेक्स यूनिट	3688	4133	4378	5618	3729
उप योग (ख):	**3688**	**4133**	**4378**	**5622**	**3729**
कुल (क+ख):	**4695**	**4993**	**5314**	**6211**	**4304**
निजी क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी	78.6%	82.8%	82.4%	90.5%	86.6%
घटा: इंटर प्लांट ट्रांसफर	5	40	30	4	56
बिक्री के लिए उत्पादन	**4690**	**4953**	**5284**	**6207**	**4248**

* *अनंतिम*

परिशिष्ट–7

तैयार इस्पात का विक्रय हेतु उत्पादन

(गैर–मिश्र एवं मिश्र इस्पात)

('000 टन)

संयंत्र	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10* (अप्रै.–दिसं.)
क. सार्वजनिक क्षेत्र					
भिलाई स्टील प्लांट	3238	3232	3603	3604	2406
दुर्गापुर स्टील प्लांट	676	707	685	671	427
राउरकेला स्टील प्लांट	1606	1939	2059	1944	1242
बोकारो स्टील प्लांट	3504	3612	3592	3274	2546
इस्को स्टील प्लांट	259	316	316	318	212
राष्ट्रीय इस्पात निगम	2980	3042	2899	2558	2126
एलॉय स्टील प्लांट	27	29	30	35	24
सेलम स्टील प्लांट	171	183	231	180	137
विश्वेश्वराया आई एंड एस प्लांट	131	131	133	89	57
घटाएं अतः संयंत्र हस्तांतरण	7	15	27		
कुल (क):	**12585**	**13176**	**13521**	**12673**	**9177**
ख. निजी क्षेत्र					
टाटा स्टील लि.	3821	4423	4472	4543	3710
प्रमुख	9534	11629	13000	12086	12334
अन्य	25275	28418	30332	34143	22890
घटाएं स्वयं की खपत (प्रमुख एवं अन्य)	4649	5117	5250	6281	4262
उप योग (ख):	**33981**	**39353**	**42554**	**44491**	**34672**
विक्रय हेतु कुल योग (क+ख)	**46566**	**52529**	**56075**	**57164**	**43849**
निजी क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी	**73.0%**	**74.9%**	**75.9%**	**77.8%**	**79.1%**

* *अनंतिम*

परिशिष्ट–8

तैयार इस्पात (गैर–मिश्र) का विक्रय हेतु श्रेणीवार उत्पादन

('000 टन)

श्रेणी	2005–06				2006–07				2007–08				2008–09				अप्रै.दिसं. 2009*			
	मुख्य उत्पाद	अन्य उत्पाद	आईपीटी/ स्वयं उपयोग	कुल	मुख्य उत्पाद	अन्य उत्पाद	आईपीटी/ स्वयं उपयोग	कुल	मुख्य उत्पाद	अन्य उत्पाद	आईपीटी/ स्वयं उपयोग	कुल	मुख्य उत्पाद	अन्य उत्पाद	आईपीटी/ स्वयं उपयोग	कुल	मुख्य उत्पाद	अन्य उत्पाद	आईपीटी/ स्वयं उपयोग	कुल
1. गैर सपाट उत्पादन																				
बार्स एंड रॉड्स	4622	12014		16636	5161	13650		18811	5313	14875		20188	5186	15241		20427	4066	12344		16410
स्ट्रक्चरल्स/विशेष सेक्शन	1087	3397		4484	1104	3780		4884	1003	4040		5043	935	4431		5366	644	3250		3894
रेल्स व रेलवे मैटीरियल्स	894	119		1013	918	120		1038	951	135		1086	1012	170		1182	683	132		815
कुल (गैर सपाट उत्पाद)	**6603**	**15530**		**22133**	**7183**	**17550**		**24733**	**7267**	**19050**		**0 26317**	**7133**	**19842**		**0 26975**	**5393**	**15726**		**0 21119**
2. सपाट उत्पाद																				
प्लेट्स	2321	653		2974	2450	892		3342	2688	1369		4057	2498	1506		4004	1833	1072	1	2904
एचआर कॉयल्स/ स्केल्प/स्ट्रिप्स	4088	7116	1689	9515	4526	8464	1809	11181	4707	8977	2010	11674	4577	9633	3043	11167	3402	7566	2736	8232
एचआर शीट्स	309	300		609	292	411		703	302	455		757	277	338		615	195	248	13	430
सीआर कॉयल्स/शीट्स/स्ट्रिप्स	1918	4881	2810	3989	1936	5511	3125	4322	1891	5560	3012	4439	1657	5941	2983	4615	1236	4321	1354	4203
जीपी/जीसी शीट्स	807	2975		3782	813	3578		4391	729	3652		4381	711	3843		4554	548	2786		3334
इलेक्ट्रिकल शीट्स	70	78		148	76	72	5	143	81	78		159	71	75		146	59	65		124
टिप प्लेट्स	32	150		182	17	155		172	15	168		183	19	182		201	13	142		155
टी एम बी पी		7	7	0	9	11	11	9		6		6	0	4		4				0
टिन फ्री स्टील				0		2		2				0	0	6		6				0
कुल (सपाट उत्पाद)	**9545**	**16160**	**4506**	**21199**	**10119**	**19096**	**4950**	**24265**	**10413**	**20265**	**5022**	**25656**	**9810**	**21528**	**6026**	**25312**	**7286**	**16200**	**4104**	**19382**
3. पाइप (बड़ा व्यास)	**63**	**995**		**1058**	**88**	**1110**		**1198**	**85**	**1250**		**1335**	**77**	**1788**		**1865**	**43**	**1173**		**1216**
कुल (तैयार कार्बन इस्पात)	**16211**	**32685**	**4506**	**44390**	**17390**	**37756**	**4950**	**50196**	**17765**	**40565**	**5022**	**53308**	**17020**	**43158**	**6026**	**54152**	**12722**	**33099**	**4104**	**41717**

** अनंतिम*

परिशिष्ट–9

मुख्य भारतीय बंदरगाहों के जरिये लौह और इस्पात का आयात

('000 टन)

क्र. सं.	श्रेणी	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009 अप्रै.–दिसं.*
I	**अर्द्ध–तैयार इस्पात (गैर–मिश्र)**					
	अर्द्ध तैयार	372.1	268.7	156.3	481.9	250.7
	रि–रोलेबल स्क्रैप	169.5	154.7	200.8	98.4	61.6
	तैयार इस्पात (गैर–मिश्र)					
	बार्स एंड रॉड्स	375.0	290.1	436.5	433.2	411.9
	स्ट्रक्चरल्स	99.1	86.2	75.7	55.4	69.9
	रेलवे मैटीरियल्स	0.3	2.5	20.0	23.4	6.6
	प्लेट्स	791.9	1124.5	1461.9	991.4	661.7
	एचआर शीट्स	31.7	56.9	29.0	55.2	11.9
	एचआर कॉयल्स/स्केल्प/स्ट्रिप्स	1526.6	1571.7	2947.5	2293.0	2108.2
	सीआर कॉयल्स/शीट्स	487.2	605.8	820.8	710.2	684.6
	जीपी/जीसी शीट्स	134.1	195.2	268.2	294.3	209.4
	इलेक्ट्रिकल शीट्स	215.9	252.4	241.9	222.3	208.3
	टीएमबीपी	1.9	1.8	3.4	2.3	0.6
	टिन प्लेट्स	75.8	124.1	100.9	101.5	109.0
	टिन प्लेट्स डब्ल्यू/डब्ल्यू	22.5	25.0	46.6	36.2	32.8
	टिन फ्री स्टील	28.2	32.2	44.0	31.8	26.1
	पाइप्स	59.3	68.6	85.1	21.0	9.1
कुल	**तैयार इस्पात (गैर–मिश्र)**	**3849.5**	**4437.0**	**6581.5**	**5271.2**	**4549.9**
कुल	**इस्पात (गैर–मिश्र)**	**4391.1**	**4860.4**	**6938.6**	**5851.5**	**4862.2**
II	**एलॉय/स्टेनलेस इस्पात**					
	तैयार इस्पात	455.0	490.6	448.0	570.0	659.8
	अर्द्ध तैयार	23.0	13.0	9.4	17.7	18.1
	कुल एलॉय/स्टेनलेस इस्पात	**478.0**	**503.6**	**457.4**	**587.7**	**677.9**
	कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्र + मिश्रित)	4304.5	4927.6	7029.5	5841.2	5209.7
कुल	**इस्पात (I+II)**	**4869.1**	**5364.0**	**7396.0**	**6439.2**	**5540.1**
III	**अन्य इस्पात मदें**					
	फिटिंग्स	59.3	68.6	85.1	25.2	22.5
	विविध इस्पात मदें	473.6	317.7	399.2	302.9	667.8
	स्टील स्क्रैप	3335.8	2185.3	2557.9	3161.9	3323.7
IV	**लौह**					
	कच्चा लोहा	2.8	3.7	10.7	7.8	9.6
	स्पंज लोहा	–	0.1	0.8	0.5	0.1
	एच.बी. लोहा	–	–	–	–	–
V	**फेरो–अलॉयज**	**49.7**	**105.9**	**199.0**	**144.6**	**64.1**
	कुल जोड़:	**8790.3**	**8045.3**	**10648.7**	**10082.1**	**9627.9**

* *अनंतिम*

परिशिष्ट–10

श्रेणीवार निर्यात

('000 टन)

श्रेणी	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	अप्रै.–दिसं. 2009*
अर्द्ध (गैर–मिश्र)	**388.3**	**665.3**	**373.0**	**661.0**	**293.0**
तैयार इस्पात (गैर–मिश्र)					
बार्स एवं रॉड्स	387.0	329.0	213.0	187.0	158.0
स्ट्रक्चरल्स	89.4	75.0	73.0	73.0	43.0
प्लेट्स	149.8	106.5	153.0	264.0	51.0
एचआर कॉयल्स/शीट्स	1371.1	1580.3	1391.0	943.0	279.0
सीआर शीट्स/कॉयल्स	450.5	386.4	510.0	341.0	239.0
जीपी/जीसी शीट्स	1842.6	2173.3	2026.0	1849.0	837.0
इलेक्ट्रिकल शीट्स	24.4	1.5	25.0	8.0	3.0
टिनप्लेट्स	43.0	37.0	36.0	88.8	50.0
पाइप्स	120.0	203.5	200.0	504.0	326.0
कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्र)	**4477.8**	**4892.5**	**4627.0**	**4257.8**	**1986.0**
कुल इस्पात (गैर–मिश्र)	**4866.1**	**5557.8**	**5000.0**	**4918.8**	**2279.0**
तैयार इस्पात					
मिश्र					
तैयार इस्पात	323.0	349.0	450.0	179.0	113.0
अर्द्ध तैयार	0.0	0.0	0.0	85.0	0.0
कुल इस्पात (मिश्र)	**323.0**	**349.0**	**450.0**	**264.0**	**113.0**
कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्र+मिश्र)	4800.8	5241.5	5077.0	4436.8	2099.0
कुल इस्पात (गैर–मिश्र+मिश्र)	5189.1	5906.8	5450.0	5182.8	2392.0
कच्चा लोहा	**440.1**	**706.7**	**560.0**	**350.0**	**227.0**
स्पंज आयरन	**42.3**	**55.6**	**38.0**	**34.0**	**1.0**

** अनंतिम*

परिशिष्ट–11

2009–10 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 23 (नियमितता लेखापरीक्षा)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) का वर्ष 2007–08 के दौरान कारोबार 12037.57 करोड़ रुपये था। इसके उत्पादों से संबंधित इन्वॉयस इसके इन्वॉयसिंग अनुभाग द्वारा विभिन्न विभागों/अनुभागों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर तैयार किये गये हैं। कंपनी ने बीएसएल की इन्वॉयसिंग प्रणाली को कंप्यूटरीकृत किया है। कंप्यूटर इनहाउस विकसित 'ओरेकल9आई का इस्तेमाल करते हुए फाइल सर्वर प्रणाली' से युक्त है। यह देखा गया है कि एक ही स्रोत के आंकड़ों की अनेक डेटा प्रविष्टियां थीं जिसके फलस्वरूप इनवॉयसेस को तैयार करने में देरी हुई। यह भी देखा गया कि इस प्रणाली में इनपुट कंट्रोल्स और वेलिडेशन चैक्स की कमी है जिससे आंकड़ों की पूर्णता, सटीकता एवं सत्यता प्रभावित होती है। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के साथ–साथ एन्वायरनमेंट कंट्रोल्स अपर्याप्त थे जिससे प्रणाली एवं आंकड़े अनाधिकृत एक्सेस के साथ–साथ अग्नि जोखिम की दृष्टि से असुरक्षित थे।

2009–10 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 24

हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड

कंपनी अपने वित्तीय हित को सुरक्षित करने एवं उप–ठेकेदार से अग्रिम की उगाही के लिए समुचित कार्रवाई करने में असफल रही जिससे 3.26 करोड़ रुपये की हानि हुई।

पैरा 16.2.1

एमएसटीसी लिमिटेड

कंपनी के वित्तीय हित सुरक्षित किए बिना एक सहायक आपूर्तिकर्ता को अग्रिम की अदायगी की गई जिससे 4.17 करोड़ रुपये की हानि हुई।

पैरा 16.3.1

बिना उनकी योग्यता एवं सक्षमता जाने सहायक आपूर्तिकर्ताओं का चयन जिससे 2.48 करोड़ रुपये की हानि हुई।

पैरा 16.3.2

एनएमडीसी लिमिटेड

उपभोक्ताओं के साथ करारों में भुगतान की देय तिथि और उस पर ब्याज लगाने की शर्त की धारा न होने के कारण, कंपनी को 5. 18 करोड़ रुपये की हानि हुई।

पैरा 16.4.1

कंपनी ने जरूरत से अधिक डम्पर्स की खरीद की जिसके फलस्वरूप ब्याज की हानि और रख–रखाव भार के रूप में 3.07 करोड़ रुपये खर्च हुए।

पैरा 16.4.2

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

करार के प्रावधानों को कार्यान्वित करने में असफलता के फलस्वरूप प्राइवेट पार्टियों से 2.17 करोड़ रुपये का जमीन का किराया नहीं वसूला गया।

पैरा 16.5.1

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

कोयले की खरीद के लिए बीसीसीएल और सीसीएल के बीच हुए एमओयू में त्रुटिपूर्ण पेनल्टी धारा के फलस्वरूप 2004–05 से 2006–07 के तक उच्चतर राख प्रतिशतता युक्त कोयले पर 10.87 करोड़ रुपये की कम पेनल्टी लगी।

पैरा 16.6.1

राउरकेला में उर्वरक संयंत्र की बेकार पड़ी इकाइयों के विक्रय के लिए फारवर्ड नीलामी बोली को अंतिम रूप देने के निर्णय लेने में देरी के फलस्वरूप 1.90 करोड़ रुपये की हानि हुई।

पैरा 16.6.2

भारत रिफैक्टरीज लिमिटेड (अब सेल के साथ विलय)

कंपनी द्वारा पूर्व बीआरएल कर्मचारियों को घरेलू खपत के लिए आपूर्ति की गई बिजली के प्रभार की कम वसूली/वसूली न करने के फलस्वरूप 2002–03 से 2007–08 की अवधि के दौरान वसूली न की गई राशि 6.30 करोड़ रुपये थी।

पैरा 16.1.1

परिशिष्ट–12

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के फैसलों/आदेशों के कार्यान्वयन की स्थिति

इस्पात मंत्रालय और उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले सार्वजनिक उद्यमों और कंपनियों में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का कोई भी फैसला/आदेश कार्यान्वयन के लिए लंबित नहीं है।

परिशिष्ट–13

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बर्ड ग्रुप की कंपनियों का तुलनात्मक पीबीटी (कर पूर्व लाभ)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	पीएसयू/कंपनी	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–2010* (दिसं. 09 तक)
क. लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू/कंपनियां							
1	सेल	9365.00	5706.00	9423.00	11468.73	9404.00	7065.00
2	आरआईएनएल	2253.77	1889.51	2222.34	2995.36	2027.00	721.91
3	एनएमडीसी	1223.65	2770.13	3498.31	4947.47	6648.23	3642.64
4	मॉयल	202.27	169.00	201.15	734.91	1006.76	424.09
5	एमएसटीसी	64.76	85.70	90.87	134.47	129.53	70.42
6	एफएसएनएल	8.49	8.55	3.05	2.01	4.31	3.95
7	एसआईआईएल	14.24	5.66	6.29	9.88	(–) 1.29	(–) 10.35
8	ओएमडीसी*	230.15	188.88	259.00	224.46	286.24	88.13
9	मेकॉन	10.73	19.27	23.38	39.53	74.76	110.49
10	केआईओसीएल	1111.91	548.10	19.94	156.51	24.18	(–) 184.87
11	बीआरएल#	(–) 5.21	(–) 6.93	(–) 15.12	4.67	6.17	.
ख. घाटा उठाने वाले पीएसयू							
12	एचएससीएल	(–) 94.21	(–) 85.50	(–) 83.50	(–) 26.72	(–) 6.88	(–) 42.48
13	बीएसएलसी*	(–) 5.00	(–) 64.13	(–) 6.65	(–) 81.61	(–) 91.38	2.41
14	केडीसीएल*	(–) 1.35	(–) 1.63	(–) 2.21	(–) 2.56	(–) 2.56	(–) 0.22
15	एसएसएल*	(–) 7.21	(–) 9.78	(–) 13.47	(–) 11.48	@	@
	कुल	**14321.79**	**11222.36**	**15566.36**	**20595.63**	**19422.65**	**11891.12**

**अनंतिम @ कंपनी समापन के अधीन #बी आर एल को 2009 के दौरान सेल में विलय किया गया*

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/बर्ड ग्रुप की कंपनियों का तुलनात्मक पीएटी (कर बाद लाभ)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	पीएसयू/कंपनी	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–2010* (दिसं. 09 तक)
क. लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू/कंपनियां							
1	सेल	6817.00	4013.00	6202.00	7536.78	6174.81	4669.47
2	आरआईएनएल	2008.00	1252.00	1363.00	1943.00	1336	464.45
3	एनएमडीसी	755.44	1827.80	2320.21	3250.98	4372.38	2404.59
4	एमओआईएल	126.90	114.52	134.21	479.82	663.79	279.94
5	एमएसटीसी	38.30	54.68	59.00	92.20	85.05	43.48
6	एफएसएनएल	5.41	5.68	1.26	0.73	2.23	2.61
7	एसआईआईएल	3.93	3.18	4.02	6.48	(–) 0.92	(–) 9.74
8	ओएमडीसी$	145.55	129.93	173.47	148.84	181.81	59.22
9	मेकॉन	10.73	16.12	20.38	33.32	65.88	82.87
10	केआईओसीएल	649.84	356.30	13.77	108.16	22.01	(–) 184.87
11	बीआरएल#	(–) 5.21	(–) 7.07	(–) 15.31	(–) 4.43	5.99	.
ख. घाटा उठाने वाली कंपनियां							
12	बीएसएलसी$	(–) 55.00	(–) 64.12	(–) 66.65	(–) 81.61	(–) 91.38	2.41
13	एचएससीएल	(–) 94.21	(–) 85.97	(–) 83.50	(–) 26.72	(–) 6.88	(–) 42.48
14	केडीसीएल$	(–) 1.35	(–) 1.63	(–) 2.21	(–) 2.56	(–) 2.56	(–) 0.22
15	एसएसएल$	(–) 7.21	(–) 9.78	(–) 13.47	(–) 11.48	@	@
	कुल	**10389.12**	**7640.64**	**10110.18**	**13482.37**	**12763.17**	**7772.07**

**अनंतिम @ कंपनी समापन के अधीन #बी आर एल को 2009 के दौरान सेल में विलय किया गया*

$ उड़ीसा मिनरल डेवलेपमेंट कम्पनी लिमिटेड (ओएमडीसी), बिरसा स्टोम लाइन कम्पनी लिमिटेड (बीएसएलसी), करनपुरा डेवलेपमेंट कम्पनी लिमिटेड (केडीसीएल), स्काट एंड सेक्सबी लिमिटेड (एसएसएल) इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाली बर्ड समूह की कंपनियां हैं।

परिशिष्ट–14

केंद्र सरकार और सरकारी बीमा कंपनियों में पीएएसयू और बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज का योगदान

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	पीएसयू/कंपनी	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	अप्रै.–दिसं. 2009*
1	सेल	4917.00	7775.00	9886.00	11723.00	10374	5982.00
2	आरआईएनएल	1012.91	1608.13	2143.97	2522.08	1920.74	1007.00
3	एनएमडीसी	629.34	1356.16	1695.47	1880.42	2959.78	2070.00
4	मॉयल	86.88	75.87	79.04	265.17	368.47	162.25
5	एमएसटीसी	21.24	23.42	30.52	48.12	62.76	41.15
6	एफएसएनएल	3.23	3.03	5.45	7.73	5.33	5.81
7	एसआईआईएल	17.76	11.99	13.04	13.98	5.64	2.49
8	मेकॉन	15.88	25.58	25.23	41.85	57.83	60.00
9	केआईओसीएल	534.92	294.73	39.83	28.55	114.68	30.89
10	एचएससीएल	0.29	0.76	0.73	0.35	49.57	29.39
11	बीआरएल#	20.21	21.64	26.34	32.19	36.33	–
12	बीजीसी	86.28	54.77	104.93	80.30	116.67	30.84
	कुल	**7345.94**	**11251.08**	**14050.56**	**16643.74**	**16071.8**	**9421.82**

**अनंतिम* # बीआरएल का वर्ष 2009 के दौरान सेल में विलय हो गया।

राज्य सरकारों में पीएसयू और बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज का योगदान

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	पीएसयू/कंपनी	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	अप्रै.–दिसं. 2009*
1	सेल	1212.00	1454.00	1834.00	1900.00	2021	1396.00
2	आरआईएनएल	246.00	298.51	319.63	379.08	372.25	169.70
3	एनएमडीसी	94.52	151.86	206.35	239.78	239.68	204.66
4	मॉयल	28.48	28.24	32.07	84.17	90.84	52.82
5	एमएसटीसी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	एफएसएनएल	0.17	0.15	0.27	0.46	0.47	0.29
7	एसआईआईएल	0.46	0.43	1.14	2.07	1.32	1.31
8	मेकॉन	0.57	0.95	0.41	0.16	0.61	0.70
9	केआईओसीएल	29.37	31.15	11.62	9.21	6.10	0.70
10	एचएससीएल	0.98	0.86	0.55	1.21	118.87	42.84
11	बीआरएल#	2.37	2.73	3.15	2.97	3.47	–
12	बीजीसी	16.91	13.18	15.40	10.07	13.23	7.64
	कुल	**1631.83**	**1982.06**	**2424.59**	**2629.18**	**2867.84**	**1876.66**

**अनंतिम* # बीआरएल का वर्ष 2009 के दौरान सेल में विलय हो गया।

परिशिष्ट–15

सीएसआर का बजट और व्यय

(लाख रुपये में)

पीएसयू	2004–05		2005–06		2006–07		2007–08		2008–09		अप्रै.–दिसं. 2009*	
	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय	बजट	व्यय
सेल	600	183.01	1300	850.71	2600	1978.29	10000	11961	11400	8303	8000	4043
आरआईएनएल	0	0	0	0	692	116	3400	1372	3882	2283	1275	877
एनएमडीसी	0	1179	0	1355	7050	2466	8930	2721	12440	9884	8000	4703
मॉयल	0	25	0	35	200	71.48	300	287	734	542	1100	46.47
केआईओसीएल	310	310	175	175	136	136	200	205	216	212	150	173.11
एमएसटीसी	0	0	20	17	80	31	118	86	248	242	131.00	21.00
एफएसएनएल	2	2	2	2	2	2.35	6	10.84	10	10	2.00	1.60
मेकॉन	14.43	6.36	14.86	7.66	18.22	10.41	20.96	27.41	35.92	40.26	140	45.50
बीआरएल#	16	16	16	16	16	16	12	20	20	25	–	–
एसआईआईएल	0	0	0	0	0	0	0	3.32	5	1.07	0	0
एचएससीएल	0	0	0	0	0	0	0	1.5	20	6.35	10	शून्य
बीजीसी	0	490.24	0	9.02	0	8.65	0	964.02	0	497.93	300	32.30
कुल	942.43	1721.37	1527.86	2458.36	10744.22	4971.05	22991.97	16723.07	29010.92	22900.61	19108	9943

* *अनंतिम*

बीआरएल का वर्ष 2009 के दौरान सेल में विलय हो गया।

परिशिष्ट–17

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार, 'सिटिजन सेंट्रीसिटी हेतु सात सूत्रीय मॉडल–सेवोत्तम' का अंगीकरण

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 12वीं रिपोर्ट ''सिटिजन्स सेंट्रिक प्रशासन–अधिशासन की आत्मा'' में पैरा 4.6.2 में सिटिजेन्स चार्टर को अधिक प्रभावी एवं अनिवार्य बनाते हुए, संगठन को पारदर्शी, जवाबदेह एवं नागरिकों के अनुकूल बनाने के लिए सिफारिश की है। प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग ने जन सेवा डिलीवरी (सेवोत्तम) में बेंचमार्किंग उत्कृष्टता के लिए एक मॉडल विकसित किया है। यह मॉडल नागरिकों को दी जा रही सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने एवं सुधारने के लिए संगठनों को एक रूपरेखा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत सूचना टेक्नोलॉजी की मदद से बिजनेस प्रक्रिया को अधिक सूचनाप्रद बनाने के लिए अभिनव प्रणालियों का उपयोग करते हुए नागरिकों को दी जा रही सेवाओं की पहचान, सेवा की गुणवत्ता, उसका उद्देश्य, गुणवत्ता में सुधार शामिल है।

इस्पात मंत्रालय ने अपना 'सिटिजन चार्टर' निकाला है और इसे स्टेकधारकों की बदलती जरूरतों एवं अपेक्षाओं के अनुरूप समय–समय पर अद्यतन किया जाता है। इस चार्टर को मंत्रालय की वेबसाइट www.steel.nic.in पर डाला गया है। मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं कंपनियों में संबंधित चार्टर्स एवं सात सूत्रीय मॉडल का कार्यान्वयन विभिन्न अवस्थाओं में है। विभिन्न कंपनियों में इस संबंध में प्रगति का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

जन सेवाओं का स्तर उठाने के लिए सिटिजंस चार्टर के प्रति सेल की वचनबद्धता है और नागरिकों के साथ अधिक सहयोग करते हुए कार्य करने का एक प्रयास है।

इस चार्टर को लाने का उद्देश्य प्रभावी एवं दक्ष सेवा तथा अपने उत्पादों और सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया में निरंतर सुधार करते हुए नागरिकों की संतुष्टि बढ़ाना है।

नागरिक को किसी एक ऐसे स्टेकहोल्डर के रूप में समझा जा सकता है जिसका उपभोक्ताओं, विक्रेताओं, निवेशकों, कर्मचारियों, सहयोगी भागीदारों, सरकार से लेकर व्यापक समाज के रूप में कंपनी पर महत्वपूर्ण असर एवं प्रभाव होता है।

सेल का सिटिजन चार्टर 3 व्यापक क्षेत्रों में बनाया जा रहा है। पहले भाग में चार्टर का दायरा एवं कंपनी के बारे में आम सूचना दी गई है। दूसरे भाग में नागरिकों के प्रति प्रबंधन की वचनबद्धता, कंपनी के बिजनेस का विवरण एवं नागरिकों से अपेक्षाओं के बारे में सूचना दी गई है जिससे कि नागरिकों को बेहतर रूप से सूचित किया जा सके और उनको बेहतर उत्पादों एवं सेवाओं की मांग की दृष्टि से सशक्त बनाया जा सके। आखिरी भाग में अच्छे उत्पाद एवं सेवा डिलीवरी के लिए प्रमुख घटकों का प्रबंधन करते हुए नागरिकों को सेवा प्रदान करने और पुनरावलोकन प्रणाली के जरिए डिलीवरी में निरंतर सुधार करने की अपनी क्षमता विकसित करने के बारे में बताया गया है।

आरआईएनएल

सिटिजंस/क्लाइंट्स चार्टर में यथा प्रस्तावित कर्मचारियों की शिकायतों/जन शिकायतों को मोटे तौर पर प्रक्रियागत विलंब (पीडी), सेवा मामले (एसएम), स्टाफ एवं अन्य का दुर्व्यवहार(ओं) के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है और संगठन में संबंधित द्वारा जन शिकायत निवारण प्रणाली के तहत इनको देखा/निवारण किया जाता है। इस प्रणाली की केंद्रीकृत रूप से महाप्रबंधक स्तर के एक वरिष्ठ कार्यपालक द्वारा निगरानी की जाती है।

मॉयल

मॉयल में सिटीजन्स चार्टर बनाया गया है। मॉयल ने इस चार्टर के कार्यान्वयन के लिए अनेक कदम उठाए हैं और उसे कंपनी की वेबसाइट पर डाला गया है और कंपनी के विभागाध्यक्षों एवं खानों में भी वितरित किया गया है। मॉयल ने संगठन के ऐसे प्रमुख स्थलों जहां नागरिकों का आना–जाना होता है, पर भी सिटिजन्स चार्टर की प्रति प्रदर्शित की हैं।

मॉयल ने परिचर्चा करने, जागरूकता पैदा करने एवं सिटिजन्स चार्टर के समुचित कार्यान्वयन के लिए कंपनी के प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला का आयोजन किया है। जैसा कि मॉयल में सिटिजन्स चार्टर को हाल ही में कार्यान्वित किया गया है, कोई पुनरावलोकन प्राप्त नहीं हुआ है। कंपनी उचित समय पर सिटिजन्स चार्टर के कार्यान्वयन के प्रभाव का आकलन एवं मूल्यांकन करेगी और जैसा जरूरी होगा उसमें सुधार किया जाएगा।

एमएसटीसी

इस्पात उद्योग पर विशेष बल के साथ व्यापार में एक प्रमुख बी2बी का एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने के लिए, एमएसटीसी ने सात सूत्रीय सिटिजन सेंट्रिक मॉडल का पूर्णतः अंगीकरण एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं। विजन, मिशन एवं निगमित लक्ष्यों को निष्पक्ष रूप से निर्धारित किया गया है। बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, एमएसटीसी ने अपने बिजनेस सौदों के लिए ई–कॉमर्स के उपयोग का व्यापक रूप से प्रचार किया है और एक ई–खरीद पोर्टल विकसित किया है। बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं एवं खरीददारों की जरूरतों एवं दायित्वों को पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए, एमएसटीसी ने पंजीकृत उपभोक्ताओं का एक डेटाबेस तैयार किया है जिसे निरंतर एक नियमित गतिविधि के रूप में अद्यतन किया जाता है। शिकायत निवारण को देखने के लिए, कंपनी ने शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज और निगरानी करने के लिए एक अलग पोर्टल निगमित वेबसाइट www.mstcindia.co.in के रूप में एकीकृत किया है। कंपनी केंद्रीयकृत शिकायत निवारण तंत्र प्रणाली (सीपीजीआरएमएस) सॉफ्टवेयर का भी नियमित रूप से इस्तेमाल कर रही है। इन उपायों से शिकायतों का निवारण ऑनलाइन तुरंत एवं प्रभावी होता है।

एचएससीएल

बुनियादी विकास गतिविधियों में एक अग्रणी के रूप में उभरने के लिए, एचएससीएल ने भी एक विज़न एवं मिशन स्टेटमेंट तैयार की है। इसमें प्रमुख उपभोक्ताओं और उनको प्रदान की जा रही सेवाओं को चिन्हित किया गया है। अपनी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ग्राहकों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों एवं समय–सारणी का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, कंपनी निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए मानक तैयार करने, क्षमता विकसित करने की प्रक्रिया में है और कंपनी ने कार्यनिष्पादन का निरंतर मूल्यांकन करने के लिए निगरानी प्रणालियां भी बनाई हैं। कंपनी सात सूत्रीय सिटिजन सेंट्रिक मॉडल में रेखांकित उपायों का पूर्ण पालन करने के लिए सभी मानकों की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है।

केआईओसीएल

केआईओसीएल के पास सुस्पष्ट शिकायत निवारण प्रणाली है। कंपनी द्वारा प्राप्त सभी जन शिकायतें तुरंत देखी जाती हैं। जन/स्टाफ शिकायतों के निवारण के लिए दो निदेशकों, एक महाप्रबंधक और एक उप महाप्रबंधक को शिकायतों के निदेशक के रूप में पदनामित किया है। कंपनी सात सूत्रीय सिटिजन सेंट्रिक मॉडल का पूर्णतः अनुपालन करने के लिए प्रविधियां बनाने एवं उपाय करने के लिए प्रक्रिया तैयार कर रही है।

बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

बर्ड ग्रुप आफ कंपनीज में सिटिजन चार्टर को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सात सूत्रीय मॉडल को कार्यान्वित किया जा रहा है।

सेल और आरआईएनएल का देशव्यापी इस्पात वितरण तंत्र

*आंकड़े प्रत्येक राज्य में डीलरों की संख्या दर्शाते हैं

**मानचित्र पैमाने के अनुसार नहीं

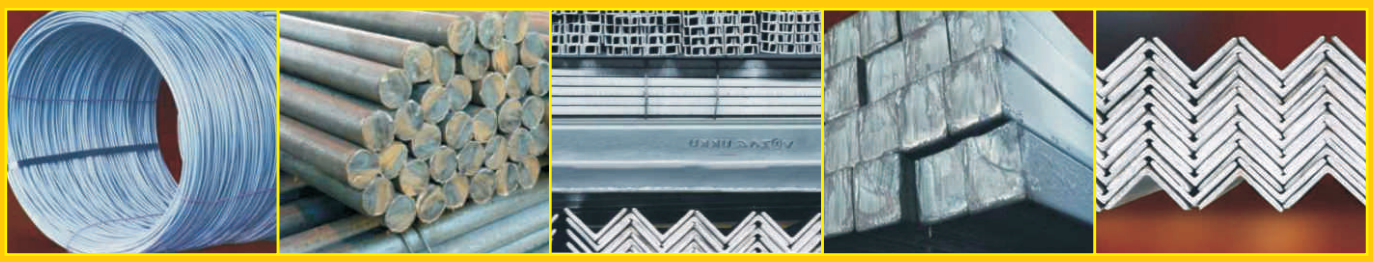

01.01.2010 की स्थिति अनुसार सेल के 599 जिलों में 1963 डीलर और आरआईएनएल के 80 डीलर थे

सत्यमेव जयते

इस्पात मंत्रालय

भारत सरकार

www.steel.gov.in

www.contad.com